<u>रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99</u>



सी.जी.-डी.एल.-अ.-24042024-253833 CG-DL-E-24042024-253833

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1 PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 112] No. 112] नई दिल्ली, मंगलवार, अप्रैल 23, 2024/वैशाख 3, 1946 NEW DELHI, TUESDAY, APRIL 23, 2024/VAISAKHA 3, 1946

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(व्यापार उपचार महानिदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 अप्रैल, 2024

अंतिम जांच परिणाम

मामला सं. सीवीडी-एसएसआर - 13/2023

विषय: चीन जन. गण. के मूल के अथवा वहां से निर्यातित "बसों और लॉरियों के लिए नए न्यूमेटिक रेडियल टायर" के आयातों के संबंध में प्रतिसंतुलनकारी शुल्क की निर्णायक समीक्षा जांच।

फा. सं. 7/30/2023-डीजीटीआर.—समय-समय पर संशोधित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम 1975 (इसके बाद 'अधिनियम' के रूप में संदर्भित) और सीमा शुल्क टैरिफ (पहचान, मूल्यांकन और संग्रह) को ध्यान में रखते हुए समय-समय पर संशोधित (इसके बाद 'सीवीडी नियम' या 'नियम' के रूप में संदर्भित) नियम 1995 (सब्सिडी वाली वस्तुओं पर प्रतिकारी शुल्क और चोट के निर्धारण के लिए)।

क. <u>पुष्ठभूमि</u>

1. प्राधिकारी द्वारा दिनांक 27 मार्च, 2018 की अधिसूचना संख्या 6/8/2018-डीजीएडी के तहत चीन जन. गण. (इसके बाद इसे "संबद्ध देश" के रूप में कहा गया है) से *"बसों और लॉरियों के लिए नए न्यूमेटिक रेडियल टायर"* (इसके बाद इसे "संबद्ध वस्तु" अथवा "विचाराधीन उत्पाद के रूप में कहा गया है) के आयातों के संबंध में एक सब्सिडीरोधी जांच शुरू की गई थी। विस्तृत जांच के बाद, निर्दिष्ट प्राधिकारी ने यह निष्कर्ष निकाला कि चीन की सरकार द्वारा संबद्ध

2667 GI/2024 (1)

वस्तुओं के उत्पादकों को प्रदान की गई सब्सिडी प्रतिसंतुलनकारी प्रकृति की थी और संबद्ध वस्तुएं चीन जन. गण. से सब्सिडी प्राप्त कीमतों पर निर्यात की गई थी, जिससे घरेलू उद्योग को क्षित हुई। प्राधिकारी ने दिनांक 25 मार्च, 2019 के अंतिम जांच परिणाम संख्या 6/8/2018-डीजीएडी के तहत संबद्ध देश से संबद्ध वस्तुओं के आयातों पर निश्चयात्मक प्रतिसंतुलनकारी शुल्क लगाने की सिफारिश की। वित्त मंत्रालय द्वारा दिनांक 24 जून, 2019 की सीमा शुल्क अधिसूचना संख्या 1/2019-सीमा शुल्क (सीवीडी) के तहत निश्चयात्मक उपाय लागू किए गए थे। वर्तमान समीक्षा के निष्कर्ष के लंबित रहते, चीन जन. गण. पर प्रतिसंतुलनकारी शुल्क दिनांक 11 मार्च, 2024 की अधिसूचना संख्या 01/2024-सीमा शुल्क (सीवीडी) के तहत 23 जुलाई, 2024 तक बढ़ाया गया था।

- 2. अधिसूचना की धारा 9(6) और नियमावली के नियम 24(3) के अनुसार, लगाया गया प्रतिसंतुलनकारी शुल्क, जब तक कि पहले हटा न लिया जाए, उसके लगाए जाने की तारीख से पांच वर्षों की समाप्ति पर प्रभावी नहीं रहेगा और प्राधिकारी को इस बात की समीक्षा करनी अपेक्षित है कि क्या ऐसे प्रतिसंतुलनकारी शुल्क की समाप्ति से घरेलू उद्योग को रियायत और क्षति जारी रहने अथवा उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना है।
- 3. और जबिक, ऑटोमोटिव टायर्स मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ("एटीएमए") ने घरेलू उद्योग नामत: अपोलो टायर्स लिमिटेड, जे.के. टायर इंडस्ट्रीज लिमिटेड और एमआरएफ लिमिटेड (इसके बाद इन्हें संयुक्त रूप से "आवेदक" के रूप में कहा गया है) की ओर से निर्दिष्ट प्राधिकारी के समक्ष, अधिनियम ओर नियमावली के अनुसार एक आवेदन दायर किया गया है, जिसमें संबद्ध देश के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तुओं के आयातों के संबंध में निर्णायक समीक्षा जांच शुरू करने का अनुरोध किया गया है।
- 4. आवेदकों ने संबद्ध देश से संद्ध वस्तुओं के आयातों के खिलाफ प्रतिसंतुलनकारी शुल्क जारी रखने की मांग की है। यह अनुरोध इस आधार पर था कि प्रतिसंतुलनकारी शुल्क समाप्त होने के परिणामस्वरूप संबद्ध वस्तुओं के रियायती आयातों के जारी रहने और घरेलू उद्योग को इसके परिणामस्वरूप क्षति की पुनरावृत्ति होने की संभावना थी।
- 5. और जबिक, प्राधिकारी ने याचिकाकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत किए गए पर्याप्त साक्ष्य के आधार पर नियमावली के अनुसार संबद्ध जांच शुरू करते हुए भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित दिनांक 29 दिसंबर, 2023 की अधिसूचना संख्या 7/30/2023-डीजीटीआर के तहत एक सार्वजिनक सूचना जारी की, तािक सिब्सिडीरोधी / प्रतिसंतुलनकारी शुल्क की मात्रा की सिफारिश की जा सके, जिसे यदि लगाया जाता है, तो घरेलू उद्योग की क्षिति को दूर करने के लिए पर्याप्त होगी।
- 6. वर्तमान समीक्षा के दायरे में दिनांक 25 मार्च, 2019 की अंतिम जांच परिणाम अधिसूचना संख्या 6/8/2018-डीजीएडी के सभी पहलुओं को शामिल किया गया है।

ख. प्रक्रिया

- 7. प्राधिकारी द्वारा संबद्ध निर्णायक समीक्षा के संबंध में नीचे दी गई प्रक्रिया का अनुसरण किया गया है:
 - i. प्राधिकारी को उपरोक्त नियमावली के तहत आवदेकों से एक लिखित आवेदन प्राप्त हुआ कि घरेलू उद्योग भारत में विचाराधीन उत्पाद के आयातों के संबंध में घरेलू उद्योग को रियायती आयातों के जारी रहने और क्षति की पुनरावृत्ति होने की संभावना है।
 - प्राधिकारी ने नियम 6(5) के अनुसार जांच शुरू करने से पूर्व समीक्षा आवेदन प्राप्त होने के बारे में भारत
 में चीन जन. गण. के दूतावास को अधिसूचित किया।
 - iii. प्राधिकारी ने सब्सिडी और प्रतिसंतुलनकारी उपायों संबंधी डब्ल्यूटीओ करार (इसके बाद इसे ''एएससीएम'' के रूप में कहा गया है) के अनुच्छेद 13 के अनुसार चीन जन. गण. की सरकार (इसके बाद इसे ''जीओसी'' के रूप में कहा गया है) को जांच शुरू करने से पूर्व परामर्श के लिए अवसर प्रदान किया, जो कि दिनांक 15 दिसंबर, 2023 को इसके प्रतिनिधियों के साथ किया गया था। संबद्ध देश की सरकार के प्रतिनिधियों की टिप्पणियों की रिकार्ड पर लिया गया था।
 - iv. जबिक चीन की सरकार ने यह तर्क दिया कि साक्ष्य का अभाव है अथवा दावा किया कि कथित नीतियां एएससीएम के तात्पर्य से प्रतिसंतुलनकारी नहीं हैं, क्योंकि इन्हें अंतर्राष्ट्रीय रूप से स्वीकार किया गया है और स्वीकार्य प्रकृति की है, जिसके द्वारा कोई वित्तीय योगदान प्रदान नहीं किया जाता और न ही संबंधित उपायों अथवा उद्योगों को कोई लाभ प्रदान किया जाता। चीन की सरकार ने यह कहा कि

कथित सब्सिडी कार्यक्रमों को बताने वाले कुछ चीन के कानूनों और विनियमों को या तो संशोधित किया गया है या उनका निरसन किया गया हे, लेकिन चीन की सरकार ने उनके दावों के लिए साक्ष्य नहीं दिए हैं।

- v. प्राधिकारी ने संबद्ध देश के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तुओं के आयातों के संबंध में सब्सिडीरोधी जांच की निर्णायक समीक्षा शुरू करते हुए भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित 29 दिसंबर, 2023 को एक सार्वजनिक सूचना जारी की है।
- vi. प्राधिकारी ने भारत में चीन के दूतावास, उपलब्ध सूचना के अनुसार ज्ञात उत्पादकों और चीन जन. गण. से निर्यातकों, भारत में ज्ञात उत्पादकों / प्रयोक्ताओं और अन्य हितब्ध पक्षकारों को दिनांक 29 दिसंबर, 2023 की जांच शुरूआत अधिसूचना की एक प्रति भेजी। हितबद्ध पक्षकारों को निर्धारित समय सीमा के भीतर निर्धारित रूप में और निर्धारित तरीके से संगत सूचना प्रदान करने और लिखित में अपने अनुरोधों को अवगत कराने के लिए परामर्श दिया गया था।
- vii. प्राधिकारी ने नियमावली के नियम 7(3) के अनुसार चीन के ज्ञात उत्पादकों / निर्यातकों को और चीन जन. गण. के दूतावास को आवेदक के अगोपनीय पाठ की एक प्रति प्रदान की।
- viii. प्राधिकरण ने सभी इच्छुक पक्षों और संबंधित मंत्रालय को आर्थिक हित प्रश्नावली (ईआईक्यू) जारी की। ईआईक्यू पर प्रतिक्रिया केवल घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत की गई थी।
- ix. प्राधिकारी ने चीन की सरकार को एक प्रश्नावली भेजी, जिसमें ऐसी विभिन्न योजनाओं / कार्यक्रमों के बारे में निर्धारित रूप में और निर्धारित तरीके से संगत सूचना की मांग की गई, जहां विचाराधीन उत्पाद के चीन के उत्पादकों / निर्यातकों को प्रतिसंतुलनकारी लाभ प्रदान किए गए हो सकते हैं। चीन की सरकार द्वारा दायर किए गए उत्तरों को प्राधिकारी द्वारा रिकार्ड पर लिया गया और उनकी जांच की गई।
- x. प्राधिकारी ने नियमावली के नियम 7(4) के अनुसार चीन जन. गण. में ज्ञात उत्पादकों / निर्यातकों को निर्यातक प्रश्नावलियां भेजी है:
 - क. शेडोंग यिनबाओ टायर ग्रुप कंपनी लिमिटेड
 - ख. शेडोंग वांडो बोटो टायर कंपनी लिमिटेड
 - ग. ट्राएंगल टायर कंपनी लिमिटेड
 - घ. झोंगसे रबड़ ग्रुप कंपनी लिमिटेड
 - ड. शेडोंग योंगफेंग टायर्स कंपनी लिमिटेड
 - च. जियान्सू जनरल टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड (जनरल साइंस)
 - छ. गुआंगज़ौ पर्ल रिवर रबड़ टायर कंपनी लिमिटेड
 - ज. गीति टायर (अनहुई) कंपनी लिमिटेड
 - झ. शेडोंग प्रोविंस सानली टायर मैन्युफैक्चर कंपनी लिमिटेड
 - ञ. शेडोंग हाओहआ टायर कंपनी लिमिटेड
 - ट. प्रिन्क्स चेंगशान टायर कंपनी लिमिटेड
 - ठ. कुम्हो टायर कंपनी इंक.
 - ड. कुम्हो टायर (तियानजिन) कंपनी, इंक
 - ढ. नानजिंग कुम्हो टायर कंपनी लिमिटेड
 - ण. सेलुन जिन्यु ग्रुप कंपनी लिमिटेड
 - त. डबल कॉइन टायर ग्रुप लिमिटेड

- थ. तियानजिन वांडा टायर ग्रुप कंपनी लिमिटेड
- द. ताइशान शेडोंग टायर कंपनी लिमिटेड
- ध. जियानक्सिन टायर (फ़ुज़ियान) कंपनी लिमिटेड
- न. गुइझोउ टायर
- प. सिचुआन हैडा रबड़ ग्रुप कंपनी लिमिटेड
- फ. शेंगटाई ग्रुप कंपनी लिमिटेड
- ब. शान डोंग जिन यू इंडस्ट्रियल कंपनी लिमिटेड
- भ. शेडोंग यिनबाओ टायर ग्रुप कंपनी लिमिटेड
- म. शेडोंग जिंगयुआन इंटरनेशनल ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड
- य. शेडोंग हेंगफ़ेंग रबड़ एंड प्लास्टिक कंपनी लिमिटेड
- कक. डिंगयिंग झोंग यी रबड़ कंपनी लिमिटेड
- खख. हाओयू टायर कंपनी लिमिटेड
- गग. डबल स्टार
- घघ शेडोंग लिंगलोंग टायर्स
- डड. डबल मनी ग्रुप (चोंगिकंग) टायर कंपनी लिमिटेड
- चच. ज़िंगयुआन टायर ग्रुप कंपनी लिमिटेड
- xi. उपरोक्त अधिसूचना के उत्तर में, निम्नलिखित उत्पादकों / निर्यातकों ने उत्तर दिया और निर्यातक प्रश्नावली उत्तर और / अथवा कानूनी अनुरोध प्रस्तुत / दाखिल किए:
 - क. झोंगसे रबड़ ग्रुप कंपनी लिमिटेड
 - ख. झोंगसे रबड़ (तियानजिन) कंपनी लिमिटेड
 - ग. शेडोंग यिनबाओ टायर ग्रुप कंपनी लिमिटेड
- xii. प्राधिकारी ने उपरोक्त भागीदारी निर्यातकों द्वारा दाखिल किए गए निर्यातक प्रश्नावली उत्तरों की जांच की है। यह पाया गया था कि दाखिल किए गए उत्तर अधूरे हैं और प्राधिकारी द्वारा निर्धारित रूप में नहीं है। किसी भी निर्यातक ने निर्यातक प्रश्नावली के भाग-II का जवाब दाखिल नहीं किया है जो निर्णायक समीक्षा के लिए प्रासंगिक है।
- xiii. प्रश्नावलियां नियमावली के अनुसार आवश्यक सूचना मांगने के लिए भारत में संबद्ध वस्तुओं के ज्ञात आयातकों / प्रयोक्ताओं / एसोसिएशनों को भेजी गई थी:
 - क. ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस
 - ख. सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल्स मैन्युफैक्चरर्स
 - ग. ऑल इंडिया ट्रांसपोर्टर्स वेलफेयर एसोसिएशन
 - घ. जी. इंडस्ट्रीज
 - ड. एएस एंड कंपनी
 - च. सेलाइट टायर कॉर्पोरेशन
 - छ. एजीके डिजिटल प्राइवेट लिमिटेड
 - ज. अखिल इम्पेक्स बिल्डिंग

- झ. एलायंस ट्रेडर्स
- ञ. अमित इंटरप्राइजेज
- ट. अरोरा इंटरप्राइजेज
- ठ. असिस इंटरप्राइजेज
- ड. भगवती इम्पेक्स
- ढ. चड्डा टायर ट्रेडर्स
- ण. छाबड़ा सेल्स कॉर्पोरेशन
- त. दशमेश ट्रेडिंग कंपनी
- थ. डीप इंटरप्राइजेज
- द. दिल्ली टायर शॉप
- ध. एकनूर टायर्स प्राइवेट लिमिटेड
- न. इलेक्ट्रो लिंक
- प. ईएसएस इंफ्राप्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड
- फ. फाइन ट्रेडर्स
- ब. फिश एक्वेरियम होम
- भ. गणपति ओवरसीज
- म. जेनेटिक सेल्स कॉर्पोरेशन
- य. ग्लोबस कॉर्पोरेशन
- कक. गुप्ता टायर हाउस
- खख. एच. डी. इंटरनेशनल
- गग. एच.एस. अरोड़ा एंड कंपनी लिमिटेड
- घघ. एच.एस. इंटरनेशनल
- डड. हरप्रीत इंटरनेशनल
- चच. हेयर ट्रेडिंग कंपनी
- छछ. हिंद ट्रेडर्स
- जज. हिंद ट्रेडर्स
- झझ. इंडियन रबड़ मैन्युफैक्चरर्स रिसर्च एसोसिएशन
- ञञ. इंडो चाइना इंपेक्स
- टट. इंडो सिलिकॉन इलेक्ट्रॉनिक्स प्रा. लिमिटेड
- ठठ. एम एस इंटरनेशनल
- डड. जे.एम. शमा डिजाइन
- ढढ. जयपेक्स लिमिटेड
- णण. जितेंदर ओवरसीज
- तत. जुनेजा एजेंसियां

थथ. के.सी. इम्पेक्स

दद. कबीर कंपोनेंट्स प्राइवेट लिमिटेड

धध. काक्स एंड बिल्स प्राइवेट लिमिटेड

नन. किंग्स्टन एंटरप्राइज

पप. लोकेश इम्पेक्स

फफ. वृंदा ओवरसीज

बब. मोहन इंटरप्राइजेज

भभ. नंद रबड़ प्राइवेट लिमिटेड

मम. नेशनल ट्रेडिंग कंपनी

यय. न्यू विकास टायर्स

ककक. पाहवा वितरक

खखख. पारस ऑटो पार्ट्स

गगग. परदीप इंपोर्ट एक्सपोर्ट

घघघ. पायनियर ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन

डडड. प्रेम ट्रेडिंग कंपनी

चचच. प्रिकॉन इंजीनियरिंग सर्विसेज

छछछ. आर सी इंटरनेशनल

जजज. आर एस इंटरप्राइजेज

झझझ. राधे किशन इंटरप्राइजेज

ञञञ. राजपाल रोडलाइन्स प्राइवेट लिमिटेड

टटट. रामेश्वर दास एंड कंपनी

ठठठ. रंगी रोड कैरियर

डडड. रेनू राज ट्रेडिंग

ढढढ. रोडलियन इंटरनेशनल

णणण. रॉयल ट्रेडर्स

ततत. रेना ओवरसीज (इंडिया)

थथथ. एस आर इंटरप्राइजेज

ददद. एस.एस. एंड संस

धधध. एस.के. इंटरनेशनल

ननन. सारवान इंटरप्राइजेज

पपप. सभरवाल ट्रेडिंग कंपनी

फफफ. सचिन प्रसाद यादव

बबब. नेशनल ट्रेडिंग कंपनी

भभभ. समर ट्रेडर्स प्रा. लिमिटेड

ममम. संजोग इमपैक्स

ययय. सन्मति पोर्टेक्स प्राइवेट लिमिटेड

कककक. सत गुरु ट्रेडर्स

खखखख. सेवियर इंटरनेशनल

गगगग शिव शक्ति इंटरप्राइजेज

घघघघ. शिवाइक एग्जिम

डडडड. सिमरन इंडिया इंक.

चचचच. सिमरन ट्रेडर्स

छछछछ. सोम प्रोजेक्ट्स एंड एसोसिएट्स

जजजज. श्री एंड कंपनी

झझझझ. श्री कुमारन ट्रेडर्स

ञञञञ. जैफ्को इंडिया प्रा. लिमिटेड

टटटट. सुमंत बच्छावत

ठठठठ. सन ट्रेडर्स

डडडड. सुप्रीम ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन

ढढढढ. सुरोध्या सेल्स

णणणण. ट्रांस टायर्स (इंडिया) प्रा. लिमिटेड

तततत. यूनीग्लोरी इंटरनेशनल

थथथथ, वान सेल्स इंडिया प्रा. लिमिटेड

ददद. विकास रिटेल प्राइवेट लिमिटेड

धधधध, वोर्टेक्स रबड इंडस्टीज प्रा. लिमिटेड

- xiv. उपरोक्त अधिसूचना के उत्तर में, दायर इंपोर्ट्स एसोसिएशन ने संबद्ध वस्तुओं की आयातक एसोसिएशन होने का दावा करते हुए हितबद्ध पक्षकार के रूप में पंजीकरण किया। तथापि, उसने कोई कानूनी अनुरोध अथवा प्रयोक्ता / आयातक प्रश्नावली उत्तर अथवा आर्थिक हित प्रश्नावली उत्तर दाखिल नहीं किया था। अग्रवाल टायर्स ने भी हितबद्ध पक्षकार के रूप में पंजीकरण किया था, जिसमें संबद्ध वस्तुओं के एक आयातक होने का दावा किया गया था। उसने एचएस कोड 40118000 के अंतर्गत आयातों को बाहर करने के लिए एक कानूनी अनुरोध दाखिल किया था। तथापि, उसने कोई प्रयोक्ता / आयातक प्रश्नावली उत्तर अथवा आर्थिक हित प्रश्नावली दाखिल नहीं की थी। इनमें से कोई भी पक्षकार मौखिक सुनवाई के दौरान प्राधिकारी के समक्ष उपस्थित नहीं हुआ।
- xv. डीजीटीआर की वेबसाइट पर सभी हितबद्ध पक्षकारों की एक सूची अपलोड करने के साथ-साथ सभी को उसमें यह अनुरोध भी किया गया था कि वे सभी अन्य हितबद्ध पक्षकारों को उनके अनुरोधों का अगोपनीय पाठ ई-मेल करें।
- xvi. प्राधिकारी ने दिनांक 6 फरवरी, 2024 के पत्र के तहत कुछ हितबद्ध पक्षकारों को प्राप्त अनुरोध के आधार पर, प्रश्नावली उत्तर / टिप्पणियां दाखिल करने का समय 7 मार्च, 2024 तक बढ़ाया।
- xvii. ऐसे निर्यातकों, उत्पादकों और अन्य हितबद्ध पक्षकारों को, जिन्होंने प्राधिकारी को उत्तर नहीं दिया था और न ही इस जांच के संबंध में संगत पर्याप्त सूचना प्रदान की, उन्हें असहयोगी के रूप में माना गया है।
- xviii. प्राधिकारी ने आवश्यकता के अनुसार, ऐसी सूचना की विधिवत जांच करने के बाद, गोपनीयता का दावों को स्वीकार किया और ऐसी सूचना को गोपनीय माना गया है तथा प्रकट नहीं किया गया।

- xix. आवेदकों ने वर्तमान जांच के प्रयोजन के लिए जांच की अविध 1 अप्रैल, 2022 से 30 जून, 2023 (15 माह) का प्रस्ताव किया। आवेदकों ने यह अनुरोध किया कि जांच की अविध के रूप में जुलाई, 2022 से जून, 2023 तक की अविध पर विचार करने से आवेदक घरेलू उद्योग के लिए लागत संबंधी डेटा तैयार करने में काफी व्यावहारिक किठनाइयां आएंगी, क्योंकि ये बहु उत्पाद वाली कंपनियां हैं, जिनके कई संयंत्र हैं।
- xx. आवेदक कंपनियों ने यह भी अनुरोध किया कि मामले के गुणों में कोई वास्तविक अंतर नहीं आएगा, क्योंकि वर्तमान मामला सब्सिडी जारी रहने और क्षित होने की संभावना के आधार पर है, जिसका जांच की अविध (पीओआई) के रूप में विचार की गई अविध से कोई संबंध नहीं है। प्राधिकारी ने अप्रैल, 2022 से जून, 2023 (वार्षिकीकृत) और जुलाई, 2022 से जून, 2023 की अविध पर विचार करते हुए डीजीसीआई एंड एस के आंकड़ों से आयात मात्रा और आयात कीमत की जांच की है। यह देखा गया था कि आयात मात्रा, मूल्य और सीआईएफ कीमत के बीच कोई वास्तविक अंतर नहीं था। इसके अलावा, वर्तमान जांच सब्सिडी जारी रहने और क्षित की संभावना के संबंध में है। अत: प्राधिकारी ने आवेदकों द्वारा प्रस्तावित जांच की अविध को स्वीकार करने का निश्चय किया है, जो कि 1 अप्रैल, 2022 से 30 जून, 2023 (15 माह) की है।
- xxi. विगत तीन वर्षों और जांच की अवधि (पीओआई) तथा पीओआई के बाद की अवधि के लिए संबद्ध वस्तुओं के आयातों के सौदा-वार ब्यौरों के लिए वाणिज्यिक जानकारी और सांख्यिकी महानिदेशालय (डीजीसीआई एंड एस) को अनुरोध किया गया था, जो कि प्राधिकारी द्वारा प्राप्त किए गए थे। प्राधिकारी ने सौदों की विधिवत जांच करने के बाद अपेक्षित विश्लेषण के लिए डीजीसीआई एंड एस के सौदा – वार आंकड़ों पर भरोसा किया गया है।
- xxii. सामान्यत: स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों (जीएएपी) के आधार पर घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना के आधार पर भारत में संबद्ध वस्तुओं के उत्पादन की ईष्टतम लागत और बनाने व बेचने की लागत का आकलन किया गया था ताकि यह पता लगाया जा सके कि सब्सिडी मार्जिन से कमतर प्रतिसंतुलनकारी शुल्क घरेलू उद्योग की क्षति को दूर करने के लिए पर्याप्त होगा।
- xxiii. घरेलू उद्योग द्वारा प्रदान की गई सूचना का स्थल पर और डेस्क अध्ययन के माध्यम से आवश्यकता के अनुसार सत्यापन किया गया था। केवल ऐसी सत्यापित सूचना पर, यथा लागू आवश्यक सुधार के साथ इस प्रकटीकरण विवरण के प्रयोजन के लिए भरोसा किया गया है।
- xxiv. प्राधिकारी ने नियम 7(6) के अनुसार मौखिक रूप से सूचना प्रस्तुत करने के लिए हितबद्ध पक्षकारों को अवसर प्रदान करने के लिए दिनांक 19 मार्च, 2024 को मौखिक सुनवाई की गई थी। मौखिक सुनवाई हाइब्रिड मोड में आयोजित की गई थी। सभी पक्षकारों, जिन्होंने मौखिक रूप से अपने विचारों को प्रस्तुत किया था, दिनांक 23 मार्च, 2024 तक लिखित में अपने अनुरोध दाखिल करने का परामर्श दिया गया। हितबद्ध पक्षकारों को दिनांक 27 मार्च, 2024 तक, अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोधों के लिए प्रत्युत्तर प्रस्तुत करने की अनुमित दी गई थी।
- xxv. सीवीडी नियमों के नियम 18 के संदर्भ में एक प्रकटीकरण विवरण 16 अप्रैल 2024 को जारी किया गया था। आसन्न समय सीमा को ध्यान में रखते हुए इच्छुक पार्टियों को प्रकटीकरण विवरण पर अपनी टिप्पणियां प्रदान करने के लिए 20 अप्रैल 2024 तक का समय दिया गया था। इस अंतिम निष्कर्ष में, इच्छुक पार्टियों से प्राप्त प्रकटीकरण विवरण पर टिप्पणियों पर, प्रासंगिक और गैर-दोहरावीय पाई गई सीमा तक विचार किया गया है।
- xxvi. इस जांच के दौरान हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोधों पर विचाराधीन आवश्यक तथ्यों की स्थापना में उनके संगत पाए जाने के अनुसार विचार किया गया है।
- xxvii. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा गोपनीय आधार पर प्रदान की गई सूचना की दावा की गई गोपनीयता की पर्याप्तता के संबंध में जांच की गई थी। संतुष्ट होने पर, प्राधिकारी ने गोपनीयता के दावों को आवश्यकता के अनुसार स्वीकार किया है और ऐसी सूचना को गोपनीय के रूप में माना गया है तथा अन्य हितबद्ध पक्षकारों को प्रकट नहीं किया गया है जहां कहीं भी संभव है, गोपनीय आधार पर सूचना प्रदान

[भाग I—खण्ड 1] भारत का राजपत्र : असाधारण

> करने वाले पक्षकारों को गोपनीय आधार पर दाखिल की गई सूचना का पर्याप्त अगोपनीय पक्ष प्रदान करने का निदेश दिया गया था।

जहां कहीं भी किसी हितबद्ध पक्षकार ने वर्तमान जांच के दौरान समयबद्ध तरीके से आवश्यक सूचना xxviii. सुलभ कराने से इंकार किया किया है अथवा अन्यथा प्रकट नहीं की है अथवा जांच को महत्वपूर्ण रूप से छिपाया है. तो प्राधिकारी ने ऐसे पक्षकारों को असहयोगी के रूप में माना है और उपलब्ध तथ्यों के आधार पर जांच परिणाम दर्ज किए हैं।

इस अंतिम जांच परिणाम में '***' गोपनीय आधार पर हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना को xxix. दर्शाता है और प्राधिकारी द्वारा नियमावली के तहत इस पर विचार किया गया है।

विषय की जांच के लिए प्राधिकरण द्वारा अपनाई गई विनिमय दर यूएस \$1 = INR 81.47 है। xxx.

चीन जन. गण. की सरकार द्वारा सहयोग का स्तर ग.

8. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि चीन जन. गण. की सरकार को लिखित पत्राचार और परामर्श के माध्यम से पर्याप्त अवसर प्रदान किया गया था ताकि आवेदकों द्वारा बताई गई विभिन्न सब्सिडी योजनाओं की मौजूदगी, प्रचालन और प्रशासन, डब्ल्यूटीओ एएससीएम और भारतीय नियमों के अनुसार उनकी प्रतिसंतुलनकारिता तथा इन योजनाओं के तहत चीन के उत्पादकों / निर्यातकों द्वारा प्राप्त किए गए लाभों के संबंध में संगत सुचना प्रदान की जा सके। चीन की सरकार द्वारा दाखिल किए गए उत्तरों को रिकार्ड पर दर्ज किया गया है और प्राधिकारी द्वारा उनकी जांच की गई है।

विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु घ.

अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध घ.1

- 9. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु के संबंध में किए गए अनुरोध इस प्रकार हैं:
 - भागीदार निर्यातकों ने विचाराधीन उत्पाद का निर्यात नहीं किया है। i.
 - वर्तमान जांच बसों और लॉरियों / ट्रकों में प्रयुक्त नए न्यूमेटिक रेडियम टायरों के संबंध में है। इसमें ii. निर्माण, खनन अथवा उद्योग से संबंधित वाहनों और मशीनों में प्रयुक्त टायर शामिल नहीं हैं। विचाराधीन उत्पाद का दायरा एक निर्णायक समीक्षा में विस्तारित नहीं किया जा सकता।
 - एचएस कोड 40118000 के अंतर्गत आयातों को बाहर किया जाना चाहिए, क्योंकि इसमें निर्माण, iii. खनन अथवा उद्योग से संबंधित वाहनों और मशीनों में प्रयुक्त नए न्युमेटिक टायर शामिल हैं।
 - प्राधिकारी को आयातित वस्तुओं के गलत वर्गीकरण से संबंधित मामलों की जांच करने का अधिकार नहीं iv. है।
 - घरेलू उद्योग को अतिरिक्त एचएस कोड के अंतर्गत आयातों को शामिल करने के लिए मध्यावधिक ٧. समीक्षा अथवा प्रवंचनारोधी आवेदन दाखिल करना चाहिए।
 - शीट ग्लास (दिनांक 21 फरवरी, 2020 के अंतिम जांच परिणाम) के मामले में, प्राधिकारी ने यह सही νi निर्णय लिया है कि गुजरात उच्च न्यायालय के अजंता प्रा० लि० बनाम भारत संघ मामले में निर्णय को देखते हुए, एक निर्णायक समीक्षा में अतिरिक्त एचएस कोडों को शामिल न किया जाए।
 - ऐसे मामलों में, जहां खनन / उद्योग के टायरों को ट्रकों / लॉरियों में भी लगाया जा सकता है, उन्हें सीमा vii. शुल्क टैरिफ की प्रथम अनुसूची के लिए सामान्य नियमावली के अनुसार एचएस कोड 40118000 के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाना चाहिए।
 - मैसर्स द टायर मार्क बनाम सीमा शुल्क आयुक्त, बंगलौर को उनके प्रमुख उपयोग के आधार पर वर्गीकृत viii. किया जाना चाहिए।
 - घरेलु उद्योग ने वस्तुओं के गलत वर्गीकरण को दर्शाने के लिए कोई साक्ष्य प्रदान नहीं किया है। ix.
 - डब्ल्यूसीओ का निर्णय लागू नहीं है, क्योंकि इसमें यह पाया गया है कि 110 कि.मी./घंटे की अधिकतम Χ. गति वाले टायरों को एचएस कोड 40112010 के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाना है। निर्यातक 65 कि.मी./ घंटे की गति के टायरों का निर्यात कर रहे हैं।

घ.2 घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

- 10. आवेदकों द्वारा विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु के संबंध में किए गए अनुरोध इस प्रकार हैं:
 - i. वर्तमान जांच चूंकि एक निर्णायक समीक्षा जांच है, अत: विचाराधीन उत्पाद का दायरा वही रहा, जो मूल जांच में परिभाषित किया गया है।
 - ii. समान उत्पाद विवरण और आकार पर विचार करने पर, जैसा कि मूल जांच में विचार किया गया था, विचाराधीन उत्पाद हाल के वर्षों में एचएस कोड 40112010 और 40118000 दोनों में पाया जाएगा।
 - iii. मूल जांच के दौरान एचएस कोड 40118000 के आयात विवरण पर विचार करने पर यह स्पष्ट होगा कि इस कोड के तहत पीयूसी का चीन से आयात नहीं किया गया था। यह चीनी निर्यातकों द्वारा शुल्क के भगतान से बचने के लिए की गई एक हालिया घटना है।
 - iv. संबद्ध वस्तुओं के महत्वपूर्ण आयात टैरिफ वर्गीकरण 40118000 के अंतर्गत सूचित किए गए हैं। ऐसे आयात उत्पाद विवरण और आकार के अनुसार हैं, जिसे मूल जांच में विचाराधीन उत्पाद के रूप में विचार किया गया था। इन आयातों में क्षति अविध के दौरान पर्याप्त वृद्धि हुई है, क्योंकि इन आयातों पर कोई सीवीडी नहीं लगाया जा रहा है।
 - v. सीवीडी का प्रयोजन ''एक उत्पाद'' के आयातों के लिए घरेलू उद्योग का उपचार प्रदान करना है, जिसे रियायती कीमत पर देश में आयात किया गया है। उत्पाद का वर्गीकरण, जिसके तहत ऐसे आयात हुए हैं, पूरी तरह से आमूर्त हैं।
 - vi. प्राधिकारी को टैरिफ कोड 40118000 के अंतर्गत विचाराधीन उत्पाद के आयातों पर सीवीडी का विस्तार करना चाहिए। अतिरिक्त एचएस कोड को शामिल करने के लिए ऐसी सिफारिश से उत्पाद के दायरे का विस्तार नहीं होगा। यह केवल एक उपाय है कि शुल्क का संग्रहण सुनिश्चित हो सके और सीमा शुल्क वर्गीकरण के गलत वर्गीकरण के जरिए बचते हुए शुल्क रोका जाए।
 - vii. नियंम 4(घ) के तहत, प्राधिकारी का कर्तव्य उत्पाद की पहचान करना है, ताकि वित्त मंत्रालय द्वारा निर्धारण हो सके। एचएस वर्गीकरण को निर्दिष्ट करना निर्दिष्ट प्राधिकारी का कार्य नहीं है। निर्दिष्ट प्राधिकारी को विचाराधीन उत्पाद का केवल विवरण देना अपेक्षित है। निर्दिष्ट प्राधिकारी एचएस कोडों के संबंध में वित्त मंत्रालय को केवल सूचित करने के लिए एचएस कोड निर्दिष्ट करते हैं जिनके अंतर्गत निर्धारण करने के लिए और निर्धारण के लिए वित्त मंत्रालय की सहायता के लिए विचाराधीन उत्पाद के डेटा पर विचार किया गया था।
 - viii. प्राधिकारी ने एक निर्णायक समीक्षा में बार-बार अतिरिक्त एचएस कोड जोड़े हैं। इनमें "चीन के धातु अथवा गैर-धातु स्टील के कलर कोटेड / प्री-पेंट फ्लैट उत्पाद" (2021), "चीन से इलेक्ट्रिकल इंसु लेंटर (2019)", चीन से विस्कोस फिलामेंट (2018)" और कोरिया गणराज्य, ताईवान, चीन जन. गण., मलेशिया, थाईलैंड, रूस और यूरोपीय संघ से पॉली विनाइल क्लोराइड (पीवीसी) पेस्ट / इमल्शन रेसिन (2016)" से संबंधित निर्णायक समीक्षाएं शामिल हैं।
 - ix. अजंता प्रा० लि० बनाम भारत संघ (दिनांक 4.11.2015) मामले में गुजरात उच्च न्यायालय के निर्णय में सभी संभव एचएस कोडों को शामिल करने के महत्व को उल्लिखित किया गया है ताकि शुल्क का संग्रहण सुनिश्चित हो सके। माननीय उच्च न्यायालय ने यह पाया कि यदि सीमा शुल्क अधिसूचना में विनिर्दिष्ट न किए गए एचएस कोडों के संबंध में पाटनरोधी शुल्क लगाया जाता है, तो सीबीआईसी से पाटनरोधी शुल्क लगाने के लिए मांग नोटिस प्राधिकार के बिना है। इस प्रकार, यह मामला शुल्क की वसूलनीयता और संग्रहण से संबंधित है। डीजीटीआर का संबंध जांच, निर्धारण और सिफारिश से है। यह निर्णय अतिरिक्त एचएस कोडों की सिफारिश के जिरए व्यापार उपचारी उपायों के संग्रहण की सिफारिश के लिए निर्दिष्ट प्राधिकारी पर उत्पाद परिणाम के उदाहरण के संबंध में डीजीटीआर की प्रक्रिया वहीं रही।
 - x. विचाराधीन उत्पाद का दायरा टायरों के रिम व्यास द्वारा निर्धारित किया जाता है। यह वाहनों के उपयोग पर आधारित नहीं है। यदि किसी वस्तु लॉरी / ट्रक में 16 इंच के अधिक के रिम व्यास वाले एक नए न्यूमेटिक रेडियल टायर का उपयोग किया जा सकता है, वह दायरे के भीतर शामिल होता है।

- xi. 67वीं बैठक (2021) में विश्व सीमा शुल्क संगठन के वर्गीकरण निर्णय के अनुसार, बसों और लॉरियों के लिए रेडियम टायरों हेतु समान विनिर्देशन वाले कितपय टायर, लेकिन निर्माण / खनन अथवा उद्योग अनुप्रयोगों में वस्तुओं के परिवहन के लिए वाहनों में प्रयुक्त किए जाते हैं, भी एचएस कोड 40112010 के अंतर्गत वर्गीकृत किए जाते हैं।
- xii. भागीदार निर्यातक गलत प्रस्तुती कर रहे हैं कि उन्होंने विचाराधीन उत्पाद का निर्यात नहीं किया है। आवेदक ने बाजार की जानकारी से सौदा-वार आयात के आंकड़ों का विश्लेषण किया है, जो झोंगसी और शानडोंग झिनबाओ दोनों द्वारा एचएस कोड 40118000 के अंतर्गत विचाराधीन उत्पाद के महत्वपूर्ण आयातों को दर्शाता है।
- xiii. दुनिया भर में प्राधिकारी शुल्क से बचने का प्रतिरोध करने के लिए सिक्रिय कार्रवाई कर रहे हैं। हाल ही में, फरवरी, 2023 में, यूरोपीय आर्थिक संघ ने यह निष्कर्ष दिया कि चीन के निर्यातक टीबीआर टायरों पर पाटनरोधी शुल्क की प्रवंचना कर रहे हैं। प्रवंचना को रोकने के लिए प्राधिकारी ने ट्रकों, बसों और ट्रॉली बसों, टंप ट्रकों, ट्रक टॉलरों और सेमी ट्रालरों के लिए टायरों को शामिल करने के लिए अपने पाटनरोधी शुल्क का दायरा व्यापक किया है। अतिरक्त एचएस कोड 8708.70.990.9 के अंतर्गत आयातों के लिए पाटनरोधी शुल्क का भी विस्तार किया गया था, क्योंकि यह पाया गया था कि टीबीआर टायरों को टायर और व्हील असेंबिलयों के रूप में यरोपीय आर्थिक संघ में निर्यात किया जाता है।
- xiv. घरेलू उद्योग ऐसे उत्पादों के लिए समान वस्तु की बिक्री कर रहा है, जिन पर घरेलू उद्योग ने शामिल करने की अपेक्षा की है। इन उत्पादों के आयातों को बिना सीवीडी के अनुमति देना, केवल इस कारण कि ये 40118000 कोड के अंतर्गत सूचित किए जाते हैं, उस प्रयोजन को ही विफल कर देगा, जिसके लिए वर्तमान सीवीडी का विस्तार करने का प्रस्ताव किया जा रहा है।
- xv. घरेलू उद्योग ने पहले प्रवंचनारोधी याचिका दाखिल की थी और डीजीटीआर ने इस आधार पर उस पर विचार नहीं किया कि निर्णायक समीक्षा की जा रही है और उसमें मामले का समाधान किया जा सकता है। अत: प्रवंचनारोधी आवेदन में प्रस्तुत की गई सूचना और साक्ष्यों पर इस जांच में विचार किया जाएगा।
- xvi. निर्यातकों ने यह तर्क देकर प्राधिकारी को गुमराह किया है कि उन्होंने वर्तमान अवधि में एनपीयूसी का निर्यात किया है। आयात के आंकड़े विचाराधीन उत्पाद के निर्यात को दर्शाते हैं।
- xvii. जांच की अवधि के दौरान निर्यातकों द्वारा की गई अधिकांश आपूर्ति वास्तव में विचाराधीन उत्पाद के आयात हैं।
- xviii. निर्यातक को सूचना को प्रस्तुत करना था और उसके बाद यह तर्क देना था कि यह एनपीयूसी से संबंधित है। निर्यातक कोई संगत सूचना प्रदान नहीं करता और केवल यह विवरण देता है कि उन्होंने एनपीयूसी की आपूर्ति की है। यह स्पष्ट रूप से सूचना को छिपाना है और सीधे तौर पर निर्दिष्ट प्राधिकारी बनाम हलदोर टोप्सो (2000 120 ईएलटी 11एससी) मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय द्वारा कवर होता है, जिसमें कि न्यायालय ने यह पाया था कि पक्षकार को किसी भी साक्ष्य अथवा तथ्य को अंतिम मानने से पहले संगत साक्ष्य प्रदान करना अनिवार्य है। प्राधिकारी को निर्यातक के लिए प्रतिकूल तथ्यों को लागू करना चाहिए और निर्यातक पर अविशष्ट शुल्क की सिफारिश करनी चाहिए।
 - xix. देश में टायर का उपयोग यह दर्शाता है कि आयातित उत्पाद वास्तव में बसों और लॉरियों में लगाने के लिए उपयोग किया गया है।
 - xx. मूल जांच की जांच की अवधि के दौरान एचएस कोड 40118000 के अंतर्गत आयात ऐसे उत्पाद के आयातों को नहीं दर्शाते, जिन्हें अब इस कोड में सूचित किया जा रहा है।

घ.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

11. मूल जांच में विचाराधीन उत्पाद का दायरा इस प्रकार से परिभाषित था:

''8(क)..... तदनुसार, वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद ''बसों और लॉरियों / ट्रकों में प्रयुक्त 16'' से अधिक सामान्य रिम व्यास कोड वाले ट्यूब और / अथवा रबड़ के फ्लैप (ट्यूबलेस टायरों सहित) के साथ अथवा बिना नए / अप्रयुक्त न्यूमेटिक इेडियम टायर'' हैं। विचाराधीन उत्पाद के दायरे में ट्यूब टाइप और ट्यूबलेस टायर, दोनों शामिल हैं। ट्यूब टाइप टायर में, टायर का उपयोग एक वाहन में एक ट्यूब और एक फ्लैप के साथ-साथ किया जाता है। एक टायर, एक ट्यूब और एक फ्लैप एक साथ एक ''टायर सेट'' के रूप में बचे जाते हैं और ''टीटीएफ'' के रूप में वर्णित किया जाता है। ''टीटीएफ'' शब्द एक ''टायर सेट'' को दर्शाने के लिए उद्योग में मौजूद है। टायर, ट्यूब और फ्लैप एक वाहन में संयुक्त रूप से ''टायर'' के कार्य को दर्शाता है। टायर, ट्यूब और फ्लैप की बिक्री प्राथमिक रूप से ''टीटीएफ'' अथवा ''टायर सेट'' आधार पर है। ऐसे ट्यूबलेस रेडियल टायर, जहां ट्यूब और फ्लैप अपेक्षित नहीं हैं, वे भी इस जांच के दायरे के भीतर आते हैं''।

- (ख) आयातित उत्पाद के दायरे में बसों और लॉरियों / ट्रकों में प्रयुक्त केवल रेडियल टायर शामिल है। टायरों को सामान्यत: विभिन्न प्रकार के वाहनों में प्रयोग में लाया जाता है, जैसे ट्रक, बस, लॉरियां, हल्के वाणिज्यिक वाहन, पैसेंजर कार, जीप, ट्रैक्टर, दो पिहया, तीन पिहया, पशु द्वारा खींचे जाने वाले वाहन, अर्थमूवर, औद्योगिक टायर, एयरक्राफ्ट आदि। तथापि, विचाराधीन उत्पाद केवल इस प्रकार का टायर है, जिसका उपयोग बसों और लॉरियों / ट्रकों में किया जाता है। अन्य सभी प्रकार के टायर वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद के दायरे से बाहर है।
- (ग) विचाराधीन उत्पाद को सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 के अध्याय 40 के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। टायरों को सीमा शुल्क उप शीर्ष 42112010 के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है, जबिक ट्यूब और फ्लैप को क्रमश: 40131020 और 40129049 के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। सीमा शुल्क वर्गीकृत केवल संकेतिक है और उत्पाद के दायरे पर किसी भी तरह से बाध्यकारी नहीं है।
- (घ) घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित नए / अप्रयुक्त न्यूमेटिक रेडियल टायर चीन जन. गण. से आयातित नए / अप्रयुक्त न्यूमूटिक रेडियम टायरों के समान वस्तु है। प्राधिकारी ने यह पाया है कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित और चीन जन. गण. से निर्यातित वस्तुओं में कोई ज्ञात अंतर नहीं है। याचिकाकर्ताओं द्वारा उत्पादित और चीन जन. गण. से आयातित संबद्ध वस्तुएं उत्पाद गुणों, कार्यों और उपयोगों, उत्पाद विनिर्देशनों, कीमत, वितरण और विपणन तथा वस्तुओं के टैरिफ वर्गीकरण के संदर्भ में तुलनीय, साझा और संचित हैं। प्राधिकारी ने यह पाया है कि आवेदक घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित विचाराधीन उत्पाद सब्दिडीरोधी नियमावली के अनुसार संबद्ध देश से आयातित संबद्ध विचाराधीन उत्पाद के समान अयातित संबद्ध विचाराधीन उत्पाद के समान
- 12. वर्तमान जांच चूंकि एक निर्णायक समीक्षा जांच है। अत: विचाराधीन उत्पाद वही रहा, जो मूल जांच में परिभाषित है। प्राधिकारी ने यह विचार किया है कि सीमा शुल्क वर्गीकरण केवल सांकेतिक है और यह विचाराधीन उत्पाद की जांच के दायरे पर बाध्यकारी नहीं है। प्राधिकारी विचाराधीन उत्पाद के आयातों पर उसके वर्गीकरण के बावजूद विचार करते हैं।
- 13. मूल जांच में, प्राधिकारी ने आयात सौदों में सूचित उत्पाद विवरण पर विचार किया था और यह पता लगाया था कि क्या यह विचाराधीन उत्पाद से संबंधित है। यह नोट किया जाता है कि विचाराधीन उत्पाद के आयात के आकार को निर्धारित करने के बाद किया जा रहा था।
- 14. विचाराधीन उत्पाद को सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की प्रथम अनुसूची के अध्याय 40 के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। टायरों को एचएस कोड 40112010 के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है और ट्यूब तथा फ्लैप को क्रमश: एचएस कोड 40131020 और 40129049 के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है।
- 15. प्राधिकारी द्वारा एचएस कोड 40112010, 40131020, 40129049 और 40118000 के अंतर्गत संबद्ध वस्तुओं के आयात की जांच करने के लिए वाणिज्यिक जानकारी एवं सांख्यिकी महानिदेशालय से लेनदेन-वार आयात के आंकड़ों की जानकारी मांगी गई। यह देखा गया है कि एचएस कोड 40118000 के तहत 16 इंच से अधिक रिम व्यास वाले टायरों जिनका उपयोग आमतौर पर बसों, ट्रकों और लॉरियों में किया जाता है, के बहुत अधिक आयात होने की सूचना प्राप्त हुई है। इन विवरणों के उत्पादों को मूल जांच के समय विचाराधीन उत्पाद माना जाता था और आयात की मात्रा और मूल्य निर्धारित करने में शामिल किया गया था। जबिक इन विवरणों के उत्पादों को पहले 40112010 के तहत रिपोर्ट किया जा रहा था, और इन विवरणों के उत्पादों को 40118000 के तहत भी रिपोर्ट किया जा रहा है। प्राधिकारी का मानना है कि यदि कुछ उत्पादों का आयात अलग-अलग वर्गीकरण के तहत किया गया है, भले ही इनका विवरण प्राधिकारी द्वारा विचाराधीन उत्पाद के विवरण के समान हो, तो उसे निर्धारण के उद्देश्य से बाहर नहीं रखा जा सकता है।

- 16. यहां तक कि विश्व सीमा शुल्क संगठन की 67वीं बैठक (2021) के वर्गीकरण निर्णय में स्पष्ट किया गया है कि टीबीआर टायरों के समान विशिष्टता वाले कुछ टायरों, जिनका उपयोग निर्माण, खनन या उद्योग के कार्यों में माल के परिवहन के लिए वाहनों के लिए किया जाता है, उन्हें भी एचएस कोड 40112010 के तहत वर्गीकृत किया जाना है। इस प्रकार, टीबीआर टायर का उपयोग खनन या अन्य औद्योगिक अनुप्रयोगों के लिए भी किए जाने के बावजूद उन्हें एचएस कोड 40112010 के तहत टीबीआर टायर के रूप में माना जाना चाहिए।
- 17. मैसर्स टायर मार्क बनाम सीमा शुल्क आयुक्त, बैंगलोर, 2021, मामले में सीईएसटीएटी के निर्णय के संबंध में प्राधिकारी नोट करते हैं कि यह टायरों के वर्गीकरण के उद्देश्य से अनुदेशपूर्ण है। वर्तमान में, टायरों का सीमा शुल्क वर्गीकरण प्रमुख विवाद नहीं है। मौजूदा मामले में, प्राधिकारी को यह निर्धारित करना होगा कि क्या कुछ आयात सीवीडी लगाने के उद्देश्य से 40118000 के तहत उत्पाद के दायरे में आते हैं। प्राधिकारी ने आयात आंकड़ों में दिए गए विवरण के आधार पर इन आयातों की जांच की है और इन उत्पादों को केवल तभी विचाराधीन माना है जब इनमें मूल जांच के समय अंगीकृत किए गए अनुसार विवरण दिया गया हो।
- 18. अजंता प्राइवेट लिमिटेड बनाम भारत संघ के मामले में गुजरात उच्च न्यायालय के निर्णय के संबंध में, प्राधिकारी नोट करते हैं कि उक्त निर्णय लागू पाटन रोधी शुल्क की प्रभार्यता के संबंध में है, और वर्तमान मामले के लिए उपयुक्त नहीं है। प्राधिकारी के सीमा शुल्क वर्गीकरण को सांकेतिक मानने की स्थापित व्यवस्था पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, और यह पीयूसी के दायरे पर बाध्यकारी नहीं है। निर्णय में कहा गया है कि राजस्व अधिकारी केवल सीमा शुल्क अधिसूचना में निर्दिष्ट शुल्क कोड के संबंध में पाटन रोधी शुल्क लगा सकते हैं। वास्तव में यह निर्णय, लगाए जा रहे शुल्क के उद्देश्य को पूरा करने के लिए सभी संभावित एचएस कोड को शामिल करने के महत्व को दर्शाता है। तथापि, प्राधिकारी से यह अपेक्षा की जाती है कि वह विचाराधीन उत्पाद से संबंधित ऐसे सभी आयातों पर विचार करे, चाहे इन्हें किसी भी वर्गीकरण के अंतर्गत सूचित किया गया हो। इसके अलावा, केवल उन उत्पादों पर प्रतिसंतुलनकारी शुल्क लगाया जाएगा जो विचाराधीन उत्पाद के दायरे में आते हैं। यदि ऐसे वर्गीकरण पर कुछ अन्य उत्पादों को सूचित किया जाता है, तो वे प्रतिसंतुलनकारी शुल्क के अध्यधीन नहीं होंगे।
- 19. प्राधिकारी के द्वारा निर्णायक समीक्षा जांच में एचएस कोड को शामिल करने पर रोक नहीं है, यदि अभिलेख में दी गई सूचना से पता चलता है कि उत्पाद के आयात को उस एचएस कोड में रिपोर्ट किया गया है। प्राधिकारी विचाराधीन उत्पाद के विवरण द्वारा शासित होता है, चाहे जहाँ इनका आयात किया गया है, वहां उनका वर्गीकरण कुछ भी हो। यदि किसी उत्पाद को एक से अधिक एचएस कोड में आयात किया गया है, और सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा इसकी अनुमित दी गई है, तो यह अपने आप में एक से अधिक एचएस कोड के तहत उस उत्पाद के वर्गीकरण की संभावना को स्थापित करता है। जहां तक इस पहलू का संबंध है, निर्णायक समीक्षा का दायरा मध्याविध समीक्षा से कम नहीं है। इसे पिछले DGTR अभ्यास के मामलों में देखा जा सकता है कि कोरिया आरपी, ताइवान, चीन जन. गण., मलेशिया, थाईलैंड, रूस और यूरोपीय संघ (2016) से पॉली विनाइल क्लोराइड (पीवीसी) पेस्ट/ इमल्शन रेजिन "से संबंधित निर्णायक समीक्षाओं में पिछले निर्धारणों और चीन जन. गण. (2023) से "कॉस्मेटिक ग्रेड को छोड़कर प्राकृतिक अभ्रक पर्ल इंडस्टीज पिगमेंट"से संबंधित मध्याविध समीक्षा के मामले में भी स्पष्ट है।
- 20. शीट ग्लास (2020) के मामले में डीजीटीआर के अंतिम जाँच परिणामों के संदर्भ में, प्राधिकारी के द्वारा नोट किया गया कि मूल जांच के दौरान, प्राधिकारी ने एचएस कोड 70042011, 70042019, 70031290, 70033090, 70042099, 70049019, 70049099, 70052110, 70053090, 70091090, 70091010, 70099100, 70119090 के तहत शुल्क की सिफारिश की थी। वित्त मंत्रालय ने केवल 70042019, 70042011 एचएस कोड के संबंध में शुल्क लगाया। निर्णायक समीक्षा के दौरान, प्राधिकारी ने अतिरिक्त एचएस कोड शामिल नहीं किए क्योंकि वित्त मंत्रालय ने प्राधिकारी की सिफारिशों के बावजूद अन्य एचएस कोड पर शुल्क नहीं लगाया।
- 21. नीचे दी गई तालिका एचएस कोड 40112010 और 40118000 में संबद्ध वस्तुओं के आयात को दर्शाती है:

अवधि	इकाई	एचएसएन 40112010	एचएसएन 40118000	अन्य कोड	कुल
2019-20	एमटी	13,436	1,264	325	15,025
2020-21	एमटी	1,325	2,782	93	4,200
2021-22	एमटी	123	7,783	274	8,179
पीओआई (ए)	एमटी	0	20,634	516	21,150

- 22. उपर्युक्त को देखते हुए, प्राधिकारी इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि विचाराधीन उत्पाद का दायरा वही है जो मूल जांच, अर्थात, सीमा शुल्क उप-शीर्षक 40112010, 40131020 और 40129049 के तहत वर्गीकृत बसों और लॉरी/ट्रकों में उपयोग किए जाने वाले "ट्यूब के साथ या बिना ट्यूब वाले नए/ अप्रयुक्त रेडियल टायर और/ या रबर के फ्लैप (ट्यूबलेस टायर सिहत), जिसका नाममात्र रिम व्यास कोड 16" से ऊपर है, में अधिसूचित किया गया था। सीमा शुल्क वर्गीकरण केवल सांकेतिक हैं और ये उपाय तभी लागू होंगे जब आयातित उत्पाद विचाराधीन उत्पाद के विवरण की पृष्टि करे। हालांकि, यह स्पष्ट किया जाता है कि यदि विचाराधीन उत्पाद एचएस कोड 40118000 के तहत आयात किया जाता है. तो इसे उपायों के अधीन किया जाएगा।
- 23. घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित और संबद्ध देश से निर्यातित विषय वस्तु में कोई ज्ञात अंतर नहीं है। वर्तमान जांच एक निर्णायक समीक्षा जांच है और प्राधिकरण ने पहले माना था कि घरेलू उद्योग द्वारा आपूर्ति की गई वस्तुएं पीयूसी के समान वस्तु हैं।
- 24. प्राधिकरण ने पहले मूल जांच के समय माना था कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित विषय वस्तु तकनीकी विशिष्टताओं, विनिर्माण प्रक्रिया और प्रौद्योगिकी, कार्यों और उपयोग, मूल्य निर्धारण, वितरण और विपणन के संदर्भ में विषय देश से आयातित वस्तुओं के बराबर है। और माल का टैरिफ वर्गीकरण। ये दोनों तकनीकी और व्यावसायिक रूप से प्रतिस्थापन योग्य हैं। किसी भी हितबद्ध पक्ष ने यह तर्क नहीं दिया है कि घरेलू उद्योग द्वारा आपूर्ति किया गया माल पीयूसी के समान वस्तु नहीं है। इसलिए, वर्तमान जांच के प्रयोजन के लिए, घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित और आपूर्ति की गई विषय वस्तु को विषय देश से आयात किए जा रहे विषय वस्तु के 'समान वस्तु' के रूप में माना जा रहा है।

ङ. घरेलू उद्योग और स्थिति का दायरा

ङ.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

25. घरेलू उद्योग और स्थिति के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध इस प्रकार हैं:

 ं. आवेदन में घरेलू उद्योग का प्रतिनिधित्व करने के लिए आवेदकों की स्थिति का समर्थन करने के लिए पर्याप्त साक्ष्य नहीं है।

ङ.2 घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

26. घरेलू उद्योग और स्थिति के संबंध में आवेदकों द्वारा किए गए अनुरोध इस प्रकार हैं:

- i. वर्तमान आवेदन को अपोलो टायर्स लिमिटेड, जेके टायर इंडस्ट्रीज लिमिटेड और एमआरएफ लिमिटेड की ओर से एटीएमए के द्वारा दायर किया गया है। आवेदकों की कंपनियां संबद्ध देश में संबद्ध वस्तुओं के किसी भी निर्यातक या भारत में संबद्ध वस्तुओं के किसी भी आयातक से संबंधित नहीं हैं।
- भारत में संबद्ध वस्तुओं के अन्य घरेलू उत्पादक हैं जैसे ब्रिजस्टोन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, कॉन्टिनेंटल इंडिया लिमिटेड, मिशेलिन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और सिएट लिमिटेड।
- iii. आवेदक कंपनियों का उत्पादन भारतीय उत्पादन से अधिक है। तदनुसार, भारतीय उत्पादन में एक बड़ा हिस्सा आवेदक कंपनियों के उत्पादन का है।
- iv. आवेदक कंपनियों ने संबद्ध देश से विचाराधीन उत्पाद का आयात नहीं किया है। और ना ही उनका संबंध विचाराधीन उत्पाद के किसी आयातक या निर्यातक के साथ है।
- v. स्थिति की आवश्यकता निर्णायक समीक्षा जांच के लिए संगत नहीं है। किसी भी मामले में, आवेदकों का घरेलू उद्योग सीवीडी नियमों के नियम 6 (3) के तहत स्थिति की आवश्यकताओं को पूरा करता है।

ङ.3 प्राधिकारी के द्वारा जाँच

27. पाटन रोधी नियमावली के नियम 2(ख) में घरेलू उद्योग को निम्नानुसार परिभाषित किया गया है:-

' 'घरेलू उद्योग'' का तात्पर्य ऐसे समग्र घरेलू उत्पादकों से है जो समान वस्तु के विनिर्माण और उससे जुड़े किसी कार्यकलाप में संलग्न हैं अथवा ऐसे उत्पादकों से है जिनका उक्त वस्तु का सामूहिक उत्पादन उक्त वस्तु के कुल घरेलू उत्पादन का एक बड़ा भाग बनता है सिवाए उस स्थिति के जब ऐसे उत्पादक आरोपित पाटित वस्तु के निर्यातकों या आयातकों से संबंधित होते हैं अथवा वे स्वयं उसके आयातक होते हैं, तो ऐसे मामले में ''घरेलू उद्योग'' पद का अर्थ शेष उत्पादकों के संदर्भ में लगाया जा सकता है।

- **28.** वर्तमान आवेदन ऑटोमोटिव टायर मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन द्वारा उत्पाद के घरेलू उत्पादकों अर्थात् अपोलो टायर्स लिमिटेड, जेके टायर इंडस्टीज लिमिटेड और एमआरएफ लिमिटेड की ओर से दायर किया गया है।
- 29. अभिलेखों में उपलब्ध जानकारी में यह देखा जा सकता है कि भारत में पूरे उत्पादन में आवेदकों की हिस्सेदारी 60% से अधिक है। आवेदकों ने संबद्ध देश से संबद्ध वस्तुओं का आयात नहीं किया है और उनका संबद्ध देश में संबद्ध वस्तुओं के किसी भी निर्यातक या भारत में संबद्ध वस्तुओं के आयातक से कोई संबंध नहीं हैं। तदनुसार, प्राधिकारी यह निर्णय देते हैं कि आवेदक सीवीडी नियमों के नियम 2 (ख) के तहत परिभाषित घरेलू उद्योग के अंतर्गत आते हैं, और आवेदन नियम 6(3) के तहत स्थिति की आवश्यकताओं को पुरा करता है।

च. गोपनीयता

च.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

- 30. गोपनीयता के मुद्दों के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध इस प्रकार हैं:
 - i. आवेदकों द्वारा दायर किया गया आवेदन बिना किसी युक्तियुक्त औचित्य के गोपनीयता के दावे की जानकारी के गैर-गोपनीय सारांश उपलब्ध कराने में विफल रहा है, जिससे नियमों और व्यापार नोटिस का उल्लंघन हुआ है।
 - ii. आवेदकों द्वारा दायर किया गया आवेदन दिनांक 7 सितंबर, 2018 के व्यापार नोटिस संख्या 10/2018 की आवश्यकताओं का अनुपालन करने में विफल रहा है।

च.2 घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

- 31. गोपनीयता के मुद्दों के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं
 - i. निर्यातकों द्वारा किया गया गोपनीयता दावा इतना अधिक है कि कोई भी एनसीवी से यह अनुमान नहीं लगा सकता है कि किन सब्सिडी योजनाओं का लाभ उठाया गया है।
 - ii. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दायर प्रत्युत्तर अपर्याप्त हैं और व्यापार नोटिस 10/2018 तथा व्यापार नोटिस 01/2013 का उल्लंघन करती हैं, जिससे घरेलू उद्योग को अपने अधिकारों का बचाव करने से रोकती है। निर्यातकों ने सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध सूचना के गोपनीय होने का दावा किया है और बिना किसी आधार पर अत्यधिक गोपनीयता का दावा किया है।
 - iii. आवेदकों ने ऐसी सूचना के गोपनीय होने का दावा किया है जिसकी गोपनीयता की अनुमति नियमों के अंतर्गत और प्राधिकारी के निरंतर कार्यों के अनुसार दी गई है।
 - iv. आवेदकों ने आवेदन का पर्याप्त अगोपनीय संस्करण उपलब्ध कराया है। कोई भी हितबद्ध पक्षकार सूचना के किसी विशिष्ट हिस्से को ध्यान में नहीं ला पाए हैं, जिसकी गोपनीयता का दावा किया गया है और जिसकी गोपनीयता नियमों के तहत उचित नहीं है।

च.3 प्राधिकारी की जाँच

32. सूचना की गोपनीयता के संबंध में प्रतिसंतुलनकारी शुल्क नियमावली के नियम 8 में निम्नलिखित प्रावधान है :

"नियम 8: गोपनीय सूचना। (1) नियम 7 के, उपनियम (1), (2), (3) और (7), नियम 14 का उप नियम (2), नियम 17 का उपनियम (4) और नियम 19 का उपनियम (3) में निहित किन्हीं तथ्यों के बावजूद, नियम 6 के उप नियम (1) के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों अथवा जांच की प्रक्रिया में किसी पक्षकार द्वारा गोपनीय आधार पर निर्दिष्ट प्राधिकारी को उपलब्ध कराई गई कोई अन्य सूचना की प्रतियों को निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा इसकी गोपनीयता के संबंध में संतुष्ट होने पर इसके द्वारा ऐसा माना जायेगा और इस प्रकार की किसी सूचना को ऐसी सूचना उपलब्ध कराने वाले पक्षकार के विशिष्ट अधिकरण के बिना किसी अन्य पक्षकार को प्रकट नहीं किया जायेगा।

(2) निर्दिष्ट प्राधिकारी गोपनीय आधार पर सूचना उपलब्ध कराने वाले पक्षकारों को यह कह सकते हैं कि वे गोपनीय सूचना के तथ्य को उचित तरीके से समझने की अनुमित देने के लिए पर्याप्त विवरण में उसका अगोपनीय सार प्रस्तुत करें और यदि ऐसी सूचना उपलब्ध कराने वाले पक्षकार की राय में, इस प्रकार की सूचना का सारांश नहीं किया जा सकता है तब ऐसे पक्षकार निर्दिष्ट प्राधिकारी को उन कारणों का विवरण प्रस्तुत कर सकते हैं कि क्यों संक्षेपण संभव नहीं है।

- (3) उपनियम (2) में निहित किसी बात के होते हुए भी, यदि निर्दिष्ट प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट है कि गोपनीयता के लिए अनुरोध आवश्यक नहीं है अथवा इस सूचना का आपूर्तिकर्ता सूचना को सार्वजनिक करने के लिए या तो इच्छुक नहीं है अथवा सामान्य या सारांश रूप में इसके प्रकटन का अधिकार देने के लिए इच्छुक नहीं है, तब यह इस प्रकार की सूचना की उपेक्षा कर सकता है।"
- 33. सभी हितबद्ध पक्षकारों की एक सूची डीजीटीआर की वेबसाइट पर अपलोड की गई थी, जिसमें सभी से अनुरोध किया गया था कि वे अपने अनुरोध के अगोपनीय संस्करण को अन्य सभी हितबद्ध पक्षकारों को ईमेल करें।
- 34. गोपनीयता के दावे की पर्याप्तता के संबंध में हितबद्ध पक्षकारों द्वारा गोपनीयता के आधार पर उपलब्ध कराई गई सूचना की जांच की गई थी। संतुष्ट होने पर, प्राधिकारी ने गोपनीयता के दावों को, जहां कहीं आवश्यक है, स्वीकार कर लिया है और ऐसी जानकारी को गोपनीय माना गया है तथा अन्य हितबद्ध पक्षकारों को प्रकट नहीं किया गया है। जहां भी संभव हो, गोपनीय आधार पर जानकारी प्रदान करने वाले पक्षकारों को गोपनीय आधार पर दायर की गई सूचना का पर्याप्त अगोपनीय संस्करण उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया था। प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि सभी हितबद्ध पक्षकारों ने अपनी व्यवसाय से संबंधित संवेदनशील सूचनाओं के गोपनीय होने का दावा किया है।

छ. <u>विविध अनुरोध</u>

छ.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

- 35. अन्य मुद्दों के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं
 - i. सीवीडी जारी रखने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि गुणवत्ता नियंत्रण आदेश और आयात प्रतिबंध जैसी और भी गैर-शुल्क बाधाएं हैं जो आयात को कम कर रही हैं।
 - ii. ट्रक और बस रेडियल टायर को भारत में कई बार व्यापार उपचारात्मक उपायों का सामना करना पड़ा है।
- iii. आवेदकों द्वारा दिए गए आयात के आंकड़े अविश्वसनीय हैं।
- iv. सीवीडी को पाटन रोधी शुल्क के साथ समायोजित किया जाना चाहिए, जिसका मूल्यांकन एटीएमए [डब्ल्यूपी (सी) 225/2023] द्वारा दायर की गई रिट याचिका में दिल्ली उच्च न्यायालय के द्वारा दिनांक 9 जनवरी 2023 के अपने आदेश में पारित अनंतिम मूल्यांकन आदेश के अध्यधीन किया जा रहा है।

छ.2 घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

- 36. अन्य मुद्दों के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं
 - ं. उत्तरदाताओं द्वारा प्रश्नावली के प्रत्युत्तरों में उपयोग की जाने वाली मापन की इकाई- संख्या (पीसीएस) में है जो मूल जांच में प्राधिकारी द्वारा निर्धारित मानक अर्थात वजन (एमटी) का अनुपालन करने में विफल है।
 - आयात शुल्क प्रतिबंध और गुणवत्ता नियंत्रण आदेश का इस मामले पर कोई प्रभाव नहीं है। वर्तमान मामला शुल्क की निरंतरता से संबंधित है। दूसरी ओर, सरकार के विवेक के अनुसार आयात प्रतिबंध लगाए जाते हैं और उत्पादों की गुणवत्ता को विनियमित करने के लिए गुणवत्ता नियंत्रण आदेश लागू किए जाते हैं।
 - iii. चूंकि वित्त मंत्रालय ने आज की तारीख तक माननीय दिल्ली न्यायालय के अंतरिम निदेश को लागू नहीं किया है इसलिए संबंधित वस्तुओं पर पाटनरोधी शुल्क के प्रति समायोजन का प्रश्न नहीं उठता।

छ.3 प्राधिकारी की जाँच

- 37. प्राधिकारी ने पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध पर विचार किया है और निम्नानुसार निर्णय देते हैं।
- 38. जहां तक कई बार व्यापार उपचार लगाए जाने वाले संबद्ध वस्तुओं का संबंध है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि अनुचित आयातों के खिलाफ अनिगत बार निवारण की मांग की जा सकती है। नियमों के अनुसार प्राधिकारी को यह निर्धारित करना है कि क्या सीवीडी समाप्त किए जाने से सब्सिडी जारी रहने और घरेलू उद्योग को क्षिति होने या उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना है। सीवीडी के विस्तार की सिफारिश तभी की जाती है जब अपेक्षित कानूनी अपेक्षाएं पूरी कर ली जाती हैं। इसके अलावा, यह देखा गया है कि न केवल नामित प्राधिकारी ही संबद्ध आयातों के विरुद्ध व्यापार उपचारात्मक कार्रवाई कर रहा है बल्कि कई अन्य देशों जैसे यूएसए, यूरोप, यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन, मिस्त्र और दक्षिण अफ्रीका में भी किया जा रहा है।

- 39. आयात नीति और प्रमाणन संबंधी जरूरतें सरकार में निहित संविधिक विवेक के अनुसार होती हैं। इसका वर्तमान निर्णायक समीक्षा के दायरे से कोई संबंध नहीं है, जो सीवीडी के विस्तार की जांच करने के उद्देश्य से की जा रही है। सरकार ने केवल लाइसेंसिंग के माध्यम से संबंधित वस्तुओं के आयात को प्रतिबंधित किया है, परंतु आयात पर प्रतिबंध नहीं लगाया है। निबंधन और शर्तों को पूरा करने के बाद लाइसेंस प्राप्त किए जा सकते हैं।
- 40. पाटन रोधी शुल्क के साथ सीवीडी के समायोजन के संबंध में प्राधिकारी ने यह निर्दिष्ट किया है कि पाटनरोधी शुल्क और सीवीडी किस प्रकार एकत्र किया जाना चाहिए। पाटन रोधी शुल्क का वास्तविक संग्रहण माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित रिट याचिका के परिणाम के अध्यधीन है। प्राधिकारी ने सीवीडी और पाटन रोधी शुल्क के समायोजन के प्रश्न को दिनांक 25 मार्च 2019 की मूल जांच में अपने अंतिम जाँच परिणामों में निर्धारित किया था, पाटन रोधी शुल्क और सीवीडी को एक साथ लगाए जाने की स्थिति में:

"प्राधिकारी द्वारा पालन किए जाने वाले कम शुल्क नियम को ध्यान में रखते हुए, प्राधिकारी केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में अधिसूचना जारी किए जाने की तारीख से सब्सिडी और क्षति के मार्जिन के कम के बराबर निश्चित प्रति संतुलनकारी शुल्क लगाने की सिफारिश करता है ताकि घरेलू उद्योग को हुई क्षति को समाप्त किया जा सके। चूंकि, विचाराधीन उत्पाद पर पहले से ही चीन जन. गण. के द्वारा पाटनरोधी शुल्क लगाया जा रहा है, लगाए जाने वाले प्रति संतुलनकारी शुल्क की राशि नीचे दिए गए कॉलम सं. 7 में उल्लिखित प्रति संतुलनकारी शुल्क की मात्रा और देय पाटनरोधी शुल्क, यदि कोई हो, के बीच अंतर के बराबर है। यदि प्रति संतुलनकारी शुल्क देय पाटनरोधी शुल्क से कम है तो अंतर की राशि ऋणात्मक होगी और ऐसे मामले में कोई प्रति संतुलनकारी शुल्क नहीं लिया जाएगा।"

41. आवेदकों द्वारा प्रस्तुत किए गए आयात संबंधी आंकड़ों की अविश्वसनीयता के संबंध में, प्राधिकारी ने किसी भी स्थिति में आयात के संबंध में अपने निर्धारण के उद्देश्य से डीजीसीआई एंड एस के लेनदेन- वार आंकड़ों को सही माना है।

ज. सब्सिडी और सब्सिडी मार्जिन का निर्धारण

- 42. घरेलू उद्योग द्वारा दायर किए गए आवेदन में संबद्ध वस्तुओं पर संबद्ध देश में प्रतिसंतुलकारी सब्सिडियों की मौजूदगी के पर्याप्त प्रथम दृष्टया साक्ष्य प्रदान किए गए। चीन जन गण. सरकार ("जीओसी") को दिनांक 15 दिसंबर, 2023 को आयोजित परामर्श के लिए आमंत्रित किया गया था। वर्तमान जांच *प्रथम दृष्ट्या* साक्ष्य के आधार पर शुरू की गई थी।
- 43. उत्पादकों एवं निर्यातकों तथा जीओसी को प्रश्नावली का प्रत्युत्तर दर्ज करने की सलाह दी गई थी और उन्हें ऐसी सब्सिडियों की मौजूदगी और मात्रा का उपयुक्त निर्धारण करने के लिए कथित सब्सिडी कार्यक्रम की मौजूदगी, परिमाण और प्रभाव के संबंध में सत्यापन योग्य सूचना/ साक्ष्य उपलब्ध कराने का पर्याप्त अवसर दिया गया था।
- 44. यद्यपि चीन जन. गण. सरकार और प्रतिभागी निर्यातकों ने प्रश्नावली का प्रत्युत्तर प्रस्तुत किया, तथापि वे प्राधिकारी द्वारा निर्धारित प्रपत्र में और तरीके से उत्तर देने में असफल रहे। जीओसी ने केवल प्रतिभागी निर्यातकों के संबंध में सूचना उपलब्ध कराई है जबिक प्रति संतुलनकारी शुल्क जांच में वित्तीय योगदान, लाभ और विशिष्टता सुनिश्चित करने के लिए उद्योग-वार सूचना देना अनिवार्य है। जीओसी और निर्यातकों द्वारा दायर कार्यक्रम- वार प्रत्युत्तर भी अपूर्ण हैं क्योंकि प्रत्येक सब्सिडी कार्यक्रम के प्रत्युत्तर और सभी प्रयोज्य साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराए गए हैं। इसके अलावा, टायर कंपनियों में सरकार के प्रत्यक्ष/ अप्रत्यक्ष स्वामित्व/ नियंत्रण के संबंध में महत्वपूर्ण सूचना नहीं दी गई है, जबिक ये सूचना सार्वजनिक रूप से उपलब्ध है। इसलिए, जहां कहीं भी जीओसी और निर्यातकों द्वारा दायर किया गया प्रत्युत्तर अधूरा अथवा अपर्याप्त पाया गया है, वहां प्राधिकारी, घरेलू उद्योग द्वारा दायर की गई याचिका में उपलब्ध करायी गई सूचना, प्राधिकारी द्वारा किए गए पूर्व निर्धारणों, अन्य जांच प्राधिकारियों द्वारा किए गए निर्धारणों और जांच के दौरान घरेलू उद्योग द्वारा दी गई सूचना/ साक्ष्य सिहत अभिलेख पर उपलब्ध तथ्यों पर विवेचन करने के लिए बाध्य है।
- 45. आवेदन के अनुसार, संबद्ध वस्तुओं के चीनी उत्पादकों/ निर्यातकों को सरकारों के विभिन्न स्तरों के निम्नलिखित कार्यक्रमों के तहत प्रति संतुलनकारी सब्सिडी प्राप्त हुई है, और उन्हें छह व्यापक श्रेणियों के तहत वर्गीकृत किया गया है:- अनुदान, कर और वैट प्रोत्साहन, अधिमान्य ऋण और उधार / वित्तपोषण, निर्यात वित्तपोषण और निर्यात ऋण, पर्याप्त पारिश्रमिक से कम पर माल का प्रावधान, तथा इक्किटी इन्फ्यूजन। इन श्रेणियों के अंतर्गत वर्गीकृत विभिन्न कार्यक्रम नीचे सूचीबद्ध किए गए हैं:

झ. मूल जांच में पहले से प्रतिसंतुलित की गई योजनाएं

46. मूल जांच में, प्राधिकारी का विचार था कि निम्नलिखित योजनाएं प्रतिसंतुलन योग्य हैं:

क. अनुदान के रूप में कार्यक्रम

- i. कार्यक्रम सं. 1: फिक्स्ड एसेट इन्वेस्टमेंट सब्सिडी
- ii. कार्यक्रम सं. 2: स्थानीय सरकारों द्वारा पाटन रोधी और/ या प्रति संतुलनकारी कानूनी व्ययों की प्रतिपूर्ति
- iii. कार्यक्रम सं. 3: विदेशी आर्थिक और व्यापार विकास के लिए विशेष कोष
- iv. कार्यक्रम सं. 4: निर्यात सहायता अनुदान
- v. कार्यक्रम सं. 5: हेफ़ेई आर्थिक और प्रौद्योगिकी विकास क्षेत्र में स्थित कंपनियों के लिए सब्सिडी
- vi. कार्यक्रम सं. 6: विदेशी निवेश वाले उद्यमों के लिए अनहुई प्रांत सब्सिडी
- vii. कार्यक्रम सं. 7: हेफ़ेई नगर निर्यात संवर्धन नीतियां
- viii. कार्यक्रम सं. 8: हांग्जो आर्थिक और प्रौद्योगिकी विकास क्षेत्र में स्थित उद्यमों के लिए विभिन्न सब्सिडी कार्यक्रम
- ix. कार्यक्रम सं. 9: गुआंग्डोंग प्रांत में उद्योगों के "बाहरी विस्तार" के लिए निधियां
- x. कार्यक्रम सं. 10: अनुसंधान और विकास सहायता अनुदान
- xi. कार्यक्रम सं. 11: औद्योगिक परिवर्तन और उन्नयन के लिए निधि / तकनीकी उन्नयन, नवीकरण या कायाकल्प से संबंधित अनुदान
- xii. कार्यक्रम सं. 12: ऊर्जा बचत प्रौद्योगिकी सुधार / सर्कुलर अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए विशेष निधि / ऊर्जा बचत प्रौद्योगिकी के कायाकल्प के लिए प्रोत्साहन निधि
- xiii. कार्यक्रम सं. 13: उपकरणों की खरीद के लिए अनुदान
- xiv. कार्यक्रम सं. 14: बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए विशेष निधि
- xv. कार्यक्रम सं. 15: विभिन्न सरकारी अनुदान चीन के उत्पादकों/निर्यातकों द्वारा प्राप्त पीआर/केंद्रीय, प्रांतीय और नगरपालिका/क्षेत्रीय अधिकारियों द्वारा प्रदान किए गए तदर्थ अनुदान
- xvi. कार्यक्रम सं. 16: विदेशी बुद्धिजीवियों को लाने के लिए अनुदान
- xvii. कार्यक्रम सं. 17: रोजगार स्थिरीकरण, स्नातक प्रशिक्षण और प्रांतीय / प्रिफेक्चरल / नगरपालिका सरकारी अधिकारियों द्वारा की जाने वाली भर्ती के लिए अनुदान
- xviii. कार्यक्रम सं. 18: पोस्टडॉक्टोरल शोधकर्ता फंडिंग
- xix. कार्यक्रम सं. 19: उपकरणों के रखरखाव और प्रचालन के लिए अनुदान
- xx. कार्यक्रम सं. 20: प्रांतीय/ प्रिफेक्चरल / नगरपालिका सरकारी अधिकारियों द्वारा प्रदान किया जाने वाला स्थानांतरण मुआवजा
- xxi. कार्यक्रम सं. 21: विशेष परियोजनाओं/ पायलट परियोजनाओं को लागू करने के लिए प्रांतीय/ प्रिफेक्चरल / नगरपालिका सरकारी प्राधिकारियों द्वारा प्रदान किया जाने वाला तदर्थ अनुदान
- xxii. कार्यक्रम सं. 22: औद्योगिक डिजाइन के लिए अनुदान / अवार्ड
- xxiii. कार्यक्रम सं. 23: तकनीकी नवाचार के लिए अनुदान/ अवार्ड
- xxiv. कार्यक्रम सं. 24: प्रतिभा परिचय निधि
- xxv. कार्यक्रम सं. 25: शोध रिपोर्ट लेखन व्यय वापसी
- xxvi. कार्यक्रम सं. 26: सेवा उद्योग विकास निधि
- xxvii. कार्यक्रम सं. 27: स्व-स्वामित्व वाले ब्रांड विकास पंजीकरण शुल्क वापसी
- xxviii. कार्यक्रम सं. 28: आयात उपकरण ब्याज सब्सिडी

- xxix. कार्यक्रम सं. 29: निर्यात अवार्ड
- xxx. कार्यक्रम सं. 30: पेटेंट निर्माण और सहायता निधि
- xxxi. कार्यक्रम सं. 31: लिस्टिंग शुल्क अनुदान
- xxxii. कार्यक्रम सं. 32: सूचीबद्ध कंपनियों के लिए सब्सिडी
- xxxiii. कार्यक्रम सं. 33: शेडोंग प्रांत प्रमुख उद्योग तकनीकी सुधार परियोजना ऋण वित्तीय छूट ब्याज निधि
- xxxiv. कार्यक्रम सं. 34: ननहाई न्यू डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रियल पार्क जमीन विशेष निधि
- xxxv. कार्यक्रम सं. 35: ऋण और ब्याज के वित्तपोषण के लिए अनुदान
- xxxvi. कार्यक्रम सं. 36: नानहाई न्यू डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रियल पार्क में भूमि के लिए विशेष धनराशि

ख. कर और वैट प्रोत्साहन के रूप में कार्यक्रम

- xxxvii. कार्यक्रम सं. 37: अनुसंधान और विकास (आर एंड डी) खर्चों की कटौती के लिए कर नीतियां
- xxxviii. कार्यक्रम सं. 38: उच्च और नई प्रौद्योगिकी कंपनियों के रूप में मान्यता प्राप्त कंपनियों के लिए अधिमान्य कर नीतियां/ आयकर कटौती
- xxxix. कार्यक्रम सं. 39: विशेष उपकरणों की खरीद से संबंधित कर क्रेडिट

ग. अधिमान्य ऋण और उधार के रूप में कार्यक्रम

- xl. कार्यक्रम सं. 40: सरकारी नीति ऋण
- xli. कार्यक्रम सं. 41: राज्य के स्वामित्व वाले उद्यमों को अधिमान्य ऋण
- xlii. कार्यक्रम सं. 42: निर्यात-उन्मुख उद्यमों के लिए रियायती ऋण और निर्यात ऋण ब्याज सब्सिडी
- xliii. कार्यक्रम सं. 43: टायर उद्योग के लिए अधिमान्य ऋण और ब्याज दरें

घ. निर्यात वित्तपोषण और निर्यात ऋण के रूप में कार्यक्रम

- xliv. कार्यक्रम सं. 45: निर्यात विक्रेता का ऋण
- xlv. कार्यक्रम सं. 46: निर्यात क्रेता का ऋण
- xlvi. कार्यक्रम सं. 47: राज्य के स्वामित्व वाले बैंकों से अन्य निर्यात वित्तपोषण

ङ. पर्याप्त पारिश्रमिक (एलटीएआर) से कम पर माल और सेवाओं के प्रावधान के रूप में कार्यक्रम

- xlvii. कार्यक्रम सं. 48: पर्याप्त पारिश्रमिक से कम पर बिजली का प्रावधान
- xlviii. कार्यक्रम सं. 49: औद्योगिक और अन्य विशेष आर्थिक क्षेत्र में एलटीएआर पर भूमि उपयोग अधिकार
 - xlix. कार्यक्रम सं. 50: राज्य के स्वामित्व वाले उद्यमों के लिए एलटीएआर पर भूमि का प्रावधान
 - 1. कार्यक्रम सं. 51: विदेशी निवेश वाले उद्योगों के लिए एलटीएआर पर भूमि उपयोग अधिकार
 - li. कार्यक्रम सं. 52: आर्थिक विकास क्षेत्रों में एलटीएआर पर भूमि उपयोग अधिकार
 - lii. कार्यक्रम सं. 53: पर्याप्त पारिश्रमिक से कम पर कार्बन ब्लैक का प्रावधान

ञ. <u>नए कार्यक्रम</u>

47. घरेलू उद्योग ने तर्क दिया है कि लाभ प्रदान करने वाले और अधिक प्रति संतुलनकारी कार्यक्रम हैं, जिसके परिणामस्वरूप लागत कम होती है, जिससे चीन के उत्पादक कम कीमत पर बेचने में सक्षम होते हैं। ऐसे नए कार्यक्रमों की सूची नीचे दी गई है:

क. अनुदान के रूप में कार्यक्रम

i. कार्यक्रम सं. 54: ग्रीन फैक्ट्री के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार

- ii. कार्यक्रम सं. 55: चीन के प्रसिद्ध ब्रांड केंद्रीय, प्रांतीय या नगर पालिका / क्षेत्रीय प्राधिकारियों द्वारा मान्यता प्राप्त हैं
- iii. कार्यक्रम सं. 56: भूमि अधिग्रहण और तोड़-फोड़ पर किए गए व्यय निधि के लिए मुआवजा
- iv. कार्यक्रम सं. 57: विदेशी सहायक कंपनियों में निवेश करने के लिए निधि
- v. कार्यक्रम सं. 58: वाणिज्य विभाग विनिमय दर सब्सिडी
- vi. कार्यक्रम सं. 59: हुबेई में उद्यमों के लिए अचल संपत्ति निवेश के लिए अनुदान
- vii. कार्यक्रम सं. 60: हुबेई में स्थित उद्यमों के लिए उच्च गुणवत्ता वाले विकास के लिए विशेष निधि
- viii. कार्यक्रम सं. 61: सड़क परिवहन सब्सिडी
- ix. कार्यक्रम सं. 62: प्रांतीय/प्रान्तीय/नगरपालिका सरकारी प्राधिकरणों द्वारा प्रदान किए गए बौद्धिक संपदा अवार्ड
- x. कार्यक्रम सं. 63: यंताई आर्थिक विकास क्षेत्र में उच्च तकनीक उद्यमों के लिए विशेष निधि
- xi. कार्यक्रम सं. 64: बिजली सब्सिडी
- xii. कार्यक्रम सं. 65: उद्यम सामाजिक सुरक्षा सब्सिडी
- xiii. कार्यक्रम सं. 66: प्रमुख निर्यात उद्योगों का कायाकल्प और उन्नयन
- xiv. कार्यक्रम सं. 67: प्रमुख उद्यमों के उत्पादन और उनकी दक्षता बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन निधि / अवार्ड
- xv. कार्यक्रम सं. 68: उत्पादन-उन्मुख निर्यात उद्यमों के विस्तार के लिए प्रोत्साहन निधि
- xvi. कार्यक्रम सं. 69: औद्योगिक उद्यम आपदा राहत कोष

ख. कर और वेट प्रोत्साहन के रूप में कार्यक्रम

- xvii. कार्यक्रम सं. 70: निर्यात पर निर्यात कर छूट/ कर वापसी
- xviii. कार्यक्रम सं. 71: अचल संपत्तियों का त्वरित मूल्यहास
- xix. कार्यक्रम सं. 72: शहरी भूमि उपयोग कर पर उच्च तकनीक उद्यमों के लिए कर प्रोत्साहन
- xx. कार्यक्रम सं. 73: केंद्रीय, प्रांतीय या नगरपालिका/ क्षेत्रीय सरकारी प्राधिकरणों द्वारा करों और शुल्कों की वापसी / छुट / माफी
- xxi. कार्यक्रम सं. 74: आयातित उपकरणों के लिए आयात शुल्क/ प्रभार और वैट राहत
- xxii. कार्यक्रम सं. 75: आयातित इनपुट के लिए आयात शुल्क/ प्रभार और वैट राहत

ग. इक्विटी इन्फ्यूजन के रूप में कार्यक्रम

- xxiii. कार्यक्रम सं. 76: केम चाइना द्वारा एओलस टायर्स को प्रोमीटियन टायर ग्रुप एस.आर.एल. में शेयरों का अनुदान
- xxiv. कार्यक्रम सं. 77: जावक निवेश करने वाली कंपनियों के लिए वन बेल्ट वन रोड पहल के तहत अधिमान्य वित्तपोषण
- xxv. कार्यक्रम सं. 78: इक्विटी स्वैप के लिए ऋण

घ. पर्याप्त पारिश्रमिक से कम (एलटीएआर) पर माल और सेवाओं के प्रावधान के रूप में कार्यक्रम

- xxvi. कार्यक्रम सं. 79: पर्याप्त पारिश्रमिक से कम के लिए नायलॉन टायर कॉर्ड कपड़े का प्रावधान
- xxvii. कार्यक्रम सं. 80: पर्याप्त पारिश्रमिक से कम पर सिंथेटिक रबर का प्रावधान
- xxviii. कार्यक्रम सं. 81: पर्याप्त पारिश्रमिक से कम के लिए प्राकृतिक रबर का प्रावधान

ङ. अधिमान्य वित्तपोषण के रूप में कार्यक्रम

- xxix. कार्यक्रम सं. 82: जीओसी/ राज्य के स्वामित्व वाले बैंकों द्वारा ऋण गारंटी/ क्रेडिट ऋण गारंटी/ निर्यात ऋण गारंटी का प्रावधान
- 48. न्यायिक अर्थव्यवस्था का सिद्धांत प्राधिकरण को उन कार्यक्रमों के संबंध में विस्तृत जांच करने से परहेज करने की अनुमित देता है जहां प्राधिकरण को लाभों की मात्रा निर्धारित करने की आवश्यकता नहीं होती है। प्राधिकारी ने इस बात की जांच की है कि क्या मूल जांच के दौरान निर्धारित प्रति संतुलनकारी योजनाएं जारी हैं, और क्या उक्त योजनाओं के तहत निरंतर लाभ प्राप्त होने का साक्ष्य है। वर्तमान जांच एक निर्णायक समीक्षा जांच है, और जांच का उद्देश्य यह पता लगाना है कि क्या चीन के उत्पादकों को प्रति संतुलनकारी सब्सिडी से लाभ मिलना जारी है। तथापि, जीओसी और निर्यातकों ने अपूर्ण और अपर्याप्त प्रत्युक्तर दिए हैं। प्राधिकारी ने इन योजनाओं के अंतर्गत लाभों की मात्रा निर्धारित करना अनावश्यक माना है जिनकी पहले जांच की गई थी और प्रतिसंतुलनकारी पाया गया था। हालांकि, प्राधिकारी ने नीचे इस बात की जांच की है कि क्या मूल जांच के समय प्रति संतुलित किए गए सब्सिडी कार्यक्रम के द्वारा प्रतिसंतुलनकारी लाभ देना जारी है।
- 49. घरेलू उद्योग ने कई नई योजनाओं के लागू होने का आरोप लगाया है। इन्हें मूल जांच के समय प्राधिकारी के समक्ष नहीं लाया गया था। घरेलू उद्योग ने तर्क दिया कि चीन के उत्पादकों को इन योजनाओं में भी प्रतिसंतुलन योग्य लाभ प्राप्त हुआ है। तथापि, घरेलू उद्योग ने इन योजनाओं में लाभों की मात्रा को दर्शाने के लिए कोई सूचना और साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराए हैं। चीन के दो उत्पादकों के अतिरिक्त चीन के किसी भी अन्य निर्माता ने वर्तमान जांच में भाग नहीं लिया। प्रत्युत्तर देने वाले निर्यातकों ने बताया है कि उन्होंने वर्तमान पीओआई के दौरान किसी पीयूसी की आपूर्ति नहीं की है। अन्यथा भी, प्रत्युत्तर देने वाले निर्यातकों द्वारा दायर प्रश्लावली का प्रत्युत्तर अधूरा है। चूंकि घरेलू उद्योग ने लाभ की मात्रा के लिए जानकारी और साक्ष्य प्रदान नहीं किए हैं, वर्तमान जांच एक निर्णायक समीक्षा जांच है, और घरेलू उद्योग ने स्वयं सीवीडी मार्जिन में वृद्धि का दावा नहीं किया है, प्राधिकारी का विचार है कि इन कार्यक्रमों के प्रतिसंतुलनकारिता की जांच करना आवश्यक नहीं है। तदनुसार, घरेलू उद्योग द्वारा अभिलेख पर लाई गई नई योजनाओं की जांच नहीं की गई है।

ट. सब्सिडी कार्यक्रमों की जाँच

ट.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

- 50. सब्सिडी और सब्सिडी मार्जिन के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:
 - i. कार्यक्रम के अस्तित्व को या यह कार्यक्रम टायर उत्पादकों से किस प्रकार संबंधित है, को दर्शाने के लिए आवेदक पर्याप्त साक्ष्य प्रदान करने में विफल रहे।
 - ii. भाग लेने वाले उत्तरदाता उस भौगोलिक क्षेत्र में स्थित नहीं हैं जहाँ सब्सिडी कार्यक्रम लागू है।
 - iii. याचिकाकर्ता यह साबित करने के लिए लेखांकन अभिलेख, बीजक या कोई अन्य साक्ष्य प्रदान करने में विफल रहे हैं कि जांच के अधीन कंपनियों को वास्तव में कार्यक्रम से जुड़े सब्सिडी लाभ प्राप्त हुए हैं।
 - iv. सब्सिडी योजनाएं विशिष्ट नहीं हैं।
 - v. गैर-बाजार अर्थव्यवस्था की अवधारणा भारत में सीवीडी कानूनों में मौजूद नहीं है।
 - vi. पर्याप्त पारिश्रमिक से कम के विश्लेषण के लिए बाहरी बेंचमार्क भारतीय कानूनों के अनुरूप नहीं हैं।
 - vii. चीन के वाणिज्यिक बैंक और राज्य के स्वामित्व वाले उद्यम "सार्वजनिक निकाय" नहीं हैं। राज्य का स्वामित्व यह निर्धारित करने का एकमात्र मानदंड नहीं है कि कोई इकाई सार्वजनिक निकाय है या नहीं है।
 - viii. भाग लेने वाले निर्यातकों के लिए मूल जांच में निर्धारित किए गए व्यक्तिगत शुल्क दरों की सिफारिश की जानी चाहिए।
 - ix. जीओसी और प्रतिभागी निर्यातकों ने प्राधिकारी द्वारा यथा निर्धारित प्रश्नावली का पूर्ण उत्तर प्रस्तुत कर दिया है।
 - x. जीओसी ने गैर-प्रतिभागी निर्यातकों के संबंध में सूचना उपलब्ध नहीं कराई है क्योंकि उनकी सूचना तक उनकी पहुंच नहीं है। इसने अपनी क्षमता के अनुसार सर्वश्रेष्ठ प्रतिक्रिया दी है।

ट.2 घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

51. घरेलू उद्योग द्वारा सब्सिडी और सब्सिडी मार्जिन के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

- i. चीन के कानूनों एवं विनियमों, विभिन्न सरकारों की रिपोर्टों, सरकार की वेबसाईट का स्क्रीनशॉट, विश्व व्यापार सगठन की रिपोर्टों, मीडिया की रिपोर्टों और ओईसीडी जैसे प्रतिष्ठित संगठनों द्वारा किया गया स्वतंत्र अध्ययन और विश्लेषण, जांच करने वाली अन्य एजेंसियों की प्रमुख टायर उत्पादकों की वार्षिक रिपोर्टों से समर्थित उनकी सब्सिडी रोधी जांचों में विस्तृत जांच परिणामों सभी वित्तीय अंशदान लाभ और विशिष्टता के लिए पर्यात्प साक्ष्य दर्शाते हैं।
- ii. मूल जांच में, प्राधिकारी ने गीति टायर अनहुई कंपनी लिमिटेड और गुआंगज़ौ पर्ल रिवर द्वारा लाभ उठाए गए भौगोलिक विशिष्ट सब्सिडी के आधार पर कार्यक्रमों की प्रतिसंतुलन कारणीयता पायी। ये निर्यातक वर्तमान निर्णय की समीक्षा में भाग नहीं ले रहे हैं बल्कि इस सब्सिडी योजनाओं की प्रतिसंतुलन कारणीयता को परिवर्तित नहीं करते हैं।
- iii. प्रमुख टायर उत्पादकों की वार्षिक रिपोर्ट अपने आप में सब्सिडी का लाभ उठाना दर्शाता है। भाग लेने वाले निर्यातकों की यह जिम्मेदारी है कि वे इस तथ्य को दर्शाने के लिए अपने लेखांकन रिकार्डों अथवा विचारों को दर्शाएं कि उन्होंने सब्सिडी का लाभ नहीं लिया है।
- iv. चीन की सरकार कथित सब्सिडी कार्यक्रम की विशिष्टता को विधिक रूप में और वास्तव में मुकाबला करने के लिए समुचित उत्तर देने में असफल रही है।
- v. चीन को लगभग सभी जांच करने वाले प्राधिकारियों द्वारा सही रूप में सभी उद्योगों में प्रचलित अत्यधिक कीमत विसंगतियों के कारण एक "गैर-बाजार अर्थव्यवस्था" के रूप में माना जाता है। चीन में कीमत विसंगतियों को यूरोपीय आयोग द्वारा अपने कार्यकारी दस्तावेज "व्यापार रक्षा जांचों के उद्देश्यों से चीन की जनतांत्रिक गणराज्य की अर्थव्यवस्था में अत्यधिक विसंगतियों"को दस्तावेज में उल्लेख किया गया है।
- vi. विश्व व्यापार संगठन जांच करने वाले प्राधिकारियों को विश्व व्यापार संगठन के पैनल द्वारा यूएस-चीन के कुछ उत्पादों पर निश्चयात्मक पाटन रोधी और प्रतिसंतुलनकारी शुल्क में सही ठहराए गए अनुसार कीमत विसंगतियों का निवारण करने के लिए एक बेंचमार्क कीमत के रूप में घरेलू कीमतों को अस्वीकार करने की अनुमित देता है। डीजीटीआर ने भी इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड, वियतनाम और श्रीलंका निर्यात किए गए "फाइबरबोर्ड" के अयातों के संबंध में सब्सिडी रोधी जांच में बाहरी बेंचमार्कों पर विचार किया है (प्रकरण सं. सीवीडी 6/2019).
- vii. जब राज्य के स्वामित्व पर इस तथ्य का निर्धारण करने के लिए एक मात्र मानदंड के रूप में नहीं भी माना जाता है कि क्या चीन में राज्य के स्वामित्व वाले बैंक सार्वजनिक निकाय हैं, भारत, यूएसए और यूरोप सहित जांच करने वाले प्राधिकारियों ने निरंतर रूप से यह माना है कि चीन के बैंकों के पास सरकारी शक्ति है, वे इसका उपयोग करते हैं और वे इससे शक्ति प्राप्त हैं। इस कारण से, सीवीडी कानून के अनुसार वे सार्वजनिक निकाय हैं।
- viii. घरेलू उद्योग वर्तमान जांच में सहयोग करने के लिए सभी निर्यातकों पर उनकी असफलता के कारण अपशिष्ट शुल्क लगाए जाने को जारी रखने का अनुरोध कर रहे हैं।
- ix. चीन की सरकार ने चीन की टायर कंपनियों में सरकार के प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष स्वामित्व/नियंत्रण के संबंध में सूचना छिपाई है। इस प्रकार की सूचना सार्वजनिक क्षेत्र में उपलब्ध हैं। हालांकि, न तो चीन की सरकार ने और न ही भाग लेने वाले निर्यातकों ने अपने उत्तर में यह सूचना उपलब्ध कराई।

ट.3 सब्सिडी की जांच

क. अनुदान : मूल जांच में प्रतिसंतुलित होने का दावा किया गया कार्यक्रम: कार्यक्रम संख्या 1 से 36।

ट.4 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

- 52. चीन की सरकार और भाग लेने वाले निर्यातकों द्वारा अनुदानों के रूप में सब्सिडी कार्यक्रमों के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए गए थे:
 - i. कार्यक्रम सं 1 से 36 और 54 से 69 में चीन की सरकार ने यह कहा है कि भाग लेने वाले निर्यातकों ने कुछ कार्यक्रमों के लिए आवेदन नहीं किया है, घरेलू उद्योग ने कुछ कार्यक्रमों के पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध

नहीं कराया है, कुछ कार्यक्रम विशिष्ट नहीं हैं, और कुछ कार्यक्रम भाग लेने वाले निर्यातकों पर लागू नहीं होते हैं। इसलिए, मानक प्रश्न अनुलग्नक और अनुदान अनुलग्नक लागू नहीं हैं।

- ii. जीओसी के अनुसार कार्यक्रम संख्या 2 के रूप में कथित सब्सिडी कार्यक्रम सब्सिडी योजना के रूप में मौजूद नहीं है। इसके अलावा, कार्यक्रम संख्या 13 विशिष्ट नहीं है।
- iii. झोंगसे रबर ग्रुप ने कार्यक्रम सं. 8, 12, 17, 18, 20, 23, 24, 29, 30, 31 और 62 के अंतर्गत अनुदान का लाभ उठाया है। घरेलू उद्योग द्वारा यह दावा करने के लिए विश्वास किया गया दस्तावेज कि झोंगसे अनुदानों के संबंध में पूरी सूचना उपलब्ध कराने में असफल रहा है, शेयर प्रोस्पेक्टस है और न कि वार्षिक रिपोर्ट। यह दस्तावेज एक समेकित रिपोर्ट है जिसमें झोंगसे रबर ग्रुप की सभी सहायक कंपनियों द्वारा प्राप्त सब्सिडी की सूची है। ये सहायक कंपनियां विचाराधीन उत्पाद के उत्पादक नहीं हैं और वे जांच में भाग नहीं ले रही हैं।
- iv. शेडोंग यिनबाओ टायर ग्रुप कंपनी लिमिटेड ने कार्यक्रम सं. 17, 23 और 62 के अंतर्गत अनुदान प्राप्त किया है।

ट.5 घरेलू उद्योग द्वारा किया गया अनुरोध

- 53. घरेलू उद्योग द्वारा अनुदान के रूप में सब्सिडी कार्यक्रमों के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए गए थे।
 - i. मूल जांच में, प्राधिकारी ने कार्यक्रम सं. 1 से 36 के अंतर्गत अनुदानों के रूप में सब्सिडी कार्यक्रमों को प्रतिसंतुलित किया था। न तो भाग लेने वाले निर्यातकों और न ही चीन की सरकार ने यह दर्शाने के लिए कोई साक्ष्य प्रस्तुत किया है कि सब्सिडी कार्यक्रम जारी नहीं हैं।
 - चीन की सरकार से यह अपेक्षित है कि वे सभी निर्यातकों और न कि केवल भाग लेने वाले निर्यातकों के संबंध में कार्यक्रम-वार प्रश्लावली का उत्तर प्रस्तुत करें।
 - iii. न तो चीन की सरकार और न ही भाग लेने वाले निर्यातकों ने अनुदान अनुबंध का उत्तर उपलब्ध कराया है।
 - iv. भाग लेने वाले निर्यातको में से किसी ने भी अथवा चीन की सरकार ने अनुदान के पूर्व में नए कार्यक्रमों के संबंध में कोई उत्तर उपलब्ध नहीं कराया है। (कार्यक्रम सं. 54 से 69)। झोंगसे रबर की वार्षिक रिपोर्ट वास्तव में अनेक अनुदानों के प्राप्त होने का उल्लेख करता है जिसे झोंगसे अपने उत्तर में प्रकट करने में असफल रहा है।

ट.6 प्राधिकारी द्वारा जांच

- 54. प्राधिकारी ने कार्यक्रम 1 से 36 की जांच की है जिसे घरेलू उद्योग ने मूल जांच में प्राधिकारी के अंतिम जांच परिणामों के आधार पर प्रतिसंतुलन योग्य होने का दावा किया था। कार्यक्रम सं. 15, 35 और 36 को छोड़कर, प्राधिकारी इस तथ्य का निर्धारण करते हैं कि 1 से 36 तक सभी कार्यक्रमों को प्राधिकारी द्वारा मूल जांच में प्रतिसंतुलन योग्य माना गया था। कार्यक्रम सं. 15, 35 और 36 को हटा दिया गया है क्योंकि वे सामान्य अथवा दोहरे कार्यक्रम हैं जिन्हें पहले ही अन्य कार्यक्रमों द्वारा शामिल कर लिया गया है।
- 55. चीन की सरकार और भाग लेने वाले निर्यातकों ने इस सब्सिडी कार्यक्रम के संबंध में अपूर्ण और अपर्याप्त उत्तर उपलब्ध कराए हैं। इस दावे के समर्थन में कोई ठोस साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराए गए हैं कि ये अनुदान प्रतिसंतुलन कारणीय हैं। इसके अलावा, इस दावे के समर्थन में कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराया गया है कि इन योजनओं के अंतर्गत प्राप्त लाभ जारी नहीं रहा है।
- 56. किसी भी स्थिति में पूंजीगत परिसंपत्ति से संबंधित अनावर्ती सब्सिडी कार्यक्रम के लिए लाभ इन परिसंपत्तियों की समग्र औसत उपयोगी जीवन तक जारी रहता है जिसे प्रकारात्मक रूप से प्रतिसंतुलनकारी शुल्क जांचों में डीजीटीआर की कार्यपद्धित के अनुसार 10 वर्षों के रूप में लिया गया है। इस कारण से, पूंजीगत परिसंपत्तियों से संबंधित अनावर्ती सब्सिडी कार्यक्रमों के लिए, ऐसा माना जाएगा कि यह लाभ वर्तमान निर्णायक समीक्षा में जारी रहेगा और उसके साथ ही इस तथ्य पर विचार किया जाएगा कि इन परिसंपत्तियों का जीवन पूरा नहीं हुआ है।
- 57. जब चीन के दो उत्पादकों जिन्होंने वर्तमान जांचों में भाग लिया है, भी होते हों, तब इन उत्पादकों ने दावा किया है कि उन्होंने वर्तमान जांच की अवधि के दौरान भारत को किसी विचाराधीन उत्पाद का निर्यात नहीं किया है। इस प्रकार,

प्राधिकारी ने अलग-अलग भाग लेने वाले उत्पादकों के लिए प्रतिसंतुलन योग्य लाभों को जारी रखने की जांच नहीं की है। प्राधिकारी ने इस तथ्य की भी जांच की है कि क्या इस प्रकार से चीन के उत्पादकों को इन कार्यक्रमों के अंतर्गत प्रतिसंतुलन कारणीय लाभ प्राप्त होना जारी है।

- 58. कार्यक्रम सं. 1, 3, 4, 9, 11, 14, 15, 16, 19, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 32, 36, 54, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69 के संबंध में, चीन की सरकार ने केवल यह अनुरोध किया है कि भाग लेने वाले निर्यातकों ने इस कार्यक्रम के लिए आवेदन नहीं किया है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि कार्यक्रम सं. 1, 3, 4, 9, 11, 14, 15, 16, 19, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 32, 36 अनुदान के रूप में है। चूंकि ये अनुदान के रूप में हैं, प्राधिकारी से यह अपेक्षित है कि वह कंपनी की औसत उपयोगी जीवन (एयूएल) की तुलना में इन पर विचार करेंगे। यह नोट किया गया है कि जीओसी ने अपने दावे को साबित करने के लिए कोई दस्तावेजी साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराया है कि उत्तरदाताओं ने एयूएल और पीओआई के दौरान कोई अनुदान नहीं लिया है।
- 59. भाग लने वाले उत्पादकों की वार्षिक रिपोर्ट का विश्लेषण स्पष्ट रूप से अनुदानों के प्राप्त होने को दर्शाता है। यह नोट किया जाता है कि कंपनी ने वर्तमान जांच के दौरान बहुत अधिक अनुदान राशि प्राप्त की है। इस प्रकार वर्तमान अविध के दौरान भी अनुदान का प्राप्त होना स्वयं भाग लेने वाले उत्पादकों द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रश्नावली के उत्तर से भी सिद्ध होता है। इसके अलवा, घरेलू उद्योग ने अनुदान के साक्ष्य के रूप में कैलेंडर वर्ष 2022 के लिए अन्य टायर उत्पादकों ट्रायंगल टायर कंपनी लिमिटेड, शेडोंग लिंगलोंग टायर कं, लिमिटेड., आयोलस टायर कंपनी लिमिटेड, वांडा ग्रुप कंपनी लिमिटेड गीटि टायर कंपनी लिमिटेड की वार्षिक रिपोर्ट भी प्रस्तुत की है। ये वार्षिक रिपोर्ट भी वर्तमान अविध के दौरान बहुत अधिक अनुदान राशि के प्राप्त होने को दर्शाता है।
- **60.** प्राधिकारी नोट करते हैं कि कार्यक्रम सं. 54, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69 नए कार्यक्रम हैं जिनकी पहचान याचिकाकर्ता द्वारा की गई है। जैसाकि पूर्व में उल्लेख किया गया है, प्राधिकारी ने नए कार्यक्रमों की जांच करने के लिए इसे उपयुक्त नहीं पाया है। इस कारण से इनकी प्रतिसंतुलन कारणीयता की जांच नहीं की गई है।
- 61. भाग लेने वाले चीन के दो उत्पादकों ने यह दावा किया है कि उन्होंने वर्तमान जांच की अवधि के दौरान भारत को किसी विचाराधीन उत्पाद का निर्यात नहीं किया है। प्रतिसंतुलन कारणीयता के लिए वित्तीय अंशदान, लाभ और विशिष्टता की जांच अपेक्षित है। वित्तीय अंशदान के लिए विधिक पाठों की जांच अपेक्षित है जो सब्सिडी कार्यक्रम को शासित करते हैं। लाभ के विश्लेषण में इस तथ्य की जांच शामिल है कि क्या प्राप्तकर्ता बाजार में अन्य की तुलना में अधिक लाभ की स्थिति में है अथवा क्या प्राप्तकर्ता को वित्तीय अंशदान प्राप्त हुआ है जो व्यापारिक दृष्टिकोण पर आधारित नहीं है। विशिष्टता के लिए यह निर्धारण करने के उद्देश्य से सब्सिडी कार्यक्रमों की पात्रता संबंधी मापदंडों की जांच की जानी अपेक्षित है कि क्या कोई सब्सिडी कार्यक्रम विशिष्ट है अथवा उद्योग विशिष्ट है या भौगोलिक रूप से विशिष्ट है। इसके अलावा, विशिष्टता का विश्लेषण केवल कानूनी पाठ (विधिक रूप से सब्सिडी) तक सीमित नहीं है। प्राधिकारी से ये भी अपेक्षित हैं कि वह वास्तव में सब्सिडी का अनुदान (वास्तव में सब्सिडी) की जांच करे जिसमें इस तथ्य की जांच भी शामिल है कि क्या कोई सब्सिडी सीमित संख्या में उपक्रमों (यद्यपि विधिक पाठ विशिष्टता के ऐसे मापदंड का उल्लेख नहीं करता हो) को वास्तव में अनुदान दिया गया है अथवा इस सब्सिडी का प्रमुख रूप से उपयोग कुछ उपक्रमों द्वारा किया जाता है अथवा गैर-अनुपातिक रूप में सब्सिडी की बहुत अधिक राशि कुछ उपक्रमों को दी जाती है। यह विश्लेषण निश्चित रूप से केवल भाग न लेने वाले निर्यातकों के लिए प्रस्तुत की गई सूचना के आधार पर नहीं किया जा सकता है। चीन की सरकार ने विचाराधीन उत्पाद के उत्पादन और बिक्री में शामिल सभी उपक्रमों के संबंध में उद्योग-वार सूचना उपलब्ध कराने से बचकर निर्धारित प्रपत्र में इस प्रश्लावली का उत्तर नहीं दिया है।
- 62. कार्यक्रम सं. 13, "उपकरण की खरीद के लिए अनुदान", के संबंध में, चीन की सरकार ने यह दावा किया है यह विशिष्ट नहीं है। मूल जांच के दौरान निर्यातकों ने अपने आप यह सूचना दी कि उन्हें ऐसा अनुदान प्राप्त हुआ है। चीन की सरकार ने यह दर्शाने के लिए कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है कि ये अनुदान उपक्रम अथवा उद्योग विशिष्ट नहीं हैं। प्राधिकारी यह मानते हैं कि इस कार्यक्रम के अंतर्गत लाभ इस प्रकार से खरीदे गए उपकरण के पूरे जीवनकाल तक उपलब्ध रहा। इस लाभ को प्राप्त करना इन निर्यातकों द्वारा मूल जांच में स्वीकार किया गया था। इस कारण से प्राधिकारी कार्यक्रम सं. 12 को प्रतिसंतुलन कारणीय के रूप में मानना जारी रखते हैं।
- 63. प्राधिकारी ने यह दावा करने के लिए याचिकाकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत किए गए झोंगसे रबर के संबंध में इस दस्तावेज की जांच की है कि झोंगसे रबर ने अनुदान कार्यक्रम प्रकट नहीं किया है। इस दस्तावेज का शीर्षक झोंगसे रबर ग्रुप कंपनी लिमिटेड के "शेयरों की इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग और मेनबोर्ड पर लिस्टिंग के लिए प्रोस्पेक्टस" के रूप में है। यह दस्तावेज अनुदानों के रूप में अनेक सब्सिडी कार्यक्रमों की पहचान करता है जिसे झोंगसे ने अपने उत्तर में स्पष्ट रूप से

प्रकट नहीं किया है। इस संबंध में झोंगसे ने यह अनुरोध किया है कि शेयर प्रोस्पेक्टस समग्र रूप में झोंगसे रबर ग्रुप की एक "समेकित रिपोर्ट" है। सभी सहायक कंपनियों द्वारा प्राप्त सब्सिडी को प्रकट करना अपेक्षित नहीं है। प्राधिकारी ने जांच की है कि झोंगसे रबर की निम्नलिखित पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनियां हैं:

- क. हांग्जो चाओयांग रबर कंपनी लिमिटेड.
- ख. झोंगसे रबर (जियांडे) कंपनी लिमिटेड
- ग. हांग्जो झोंगसे किंगक्वान इंडस्टीयल कंपनी लिमिटेड
- घ. हांग्जो हैचाओ रबर कंपनी लिमिटेड
- ड. झोंगसे रबर (अंजी) कंपनी लिमिटेड
- च. झोंगसे रबर (टियांजिन) कंपनी लिमिटेड
- 64. इन सहायक कंपनियों में से, सार्वजनिक रूप से उपलब्ध सूचना से यह स्पष्ट है कि हांग्जो झोंगसे किंगक्वान इंडस्ट्रीयल कंपनी लिमिटेड. और झोंगसे रबर (टियांजिन) कंपनी लिमिटेड विचाराधीन उत्पाद का उत्पादन करते हैं। इन दोनों में से केवल झोंगसे रबर (टियांजिन) कंपनी लिमिटेड ने उत्तर प्रस्तुत किया है। इस कारण से, समेकित रिपोर्ट और हांग्जो झोंगसे किंगक्वान इंडस्ट्रीयल कंपनी लिमिटेड द्वारा उत्तर न दिए जाने से यह स्पष्ट है कि झोंगसे रबर ने अपनी सहायक कंपनियों द्वारा प्राप्त किए गए सभी सब्सिडी कार्यक्रमों को प्रकट नहीं किया है जो विचाराधीन उत्पाद का उत्पादन करते है।
- ख. कर और मूल्यवर्धित कर प्रोत्साहन रशि
 - i. कार्यकम सं. 37
- ट.7 अन्य हितबद्ध पक्षकरों द्वारा किए गए अनुरोध
 - i. चीन की सरकार और भाग लेने वाले निर्यातकों ने यह कहा है कि कर और मूल्यवर्धित कर प्रोत्साहन राशि के रूप में ये कार्यक्रम विशिष्ट नहीं हैं।
- ट.8 घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध
- 65. घरेलू उद्योग ने निम्नलिखित निवेदन किये-
 - i. मूल जांच में, प्राधिकारी ने कार्यक्रम सं. 37 से 39 कर प्रोत्साहन राशि के पूर्व में सब्सिडी कार्यक्रम को प्रतिसंतुलित किया था न तो भाग लेने वाले निर्यातकों और न ही चीन की सरकार ने यह दर्शाने के लिए कोई ठोस साक्ष्य प्रस्तुत किया है कि सब्सिडी कार्यक्रम लाभ देने के लिए जारी नहीं है।

ट.9 प्राधिकारी द्वारा जांच

66. कार्यक्रम क्रमांक 37 के संबंध में, "अनुसंधान और विकास (आर एंड डी) खर्च की कटौती के लिए कर नीतियां", के संबंध में, प्राधिकारी ने मूल जांच में कार्यक्रम सं. 27 के रूप में इस कार्यक्रम की प्रतिसंतुलन कारणीयता की जांच की। इन जांच के परिणामों के संगत उद्धरण नीचे दिए जाते हैं:

"183. प्राधिकारी नोट करते हैं कि इस कार्यक्रम को पीआरसी की कॉरपोरेट आयकर कानून के अनुच्छेद 30.1 और पीआरसी की उपक्रम आयकर कानून के कार्यान्वयन संबंधी विनियमों का अनुच्छेद 95 के अंतर्गत शासित किया गया था। इसके अलावा, भारित आधार पर कटौती किए जाने के लिए अनुमित दी गई आर एंड डी खर्च को स्पष्ट करने के लिए उपक्रम अनुसंधान और विकास खर्च का कर पूर्व कटौती के लिए प्रशासिनक उपाय जारी करने संबंधी नोटिस एसएटी द्वारा जारी किया गया (जांच कार्यान्वयन के लिए) (गुओ शुई फा (2008) सं. 116)।

184. उपर्युक्त उपाय में यह भी निर्धारित है कि जहां किसी उपक्रम द्वारा वास्तव में खर्च किया गया आर एंड डी खर्च को अमूर्त्य परिसपंत्तयों के रूप में वर्णित हानि और लाभ में शामिल नहीं किया गया है, वर्ष के दौरान वास्तव में किया गया आर एंड डी खर्च की राशि के 50 प्रतिशत की कटौती वास्तविक खर्च के आधार पर

¹ https://www.tirereview.com/hangzhou-zhongce-sets-prudent-growth-course/

कटौती के अलावा कर योग्य आय की राशि से की जाएगी। जहां हुई अमूर्त्य परिसंपत्ति बनती हैं, अमुर्त्य परिसंपत्ति की लागत का 150 प्रतिशत कर भुगतान के पूर्व ऋणमुक्त किया जाएगा।

185. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि गुओ शुई फा (2008) सं. 116 को वित्त मंत्रालय के नोटिस और दिनांक 01 जनवरी 2013 की अनुसंधान और विकास लागतों (काई शुई (2013) सं. 70) की भारित कर पूर्व कटौती के लिए नीतियों के संबंध में मुद्दों पर कराधान की राज्य प्रशासन के नोटिस से प्रतिस्थापित किया गया था और उसके बाद इसे वित्त मंत्रालय के नोटिस दिनांक 01 जनवरी 2016 की अनुसंधान और विकास खर्च (काई शुई (2015) सं. 119), की कर पूर्व भारित कटौती के लिए निर्यात में सुधार लाने के संबंधी कराधान की राज्य प्रशासन और विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय की नोटिस से प्रतिस्थापित किया गया था। वह अभी भी लागू है।

186. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि इस कार्यक्रम की जांच पूर्व में कुछ अन्य जांच करने वाले प्राधिकारियों द्वारा किया गया है जो इसके अस्तित्व को सिद्ध करता है। उदाहरण के लिए, कार्यक्रम की प्रतिसंतुलन कारणीयता ऑर्गेनिक कोटेड स्टील प्रोडक्टस में यूरेपीय यूनियन के प्राधिकारियों द्वारा सिद्ध की गई है।

187. <u>झोंगसे रबर ग्रुप कंपनी लिमिटेड, जो चीन जन. गण. के उत्तर देने वाले निर्यातकों में से एक है, ने अपने प्रश्नावली के उत्तर में यह अनुरोध किया है कि इसे इस सब्सिडी का लाभ प्राप्त हुआ है और इसने जांच की अवधि के दौरान सब्सिडी की राशि के संबंध में सूचना उपलब्ध कराई है।</u>

188. इस कार्यक्रम में परित्यक्त राजस्व के रूप में वित्तीय अंशदान का प्रावधान है और उसके कारण लाभ प्रदान किया जाता है। सब्सिडी विशिष्ट भी है क्योंकि यह उन उपक्रमों तक सीमित है। यह तथ्य कि एओएल टायर कंपनी लिमिटेड और ट्रायंगल टायर कंपनी लिमिटेड, को इस कार्यक्रम से लाभ प्राप्त हुआ, दर्शाता है कि इस कार्यक्रम का वास्तव में उपयोग चीन जन गण. के उन टायर उत्पादकों द्वारा किया गया था जिन्होंने जांच की अविध के दौरन संबद्ध उत्पाद का निर्यात भारत को किया था। इस कारण से प्राधिकारी यह मानते हैं कि प्रतिसंतुलनकारी शुल्क इस कार्यक्रम के विरुद्ध लगाया जाना चाहिए।

- 67. झोंगसे रबर ग्रुप कंपनी लिमिटेड, और शेडोंग यिनबाई टायर ग्रुप कंपनी लिमिटेड जो चीन जन. गण. के भाग लेने वाले निर्यातक हैं, ने प्रश्नावली के अपने उत्तर में अनुरोध किया है कि उन्होंने इस सब्सिडी का लाभ उठाया है और जांच की अविध के दौरान सब्सिडी की राशि के संबंध में सूचना उपलब्ध कराई है।
- 68. चीन की सरकार ने अपने उत्तर में यह दावा किया है कि यह कार्यक्रम प्रतिसंतुलन कारणीय नहीं है क्योंकि यह विशिष्ट नहीं है। चीन की सरकार ने दावा किया कि यह कार्यक्रम इस तथ्य पर ध्यान दिए बिना सभी उपक्रमों को उपलब्ध है कि क्या उन्हें उच्च और नए प्रौद्योगिकी उपक्रमों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। हालांकि मूल जांच में, प्राधिकारी ने यह निर्धारित किया था कि यह कार्यक्रम विशिष्ट है क्योंकि यह उस उपक्रम तक सीमित है जो अनुसंधान और विकास संबंधी कार्यकलापों में लगे हैं। चीन की सरकार ने इस निर्धारण का विरोध नहीं किया था। प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि इस कार्यक्रम को जारी रखने का विरोध चीन की सरकार द्वारा नहीं किया गया है। वास्तव में चीन की सरकार ने इस कार्यक्रम को जारी रखने को माना है। इस कारण से, प्राधिकारी यह मानते हैं कि यह कार्यक्रम प्रतिसंतुलन कारणीय लाभ देने के लिए जारी हैं।

ii. कार्यक्रम सं. 38 की जांच

69. कार्यक्रम क्रमांक 38 के संबंध में *"उन कंपनियों के लिए अधिमान्य कर नीतियां/आयकर कटौती जिन्हें उच्च और नई* प्रोद्योगिकी कंपनियों के रूप में मान्यता दी गई है" के संबंध में, प्राधिकारी ने मूल जांच में कार्यक्रम सं. 31 के रूप में इस कार्यक्रम की प्रतिसंतुलन कारणीयता की जांच की। इन जांच परिणामों के संगत उद्धरण नीचे दिए हैं:

"216. प्राधिकारी नोट करते हैं कि इस कार्यक्रम की जांच पूर्व में कुछ अन्य जांच करने वाले प्राधिकारियों द्वारा की गई है और इस कार्यक्रम की मौजूदगी तथा प्रतिसंतुलन कारणीयता सिद्ध की गई है। उदारहण के लिए, (क) ऑर्गेनिक कोटेड स्टील प्रोडक्टस तथा कोटेड फाइन पेपर में यूरोपीय यूनियन के प्राधिकरियों द्वारा।

217. एओलस टायर कंपनी लिमिटेड और ट्रायंगल टायर कंपनी लिमिटेड, चीन जन. गण. के उत्तर देने वाले दो निर्यातकों जिन्होंने प्रश्नावली का उत्तर प्रस्तुत किया है और यह उलेख किया है कि उन्हें यह लाभ प्राप्त हुआ और इन्होंने जांच की अवधि के दौरान उनके द्वारा प्राप्त सब्सिडी की राशि के संबंध में सुचना प्रदान की है। 218. इस कार्यक्रम में परित्यक्त राजस्व के रूप में वित्तीय अंशदान का प्रावधान है और उसके कारण लाभ प्रदान किया जाता है। सब्सिडी विशिष्ट भी है क्योंकि यह उन उपक्रमों तक सीमित है। यह तथ्य कि एओएल टायर कंपनी लिमिटेड और ट्रायंगल टायर कंपनी लिमिटेड, को इस कार्यक्रम से लाभ प्राप्त हुआ, दर्शाता है कि इस कार्यक्रम का वास्तव में उपयोग चीन जन गण. के उन टायर उत्पादकों द्वारा किया गया था जिन्होंने जांच की अविध के दौरान संबद्ध उत्पाद का निर्यात भारत को किया था। इस कारण से प्राधिकारी यह मानते हैं कि प्रतिसंतलनकारी शल्क इस कार्यक्रम के विरुद्ध लगाया जाना चाहिए।

- 70. एओलस टायर कंपनी लिमिटेड और ट्रायंगल टायर कंपनी लिमिटेड जिन्होंने मूल जांच के दौरान इस कार्यक्रम का लाभ उठाया, ने वर्तमान निर्णायक समीक्षा में भाग नहीं लिया है। भाग लेने वाले निर्यातकों ने इस कार्यक्रम का लाभ नहीं उठाया है। हालांकि जैसा कि ऊपर में उल्लेख किया गया है, कार्यक्रम की प्रतिसंतुलन कारणीयता का निर्धारण केवल भाग लेने वाले निर्यातकों द्वारा नहीं किया जाता है।
- 71. चीन की सरकार ने यह दावा किया है कि यह कार्यक्रम विशिष्ट नहीं है क्योंकि यह सभी उच्च और नए प्रोद्योगिकी उपक्रमों पर लागू है और उच्च और नए प्रोद्योगिकी उपकरण का प्रमाणन उपक्रम के प्रकार, औद्योगिक क्षेत्र अथवा भौगोलिक अवस्थिति के पक्षपात के बिना चीन के भीतर सभी कानूनी व्यक्ति उपक्रमों पर लागू है। हालांकि चीन की सरकार ने इस दावे कि पृष्टि करने के लिए कोई साक्ष्य पस्तुत नहीं किया है। प्राधिकारी ने पूर्व में उच्च एवं नए प्रौद्योगिकी उपक्रमों की पात्रता मापदंड की विशिष्टता का विस्तार से जांच करने के बाद हॉट रोल्ड कोल्ड रोल्ड स्टील (2017) में इस कार्यक्रम को प्रतिसंतुलन कारणीय के रूप में पाया।
 - "310. इन विनियमों के अंतर्गत, 'उन्नत और नई प्रौद्योगिकी वाले उपक्रमों का प्रमाण पत्र' और निर्दिष्ट क्षेत्रों अथवा अंचलों में अवस्थित उपक्रम 15% की अधिमान्य दर तक 25% की समान्य कर दर की कटौती के लिए पात्र हैं"।
- 72. चीन की सरकार ने ऐसा कोई दस्तावेज यह दर्शाने के लिए प्रस्तुत नहीं किया है कि पूर्व निर्धारण में प्राधिकारी द्वारा निकाला गया निष्कर्ष अब सही नहीं है। इसके अलावा, उपर उद्धृत विनियामक के अनुसार, सामान्य कर दर में कटौती केवल उन उपक्रमों तक उपलब्ध है जिनके पास 'उन्नत और नई प्रौद्योगिकी उपक्रम प्रमाण पत्र' हैं और इसके साथ ही जो निर्दिष्ट क्षेत्रों में अवस्थित हैं। यह अपने आप में सिद्ध करता है कि यह कार्यक्रम विशिष्ट है क्योंकि यह सभी उपक्रमों के लिए उपलब्ध नहीं है। इस कारण से, प्राधिकारी यह मानते हैं कि यह कार्यक्रम प्रतिसंतुलन कारणीय लाभ देना जारी रखता है।

iii. कार्यक्रम सं. 39 की जांच

73. कार्यक्रम क्रमांक 39 के संबंध में, "विशिष्ट उपकरण की खरीद से संबंधित कर क्रेडिट" के संबंध में, प्राधिकारी ने मूल जांच में कार्यक्रम सं. 39 के रूप में इस कार्यक्रम की प्रतिसंतुलन कारणीयता की जाचं की। इन जांच परिणामों का संगत उद्धरण नीचे दिया जाता है:

"225. प्राधिकारी नोट करते हैं कि इस कार्यक्रम को पीआरसी की कॉरपोरेट आयकर कानून के अनुच्छेद 34 और पीआरसी की उपक्रम आयकर कानून के कार्यान्वयन संबंधी विनियमों के अनुच्छेद 100 के अंतर्गत शासित किया गया था। इसके अलावा, भारित आधार पर कटौती किए जाने के लिए अनुमित दी गई आर एंड डी खर्च को स्पष्ट करने के लिए उपक्रम अनुसंधान और विकास खर्च का कर पूर्व कटौती के लिए प्रशानिक उपाय जारी करने संबंधी नोटिस एसएटी द्वारा जारी किया गया (जांच कार्यान्वयन के लिए) (काई शुई (2008) सं. 115), जिसे 2017 संस्करण (काई शुई (2017)सं. 71) द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था।

226. प्राधिकारी नोट करते हैं कि इस कार्यक्रम की जांच पूर्व में कुछ अन्य जांच करने वाले प्राधिकारियों द्वारा की गई है और इस कार्यक्रम की मौजूदगी तथा प्रतिसंतुलन कारणीयता सिद्ध की गई है। <u>उदारहण के लिए ऑर्गेनिक</u> कोटेड स्टील प्रोडक्टस तथा कोटेड फाइन पेपर में युरोपीय युनियन के प्राधिकारियों द्वारा।

227. शानडोंग योंगफेंग टायर कंपनी लिमिटेड चीन जन.गण. के उत्तर देने वाले दो निर्यातकों, जिन्होंने प्रश्नावली का उत्तर प्रस्तुत किया है और यह उल्लेख किया है कि उन्हें यह लाभ प्राप्त हुआ और इन्होंने जांच की अवधि के दौरान उनके द्वारा प्राप्त सब्सिडी की रिश के संबंध में सूचना प्रदान की है।

228. <u>इस कार्यक्रम में परित्यक्त राजस्व के रूप में वित्तीय अंशदान का प्रावधान है और उसके कारण लाभ प्रदान</u> किया जाता है। सब्सिडी विशिष्ट भी है क्योंकि यह उन उपक्रमों तक सीमित है जो विशेष उपकरण खरीदते हैं । यह तथ्य कि शेंडोंग योंगफेंग को इस कार्यकम से लाभ प्राप्त हुआ, दर्शाता है कि इस कार्यक्रम का वास्तव में उपयोग चीन जन.गण. के उन टायर उत्पादकों द्वारा किया गया था जिन्होंने जांच की अवधि के दौरान संबद्ध उत्पाद का निर्यात भारत को किया था। इस कारण से प्राधिकारी यह मानते हैं कि प्रतिसंतुलनकारी शुल्क इस कार्यक्रम के विरुद्ध लगाया जाना चाहिएँ।

- 74. शेडोंग योंगफेंग जिसने मूल जांच के दौरान इस कार्यक्रम का लाभ उठाया, ने वर्तमान निर्णायक समीक्षा में भाग नहीं लिया है। भाग लेने वाले निर्यातकों ने इस कार्यक्रम का लाभ नहीं उठाया है। हालांकि जैसा कि ऊपर में उल्लेख किया गया है, कार्यक्रम की प्रतिसंतुलन करणीयता का निर्धारण केवल भाग लेने वाले निर्यातकों द्वारा नहीं किया जाता है।
- 75. चीन की सरकार ने यह दावा किया है कि यह कार्यक्रम विशिष्ट नहीं है क्योंकि विशिष्टता उपक्रम के प्रकार, औद्योगिक क्षेत्र अथवा भौगोलिक अवस्थिति पर ध्यान दिए बिना उन उपक्रमों तक ही सीमित है जो विशेष उपकरण की खरीद करते हैं। हालांकि यह तथ्य कि यह उपक्रम उन उपक्रमों से विशिष्ट है जो विशेष उपकरण की खरीद करते हैं, अपने आप में उपक्रम की विशिष्टता को दर्शाते हैं जैसा कि विगत मामलों में डीजीटीआर सहित जांच करने वाले अधिकारियों द्वारा माना गया है। मूल जांच में प्राधिकारी ने यह निर्धारित किया था कि यह कार्यक्रम विशिष्ट है। प्राधिकारी नोट करते है कि इस कार्यक्रम को जारी रखने का विरोध चीन की सरकार द्वारा नहीं किया गया है। चीन की सरकार ने इस कार्यक्रम को जारी रखने को माना है। इस कारण से प्राधिकारी यह मानते हैं कि कार्यक्रम प्रतिसंतुलन कारणीय लाभ देने के लिए जारी है।

ग. अधिमान्य ऋण और ऋण देना/वित्त पोषण करना (वैसे कार्य जिनकी जाचं मूल जांच के समय की गई थी)

कार्यक्रम सं.. 40: ऋण देने की सरकारी नीति

कार्यक्रम सं.. 41: राज्य के स्वामित्व वाले उपक्रमों को अधिमान्य ऋण

कार्यक्रम सं.. 42: निर्यात उन्मुख उपक्रमों के लिए छूट प्राप्त ऋण और निर्यात ऋण ब्याज सब्सिडी

कार्यक्रम सं.. 43: टायर उद्योग को अधिमान्य ऋण और ब्याज दरें

कार्यक्रम सं.. 44: निर्यात क्रेडिट बीमा सब्सिडी

कार्यक्रम सं.. 45: निर्यात विक्रेता का क्रेडिट

कार्यक्रम सं.. 46: निर्यात क्रेता का क्रेडिट

कार्यक्रम सं.. 47: राज्य के स्वामित्व वाले बैंकों से अन्य निर्यात वित्त पोषण

ट.10 अन्य हितबद्ध पक्षकरों द्वारा किए गए अनुरोध

76. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा अधिमान्य ऋण और ऋण प्रदान करने के संबंध में निम्नलिखत अनुरोध किए गए थे:

- i. बैंक ऑफ चाइना ने वित्तीय संस्थाओं की जमा राशि और ऋण ब्याज दरों का समायोजन करने के संबंध में पीपुल्स बैंक ऑफ चाइना की नोटिस के अनुसार ब्याज दरों को नियंत्रण से बाहर कर दिया।
- ii. चीन के वाणिज्य बैंक और राज्य के स्वामित्व वाले उपक्रम चीन बैंकिंग रेगुलेटरी कमिशन की नोटिस और चीन के वाणिज्यिक बैंक कानुन के अनुच्छेद 4 के अनुसार "सार्वजनिक निकाय" नहीं हैं।
- iii. राज्य का स्वामित्व किसी प्रतिष्ठान के एक सार्वजनिक निकाय होने का निर्धारण करने के लिए एकामत्र मनदंड नहीं है।
- iv. याचिका में साक्ष्य इस आरोप का समर्थन करने के लिए संगत और पर्याप्त नहीं हैं।
- v. विशिष्ट सब्सिडी इस कार्यक्रम में मौजूद नहीं है
- vi. निर्यातक विक्रेता का क्रेडिट कार्यक्रम वित्तीय अंशदान नहीं बनता है

ट.11 घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

77. घरेलू उद्योग द्वारा अधिमान्य ऋण और ऋण प्रदान करने के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए गए थे:

i. प्राधिकारी ने मूल जांच में इन कार्यक्रमों को प्रतिसंतुलन कारणीय के रूप में माना था। कोई भी साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराया गया है कि इस प्रकार की सब्सिडी प्राप्त ऋण के लाभ को जारी नहीं रखा गया है। ii. चीन की सरकार और भाग लेने वाले निर्यातकों ने अपूर्ण और अपर्याप्त उत्तर प्रस्तुत किए हैं। ऋण के अनुबंध के संबंध में यह दर्शाने के लिए कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया है कि ऋण प्रदान करने की दरें बाजार दरें हैं।

iii. वाणिज्यिक बैंक के कानून का अनुच्छेद 34 जो चीन में कार्यरत सभी वित्तीय संस्थाओं पर लागू होता है, में प्रावधान है कि 'वाणिज्यिक बैंक राष्ट्रीय आर्थिक और सामाजिक विकास की आवश्यकताओं के अनुसार और राज्य की औद्योगिक नीतियों के मार्गदर्शन के अंतर्गत ऋण प्रदान करने का अपना कार्य करेंगे।' यद्यपि बैंक कानून का अनुच्छेद 4 यह कहता है कि 'वाणिज्यक बैंक कानून का अनुसरण करते हुए किसी इकाई अथवा व्यक्ति से हस्तक्षेप के बिना व्यापार संबंधी प्रचालन करेगा। वाणिज्यक बैंक स्वतंत्र रूप से अपने समग्र कानून की व्यक्ति की संपदा के साथ सिविल देयता धारण करेंगे', यूएस का वाणिज्य विभाग और यूरोपीय किमशन ने यह निर्धारित किया है कि बैंक कानून का अनुच्छेद 4 बैंक कानून के अनुच्छेद 34 के अध्यधीन लागू होता है अर्थात जहां राज्य सार्वजनिक नीति स्थापित करता है, बैंक इसे लागू करता है और राज्य के अनुदेशों का पालन करता है।

ट.12 प्राधिकारी द्वारा जांच

78. मूल जांच में प्राधिकारी ने कार्यक्रम सं. 52 से 57 के रूप में अधिमान्य ऋण और ऋण प्रदान करने के रूप में उपर्युक्त कार्यक्रमों की प्रतिसंतुलन कारणीयता की जांच की। इन जांच के परिणामों के संगत उद्धरण नीचे दिए जाते हैं:

"334. जांच की प्रक्रिया के दौरान प्राधिकारी ने यह नोट किया कि चीन जन.गण. के भाग लेने वाले कुछ निर्यातकों ने राज्य के स्वामित्व वाले बैंकों से अधिमान्य ऋण के रूप में लाभ प्राप्त किया है। प्राधिकारी ने निर्धारित किया है कि ऐसे अधिमान्य ऋण के फलस्वरूप निधियों के प्रत्यक्ष अंतरण के रूप में वित्तीय अंशदान प्राप्त किया गया है। प्राधिकारी ने पीपुल्स बैंक ऑफ चाइना (चीन का सेंट्रल बैंक) द्वारा दीर्घ अवधि और लघु अवधि ऋण के लिए निर्धारित वाणिज्यिक बेंचर्माक ब्याज दर के साथ ऋण प्राप्त करने वाले निर्यातक से राज्य के स्वामित्व वाले बैंक द्वारा वसूले जाने वाले ब्याज दर से तुलना कर ऐसे अधिमान्य ऋण के विरुद्ध प्रतिसंतुलनकारी शुल्क निर्धारित किया है। लाभ की गणना इन दोनों दरों के बीच अंतर के आधार पर की गई थी। प्राधिकारी ने इस तथ्य की पृथक रूप से पहचान नहीं की है कि क्या राज्य के स्वामित्व वाले बैंकों द्वारा दिया गया ऋण निर्यात के अन्य कारणों से थे।"

- 79. चीन की सरकार ने यह तर्क दिया है कि चीन का राज्य स्वामित्व वाले बैंक सार्वजनिक निकाय नहीं हैं। इसने तर्क दिया है कि राज्य का स्वामित्व किसी प्रतिष्ठान के सार्वजनिक निकाय होने का निर्धारण करने के लिए एकमात्र मानदंड नहीं है।
- 80. प्राधिकारी ने विश्व व्यापार संगठन के न्याय विवेक के अनुसार सार्वजनिक निकायों के संबंध में कानून में प्रचलित स्थिति की जांच की है। संयुक्त राज्य-चीन के कुछ उत्पादों पर निश्चयात्मक पाटनरोधी और प्रतिसंतुलनकारी शुल्क में अपीलीय निकाय ने सार्वजनिक निकायों का निर्धारण करने के लिए विधिक मानक स्थापित किए जिसका निरंतर रूप से सभी प्राधिकारियों द्वारा जांच की जाती है। इसने निर्धारित किया कि एससीएम करार के अनुच्छेद 1.1(क)(1) के अभिप्राय से सार्वजनिक निकाय वह प्रतिष्ठान ही होना चाहिए जिसके पास सरकार की शक्तियां हों, वह उसका उपयोग करता हो अथवा उससे शक्ति प्राप्त हो। अपीलीय निकाय ने साक्ष्य के अनेक प्रकारों अथवा संसूचकों का उल्लेख किया कि प्रशासित न करने वाला प्राधिकारी इस तथ्य का निर्धारण करने में विचार कर सकता है कि क्या किसी प्रतिष्ठान "के पास सरकारी अधिकार है और वह उसका उपयोग करता है अथवा उससे शक्ति प्राप्त है।" सर्वप्रथम कोई भी प्राधिकारी विधिक उपायों पर नजर डाल सकता है। दूसरा, कोई भी प्राधिकारी प्रतिष्ठान पर "सार्थक नियंत्रण" का उपयोग करती है।
- 81. यूएसए और यूरोप सिंहत जांच करने वाले प्राधिकारी ने निरंतर रूप से यह पाया है कि चीन की वाणिज्यिक बैंकों के पास सरकारी अधिकार हैं, वे उसका उपयोग करते हैं और उससे शक्ति प्राप्त हैं। उदाहरण के रूप में, अधिकतम भार स्चकांक केस के साथ बसों अथवा लोडियों के लिए उपयोग किए जाने वाले रबर के कुछ न्यूमेटिक टायरों, नया अथवा पुन: अशोधित के आयातों पर प्रतिसंतुलनकारी शुल्क (दिनांक 09 नवंबर 2018) के संबंध में यूरोपीय किमशन के अंतिम जांच परिणामों के संगत उद्धरण नीचे दिए गए है। यूरोपीय आयोग का विस्तृत जांच परिणाम यह दर्शाएगा कि किस प्रकार से चीन के बैंक सरकारी कार्यकलाप करते हैं।

"सामान्य स्तर पर, बैंक कानून का अनुच्छेद 34, जो चीन में कार्यरत सभी वित्तीय संस्थाओं पर लागू होता है, में प्रावधान है कि '<mark>वाणिज्यिक बैंक राष्ट्रीय आर्थिक और सामाजिक विकास की आवश्यकताओं के अनुसार और</mark> राज्य की औद्योगिक नीतियों के मार्गदर्शन के अंतर्गत ऋण प्रदान करने का अपना कार्य करेंगे'। यद्यपि बैंक कानून का अनुच्छेद 4 यह कहता है कि 'वाणिज्यिक बैंक कानून का अनुसरण करते हुए किसी इकाई अथवा व्यक्ति से हस्तक्षेप के बिना व्यापार संबंधी प्रचालन करेगा। वाणिज्यिक बैंक स्वतंत्र रूप से अपने समग्र कानून की व्यक्ति की संपदा के साथ सिविल देयता धारण करेंगे', यूएस का वाणिज्य विभाग और यूरोपीय किमशन ने यह निर्धारित किया है कि बैंक कानून का अनुच्छेद 4 बैंक कानून के अनुच्छेद 34 के अध्यधीन लागू होता है अर्थात जहां राज्य सार्वजनिक नीति स्थापित करता है, बैंक इसे लागू करता है और राज्य के अनुदेशों का पालन करता है।"

इसके अलावा, ऋण संबधी सामान्य नियमावली का अनुच्छेद 15 में प्रावधान है: 'राज्य की नीति के अनुसार, संबंधित विभाग कुछ क्षेत्रों में कुछ उद्यागों के विकास और आर्थिक विकास का संवर्धन करने के उद्देश्य से ऋणों पर ब्याज को सब्सिडी दे सकते हैं।'

इस आधार पर. आयोग ने यह निष्कर्ष निकाला कि चीन की सरकार ने एक मानक ढांचा बनाया है जिसका पालन चीन की सरकार द्वारा नियुक्त किए गए प्रबंधकों और पर्यवेक्षकों द्वारा किया जाना था और वे चीन की सरकार के प्रति उत्तरदायी होंगे। इस करण से. चीन की सरकार ने तीन सहयोगी राज्य के स्वामित्व वाले बैंकों. जब कभी वे टायर उद्योग को ऋण उपलब्ध करा रहे थे. के कार्यसंचालन पर सार्थक तरीके से नियंत्रण रखने के उद्देश्य से मानक ढांचा पर विश्वास किया... आयोग ने ठोस ऋणों के आधार पर एक सार्थक तरीके से नियंत्रण के उपयोग का ठोस प्रमाण भी मांगा... सत्यापन दौरे में यह स्पष्ट हुआ कि विदेशी मुद्रा में कुछ ऋणों के अपवाद के साथ. कंपनी की वित्तीय और ऋण जोखिम की स्थिति पर ध्यान दिए बिना नमुना लिए गए निर्यात करने वाले उत्पादकों के चार समृहों को पीपल्स बैंक ऑफ चाइना ('पीबीओसी') बेंचमार्क ब्याज दरों के आसपास की ब्याज दरों पर ऋण प्रदान किए गए थे। इस कारण से ये ऋण नमना लिए गए चार निर्यात करने वाले उत्पादकों के जोखिम प्रोफाइल के सदृश्य दर से तुलना किए जाने पर बाजार दरों से कम पर दिए गए थे। इसके अलावा. नमुना लिए गए कंपनियों ने रिवॉलविंग ऋण प्राप्त किया था जो उन्हें नए ऋणों से नई पंजी के द्वारा परिपक्वता की तिथि को ऋणों पर पुन: भुगतान की गई पुंजी को तत्काल प्रतिस्थापित करने की अनुमति देता है। नमुना लिए गए कंपनियो के दो समुहों के मामले में, भुगतान का समय कार्यक्रम फिर से निर्धारित किया गया था अथवा वित्तीय कठिनाइयों के कारण ऋण को माफ कर दिया गया था। आयोग ने यह भी पाया कि उन ऋणों जिनकी सुचना 'सामन्य नहीं' बैंक ऋणों के रूप में दी जानी चाहिए थी. को हमेशा इस तरह से राज्य के स्वामित्व वाले तीन सहयोगी बैंकों द्वारा राष्ट्रीय केंद्रीय ऋण पंजी में नहीं दर्शाया गया था। इस प्रकार का 'सामान्य ऋण नहीं' की सुचना देने का दायित्व है. विशेषकर तब जब ऋणों की पुन:संरचना बनाई गई थी. जब ऋण प्राप्तकर्ता ने अपने भगतानों को नहीं किया अथवा जब रिवॉलर्विंग ऋण जारी किए गए थे। इस प्रकार की घटनाएं नमुना लिए गए निर्यात करने वाले उत्पादकों के सभी चार समृहों के मामले में पाई गई थी। सीबीआरसी की 'जोखिम आधारित ऋण वर्गीकरण संबंधी दिशानिर्देशों', के अनुसार, इनमें से सभी घटनाओं को केन्द्रीय क्रेडिट पंजी में शामिल किया जाना चाहिए था। वित्तीय संस्थाओं द्वारा संसूचन के इस अभाव के फलस्वरूप केन्द्रीय क्रेडिट पंजी में कंपनी के ऋण की स्थिति का बिगड़ी हुई तस्वीर प्रस्तृत होती है क्योंकि यह पंजी कंपनी की वास्तविक ऋण देयता की क्षमता को नहीं दर्शाती है। इसके परिणामस्वरूप यदि कोई वित्तीय संस्था को बाजार आधारित आकलन को लाग भी करना होता तब यह गलत सचना के आधार पर ही ऐसा किया होता। इस कारण से आयोग इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि चीन की सरकार ने राज्य के स्वामित्व वाले तीन सहयोगी बैंकों के कार्य पर उनकी ऋण प्रदान करने की नीतियां और टायर उद्योग के संबंध में जोखिम के आकलन के बारे में सार्थक नियंत्रण का उपयोग किया है।"

- 82. जांच करने वाले अधिकांश प्राधिकारियों द्वारा अपनाए जा रहे दृष्टिकोण के अनुरूप, निर्दिष्ट प्राधिकारी ने अपने सभी सीवीडी जांचों में जहां चीन एक संबद्ध देश रहा है, सावर्जनिक निकायों के रूप में चीन की बैंकों को भी माना है।
- 83. कार्यक्रम क्रमांक 44 के संबंध में, "निर्यात क्रेडिट बीमा *सब्सिडी"*, के संबंध में, प्राधिकारी ने इस कार्यक्रम की प्रतिसंतुलन कारणीयता की जांच मूल जांच में कार्यक्रम सं. 58 के रूप में की। संगत उद्धरण निम्नानुसार दिए जाते हैं:
 - "342. प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि भाग लेने वाले कुछ उत्पादकों ने अनुदानों के रूप में निर्यात क्रेडिट बीमा प्रीमियम सब्सिडी (इस कार्यक्रम के अंतर्गत प्राप्त होने वाले लाभ को छोड़कर) के रूप में प्राप्त लाभ की सूचना दी है और उसे पहले ही प्राधिकारी द्वारा प्रतिसंतुलित किया गया है।"

- 84. चूंकि निर्यात क्रेडिट बीमा प्रीमियम सब्सिडी के रूप में लाभ को पहले ही अनुदानों के रूप में प्रतिसंतुलित किया गया है, अत: इस सब्सिडी की जांच दोहरेपन से बचने के लिए पृथक रूप से नहीं की जा रही है।
- 85. जैसा कि ऊपर में उल्लेख किया गया है इन कार्यक्रमों की पहले ही जांच मूल जांच में की जा चुकी थी और प्राधिकारी का मूल जांच में दिए गए विचारों से इन कार्यक्रमों के संबंध में कोई अलग विचार नहीं है।

घ. पर्याप्त पारिश्रमिक से कम पर सामान का प्रावधान: कार्यक्रम क्रमांक 48 से 53 तक

कार्यक्रम सं.. 48: उचित पारिश्रमिक से कम के लिए बिजली का प्रावधान

कार्यक्रम सं.. 49: औद्योगिक और अन्य विशेष आर्थिक क्षेत्र में एलटीएआर पर भूमि के उपयोग का अधिकार

कार्यक्रम सं.. 50: एलटीएआर पर कार्य के स्वामितत्व वाले उपक्रमों को भूमि का प्रावधान

कार्यक्रम सं.. 51: विदेश में निवेशित उपक्रमों के लिए एलटीएआर पर भूमि के उपयोग का अधिकार

कार्यक्रम सं.. 52: आर्थिक विकास क्षेत्रों में एलटीएआर पर भूमि के उपयोग का अधिकार

कार्यक्रम सं.. 53: समूचित पारिश्रमिक से कम के लिए कार्बन ब्लैक का प्रावधान

ट.13 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

- 86. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा समुचित पारिश्रमिक से कम पर वस्तुओं के प्रावधान के संबंध में उपर्युक्त योजना के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए गए थे:
 - i. चीन में बिजली की कीमतें कोयला आधारित विद्युत उत्पादन के लिए ऑनग्रीड बिजली कीमत का बाजार उन्मुख सुधार को और आगे गहन करने संबंधी नोटिस (एफजीजेजी (2021) तथा औद्योगिक और वाणिज्यिक विद्युत बिक्री कैटालॉग को समाप्त करने के बारे में प्रादेशिक स्तर के कीमत निर्धारण करने वाले प्राधिकारियों से नोटिसों के अनुसार बाजार की मांग के आधार पर निर्धारित किया जाता है।
 - ii. बोली आमंत्रण नीलामी और दरें प्रस्तुत करने के माध्य से राज्य के स्वामित्व वाले निर्माण भूमि उपयोग अधिकार सौंपने संबंधी प्रावधानों के अनुसार, चीन में भूमि के उपयोग के अधिकारों का प्रावधान विशिष्ट नहीं है।
 - iii. एलटीएआर योजनाओं के लिए विदेशी बेंचमार्कों को अस्वीकार किया जाना चाहिए क्योंकि भारत के सीवीडी कानूनों में गैर-बाजार अर्थव्यवस्था की अवधारणा मौजूद नहीं है।
 - iv. चीन की सरकार इस बाजार में कीमत निर्धारण में कोई हस्तक्षेप नहीं करती है अथवा इसे प्रभावित नहीं करती है। कीमतों में उतार-चढ़ाव बाजार की गतिशीलता के अनुसार होता है।

ट.14 घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

- 87. घरेलू उद्योग द्वारा उचित पारिश्रमिक से कम पर वस्तुओं के प्रावधान के संबंध में उपर्युक्त योजनाओं के बारे मे निम्नलिखित अनुरोध किए गए थे:
 - i. कार्यक्रम सं. 48 से 53 को प्राधिकारी द्वारा मूल जांच में प्रतिसंतुलन कारणीय के रूप में माना गया था। इन कार्यक्रमों की प्रतिसंतुलन काराणीयता का खंडन करने के लिए कोई ठोस साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है।
 - ii. चीन की सरकार और भाग लेने वाले निर्यातकों ने अपूर्ण और अपर्याप्त उत्तर प्रस्तुत किए हैं। कोई भी उत्तर यह दर्शाने के लिए वस्तुओं/सेवाओं के अनुबंध के संबंध में प्रस्तुत नहीं किया गया है कि चीन की सरकार अनंतिम सरकार, स्थानीय सरकार अथवा राज्य की स्वामित्व वाली उपक्रमों से प्राप्त किया गया वस्तु बाजार दरों पर हैं।
 - iii. यह प्राधिकारी की जिम्मेदारी है कि वे "पारिश्रमिक की पर्याप्तता" का निर्धारण करें और न कि यह निर्यातक की जिम्मेदारी है कि वे इस तथ्य के बारे में पहले ही निर्णय लें अथवा यह मान ले कि कंपनी को दी गई सभी वस्तु सेवाएं बाजार कीमतों के समतुल्य हैं।
 - iv. चीन में विद्युत बाजार का चित्रण आपूर्ति चेन के विभिन्न चरणों में एसओई की एक महत्वपूर्ण भागीदारी द्वारा किया जाता है। सामान्य विद्युत टैरिफ और उक्त उत्पादकों द्वारा भुगतान की जाने वाली वास्तविक टैरिफ के बीच बहुत अधिक अंतर है और राज्य द्वारा प्रदान की जाने वाली सब्सिडी में भी बहुत अधिक राशि

- का अंतर है। यह कार्यक्रम प्रोत्साहित उद्योगों के रूप में वर्गीकृत उपक्रमों को सब्सिडी दी गई दरों पर विद्युत के प्रावधान के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करता है।
- v. पीआरसी, 2004 की भूमि प्रशासन कानून के अनुसार, भूमि कुछ उद्योगों को रियायती दरों पर दी जाती है। उच्च और नए प्रौद्योगिकी के रूप से उन्नत उपक्रम और उद्योगों के कुछ अन्य श्रेणियों को भी प्रशासनिक शुल्क से छूट और उचित पारिश्रमिक से कम पर भूमि के उपयोग के अधिकारों का प्रावधान प्राप्त होता है।
- vi. सीसीपी चीन में आर्थिक कार्यकलापों पर बहुत अधिक नियंत्रण रखता है। चीन की सरकार राज्य के स्वामित्व वाले उपक्रमों पर सार्थक नियंत्रण रखता है और उनका उपयोग राज्य क्षेत्र को संसाधन आवंटित कर तथा उसकी प्रमुख भूमिका बनाए रखते हुए समाजवादी बाजार अर्थव्यवस्था को बनाए रखने के अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए करता है।
- vii. चीन में राज्य के स्वामित्व वाले उपक्रम चीन में कार्बन ब्लैक के कुल उत्पादन का लगभग 26.44% है।
- viii. राज्य के स्वामित्व वाले उपक्रम में टायर निर्यातकों को कार्बन ब्लैक ही आपूर्ति करते हैं। आपूर्ति की गई इनपुट की कीमत सकारात्मक रूप से बेंचमार्क दरों अर्थात बाजार अर्थव्यवस्थाओ में प्रचलित कीमतों से बहुत कम है।
- ix. यह तथ्य कि इनपुट आपूर्तिकर्ता छद्म रूप से निजी रूप से हैं और विदेश के स्वामित्व वाली कंपनियां इस तथ्य का निर्धारण करने के की स्थिति में नहीं हैं कि क्या ऐसे आपूर्तिकर्ता संभावित चीन की सरकार अथवा सीसीपी की इन कंपनियों में भागीदारी के कारण "प्राधिकारी" हैं।
- x. चीन की सरकार को यह अवश्य सिद्ध करना चाहिए कि इनपुट आपूर्तिकर्ता सरकारी नियंत्रण से स्वतंत्र है।
- xi. एसओई चीन में सिंथेटक रबर के घरेलू उत्पादन का 31.43% दर्शाता है।
- xii. चीन की सरकार का इन कार्यकलपों में बहुत अधिक हस्तक्षेप होना जारी है (जैसा कि गैर बाजार अर्थव्यवस्था के माने जाने से स्पष्ट है)। उचित पारिश्रमिक से कम के उद्देश्य से, कोई भी देश में बेंचमार्क एक उपयुक्त बेंचमार्क नहीं होगा क्योंकि यह अंतर्निहित वस्तुओं अथवा सेवाओं का वास्तविक मूल्य नहीं दर्शाएगा। देश से बाहर के बेंचमार्कों पर अवश्य विचार किया जाना चाहिए।
- xiii. प्राकृतिक रबर लागत का एकमात्र सबसे बड़ा तत्व है। चीन के उत्पादकों को या तो चीन के भीतर अथवा चीन से बाहर चीन द्वारा निवेशित पौधारोपणों से कमतर कीमतों पर प्राकृतिक रबर प्राप्त हो रहा है। प्राकृतिक रबर का व्यापार आरोहण नवाचार के अनुबंध 2 ख में दर्शाए गए अनुसार "निर्दिष्ट व्यापार" चीन में कुछ प्रतिष्ठानों तक सीमित है। चीन में प्राकृतिक रबर की कीमतें विश्वसनीय नहीं हैं।
- xiv. यूएस के वाणिज्य विभाग के चीन से ट्रक और बस के टायरों के लिए जांच निष्कर्ष के अनुसार, नायलन टायर कॉर्ड फ्रैब्रिक का प्रमुख रूप से उत्पादन चीन की सरकार द्वारा नियंत्रित नायलन टायर कॉर्ड उत्पादकों द्वारा किया जाता है। राज्य के स्वामित्व वाले उत्पादकों का देश में उत्पादन किए गए सिंथेटिक रबर और बुटाडाइन का बहुत बड़ा प्रतिशत है।

ट.15 प्राधिकारी द्वारा जांच

- 88. कार्यक्रम क्रमांक 48 के संबंध में "समुचित पारिश्रमिक से कम के लिए विद्युत का प्रावधान" के संबंध में कार्यक्रम सं. 48 के बारे में, प्राधिकारी ने मूल जांच के कार्यक्रम सं. 63 के रूप में इसकी प्रतिसंतुलन कारणीयता की जांच की। इन जांच परिणामों का संगत उद्धरण नीचे दिया गया है:
 - "364. हालांकि, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि चीन की सरकार कुछ उपक्रमों को उचित परिश्रमिक से कम पर बिजली उपलब्ध करा रहे हैं। उचित पारिश्रमिक से कम पर विद्युत का प्रावधान सेवाओं के प्रावधान के रूप में वित्तीय अंशदान होता है। प्राधिकारी यह टिप्पणी करते हैं कि बाजार दरों से कम पर विद्युत लाभ प्रदान करने जैसा है। यह सब्सिडी कार्यक्रम भी विशिष्ट है क्योंकि यह चीन जन.गण. में उपक्रमों के कुछ प्रकार तक सीमित है। इस कारण से प्राधिकारी नोट करते हैं कि चीन की सरकार द्वारा विद्युत का प्रावधान एक प्रतिसंतुलन कारनीय सब्सिडी कार्यक्रम है।"

- 89. यह देखा जाता है कि भाग लेने वाले किसी भी निर्यातक अथवा चीन की सरकार ने वस्तुओं/सेवाओं के अनुबंध के प्रावधान का उत्तर नहीं दिया है। इस कारण से प्राधिकारी मूल जांच में अपने जांच परिणामों के आधार पर इस कार्यक्रम को प्रतिसंतुलन कारणीय मानना जारी रखते है।
- 90. कार्यक्रम क्रमांक 49 से 52 के संबंध में उचित पारिश्रमिक से कम पर भूमि/भूमि के उपयोग के अधिकारों के प्रावधान के संबंध में कार्यक्रम सं. 49 से 52 के संबंध में, प्राधिकारी कार्यक्रम सं. 65 से 67. के रूप में इस कार्यक्रम की प्रतिसंतुलन कारणीयता की जांच की। इन जांच परिणामों के संगत उद्धरण नीचे दिए गए हैं:
 - "371. हालांकि, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि चीन की सरकार कुछ उपक्रमों को उचित परिश्रमिक से कम पर भूमि के उपयोग का अधिकार दे रहे हैं। उचित पारिश्रमिक से कम पर भूमि के उपयोग के अधिकारों का प्रावधान सेवाओं के प्रावधान के रूप में वित्तीय अंशदान होता है। प्राधिकारी यह टिप्पणी करते हैं कि बाजार दरों से कम पर दिए गए भूमि के उपयोग के अधिकार लाभ प्रदान करने जैसा है। यह सब्सिडी कार्यक्रम भी विशिष्ट है क्योंकि यह चीन जन.गण. में उपक्रमों के कुछ प्रकार तक सीमित है। इस कारण से प्राधिकारी नोट करते हैं कि चीन की सरकार द्वारा भूमि के उपयोग के अधिकारों का प्रावधान एक प्रतिसंतुलन कारणीय सब्सिडी कार्यक्रम है।"
- 91. यह देखा जाता है कि भाग लेने वाले किसी भी निर्यातक अथवा चीन की सरकार ने वस्तुओं/सेवाओं के अनुबंध के प्रविधान संबंधी उत्तर नहीं दिया है। इस कारण से प्राधिकारी मूल जांच में अपने जांच परिणामों के आधार पर इस कार्यक्रम को प्रतिसंतुलन कारणीय मानना जारी रखते है।
- 92. कार्यक्रम क्रमांक 53 के संबंध में उचित से कम पारिश्रमिक के लिए कार्बन ब्लैक के संबंध में कार्यक्रम सं. 53 के बारे में प्राधिकारी ने इस कार्यक्रम की प्रतिसंतुलन कारणीयता की जांच कार्यक्रम सं 68 के रूप में की। प्राधिकारी ने यह माना कि इस कार्यक्रम को प्रतिसंतुलित किया गया था।

ठ. क्षति निर्धारण तथा क्षति और कारणात्मक संबंध की जांच के लिए पद्धति

ठ.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए निवेदन

- 93. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा क्षति के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए गए थे:
 - i. याचिकाकर्ताओं ने संबद्ध देश से आयातों की मात्रा में वृद्धि को बढ़ा-चढ़ाकर बताया है और जानबूझकर क्षति का बहाना किया है। वास्तव में, क्षति में कोई वृद्धि नहीं हुई है और सब्सिडी प्राप्त उत्पादों के कारण क्षति का दावा करने के लिए कोई तथ्यात्मक या कानूनी आधार नहीं है।
 - ii. घरेलू उत्पादकों के बीच कंपनी प्रतिस्पर्धा उद्योग की लाभप्रदता पर प्रभाव डाल रही है।
 - iii. याचिकाकर्ताओं ने अपमानजनक तरीके से क्षति से संबंधित आरोपों को छिपाया और उनमें हेरफेर किया है।
 - iv. सभी आर्थिक मापदंडों में सुधार हुआ है। चीन से आयातों पर किसी प्रकार क्षति को आरोपित नहीं किया जा सकता।
 - v. पीओआई के पश्चात की अवधि में आवेदकों के समग्र निष्पादन में सुधार हुआ है।

ठ.2 घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

- 94. घरेलू उद्योग ने क्षति के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:
 - घरेलू उद्योग ने मात्रा संबंधी क्षित का दावा नहीं किया है। किसी भी स्थिति में, किसी निर्णायक समीक्षा
 में क्षित की संभावना महत्वपूर्ण है।
 - ii. निर्यातकों ने आवेदकों की कंपनियों की समग्र लाभप्रदता का संदर्भ दिया है जबिक जांच का दायरा प्राधिकारी द्वारा परिभाषित पीयूसी तक सीमित है। इसका कोई कारण नहीं है कि क्यों प्राधिकारी द्वारा समग्र लाभप्रदता पर विचार किया जाना चाहिए जबिक आवेदकों ने पीयूसी के लिए विस्तृत लागत निर्धारण और वित्तीय आंकड़े उपलब्ध कराए हैं, जिनकी प्राधिकारी द्वारा विधिवत जांच की गई है।

- iii. घरेलू उद्योग की लाभप्रदता में पीयूसी के संबंध में शुल्क को लागू किए जाने के कारण केवल हाल की अविध में सुधार हुआ है। निवेश पर आय निम्न बनी हुई है। कोई भी ह्रास महत्वपूर्ण क्षिति का कारण बनेगा।
- iv. आयात घरेलू उद्योग की कीमत और लागत में महत्वपूर्ण रूप से कटौती कर रहे हैं।

ठ.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

- 95. क्षति और कारणात्मक संबंध से संबंधित मुद्दों के संबंध में घरेलू उद्योग और अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोधों की जांच की गई है। यहां नीचे प्राधिकारी द्वारा किए गए क्षति संबंधी विश्लेषण में हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए विभिन्न अनुरोधों का तथ्यत: उल्लेख किया गया है।
- 96. यहां संबंधित अनुबंध-I के साथ पिठत नियमावली के नियम 13 में यह व्यवस्था की गई है कि किसी क्षिति निर्धारण में ऐसे कारकों की जांच शामिल होगी, जो सभी संगत तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, घरेलू उद्योग को क्षित की ओर संकेत करते हैं जिनमें "समान उत्पादों के लिए घरेलू बाजार में कीमतों पर सब्सिडी प्राप्त आयातों के प्रभाव और सब्सिडी प्राप्त आयातों की मात्रा तथा ऐसे उत्पादों के घरेलू उत्पादकों पर इन आयातों के परिणामी प्रभाव" शामिल हैं।
- 97. नियमावली के नियम 24 में व्यवस्था की गई है कि समीक्षा की स्थिति में नियम 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 18, 19, 20, 21, और 22 के उपबंध लागू होंगे। यदि घरेलू उद्योग का निष्पादन दर्शाता है कि इसने वर्तमान क्षति अविध के दौरान क्षति का सामना नहीं किया है, तो प्राधिकारी निर्धारित करेंगे कि क्या वर्तमान शुल्क को समाप्त किए जाने से घरेलू उद्योग को क्षति की पुनरावृत्ति होने की संभावना है।
- 98. प्राधिकारी ने सब्सिडी और क्षित के संभावित पहलुओं की जांच को आरंभ करने से पूर्व संबद्ध देश से आयातों के कारण विभिन्न क्षित मापदंडों की जांच की है। इसकी जांच की गई है कि क्या कुल रूप में या उत्पादन अथवा खपत के संबंध में आयातों की वृद्धि हुई है। कीमतों पर सब्सिडी प्राप्त आयातों के प्रभाव पर विचार करते हुए, यह जांच करना अनिवार्य समझा गया कि क्या भारत में समान वस्तुओं की कीमत की तुलना में सब्सिडी प्राप्त आयातों द्वारा महत्वपूर्ण कीमत कटौती की गई है अथवा क्या ऐसे आयातों के प्रभाव ने अन्यथा रूप से महत्वपूर्ण स्तर तक कीमतों में हास किया है या कीमतों में वृद्धि को रोका है, जो महत्वपूर्ण मात्रा तक घटित हुई होती। भारत में घरेलू उद्योग पर सब्सिडी प्राप्त आयातों के प्रभाव की जांच के लिए, उद्योग की स्थिति पर प्रभाव डालने वाले आंकड़ों जैसे उत्पादन, क्षमता उपयोग, बिक्री मात्रा, स्टॉक, लाभप्रदता, निवल बिक्री, आय, सब्सिडी की मात्रा और मार्जिन आदि पर नियमावली के अनुबंध-। के अनुसरण में विचार किया गया है। प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग और अनुप्रयोज्य कानूनों पर विचार करते हुए विश्लेषण किया है। यहां नीचे प्राधिकारी द्वारा किए गए क्षित विश्लेषण में पक्षकारों द्वारा किए गए विभिन्न अनुरोधों का तथ्यत: उल्लेख किया गया है।

क. मांग का आकलन

99. मांग या स्पष्ट खपत को भारतीय उत्पादकों की घरेलू बिक्रियों और सभी स्रोतों से आयातों के जोड़ के रूप में निर्धारित किया गया है।

विवरण	इकाई	2019-20	2020-21	2021-22	पीओआई (ए)
डीआई की बिक्रियां	मी.टन	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	109	128	155
अन्य उत्पादकों की बिक्रियां	मी.टन	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	93	159	216
संबद्ध आयात	मी.टन	15,025	4,200	8,179	16,920
अन्य आयात	मी.टन	12,232	6,767	6,093	4,666
कुल मांग	मी.टन	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	101	132	166

100. यह देखा गया है कि पूरी क्षति के दौरान संबद्ध वस्तुओं में वृद्धि हुई है।

ख. आयात मात्रा

101. सब्सिडी प्राप्त आयातों की मात्रा के संबंध में, निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा यह विचार किया जाना जरूरी है कि क्या सब्सिडी प्राप्त आयातों में या तो कुल रूप में अथवा भारत में उत्पादन या खपत के सापेक्ष उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।

विवरण	इकाई	2019-20	2020-21	2021-22	पीओआई (ए)		
संबद्ध आयात	मी.टन	15,025	4,200	8,179	16,920		
अन्य आयात	मी.टन	12,232	6,767	6,093	4,666		
कुल आयात	मी.टन	27,257	10,966	14,272	21,587		
निम्न के संबंध में संबद्ध देशों के आयात							
भारतीय उत्पादन	%	4%	1%	2%	3%		
मांग	%	3%	1%	1%	2%		
कुल आयात	%	55%	38%	57%	78%		

102. यह देखा गया है कि:-

- क. सीवीडी और एडीडी के लागू होने के पश्चात वर्ष 2020-21 में आयातों में गिरावट आई। तत्पश्चात आयातों में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई क्योंकि आयातों को अन्य टैरिफ कोडों के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाना आरंभ हो गया, विशेष रूप से एचएस कोड 40118000 के अंतर्गत।
- ख. संबद्ध देश से आयातों ने भारत में कुल आयातों के संबंध में प्रधान हिस्सा धारित कर रखा है।
- ग. भारतीय उत्पादन और मांग के संबंध में संबद्ध देश से आयात इस समय प्रवृत्त प्रतिसंतुलनकारी शुल्क के कारण 4 प्रतिशत से नीचे बने हुए हैं।

ग. कीमत प्रभाव

103. कीमतों पर सब्सिडी प्राप्त आयातों के प्रभाव के संबंध में, यह विश्लेषण किए जाने की जरूरत है कि क्या भारत में समान उत्पादों की कीमत की तुलना में कथित आयातों द्वारा महत्वपूर्ण कटौती की गई है या क्या ऐसे आयातों के प्रभाव ने अन्यथा रूप से कीमतों में हास किया है या कीमतों में वृद्धि को रोका है जो अन्यथा सामान्य अविध में घटित हुई होती। संबद्ध देश से आयातों के कारण घरेलू उद्योग की कीमतों पर प्रभाव की कीमत कटौती, कीमत में न्यूनीकरण और कीमत हास, यदि कोई हो, के संदर्भ में जांच की गई है। इस विश्लेषण के प्रयोजनार्थ, घरेलू उद्योग के उत्पादन की लागत, क्षतिरहित कीमत (एनआईपी) और निवल बिक्री आय (एनएसआर) की संबद्ध देश से संबद्ध वस्तुओं के आयातों की पहुंच कीमत के साथ तुलना की गई है।

घ. कीमत कटौती

104. कीमत कटौती विश्लेषण के प्रयोजनार्थ, घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत की संबद्ध देश से पहुंच कीमत के साथ तुलना की गई है। पहुंच कीमत की संगणना संबद्ध देश से विचाराधीन उत्पाद के आयातों पर प्रयोज्य उचित सीमा शुल्क और अन्य शुल्कों को जोड़ने के पश्चात की गई है। तदनुसार, संबद्ध देश से सब्सिडी प्राप्त आयातों के कटौती प्रभाव निम्नानुसार है:

विवरण	इकाई	2019-20	2020-21	2021-22	पीओआई
निवल बिक्री प्राप्ति	रु./मी.टन	***	***	***	***

प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	102	108	119
सीवीडी के बिना पहुंच कीमत	रु./मी.टन	1,43,707	1,58,301	1,53,866	1,67,731
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	110	107	117
कीमत कटौती	रु./मी.टन	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	84	109	124
कीमत कटौती	%	***	***	***	***
रेंज	%	40-50%	30-40%	40-50%	45-55%

105. यह देखा गया है कि पूरी क्षति अवधि के दौरान कीमत कटौती सकारात्मक और महत्वपूर्ण बनी रही है।

ड. कीमत ह्रास और न्यूनीकरण

106. यह निर्धारित करने के लिए कि क्या संबद्ध आयात घरेलू कीमतों में ह्रास या न्यूनीकरण कर रहे हैं और क्या ऐसे आयातों का प्रभाव महत्वपूर्ण सीमा तक कीमतों में ह्रास कर रहा है या उनमें न्यूनीकरण कर रहा है, और क्या ऐसे आयातों के प्रभाव ने महत्वपूर्ण सीमा तक कीमतों में ह्रास किया है अथवा कीमतों में वृद्धि को रोका है जो अन्यथा सामान्य अविध में घटित हुई होती। क्षति अविध में लागतों और कीमतों में परिवर्तन की जांच की गई है। नीचे दी गई तालिका वास्तविक स्थिति को दर्शाती है:-

विवरण	इकाई	2019-20	2020-21	2021-22	पीओआई
बिक्रियों की लागत	सूचीबद्ध	***	***	***	***
प्रवृत्ति	रु./मी.टन	100	96	112	119
बिक्री कीमत	सूचीबद्ध	***	***	***	***
प्रवृत्ति	रु./मी.टन	100	102	108	119
सीवीडी के बिना पहुंच कीमत	सूचीबद्ध	***	***	***	***
प्रवृत्ति	रु./मी.टन	100	110	107	117

107. यह देखा गया है कि लागू किए गए शुल्कों के कारण इस समय आयात कीमतों में ह्रास / न्यूनीकरण नहीं कर रहे हैं। शुल्क को समाप्त किए जाने की स्थिति में, आयातों द्वारा महत्वपूर्ण रूप से घरेलू उद्योग की कीमतों में ह्रास / न्यूनीकरण किए जाने की संभावना है, यह देखते हुए कि आयातों की पहुंच कीमत बिक्रियों की कीमत से कम है यह देखा गया है कि संबद्ध आयातों की पहुंच कीमत घरेलू उद्योग के लिए कच्चे माल के कारण लागत से कम है।

ढ. घरेलू उद्योग से संबंधित आर्थिक मापदंड

i.क्षमता, उत्पादन, क्षमता उपयोग और बिक्रियां

108. क्षति अवधि में घरेलू उद्योग की क्षमता, उत्पादन, बिक्रियां और क्षमता उपयोग नीचे तालिका में दिए गए हैं:

विवरण	इकाई	2019-20	2020-21	2021-22	पीओआई (ए)
स्थापित क्षमता	मी.टन	***	***	***	***
उत्पादन	मी.टन	***	***	***	***
क्षमता उपयोग	%	68%	69%	78%	83%
घरेलू बिक्रियां	मी.टन	***	***	***	***
निर्यात बिक्रियां	मी.टन	***	***	***	***

प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	96	142	131

- 109. यह देखा गया है कि:
 - i. क्षति अवधि में घरेलू उद्योग की स्थापित क्षमता और उत्पादन में वृद्धि हुई है।
 - ii. घरेलू उद्योग के क्षमता उपयोग में वृद्धि हुई है।
 - iii. पूरी क्षति अवधि के दौरान घरेलू बिक्रियां बढ़ी हैं।
 - iv. कोविड महामारी के कारण 2020-21 में निर्यात बिक्रियों में गिरावट आई और तत्पश्चात इनमें वृद्धि हुई है।

ii. बाजार हिस्सा

110. घरेलू उद्योग, अन्य भारतीय उत्पादकों का बाजार हिस्सा, संबद्ध देशों और अन्य देशों से आयात नीचे तालिका में दर्शाए गए हैं:-

विवरण	इकाई	2019-20	2020-21	2021-22	पीओआई (ए)
घरेलू उद्योग	%	69.3%	74.6%	67.4%	64.6%
अन्य भारतीय उत्पादक	%	25.3%	23.2%	30.4%	34.8%
संबद्ध आयात	%	3.0%	0.8%	1.2%	2.0%
अन्य आयात	%	2.5%	1.3%	0.9%	0.5%

111. यह देखा गया है कि एडीडी सिहत सीवीडी को लागू करने के साथ 2020 में संबद्ध आयातों के बाजार हिस्से में गिरावट आई है। तत्पश्चात, संबद्ध आयातों के बाजार हिस्से में वृद्धि हुई, क्योंकि आयातों को अन्य टैरिफ कोडों के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाना आरंभ हो गया, विशेष रूप से एचएस कोड 40118000 के तहत । अन्य देशों से आयातों का स्तर महत्वपूर्ण रूप से निम्न बना हुआ है। 2021 के बाद से घरेलू उद्योग के हिस्से में गिरावट आई है, जबिक अन्य भारतीय उत्पादकों के हिस्से में वृद्धि हुई है। घरेलू उद्योग ने आरोप लगाया है कि उनकी बिक्रियों का लगभग 2/3 हिस्सा ओईएम में है और आयात केवल पश्च बाजार ऑफ्टर मार्केट में उपस्थित है। अत:, घरेलू उद्योग ने आरोप लगाया है कि जहां आयातों का समग्र हिस्सा केवल 2 प्रतिशत के दायरे में उपस्थित है ऑफ्टर मार्केट में मांग में यह लगभग तीन गुना है।

iii. लाभप्रदता, नकद लाभ और नियोजित पूंजी पर आय

112. क्षति अवधि में घरेलू उद्योग के लाभ, नकद लाभ, पीबीआईटी और निवेशों पर आय नीचे तालिका में दिए गए हैं:

विवरण	इकाई	2019-20	2020-21	2021-22	पीओआई
लाभ/ (हानि)	रु./मी.टन	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	173	58	120
नकद लाभ	रु./मी.टन	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	145	76	105
ब्याज और कर पूर्व लाभ	रु./मी.टन	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	165	67	119
नियोजित पूंजी पर आय	%	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	137	64	114

113. यह देखा गया है कि:-

- i. क्षति अवधि में घरेलू उद्योग की लाभप्रदता में सुधार हुआ है सिवाय वित्तीय वर्ष 2020-21 में कोविड के कारण आई गिरावट के । इसी प्रकार, नकद लाभ और आर आरओसीई में भी सुधार हुआ है।
- ii. तथापि, घरेलू उद्योग की दीर्घावधिक लाभप्रदता खतरे में है। इस बात को देखते हुए कि आयातों की पहुंच कीमत बिक्रियों की लागत से निम्न है और यहां तक कि कच्चे माल के कारण घरेलू उद्योग की लागतों से भी कम है। यदि शुल्क को हटा दिया जाता है तो आयातों की मात्रा के महत्वपूर्ण रूप से बढ़ने की संभावना है जिससे घरेलू उद्योग की दीर्घावधिक लाभप्रदता पर प्रभाव पड़ेगा।

iv. मालसूची

114. क्षति अवधि और पीओआई में घरेलू उद्योग के पास मालसूची की स्थिति नीचे तालिका में दी गई है:-

विवरण	इकाई	***	***	***	***
अथ शेष	मी.टन	***	***	***	***
अंत शेष	मी.टन	***	***	***	***
औसत मालसूची	मी.टन	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	88	75	75

115. यह देखा गया है कि घरेलू उद्योग के पास औसत मालसूची में पूरी क्षति अवधि में गिरावट आई है।

v. रोजगार, मजदूरी और उत्पादकता

116. क्षति अवधि में घरेलू उद्योग के रोजगार, मजदूरी और उत्पादकता नीचे तालिका में दी गई है:-

विवरण	इकाई	2019-20	2020-21	2021-22	पीओआई
कर्मचारियों की संख्या	सं.	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	114	123	120
वेतन और मजदूरी	लाख रु.	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	106	127	181
उत्पादकता प्रति दिन	मी.टन/दिन	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	105	129	187

117. यह देखा गया है कि कर्मचारियों की संख्या स्थिर बनी हुई है। भुगतान किए गए वेतनों और मजदूरियों में वृद्धि हुई है। क्षित अविध में उत्पादकता में वृद्धि हुई है। घरेलू उद्योग ने इस कारण क्षति का दावा नहीं किया है।

vi. वृद्धि

118. घरेलू उद्योग की वृद्धि इस प्रकार है:-

विवरण	इकाई	2019-20	2020-21	2021-22	पीओआई (ए)
उत्पादन	%	-	5%	23%	16%
मांग	%	-	1%	31%	26%
डीआई का बाजार हिस्सा	%	-	8%	-10%	-4%
घरेलू बिक्रियां	%	-	9%	18%	21%
क्षमता उपयोग	%	-	4	8	10
पीबीआईटी घरेलू	%	-	73%	-66%	106%

नकद लाभ	%	-	45%	-48%	39%
नियोजित पूंजी पर लाभ	%	-	37%	-53%	77%

119. यह देखा गया है कि घरेलू उद्योग की मात्रा संबंधी मापदंडों ने जून, 2019 में लागू सीवीडी के कारण क्षति अविध में लगातार वृद्धि दर्शायी है। कीमत मापदंडों में वृद्धि 2020-21 में सकारात्मक थी और 2021-22 में ऋणात्मक थी और वर्तमान पीओआई में एक बार फिर सकारात्मक थी।

vii. पूंजी निवेश जुटाने की क्षमता

120. यह देखा गया है कि क्षति अवधि में घरेलू उद्योग की उत्पादन क्षमता में वृद्धि हुई है। टायर उत्पादन अत्यधिक पूंजी गहन है। पिछले तीन वर्षों में, भारत में टायर उद्योग ने नए पूंजी सृजन में और विद्यमान क्षमताओं के लिए बाधाओं को दूर करने के लिए लगभग 4800 करोड़ रुपए निवेश किए हैं। वर्ष 2020-21 तक लाभों की प्रवृत्ति का अनुसरण करते हुए नियोजित पूंजी पर आय में वृद्धि हुई किंतु तत्पश्चात इस में गिरावट आई और पीओआई के दौरान इसमें सुधार हुआ।

viii. क्षति पर निष्कर्ष

121. संबद्ध वस्तुओं के आयात और घरेलू उद्योग के प्रदर्शन पर उनके प्रभाव की जांच से पता चलता है कि चीन पीआर से सब्सिडी वाले आयात की मात्रा में वृद्धि हुई है। भले ही मात्रा सीमित है, यह महत्वपूर्ण है कि इनमें से अधिकांश का आयात 40118000 के तहत किया गया है। आयात की पहुंच कीमत घरेलू उद्योग की कीमत और लागत से काफी कम है, इस प्रकार की स्थिति में महत्वपूर्ण कीमत और लागत में कटौती की संभावना दिखाई देती है। प्रतिकारी शुल्क की समाप्ति. घरेलू उद्योग को इसकी कीमतों पर कोई दमन/निराशाजनक प्रभाव नहीं पड़ा है। क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग का उत्पादन, क्षमता उपयोग और घरेलू बिक्री में वृद्धि हुई है। क्षति अवधि के दौरान लाभ, नकद लाभ और पूंजी कर्मचारी पर रिटर्न के मामले में घरेलू उद्योग के प्रदर्शन में भी सुधार हुआ है। प्राधिकरण का निष्कर्ष है कि घरेलू उद्योग को निरंतर क्षति नहीं हुई है। हालाँकि, चीन पीआर से सब्सिडी वाले आयात के साथ प्रतिस्पर्धा की तुलना में घरेलू उद्योग का प्रदर्शन नाजुक है, क्योंकि आयात का पहुंच मूल्य घरेलू उद्योग की बिक्री मूल्य और उत्पादन लागत से काफी कम है।

ण. क्षति मार्जिन की मात्रा

- 122. प्राधिकरण ने जांच की अवधि के लिए घरेलू उद्योग द्वारा प्रदान की गई उत्पादन लागत से संबंधित जानकारी/डेटा को अपनाकर घरेलू उद्योग के लिए एनआईपी निर्धारित किया है। एनआईपी पर क्षति मार्जिन की संगणना के लिए संबद्ध देश से पहुंच कीमत की तुलना करने के लिए विचार किया गया है। क्षतिरहित कीमत का निर्धारण करने के लिए, क्षति अवधि में घरेलू उद्योग के कच्चे माल के सर्वोत्तम उपयोग पर विचार किया गया है। युटिलिटीज के साथ भी समान उपचार किया गया है। यह सुनिश्चित किया गया है कि उत्पादन की लागत के लिए किसी असाधारण या गैर-आवर्ती व्ययों को प्रभारित नहीं किया गया था। क्षतिरहित कीमत पर पहुंचने के लिए पीयूसी के लिए औसत नियोजित पूंजी (अर्थात औसत निवल निर्धारित परिसंपत्तियों सहित औसत कार्यशील पूंजी) पर एक उचित आय (कर पूर्व @ 22 प्रतिशत) को कर पूर्व लाभ के रूप में अनुमित दी गई थी। क्षति मार्जिन की संगणना करने के लिए इस प्रकार निर्धारित किए गए एनआईपी पर विचार किया गया है।
- 123. चूंकि, प्रतिभागी निर्यातकों ने दावा किया है कि उन्होंने पीओआई के दौरान भारत को संबद्ध वस्तुओं का निर्यात नहीं किया है, सभी निर्यातकों के लिए पहुंच कीमत को डीजीसीआई एंड एस से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर निर्धारित किया गया है।
- 124. उपर्युक्त अनुसार, निर्धारित पहुंच कीमत और एनआईपी के आधार पर, चीन जन. गण. से उत्पादकों / निर्यातकों के लिए क्षति मार्जिन को प्राधिकारी द्वारा परिकलित किया गया है और इसे नीचे तालिका में उपलब्ध कराया गया है।

उत्पादक	सभी उत्पादक
क्षतिरहित कीमत (रु./मी.टन)	***
पहुंच मूल्य (रु./मी.टन)	1,67,731
क्षति मार्जिन	***

क्षति मार्जिन (%)	***%
क्षति मार्जिन (रेंज %)	40-50

त. कारणात्मक संबंध

125. नियमों के अनुसार, प्राधिकारी द्वारा अन्य बातों के साथ-साथ, सब्सिडी प्राप्त आयातों के अलावा ऐसे ज्ञात कारकों की जांच किया जाना जरूरी है जो घरेलू उद्योग को क्षित पहुंचा रहे हैं या क्षित पहुंचाने की संभावना है ताकि इन अन्य कारकों के कारण हुई क्षित को सब्सिडी प्राप्त आयातों के कारण हुई न माना जाए। जहां वर्तमान जांच एक निर्णायक समीक्षा जांच है और मूल जांच में कारणात्मक संबंध की पहले ही जांच की जा चुकी है, प्राधिकारी द्वारा जांच की गई कि क्या अन्य ज्ञात सूचीबद्ध कारकों ने घरेलू उद्योग को क्षित पहुंचाई है या क्षित पहुंचाने की संभावना है। इस बात की जांच की गई कि क्या नियमों के अंतर्गत सूचीबद्ध अन्य कारकों ने घरेलू उद्योग द्वारा सामना की जा रही क्षित में योगदान किया है या योगदान करने की संभावना है।

क) तीसरे देशों से आयातों की मात्रा और मूल्य

126. यह देखा गया गया है कि असंबद्ध आयातों की मात्रा काफी कम है। इसके अतिरिक्त, घरेलू उद्योग ने वर्तमान मामले में लगातार क्षति का दावा नहीं किया है।

ख) मांग में संकुचन या खपत की पद्धति में परिवर्तन

127. क्षति अवधि में पीयूसी की मांग में लगातार वृद्धि हुई है। इसलिए, घरेलू उद्योग ने मांग में संभावित संकुचन के कारण क्षति का सामना नहीं किया है।

ग) विदेशी और घरेलू उत्पादकों के बीच व्यापार प्रतिबंधित पद्धतियां और प्रतिस्पर्धा

128. प्राधिकारी नोट करते हैं कि कोई व्यापार प्रतिबंधित पद्धति नहीं है।

घ) प्रौद्योगिकी में परिवर्तन

129. प्राधिकारी नोट करते हैं कि उत्पाद के उत्पादन के लिए प्रौद्योगिकी में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। इसके अलावा, उत्तर देने वाले उत्पादक ने भी यह नहीं कहा है कि प्रौद्योगिकी में कोई परिवर्तन हुआ है।

ड.) निर्यात निष्पादन

130. प्राधिकारी ने घरेलू और निर्यात प्रचालनों के लिए पृथक आंकड़ों पर भरोसा किया है जिस सीमा तक वे कर सकते थे।

च) अन्य उत्पादों का निष्पादन

131. प्राधिकारी ने केवल संबद्ध वस्तुओं के निष्पादन से संबंधित आंकड़ों पर विचार किया है।

छ) कारण संबंध स्थापित करने वाले पैरामीटर

132. निम्नलिखित पैरामीटर चीनी आयात और शुल्क समाप्ति की स्थिति में घरेलू उद्योग को चोट की संभावना के बीच कारणात्मक संबंध स्थापित करते हैं।

जांच अवधि के दौरान चीन से पीयूसी के सीआईएफ आयात मूल्य के साथ घरेलू उद्योग की कच्चे माल की लागत की तुलना

विवरण	इकाई	POI
कच्चे माल की कुल लागत	₹/एमटी	***
रूपांतरण लागत	₹/एमटी	***
अन्य लागत	₹/एमटी	***
निश्चित लागत और रिटर्न	₹/एमटी	***
सीआईएफ आयात मूल्य	₹/एमटी	1,46,888

क. चीन पीआर से आयात की पहुंच कीमत घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत, उत्पादन लागत और गैर-हानिकारक कीमत से कम है। चीन पीआर से सीआईएफ आयात मूल्य घरेलू उद्योग के लिए कच्चे माल की लागत से कम है। वर्तमान जांच अविध में कीमत में कटौती महत्वपूर्ण है। इसलिए, काउंटरवेलिंग शुल्क की समाप्ति की स्थिति में, घरेलू उद्योग को कीमत में कटौती का सामना करना पड़ सकता है। कीमत में कटौती की सीमा के परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत में गिरावट आएगी और परिणामस्वरूप लाभ, नकद लाभ और घरेलू उद्योग द्वारा अर्जित निवेश पर रिटर्न पर प्रतिकुल प्रभाव पड़ेगा।

41

ख. चीन पीआर में अप्रयुक्त उत्पादन क्षमताओं की बड़ी मात्रा को देखते हुए, चीनी उत्पादकों द्वारा किए गए क्षमता विस्तार और जिस कीमत पर चीनी उत्पादकों ने तीसरे देश में उत्पाद का निर्यात किया है, सकारात्मक मूल्य कटौती के साथ मिलकर, उत्पाद के आयात में तेजी से वृद्धि होने की संभावना है। काउंटरवेलिंग शुल्क समाप्त होने की स्थिति में घरेलू उद्योग को बाजार में बिक्री घटने की संभावना है। काउंटरवेलिंग शुल्क की समाप्ति की स्थिति में अल्प अविध में आयात में वृद्धि से घरेलू उद्योग की बिक्री, उत्पादन, क्षमता उपयोग और बाजार हिस्सेदारी में महत्वपूर्ण गिरावट आने की संभावना है।

थ. क्षति के जारी रहने या पुनरावृत्ति की संभावना

133. किसी समीक्षा जांच में, प्राधिकारी द्वारा यह निर्धारित किया जाना जरुरी है कि क्या सब्सिडी दिया जाना जारी है अथवा इसके जारी रहने की संभावना है। इसके अतिरिक्त, प्राधिकारी यह निर्धारित करते हैं कि क्या घरेलू उद्योग को क्षति के जारी रहने अथवा सब्सिडी प्राप्त आयातों के कारण आवृत्ति होने की संभावना है यदि शुल्क को समाप्त किए जाने की अनुमित दी जाती है।

थ.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुराध

- 134. संभावना के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित निवेदन किए गए हैं:-
 - i. निर्यातकों द्वारा प्रश्नावली के भाग-II को दायर करना जरूरी नहीं है क्योंकि यह पाटनरोधी शुल्क जांच से संबंधित है।
 - ii. उत्पाद को प्रतिबंधित श्रेणी में रखा गया है और आयातों में अत्यधिक कमी हुई है।
 - iii. चीनी उत्पादकों की क्षमता और तीसरे देश के निर्यात अप्रासंगिक है, क्योंकि चीन भारत को नगण्य मात्राओं में निर्यात कर रहा है।
 - iv. घरेल उद्योग क्षति के घेरे में नहीं है, क्योंकि इसकी लाभप्रदता बढ़ी है।

थ.2 <u>घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध</u>

- 135. संभावना के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए थे:-
 - i. निर्यातक संभावना के संबंध में प्रश्नावली के भाग-II के उत्तर दायर करने में असफल रहे। इसलिए प्राधिकारी को याचिकाकर्ताओं द्वारा दायर की गई रिकार्ड पर उपलब्ध सूचना के आधार पर होने वाली संभावना संबंधी निष्कर्ष देना पड़ा।
 - ii. घरेलू उद्योग निवेश पर निम्न आय और पीओआई के दौरान आयातों में महत्वपूर्ण वृद्धि के कारण क्षति के प्रति असुरक्षित है।
 - iii. सब्सिडी का जारी रहना दर्शाता है कि शुल्क के समाप्त होने पर घरेलू उद्योग पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा।
 - iv. चीन द्वारा तीसरे देश से निर्यात क्षतिकारक और कीमत आकर्षक मात्रा में है।
 - v. बहुत से देशों जैसे यूएसए, यूरोप, दक्षिण अफ्रीका, यूरेशियन आर्थिक संघ ने चीन से संबद्ध वस्तुओं के अनुचित निर्यातों के विरुद्ध व्यापार उपचारात्मक उपाय लागू किए हैं।
 - vi चीन के लिए निर्यात बाजार और सीमित हैं क्योंकि चीनी उत्पादक पूरे विश्व में विभिन्न देशों में विनिर्माण सुविधाओं को अधिप्राप्त या स्थापित कर रहे हैं।
 - vii. उत्पादकों ने क्षति अवधि में महत्वपूर्ण क्षमता वृद्धि की हैं।

viii. रेडियलाइजेशन और प्रतिस्थापन बाजार के लिए भारी क्षमता पर विचार करते हुए उत्पादकों के लिए भारत एक आकर्षक बाजार है।

थ.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

- 136. क्योंकि प्रतिभागी निर्यातक संभावना संबंधी मापदंडों के संबंध में सूचना उपलब्ध कराने में असफल रहा है, प्राधिकारी ने याचिका में उपलब्ध तथ्यों, दिनांक 25 मार्च, 2019 की मूल सब्सिडीरोधी जांच में अंतिम जांच परिणामों, और दिनांक 16 सितंबर, 2022 की पाटनरोधी निर्णायक समीक्षा, जो हाल ही में समाप्त की गई है, में अंतिम जांच परिणामों के आधार पर संभावना का निर्धारण किया है।
- 137. निम्नलिखित मापदंड प्रतिसंतुलनकारी शुल्क को समाप्त किए जाने की स्थिति में सब्सिडी के जारी रहने और घरेलू उद्योग को परिणामी क्षति को दर्शाते हैं।

i. <u>आयातों में महत्वपूर्ण वृद्धि</u>

138. पीओआई के दौरान आयातों में वृद्धि की उल्लेखनीय शुल्क को समाप्त किए जाने की स्थिति में महत्वपूर्ण रूप से बढ़े हुए आयातों की संभावना की ओर संकेत करती है।

ii. <u>सब्सिडी का सि</u>लसिला जारी

139. रिकार्ड पर उपलब्ध आंकड़े स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं कि संबद्ध वस्तुओं के उत्पादन के लिए चीनी उत्पादकों को महत्वपूर्ण सब्सिडीज उपलब्ध कराई जा रही है। सब्सिडीज के जारी रहने की संभावना निर्विवाद है जैसािक निर्यातकों की वार्षिक रिपोर्टों से प्रमाणित होता है। ऐसी स्थिति में, शुल्कों के अभाव में क्षिति की आवृत्ति होने की संभावना है।

iii. तीसरे देशों से क्षतिकारक और कीमत आकर्षक निर्यात

140. नीचे दी गई तालिका चीन से विभिन्न तीसरे देशों को निर्यातों की मात्रा और घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत और एनआईपी के साथ इसकी तुलना को दर्शाती है:-

उत्पादक	मात्रा मी.टन
	(वार्षिकी)
तीसरे देशों को कुल निर्यात	41,30,674
क्षतिरहित कीमत पर निर्यात	39,79,906
क्षतिरहित कीमत पर निर्यातों का हिस्सा	96%
कीमत आकर्षक मात्रा पर निर्यात	39,48,479
कीमत आकर्षक मात्रा का हिस्सा	96%
भारत में मांग के लिए क्षतिरहित निर्यातों का हिस्सा	466%
भारत में मांग के प्रति आकर्षक निर्यातों का हिस्सा	463%
भारत में मांग	8,53,683

स्रोत: ट्रेडमैप

141. यह देखा गया है कि एनआईपी से और भारत में बिक्री कीमत से निम्न कीमत पर तीसरे देशों को निर्यातों की मात्रा सकल भारतीय मांग से बहुत अधिक है।

iv. तीसरे देशों को चीन से निर्यातों पर उपाय

- 142. घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया है कि चीन जन. गण. से संबद्ध आयातों पर बहुत से व्यापार उपचार उपाय मौजूद हैं।
- 143. यह देखा जा सकता है कि चीन में निर्यातक तीसरे देशों में पाटित / रियायती मूल्यों पर महत्वपूर्ण मात्रा का निर्यात कर रहे हैं। यूरोप और यूएसए प्राधिकरणों ने चीन से रियायती टायर निर्यातों को प्रतिसंतुलित किया है। इसके अतिरिक्त, यूएसए, यूरोप, मिस्र, यूरेशियन आर्थिक संघ और दक्षिण अफ्रीका में इस समय चीन से संबद्ध वस्तुओं के

विरुद्ध पाटनरोधी शुल्क प्रवृत्त है। पहले ब्राजील, टर्की और कोलंबिया ने भी शुल्क लागू किए थे। यूरेशियन आर्थिक संघ द्वारा पहले लागू किए गए शुल्कों की प्रवंचना भी पाया गया है। अन्य क्षेत्राधिकारों में ये उपाय संबद्ध देशों से निर्यातों के अनुचित स्वरूप को स्थापित करते हैं।

देश	जांच	उत्पाद	शुल्क	आरोपण
ब्राजील	पाटनरोधी	बसों और ट्रकों के लिए प्रयुक्त	1.12 - 2.59	जून 09
	पाटनरोधी	रेडियल निर्माण (20", 22" और 22.5" डायमीटर) के टायर	डॉलर प्रति कि.ग्रा.	अप्रैल-15
टर्की	पाटनरोधी	रबड़ के नए न्यूमेटिक टायर	सीआईएफ मूल्य का 60%	जून 11
कोलंबिया	पाटनरोधी	शीर्ष 4011.20.10.00. के अंतर्गत रेडियल टायर्स	प्रति कि.ग्रा. 5.37 डॉलर का बेंचमार्क	जून-13
मिस्र	पाटनरोधी	बसों और लॉरियों के लिए टायर	सीआईएफ मूल्य का 3.8% - 60%	फरवरी-14
यूरेशियन आर्थिक संघ	पाटनरोधी	नए ट्रक टायर	14.79% - 35.35%	नवंबर 15
ईयू	पाटनरोधी	बसों या लॉरियों के लिए टायर (नए और रीट्रीटिड)	€0.37 - €38.98 प्रति मद	नवंबर-18
× 7.	सब्सिडीरोधी	बसों या लॉरियों के लिए टायर (नए और रीट्रीटिड)	€3.75 - €57.28 प्रति मद	नवंबर-18
201211	पाटनरोधी	एक ट्रक अथवा बस आकार के पद के साथ, रबड़ के नए न्यूमेटिक टायर	9% - 22.57%	फरवरी-19
यूएसए	सब्सिडीरोधी	एक ट्रक अथवा बस आकार के पद के साथ, रबड़ के नए न्यूमेटिक टायर	38.61%- 52.04%	फरवरी-19
मिस्र	पाटनरोधी	बसों और लॉरियों के लिए टायर	9.8% से 36.9%	मार्च-21
यूरेशियन आर्थिक संघ	एडीडी की प्रवंचनारोधी	ट्रक टायरों पर शुल्कों की प्रवंचना। एडीडी को एचएस कोड 8708.70.990.9 के तहत आयातों पर विस्तारित किया गया।	14.79% - 35.35%	अक्टूबर-22
दक्षिण अफ्रीका	पाटनरोधी	यात्रियों के लिए रबड़ के न्यूमेटिक टायर, ट्रक और बस टायर	7.18% से 43.6%	जुलाई-23
यूनाइटेड किंगडम	सब्सिडीरोधी और पाटरोधी संक्रमण समीक्षा	121 से अधिक इंडेक्स भार के साथ बसों अथवा लॉरियों के लिए प्रयुक्त एक प्रकार के रबड़ के न्यूमेटिक टायर, नए या रीट्रीटिड।	समीक्षा आरंभ, यदि ईयू उपाय यूके तक बढ़ाया जाना चाहिए।	मई-23

- 144. यह देखा जा सकता है कि अन्य क्षेत्राधिकारों में लागू शुल्क की मात्रा भारत में लागू शुल्क (9 प्रतिशत 17.5 प्रतिशत) की दर से उल्लेखनीय रूप से उच्च है।
 - v. <u>तीसरे देशों में ऐसे चीन के विनिर्माण की मात्रा कम हो रही है जिसे इन बाजारों में चीनी उत्पादकों द्वारा</u> <u>बेचा जा सकता है और इसके परिणामस्वरूप भारत में आयात बढ़ने की संभावना है।</u>
- 145. तीसरे देशों में संयंत्रों की स्थापना द्वारा संबद्ध वस्तुओं के चीनी विनिर्माण के विस्तार ने तीसरे देशों में निर्यातकों के लिए संबद्ध वस्तुओं के लिए बाजार को घटाया है। वर्तमान सीवीडी को समाप्त किए जाने की स्थिति में, विशेष रूप से सीवीडी के अभाव में भारत चीनी उत्पादकों द्वारा संबद्ध वस्तुओं के व्यापार विपथन का लक्ष्य होगा।
 - vi. <u>चीन के उत्पादकों द्वारा महत्वपूर्ण क्षमता वृद्धि</u>
- 146. दिनांक 16 सितंबर, 2022 के अंतिम जांच परिणामों में, प्राधिकारी ने नोट किया है कि संबद्ध देश में निर्यातकों के पास -
 - क. भारतीय मांग की तुलना में बहुत अधिक क्षमता है।
 - ख. महत्वपूर्ण अप्रयुक्त क्षमताएं मौजूद हैं जिनका वर्तमान शुल्कों को समाप्त किए जाने की स्थिति में भारत को निर्यात के लिए उपयोग किए जाने की संभावना है।
- 147. संबद्ध देश के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा उपलब्ध अन्य सूचना संबद्ध देश में विनिर्माताओं द्वारा अपनाए गए महत्वपूर्ण क्षमता वृद्धि और विस्तारों को दर्शाती है।

क्र.सं.	उत्पादक	अवधि	क्षमता वर्धन		
1	शेडोंग लिंगलोंग टायर	फरवरी 2018	उत्पादन गुआनंक्शी संयंत्र में आरंभ किया गया।²		
		नवंबर 2019	उत्पादन हुबेई संयंत्र में आरंभ किया गया था। संयंत्र की क्षमता 2.4 मिलियन टीबीआर टायर प्रति वर्ष की है।³		
		अप्रैल 2020	चांगचुन में नए संयंत्र का निर्माण कार्य चल रहा है। संयंत्र की क्षमता 120 मिलियन रेडियल टायर प्रति वर्ष है।. ⁴		
2	डबलस्टार टायर	नवंबर 2019	डबल स्टार डांगफेंग संयंत्र में उत्पादन आरंभ किया गया।5		
3	गुआंग्शी न्यू गुइलुन रबड़	2019	1.5 मिलियन टीबीआर टायर्स प्रति वर्ष की क्षमता के साथ नए संयंत्र की स्थापना ⁶		
4	एओलस हाओयू	2017	तैयुआन में एक कारखाने का अधिग्रहण ⁷		
5	जिलिन लिंगलोंग	2019	जिंगमेन, चीन में हुबेई लिंगलांग टायर कंपनी लि० कारखाने पर टीबीआर उत्पादन के लिए नया संयंत्र आरंभ किया गया।8		
6	प्रिंक्स चेंगशान (शेडोंग) टायर	2020	385मिलियन टायर प्रति वर्ष के क्षमता विस्तार के लिए बोर्ड से अनुमोदन। परियोजना के 2021 की चौथी तिमाही तक प्रचालन आरंभ किए जाने की संभावना है। ⁹		

² https://www.tyrepress.com/2019/05/guangxi-linglong-tire-starts-earthmover-tyre-production/

³ https://www.tyrepress.com/2019/12/linglong-hubei-tbr-tyre-plant-officially-opens/

⁴ https://www.tirebusiness.com/news/linglong-starts-tire-production-new-factory

⁵ https://www.tirebusiness.com/manufacturers/doublestar-trials-new-tire-factory-shiyan-building-recycling-plant

⁶ http://en.skytire.cn/3/article_294.html

⁷ https://www.aeolustyre.biz/aeolus-history.html

⁸ https://www.tyrepress.com/2019/12/linglong-hubei-tbr-tyre-plant-officially-opens/

⁹ https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2021/0831/2021083100318.pdf

7	जिलिन लिंगलोंग	2021	टीबीआर टायर का उत्पादन चांगचुन, चीन में जिलिन लिंगलांग संयंत्र में आरंभ किया गया। संयंत्र वार्षिक रूप से 1.2 मिलियन टीबीआर टायर्स का उत्पादन कर सकता है। ¹⁰
8	झोंगसी रबड़	2022	शिनडेंग टाउन, फुयांग डिस्ट्रिक्ट, हांगझोऊ सिटी में जेड सी रबड़ की सहायक कंपनी अपनी उत्पादन क्षमता में 2.5 मिलियन टायर्स को शामिल करने की योजना कर रही है। ¹¹
9	हानकुक टायर्स	2023	हानकुक ने 16 महीनों के भीतर वार्षिक उत्पादन क्षमता को 9,00, 000 से 1.036 मिलियन तक बढ़ाने के लिए चांगलिंग फैक्ट्री की टीबीआर टायर क्षमता में विस्तार किया। ¹²

vii. भारतीय बाजार में संभावित मांग

148. घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया है कि रेडियलाइजेशन (पारंपरिक तिरछे टायरों से रेडियल टायरों में बदलना) भारतीय बाजार में वृद्धि के लिए एक प्रमुख कारक है। यह अनुरोध किया गया कि वित्तीय वर्ष 2020 की स्थिति के अनुसार भारत में 52 प्रतिशत ट्रक और बसें रेडियल टायरों पर चलते हैं जबिक चीन ने बहुत पहले 2012 में ही समान बाजार खंड में 90 प्रशित रेडियलाइजेशन प्राप्त कर लिया था। इसके अलावा, भारत प्रतिस्थापन बाजार खंड के लिए एक प्रमुख बाजार है।

viii. संभावना संबंधी निष्कर्ष

149. सीवीडी शुल्क लगाए जाने से घरेलू उद्योग के आर्थिक मापदंडों में सुधार हुआ है। हालाँकि, 40118000 के तहत पीओआई के दौरान आयात में पर्याप्त वृद्धि से आयात में वृद्धि की संभावना स्थापित होती है यदि वर्तमान शुल्क को समाप्त करने की अनुमित दी जाती है। चोट की संभावना चीनी उत्पादकों को सब्सिडी जारी रखने, बिक्री मूल्य, उत्पादन लागत और घरेलू उद्योग के लिए गैर-हानिकारक मूल्य से काफी कम कीमत पर चीन से दुनिया के बाकी हिस्सों में बहुत महत्वपूर्ण निर्यात द्वारा स्थापित की गई है। चीन में महत्वपूर्ण क्षमता वृद्धि, भारत में कीमत से कम कीमत पर तीसरे देशों को वर्तमान महत्वपूर्ण निर्यात के अलावा अप्रयुक्त क्षमताओं का अस्तित्व, काउंटरवेलिंग शुल्क की समाप्ति की स्थिति में भारत में आयात में पर्याप्त वृद्धि की संभावना को दर्शाता है। वैश्विक स्तर पर कई देशों द्वारा व्यापार सुधारात्मक उपायों का अस्तित्व भारतीय उद्योग को चोट लगने की संभावना को और अधिक स्थापित करता है।

द. भारतीय उद्योग का हित और अन्य मुद्दे

द.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

- 150. भारतीय उद्योग के हित के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित निवेदन किए गए हैं:
 - i. शुल्क को जारी रखना सार्वजनिक हित के विपरीत होगा।
 - ii. वर्तमान शुल्क ने अपना उद्देश्य पूरा कर लिया है और इसे समाप्त किए जाने की जरूरत है।

द.2 घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

- 151. भारतीय उद्योग के हित के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:-
 - प्रयोक्ता / आयातक उद्योग से प्रतिभागिता का अभाव दर्शाता है कि उन पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ा है।
 - ii. अभिभावी शुल्क का प्रभाव सिर्फ 0.21 प्रतिशत मी. टन के.एम. आधारित है।
 - iii. सीवीडी आयातों को बंद नहीं करता। यह केवल उचित कीमतों पर आयातों को सुनिश्चित करता है।

¹⁰ https://www.tyrepress.com/2021/12/china-jilin-linglong-begins-truck-tyre-production/

¹¹ https://www.tyrepress.com/2022/08/zc-rubber-plans-to-add-a-2-5-million-tyres-production-capacity/

¹²https://www.tyrepress.com/2023/08/hankook-expands-chongqing-factorys-tbr-tyre-capacity/#:~:text=Specifically%2C the tyre manufacturer plans Hankook expands Chongqing factory's TBR tyre capacity - Tyrepress

- iv. संबद्ध आयात पूर्ण रूप से अनावश्यक है, क्योंकि देश में कोई मांग आपूर्ति अंतर विद्यमान नहीं है। घरेलू उद्योग के पास देश की संपूर्ण मांग को पूरा करने के लिए अत्यधिक क्षमताएं मौजूद हैं।
- v. बहुत से घरेलू उत्पादकों के मध्य स्वस्थ पारस्परिक प्रतिस्पर्धा है। यह उपभोक्ताओं के लिए उचित कीमतों पर लगातार आपूर्ति को सुनिश्चित करता है।
- vi भारतीय उद्योग मुख्य रूप से घरेलू बाजार से अपना कच्चा माल प्राप्त करता है। कच्चे माल में घरेलू बाजार में महत्वपूर्ण निवेश किए गए हैं जैसे टायर उद्योग के पृष्ठभूमि पर प्राकृतिक रबड़, पीबीआर, एसबीआर, कार्बन ब्लैक।
- vii. टायर उद्योग लगभग 20 लाख व्यक्तियों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार उपलब्ध कराता है। 2032 तक रोजगार सृजन के कम से कम 37 लाख तक बढ़ने की संभावना है।
- viii. भारतीय टायर उद्योग सतत और प्रमुख निर्यातकों में से एक है, जो वैश्विक रूप से 100 से अधिक बाजारों को टायरों की आपूर्ति कर रहा है। घरेलू उद्योग केवल तभी निर्यात बाजार पर ध्यान केंद्रित कर सकता है जब घरेलू बाजार में उचित प्रतिस्पर्धा को सुनिश्चित किया जाए। आवेदक कंपनियों ने स्वयं वित्तीय वर्ष 2022-23 में विदेशी मुद्रा विनिमय अर्जन में 5,777. 83करोड़ रुपयों का योगदान किया है।
- ix. घरेलू उद्योग ने उत्पादन के पर्यावरण अनुकूल तरीकों को अपनाया है। इसने सीएसआर गितविधियों पर भारी व्यय किया है जो निर्यातक नहीं करते।
- x. पिछले तीन वर्षों में भारत में टायर उद्योग ने टीबीआर खंड के लिए वर्तमान क्षमताओं के लिए अड़चनों को दूर करने और नए क्षमता सृजन में लगभग 4800 करोड़ रुपए निवेश किए हैं। लगातार निवेश को सुनिश्चित करने के लिए शुल्क को जारी रखना अनिवार्य है।

द.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

- 152. प्राधिकारी यह मानते हैं कि प्रतिकारी शुल्कों को लागू किया जाना भारत में उत्पाद के कीमत स्तरों को प्रभावित कर सकता है। तथापि, प्रतिसंतुलनकारी शुल्क को लागू करने के द्वारा भारतीय बाजार में उचित प्रतिस्पर्धा कम नहीं होगी। इसके विपरीत, सब्सिडीरोधी उपायों को लागू किए जाने से रियायतों के जिरए प्राप्त किए गए अनुचित लाभ दूर होंगे, घरेलू उद्योग के ह्वास को रोकेंगे और संबद्ध वस्तुओं के उपभोक्ताओं को व्यापक चयन की उपलब्धता को बनाए रखेंगे। सामान्यत:, प्रतिसंतुलनकारी शुल्क का उद्देश्य, सब्सिडी की अनुचित व्यापार पद्धित द्वारा घरेलू उद्योग को होने वाली क्षित को दूर करना है ताकि भारतीय बाजार में खुली और उचित प्रतिस्पर्धा की स्थिति को पुन: स्थापित किया जा सके जो देश के सामान्य हित में है। इसलिए, प्रतिसंतुलनकारी शुल्क को लागू किया जाना उपभोक्ताओं को उत्पाद की उपलब्धता को प्रभावित नहीं करेगा। यह किसी भी प्रकार से संबद्ध देश से आयातों को प्रतिबंधित नहीं करेगा।
- 153. प्राधिकारी ने आयातकों, उपभोक्ताओं और अन्य हितबद्ध पक्षकारों सहित सभी हितबद्ध पक्षकारों से मतों को आमंत्रित करते हुए राजपत्र अधिसूचना जारी की। प्राधिकारी ने उनके प्रचालनों पर सीवीडी के संभावित प्रभावों सहित वर्तमान जांच के संबंध में संगत सूचना उपलब्ध कराने के लिए आयातकों और उपभोक्ताओं के लिए एक प्रश्नावली भी निर्धारित की है।
- 154. हालांकि, प्राधिकारी ने सीवीडी के प्रभाव को मात्रात्मक रूप में बताने और यह स्पष्ट करने के लिए कि सीवीडी का विस्तार कैसे उन्हें विपरीत रूप से प्रभावित करेगा, प्रयोक्ताओं के लिए फार्मेट निर्धारित किए हैं, यह नोट किया गया है कि किसी भी हितबद्ध पक्षकार ने संगत सूचना उपलब्ध नहीं कराई है। अत: यह नोट किया गया है कि हितबद्ध पक्षकारों ने सत्यापन योग्य सूचना के साथ प्रयोक्ता उद्योग पर सीवीडी के विस्तार के किसी प्रभाव को स्थापित नहीं किया है।
- 155. प्राधिकारी नोट करते हैं कि आर्थिक हित प्रश्नावली का उत्तर केवल घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत किया गया था। विषय वस्तु के किसी भी उपभोक्ता या व्यापारी ने वर्तमान जांच में भाग नहीं लिया है, न ही आर्थिक हित प्रश्नावली का जवाब दिया है। इसके अलावा, यह नोट किया गया है कि किसी भी पक्ष ने लागू कर्तव्यों के महत्वपूर्ण प्रतिकूल प्रभाव को दिखाने के लिए कोई सबूत प्रस्तुत नहीं किया है। सबूतों की कमी और उपभोक्ताओं और आयातकों की

- चुप्पी प्राधिकरण की स्थिति को रेखांकित करती है और निष्पक्ष व्यापार प्रथाओं को सुनिश्चित करने के लिए प्रतिकारी शुल्क उपायों की आवश्यकता को पुष्ट करती है।
- 156. यह देखा गया है कि 2019 के बाद से भारत में पीयूसी की मांग 66% बढ़ गई है। ऑटोमोबाइल उद्योग भारत में फल-फूल रहा है और इसने वर्तमान कर्तव्यों के प्रतिकूल प्रभाव के किसी भी सबूत का संकेत नहीं दिया है।
- 157. घरेलू उद्योग ने इस बात पर प्रकाश डाला है कि शुल्कों का प्रभाव कम होने के कारण उपभोक्ताओं पर शुल्कों का प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है। उपभोक्ता पर प्रभाव की गणना प्रति एमटी प्रति किलोमीटर के आधार पर की गई है। एक टायर की औसत आयु 120,000 किलोमीटर और एक ट्रक की वहन क्षमता 15 एमटी लेने पर, प्रचलित शुल्क का प्रभाव मात्र 0.21% आता है जैसा कि नीचे दी गई तालिका से देखा जा सकता है। यह माना जा रहा है कि टायर की कीमतें भारतीय उद्योग द्वारा लगाए गए काउंटरवेलिंग शुल्क की मात्रा के कारण बढ़ाई गई थीं। हालाँकि, घरेलू उद्योग की लाभप्रदता में बदलाव से यह नहीं पता चलता है कि घरेलू उद्योग ने काउंटरवेलिंग शुल्क की मात्रा से कीमतों में वृद्धि की थी। वास्तव में, लागत और कीमतों में बदलावों को ध्यान में रखते हुए, यह देखा जा सकता है कि घरेलू उद्योग ने लागत में वृद्धि को संबोधित करने के लिए आवश्यक कीमतों से लगभग 1.5% अधिक की वृद्धि की है। इस प्रकार, भले ही यह मान लिया जाए कि घरेलू उद्योग ने काउंटरवेलिंग शुल्क के कारण अपनी कीमतों में 1.5% की वृद्धि की है, यह देखा गया है कि अंतिम उत्पाद पर प्रभाव केवल 0.0322% था।

विवरण	इकाई	मात्रा
टायर का वजन	किग्रा	60
प्रति वाहन टायरों की संख्या	नग	14
प्रति वाहन टायर का वजन	किग्रा	840
सीआईएफ मूल्य	रु/किलो	180
सीवीडी	%	9.12%
सीवीडी	रु/किलो	16.42
प्रति वाहन सीवीडी	आईएनआर	13,789
टायर जीवन	कि.मी.	1,20,000
सीवीडी प्रति किमी	INR/किमी	0.11
ट्रक की क्षमता	मीट्रिक टन	15
सीवीडी	प्रति एमटी किमी	0.01
भाड़ा दर	प्रति एमटी किमी	3.6
प्रभाव का विश्लेषण	%	0.21%
घरेलू उद्योग द्वारा कीमत में वृद्धि	%	1.5%
सीवीडी के कारण संभावित प्रभाव	%	0.0322%

- 158. काउंटरवेलिंग शुल्क का विस्तार संबद्ध वस्तुओं के मूल्य स्तर को प्रभावित कर सकता है, उपभोक्ता पर शुल्क का प्रभाव नगण्य होगा। इसके अलावा, भारतीय बाजार में उचित प्रतिस्पर्धा को काउंटरवेलिंग शुल्क से कम नहीं किया जाएगा, खासकर यदि काउंटरवेलिंग शुल्क की वसूली घरेलू उद्योग को होने वाली क्षति के निवारण के लिए आवश्यक राशि तक सीमित है। प्रतिकारी शुल्क लगाने का उद्देश्य संबद्ध देश में निर्यातकों को सब्सिडी के प्रावधान से प्राप्त अनुचित लाभ को दूर करना है; घरेलू उद्योग को होने वाली क्षति को रोकने और विषय वस्तु के उपभोक्ताओं के लिए व्यापक विकल्प की उपलब्धता बनाए रखने में मदद करने के लिए।
- 159. प्राधिकरण आगे यह निर्धारित करता है कि प्रतिकारी शुल्क जारी रहने से भारत में संबद्ध वस्तुओं की कमी नहीं होगी। यह ध्यान दिया जाता है कि काउंटरवेलिंग शुल्क आयात को प्रतिबंधित नहीं करता है, बल्कि यह सुनिश्चित करता है कि आयात उचित मूल्य पर उपलब्ध हो। घरेलू उद्योग के पास आयात की वर्तमान मात्रा से अधिक अप्रयुक्त

- उत्पादन क्षमता है। घरेलू उद्योग से उत्पाद का महत्वपूर्ण निर्यात होता है। ड्यूटी जारी रहेगी बाजार में उत्पाद की उपलब्धता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। किसी भी स्थिति में, भारतीय उद्योग की संयुक्त क्षमताएं भारत में मांग से अधिक हैं, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि देश में पर्याप्त आपूर्ति बनी रहे।
- 160. प्रतिकारी शुल्क जारी रहने से कोई अनुचित व्यापार व्यवहार नहीं होगा क्योंकि भारत में पीयूसी के कई उत्पादक हैं जो बाजार में परस्पर प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं।
- 161. यह देखा गया है कि काउंटरवेलिंग ड्यूटी के कार्यकाल के दौरान घरेलू उद्योग में वृद्धि हुई है। जबिक मूल जांच के दौरान घरेलू उद्योग की क्षमताएं कम थीं, भारत में क्षमताएं बढ़ गई हैं। भारतीय टायर उद्योग ने करीब रु. का निवेश किया है. टीबीआर खंड में नई क्षमता निर्माण और मौजूदा क्षमताओं के लिए बाधाओं को दूर करने में 4,800 करोड़ रुपये।
- 162. यह देखा गया है कि भारत में क्षमताओं में वृद्धि के कारण, भारत अब पीयूसी के उत्पादन के लिए *आत्मनिर्भर* है। जबिक भारतीय टायर उद्योग भारत में लगभग पूरी मांग को पूरा कर रहा है, टायर उद्योग भी लगातार निर्यातकों में से एक रहा है, जो दुनिया भर के कई बाजारों में टायर की आपूर्ति करता है।
- 163. घरेलू उद्योग ने इस बात पर भी प्रकाश डाला है कि अपस्ट्रीम उद्योग ने टायर उद्योग और टायरों की मांग में वृद्धि के कारण भारत में कच्चे माल के उत्पादन में निवेश किया है। घरेलू उद्योग ने भारत में अपस्ट्रीम उद्योग के विकास को सुनिश्चित करने के लिए शुरू की गई विभिन्न आयात प्रतिस्थापन पहलों और संयुक्त विकास कार्यक्रमों पर भी प्रकाश डाला है जो घरेलू उद्योग द्वारा सक्रिय रूप से समर्थित हैं। भारतीय उद्योग ने पूर्वोत्तर क्षेत्रों में रबर उत्पादन बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) के सहयोग से *** करोड़ की परियोजना में भी निवेश किया है। यह भारत को रबर उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है।
- 164. प्राधिकरण आगे नोट करता है कि शुल्क लगाने की सिफारिश केवल तभी की जाती है जब अपेक्षित कानूनी आवश्यकताएं पूरी हो जाती हैं। रिकॉर्ड पर मौजूद जानकारी से यह भी पता चला है कि विचाराधीन उत्पाद के उपभोक्ताओं पर काउंटरवेलिंग शुल्क का प्रभाव नगण्य है, और प्राधिकरण का मानना है कि काउंटरवेलिंग शुल्क लगाना सार्वजनिक हित में होगा।

ध. पोस्ट प्रकटीकरण विश्लेषण

165. प्राधिकरण ने इन अंतिम निष्कर्षों में इच्छुक पार्टियों द्वारा प्रकटीकरण के बाद की गई सभी टिप्पणियों की प्रासंगिक समझी गई सीमा तक जांच की है। कोई भी प्रस्तुतिकरण जो पिछले प्रस्तुतिकरण का पुनरुत्पादन मात्र था और जिसकी प्राधिकरण द्वारा पर्याप्त रूप से जांच की गई थी, संक्षिप्तता के लिए दोहराया नहीं गया है।

ध.1 अन्य इच्छुक पार्टियों द्वारा प्रस्तुत प्रस्तुतियाँ

- 166. अन्य इच्छुक पार्टियों ने निम्नलिखित अनुरोध किये हैं:
 - i. 16 इंच से अधिक रिम व्यास वाले टायर पीयूसी तय करने के लिए निर्णायक मानदंड नहीं हो सकते। ऐसे टायर न केवल एचएस कोड 40118000 में आयात किए जाते हैं, बल्कि अन्य एचएस कोड 40117000 (कृषि या वानिकी वाहनों और मशीनों पर उपयोग किए जाने वाले टायर) और 40119000 (रबर के नए वायवीय टायर 4011 के किसी भी उप-शीर्षक के तहत कवर नहीं किए जाते हैं) के तहत भी आयात किए जाते हैं।
 - ii. मूल जांच के अंतिम निष्कर्षों में यह कहीं नहीं कहा गया है कि 16 इंच से ऊपर के टायरों को बसों और लॉरी/ट्रकों में उनके उपयोग के बावजूद पीयूसी माना जाता था।
 - iii. मूल जांच के समय, एचएस कोड 40118000 के तहत आयातित टायर केवल 16 इंच से अधिक के थे और फिर भी उन्हें एनपीयूसी माना जाता था।
 - iv. प्राधिकरण ने एचएस कोड 40118000 के तहत उन सभी 'आयात विवरणों' का स्पष्ट रूप से खुलासा नहीं किया है जिन्हें पीयूसी माना जाता है।
 - v. शुल्क तालिका में एचएस कोड 40118000 को शामिल करने से ऐसी स्थिति पैदा होगी जहां एचएस कोड 40118000 के तहत खनन टायरों का वास्तविक आयात भी काउंटरवेलिंग शुल्क के अधीन होगा।

- vi. यदि प्राधिकरण एचएस कोड 40118000 को शुल्क तालिका में शामिल करने का निर्णय लेता है, तो प्राधिकरण को स्पष्ट रूप से उल्लेख करना चाहिए कि एचएस कोड 40118000 के तहत आयातित निर्माण, खनन या औद्योगिक हैंडलिंग वाहनों और मशीनों पर उपयोग किए जाने वाले टायर पीयूसी के दायरे से बाहर हैं।
- vii. उत्तरदाताओं को 'असहयोगी' नहीं माना जा सकता है और केवल इसलिए शुल्क की व्यक्तिगत दर से इनकार नहीं किया जा सकता है क्योंकि कुछ जानकारी गायब मानी जा सकती है। जीएम बॉल्स एसएसआर (अप्रैल 2023) के मामले में, प्राधिकरण ने निर्यातक के लिए समान व्यक्तिगत शुल्क जारी रखने की सिफारिश की, भले ही यह पाया गया कि निर्यातक द्वारा दायर प्रतिक्रिया अधूरी थी।
- viii. आयात की कम मात्रा और घरेलू उद्योग के आर्थिक प्रदर्शन में सुधार को देखते हुए, प्रतिकारी शुल्क की निरंतरता , यदि कोई हो, 2 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। पिछले DGTR निष्कर्षों पर भरोसा रखा गया है।
- ix. प्रकटीकरण विवरण में सब्सिडी मार्जिन प्रदान नहीं किया गया है।
- x. डीजीटीआर 22% आरओसीई लागू करके घरेलू उद्योग को अनुचित सुरक्षा दे रहा है।

ध.2 घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत प्रस्तुतियाँ

- 167. घरेलू उद्योग ने निम्नलिखित प्रस्तुत किया है:
 - प्राधिकरण ने एचएस कोड 40118000 के तहत पीयूसी आयात को पीयूसी के दायरे में शामिल करने और मूल जांच के दौरान विचार किए गए उत्पाद विवरण और टायर विनिर्देशों के आधार पर काउंटरवेलिंग शुल्क लगाने का निर्णय लिया है।
 - ii. मूल जांच के दौरान, एचएस कोड 40118000 के तहत पीयूसी का आयात नहीं किया गया था। यह कर्तव्यों के उपचारात्मक प्रभाव को कमजोर करने वाली एक हालिया घटना है।
 - iii. केवल चीन में उत्पादक एचएस कोड 40118000 के तहत पीयूसी का निर्यात कर रहे हैं। किसी अन्य देश ने एचएस कोड 40118000 के तहत पीयूसी का निर्यात नहीं किया है, जो चीन में उत्पादकों द्वारा शुल्क से बचने का स्पष्ट इरादा दर्शाता है।
 - iv. प्राधिकरण ने उचित ही यह निर्धारित किया है कि सीमा शुल्क वर्गीकरण केवल सांकेतिक है और पीयूसी के दायरे के प्रतिकूल नहीं है। जब तक 16 इंच से अधिक रिम व्यास वाले ट्रक और बस टायर को एचएस कोड 40112010 और 40118000 दोनों के तहत आयात किया जाता है, तब तक इसे पीयूसी के दायरे में शामिल किया जाएगा और काउंटरवेलिंग शुल्क लगाया जाएगा।
 - v. मूल जांच में, प्राधिकरण ने पीयूसी का दायरा वाहन के अनुप्रयोग के आधार पर नहीं बल्कि उत्पाद विवरण के आधार पर निर्धारित किया था। यानी, "नए/अप्रयुक्त न्यूमेटिक रेडियल टायर जिनका नाममात्र रिम व्यास कोड 16 से ऊपर है" बसों और लॉरी/ट्रकों में उपयोग किया जाता है। ऐसी बसों और लॉरियों/ट्रकों का उपयोग सड़क पर या सड़क से बाहर किया जा सकता है। वाहन का अनुप्रयोग दायरे पर बाध्यकारी नहीं था। केवल टायर का प्रयोग बाइंडिंग था जो बसों और लॉरी/ट्रकों पर फिट करने के लिए है।
 - vi. भाग लेने वाले निर्यातक जांच में पूर्ण सहयोग करने में विफल रहे। निर्यातक न केवल निर्धारित प्रारूप में प्रतिक्रिया देने में विफल रहे हैं, बल्कि उन्होंने यह तर्क देकर प्राधिकरण को गलत तरीके से प्रस्तुत और गुमराह किया है कि उन्होंने केवल एनपीयूसी का निर्यात किया है। रिकॉर्ड पर आयात विवरण दिखाएगा कि निर्यात किए गए उत्पाद और कुछ नहीं बल्कि वही उत्पाद हैं जो वर्तमान में काउंटरवेलिंग शुल्क के अधीन हैं और मूल जांच के समय निर्यात किए गए सामान के समान हैं। यह निर्धारित करना प्राधिकरण का काम है कि निर्यात किए गए उत्पाद पीयूसी हैं या एनपीयूसी, न कि निर्यातकों को स्वयं निर्णय लेना है। इसके अलावा, निर्माता प्रश्लावली के भाग ॥ का जवाब देने में विफल रहे हैं जो संभावना मापदंडों का विश्लेषण करने के लिए महत्वपूर्ण है।

- vii. प्राधिकरण की पिछली प्रथा के अनुरूप, निर्णायक समीक्षा में निर्यातकों द्वारा असहयोग के मामलों में, प्राधिकरण को निर्यातकों पर प्रतिकूल तथ्य लागू करना चाहिए और मूल जांच में निर्धारित अवशिष्ट शुल्क की सिफारिश करनी चाहिए। निर्भरता इस पर रखी गई:
 - > चीन पीआर और रूस में उत्पन्न या निर्यात किए गए "रबर अनुप्रयोगों में प्रयुक्त कार्बन ब्लैक" के आयात से संबंधित सनसेट समीक्षा जांच, दिनांक 22 दिसंबर 2020।
 - रूस में उत्पन्न होने वाले या वहां से निर्यात होने वाले "फैथलिक एनहाइड्राइड" के आयात से संबंधित सनसेट समीक्षा जांच, दिनांक 5 जनवरी 2021।
 - > चीन पीआर में मूल रूप से या वहां से निर्यात किए गए "एमोक्सिसिलिन/एमोक्सिसिलिन ट्राइहाइड्रेट" के आयात पर लगाए गए एंटी-डंपिंग शुल्क की सूर्यास्त समीक्षा, दिनांक 15 फरवरी 2022।

ध.3 प्राधिकरण की परीक्षा

168. प्राधिकरण का विश्लेषण इस प्रकार है:

- . इस तर्क के संबंध में कि प्रकटीकरण विवरण में सब्सिडी मार्जिन प्रदान नहीं किया गया है, यह स्पष्ट किया जाता है कि वर्तमान मामला एक निर्णायक समीक्षा है और जांच का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि क्या चीनी उत्पादकों को काउंटरवेलेबल सब्सिडी से लाभ मिलता रहेगा जैसा कि इसमें सुनिश्चित किया गया है। मूल जांच. प्राधिकरण ने जांच की है कि क्या मूल जांच के दौरान निर्धारित प्रतिसंतुलन योग्य योजनाएं जारी हैं, और क्या उक्त योजनाओं के तहत निरंतर लाभ प्राप्त होने का सबूत है। घरेलू उद्योग ने नई योजनाओं का आरोप लगाया है, लेकिन मात्रा निर्धारण के लिए जानकारी उपलब्ध नहीं कराई है।
- ii. इच्छुक पार्टियों ने असहयोग को प्राथमिकता दी है। चीन सरकार ने न केवल ठोस प्रतिक्रिया दाखिल की है, बिल्क इसे केवल भाग लेने वाले निर्यातक तक ही सीमित कर दिया है, वह भी सभी प्रासंगिक जानकारी और सबूत प्रदान किए बिना। इसलिए प्राधिकरण ने नई योजनाओं में लाभ की मात्रा निर्धारित करने के घरेलू उद्योग के तर्क को स्वीकार नहीं करने का निर्णय लिया है। चीनी उत्पादकों ने यह दावा नहीं किया है कि लाभ की मात्रा में काफी गिरावट आई है, न ही यह स्थापित किया है कि काउंटरवेलिंग शुल्क मार्जिन की पुनर्गणना कैसे की जानी चाहिए। इसलिए, प्राधिकरण ने अपने निर्धारण को इस जांच तक सीमित कर दिया है कि क्या चीनी उत्पादकों को प्रतिसंतुलन योग्य सब्सिडी कार्यक्रमों से लाभ मिलता रहेगा।
- iii. जहां तक इस तर्क का संबंध है कि ड्यूटी पर बने रहना दो साल से अधिक नहीं होना चाहिए। इस संबंध में इच्छुक पार्टियों ने उपायों की अविध को दो साल तक सीमित करने के लिए पर्याप्त औचित्य प्रदान नहीं किया है। प्राधिकरण मानता है कि काउंटरवेलिंग शुल्क की सामान्य अविध पांच वर्ष है और प्राधिकरण यह निर्धारित करता है कि काउंटरवेलिंग शुल्क को आगे बढ़ाया जाना चाहिए या नहीं। सामान्य परिस्थितियों में, प्राधिकरण अविध को पांच साल तक बढ़ाने की सिफारिश करता है।
- iv. इसके अलावा, प्राधिकरण का मानना है कि चूंकि उपायों का विस्तार निरंतर सब्सिडी की संभावना और काउंटरवेलिंग शुल्क की समाप्ति की स्थिति में घरेलू उद्योग को चोट लगने की संभावना के आधार पर है, इसलिए विस्तार की अविध को छोटी अविध तक सीमित करने का कोई औचित्य नहीं है। वास्तव में, घरेलू उद्योग ने चीन से विश्व स्तर पर विभिन्न देशों में सब्सिडी वाले और हानिकारक निर्यात की मात्रा दिखाई है जो भारतीय खपत से काफी अधिक है।
- v. इसके अलावा, सकल घरेलू मांग को ध्यान में रखते हुए, चीनी उत्पादकों के पास अप्रयुक्त क्षमताओं की सीमा काफी महत्वपूर्ण है। अतीत में, आयात की कम मात्रा और घरेलू उद्योग के आर्थिक प्रदर्शन में सुधार से जुड़े मामलों में भी, प्राधिकरण ने पूरे पांच वर्षों के लिए शुल्क जारी रखने की सिफारिश की है। इसमें "चीन और थाईलैंड से ग्राइंडिंग मीडिया बॉल्स", "एल्यूमीनियम मिश्र धातु रोड व्हील्स" और "फ्लैट बेस स्टील व्हील्स" में किए गए हालिया निर्धारण शामिल हैं।
- vi. वर्तमान मामले में, आयात की मात्रा उन उत्पादों की तुलना में अधिक है। प्राधिकरण यह भी नोट करता है कि घरेलू उद्योग के पास देश में उत्पाद की मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त क्षमता है, उसने क्षमता विस्तार

किया है और महत्वपूर्ण मात्रा में निर्यात कर रहा है। इसलिए, प्राधिकरण को इस उपाय को अगले 5 वर्षों तक जारी रखने की सिफारिश करना उचित लगता है।

51

- vii. प्राधिकारी का कहना है कि यह तर्क देते हुए कि समान विवरण के उत्पादों को 40117000 और 40119000 कोड के तहत भी आयात किया जा सकता था, निर्यातकों ने इसे प्रमाणित करने के लिए कोई सबूत नहीं दिया है। इसके अलावा, तब भी जब निर्यातकों के पास भारत और सरकार को अपने निर्यात के संबंध में जानकारी उपलब्ध है। चीन वर्तमान जांच में भाग ले रहा है, निर्यातकों ने 40117000, 40118000 और 40119000 के तहत निर्यात किए गए माल पर कोई जानकारी प्रदान नहीं की है।
- viii. इसलिए प्राधिकरण का मानना है कि न केवल किया गया दावा पूरी तरह से निराधार है, बिल्क निर्यातकों ने जानकारी प्रदान नहीं करना पसंद किया है निर्यात के संबंध में उपलब्ध है। जैसा कि गोपाल कृष्णजी केतकर बनाम महोमेद हाजी लतीफ और अन्य के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिया गया था। (1968 3 एससीआर 862).
- ix. प्राधिकरण यह भी नोट करता है कि चीन सरकार भी वर्तमान जांच में भाग ले रही है और इसलिए चीनी उत्पादकों द्वारा किए गए दावों और चीन के सीमा शुल्क में रिपोर्ट के संबंध में सभी प्रासंगिक तथ्य हैं। हालाँकि, चीन सरकार ने चीनी उत्पादकों द्वारा निर्यात किए गए माल के संबंध में प्रासंगिक जानकारी प्रदान नहीं करने को प्राथमिकता दी है।
- प्राधिकरण ने मूल जांच में पीयूसी का दायरा बसों और लॉरी/ट्रकों के अनुप्रयोग के आधार पर नहीं बिल्क उत्पाद विवरण के आधार पर निर्धारित किया था। यानी, "नए/अप्रयुक्त न्यूमेटिक रेडियल टायर जिनका नाममात्र रिम व्यास कोड 16 से ऊपर है" बसों और लॉरी/ट्रकों में उपयोग किया जाता है। ऐसी बसों और लॉरियों/ट्रकों का उपयोग सड़क पर या सड़क से बाहर किया जा सकता है। बसों और लॉरियों/ट्रकों का आवेदन दायरे पर बाध्यकारी नहीं था। केवल टायर का प्रयोग बाइंडिंग था जो बसों और लॉरी/ट्रकों पर फिट करने के लिए है।
- xi. यह ध्यान रखना उचित है कि वर्तमान जांच के भीतर, पीयूसी का दायरा मूल जांच में उल्लिखित के अनुरूप है, यानी "बसों और लॉरी/ट्रकों में उपयोग किए जाने वाले 16' से ऊपर नाममात्र रिम व्यास कोड वाले नए/अप्रयुक्त न्यूमेटिक रेडियल टायर। "उल्लेखनीय है कि इन बसों और लॉरी/ट्रकों का उपयोग ऑन-रोड और ऑफ-रोड दोनों उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है। हालाँकि, यह रेखांकित करना जरूरी है कि परीक्षा ढांचा बसों या लॉरी/ट्रकों के व्यापक अनुप्रयोगों को शामिल करने तक विस्तारित नहीं है। नतीजतन, वर्तमान जांच का ध्यान केवल टायरों तक ही सीमित है जैसा कि मूल जांच में बताया गया है जो बसों या लॉरी/ट्रकों में स्थापना के लिए डिज़ाइन किया गया है।
- xii. इस तर्क के संबंध में कि शुल्क तालिका में एचएस कोड 40118000 को शामिल करने से ऐसी स्थिति पैदा होगी जहां एचएस कोड 40118000 के तहत खनन टायरों का वास्तविक आयात भी काउंटरवेलिंग शुल्क के अधीन होगा। प्राधिकरण नोट करता है कि यह स्वयं 40118000 के तहत वास्तविक आयात की स्वीकृति है। किसी भी मामले में, प्राधिकरण ने शुल्क तालिका में विचाराधीन उत्पाद के दायरे को उचित रूप से स्पष्ट करके इच्छुक पार्टियों की इस चिंता को पर्याप्त रूप से संबोधित किया है। इसके अलावा, यह सुनिश्चित करने के लिए कि उत्पाद का आयात जो वर्तमान मामले के विचाराधीन उत्पाद के विवरण की पृष्टि नहीं करता है, शुल्क तालिका के साथ दायरे को उचित रूप से स्पष्ट किया जा रहा है।
- xiii. इस तर्क के संबंध में कि शुल्क तालिका में एचएस कोड 40118000 को शामिल करने से ऐसी स्थिति पैदा होगी जहां एचएस कोड 40118000 के तहत खनन टायरों का वास्तविक आयात भी काउंटरवेलिंग शुल्क के अधीन होगा। प्राधिकरण ने शुल्क तालिका में विचाराधीन उत्पाद के दायरे को उचित रूप से स्पष्ट करके इच्छुक पार्टियों की इस चिंता को पर्याप्त रूप से संबोधित किया है। इसके अलावा, यह सुनिश्चित करने के लिए कि उत्पाद का आयात जो वर्तमान मामले के विचाराधीन उत्पाद के विवरण की पृष्टि नहीं करता है, शुल्क तालिका के साथ दायरे को उचित रूप से स्पष्ट किया जा रहा है।
- xiv. प्राधिकरण आगे नोट करता है कि इस संबंध में सुविधा का संतुलन स्पष्ट रूप से इस एचएस कोड को शुल्क तालिका के तहत शामिल करने के पक्ष में है। यदि सीमा शुल्क अधिकारी किसी ऐसे उत्पाद पर शुल्क की मांग करते हैं जिस पर प्रतिकारी शुल्क नहीं लगाया जाना चाहिए, तो पार्टी उचित उपाय की मांग कर सकती है।

हालाँकि, 40118000 के तहत विचाराधीन उत्पाद का आयात उस उद्देश्य को विफल कर रहा है जिसके लिए वर्तमान उपाय की सिफारिश की गई थी।

- xv. इस सुझाव के संबंध में कि क्या प्राधिकरण को एचएस कोड 40118000 को शुल्क तालिका में शामिल करने का विकल्प चुनना चाहिए, उसे स्पष्ट रूप से यह निर्धारित करना चाहिए कि एचएस कोड 40118000 के तहत आयातित निर्माण, खनन, या औद्योगिक हैंडलिंग वाहनों और मशीनरी में नियोजित प्रकृति के टायर सीमा से परे आते हैं। विचाराधीन उत्पाद (पीयूसी) के दायरे में, प्राधिकरण स्वीकार करता है कि उत्पाद के दायरे का चित्रण टायरों तक ही सीमित है जैसा कि मूल जांच में विशेष रूप से परिभाषित किया गया है। मूल जांच के मापदंडों के भीतर स्पष्ट रूप से उल्लिखित टायरों के अलावा अन्य टायरों को विचाराधीन उत्पाद के दायरे से बाहर माना जाता है।
- xvi. इस तथ्य के संबंध में कि प्राधिकारी ने निर्यातक को असहयोगी मानने के बाद मीडिया बॉल को पीसने के मामले में शुल्क की समान मात्रा बढ़ा दी थी और इसलिए प्राधिकारी को भाग लेने वाले निर्यातक के लिए मौजूदा शुल्क की सिफारिश करनी चाहिए, प्राधिकारी का मानना है कि उस मामले का संदर्भ गलत है। प्राधिकरण नोट करता है कि ग्राइंडिंग मीडिया बॉल के मामले में, निर्यातक के साथ केवल एक कारण से असहयोगी व्यवहार किया गया, यानी तीसरे देशों को निर्यात के संबंध में जानकारी प्रदान करने में विफलता। हालाँकि, मौजूदा मामले में, निर्यातकों ने न केवल तीसरे देशों को निर्यात के संबंध में जानकारी प्रदान नहीं करना पसंद किया है, बिल्क निर्यातकों ने 40118000 के तहत किए गए निर्यात के संबंध में पूरी जानकारी भी प्रदान नहीं करना पसंद किया है।
- xvii. निर्यातकों ने अब तर्क दिया है 40117000 और 40119000 के तहत भी सामान की आपूर्ति की है। हालाँकि, यह नोट किया गया है कि प्रश्नावली का उत्तर दाखिल करते समय निर्यातकों द्वारा पर्याप्त जानकारी प्रदान नहीं की गई थी। इस प्रकार, निर्यातकों ने भारत को निर्यात के संबंध में प्रासंगिक जानकारी प्रदान नहीं करना पसंद किया है। यह जानकारी इस तथ्य के मद्देनजर वर्तमान मामले में कहीं अधिक महत्वपूर्ण, प्रासंगिक और आवश्यक थी कि वर्तमान मामला ग्राइंडिंग मीडिया बॉल्स मामले के विपरीत निरंतर आयात का मामला है, जो कि पीओआई के दौरान कोई आयात नहीं होने का मामला था।
- xviii. इस तर्क के संबंध में कि क्षिति मार्जिन के निर्धारण के लिए 22% के आरओसीई पर विचार नहीं किया जाना चाहिए, प्राधिकरण का मानना है कि कोई औचित्य नहीं दिया गया है कि प्राधिकरण को एनआईपी के निर्धारण के लिए 22% के रिटर्न पर विचार करने की अपनी दीर्घकालिक प्रथा की उपेक्षा क्यों करनी चाहिए। इक्विटी के सिद्धांतों की मांग है कि इसे सभी स्थितियों पर लागू किया जाए। प्राधिकरण उन परिस्थितियों को नहीं चुन सकता जिनमें वह अपनी स्थापित प्रथा से भटक सकता है।

न. सीवीडी को जारी रखने की आवश्यकता

169. प्राधिकरण वर्तमान निर्णायक समीक्षा जांच के माध्यम से प्रतिकारी कर्तव्यों को जारी रखने की आवश्यकता के संबंध में निम्नलिखित नोट करता है:

क. विभिन्न हितधारकों को लाभ

i. घरेलू उत्पादक

- 170. उत्पादकों की स्थापित क्षमता 6,17,916 मीट्रिक टन से बढ़कर 7,60,902 मीट्रिक टन हो गई है। उत्पादन 2019-20 में 4,21,435 मीट्रिक टन से बढ़कर जांच अविध में 6,30,880 मीट्रिक टन हो गया है। भारतीय उद्योग आत्मिनर्भर बन गया है। इसकी संयुक्त क्षमता संपूर्ण भारतीय मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त से अधिक है। भारतीय टायर उद्योग भी लगातार और अग्रणी निर्यातकों में से एक है, जो दुनिया भर के 100 से अधिक बाजारों में टायर की आपूर्ति करता है। घरेलू उद्योग निर्यात बाजार पर तभी ध्यान केंद्रित कर सकता है जब घरेलू बाजार में उचित प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित हो।
- 171. आवेदक कंपनियाँ स्वयं विदेशी मुद्रा आय में 5,777.83 करोड़ रुपये का योगदान देती हैं। समग्र अर्थव्यवस्था में मंदी के बावजूद, 2019 के बाद से टायर उद्योग में रोजगार 20% बढ़ गया है और वेतन और मजदूरी में 81% की वृद्धि हुई है। घरेलू उत्पादकों ने महत्वपूर्ण मात्रा में निवेश किया है। पिछले तीन वर्षों में, भारत में टायर उद्योग ने लगभग रु. का निवेश किया है। नई क्षमता निर्माण और मौजूदा क्षमताओं के लिए बाधाओं को दूर करने में *** करोड़ रुपये।

इसके अलावा, घरेलू उत्पादक कई सीएसआर पहल करते हैं जो निर्यातकों द्वारा भारत के लिए करने की संभावना नहीं है।

ii. अपस्ट्रीम निर्माता

172. भारतीय उद्योग अपना कच्चा माल मुख्यतः घरेलू बाज़ार से प्राप्त करता है। भारत में उत्पादित प्राकृतिक रबर का 70% उपभोग भारतीय टायर निर्माताओं द्वारा किया जाता है। टायर उद्योग के समर्थन से घरेलू बाजार में प्राकृतिक रबर, सिंथेटिक रबर (पीबीआर, एसबीआर, ब्यूटाइल रबर), कार्बन ब्लैक जैसे कच्चे माल में महत्वपूर्ण निवेश किया गया है। घरेलू उद्योग ने कच्चे माल के आयात प्रतिस्थापन की दिशा में कई पहल की हैं। इसने प्राकृतिक रबर, सल्फर, रिसोर्स-फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन, एक्सेलेरेटर, एंटीऑक्सिडेंट, ब्यूटाइल रबर, हेलो ब्यूटाइल रबर, माइक्रोक्रिस्टलाइन वैक्स, सुपर टैकिफायर रेजिन आदि जैसे कच्चे माल के घरेलू आपूर्तिकर्ताओं के साथ कई संयुक्त विकास कार्यक्रम शुरू किए हैं। भारतीय उद्योग और राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) ने पूर्वोत्तर क्षेत्रों में रबर उत्पादन बढ़ाने के लिए *** करोड़ की परियोजना में निवेश किया है। यह सहयोग सीधे तौर पर 'मेक इन इंडिया' योजना के अनुरूप है, जो भारत को रबर उत्पादन में आत्मिनर्भर बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है।

iii. उत्पाद के उपभोक्ता

173. प्राधिकरण नोट करता है कि घरेलू उद्योग का अस्तित्व उपभोक्ताओं को प्रतिस्पर्धी मूल्य निर्धारण का आश्वासन देता है। देश में उत्पाद के कई घरेलू उत्पादकों की मौजूदगी उपभोक्ताओं को आपूर्ति के वैकल्पिक स्रोत की संभावना प्रदान करती है। भारतीय टायर उद्योग की उत्पादन सुविधाएं देश के उत्तरी, पश्चिमी और दक्षिणी हिस्सों में फैली हुई हैं, और इसलिए देश के किसी भी हिस्से में स्थित डाउनस्ट्रीम उपयोगकर्ताओं की आपूर्ति आवश्यकताओं को पर्याप्त रूप से पूरा करने में सक्षम हैं। भारतीय उद्योग से खरीदारी उचित मूल्य, निर्वाध आपूर्ति, बिक्री के बाद कुशल सेवाएं सुनिश्चित करती है और उपयोगकर्ताओं को इन्वेंट्री होल्डिंग्स को कम करने की अनुमित देती है। घरेलू आपूर्तिकर्ताओं को देश में विभिन्न वैधानिक और नियामक आवश्यकताओं के अधीन किया जाता है, जो उपभोक्ताओं के वास्तविक हितों की रक्षा करता है।

ख. चीन से निर्यात से कीमत और मात्रा पर चोट का खतरा मंडरा रहा है

- 174. चीन के पास अत्यधिक क्षमता है जो भारतीय मांग से कहीं अधिक है। यूरोप और संयुक्त राज्य अमेरिका के अधिकारियों ने चीन से सब्सिडी वाले टायर निर्यात पर रोक लगा दी है। इसके अलावा, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोप, मिस्र, यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन और दक्षिण अफ्रीका में वर्तमान में चीन से संबद्ध वस्तुओं के खिलाफ एंटी-डंपिंग शुल्क लागू है। चीन से महत्वपूर्ण तीसरे देश के निर्यात की कीमत भारत में एनआईपी और बिक्री मूल्य से कम है। चीन से आयात की पहुंच कीमत पीयूसी की परिवर्तनीय लागत से कम है। यदि भारतीय उद्योग चीनी कीमतों के अनुरूप उत्पाद बेचता है, तो उसे परिवर्तनीय लागत भी नहीं मिलेगी।
- 175. इसलिए, यदि शुल्क जारी नहीं रखा जाता है, तो चीन से आयात तेज होने और महत्वपूर्ण मात्रा में क्षित होने की संभावना है। इसके अलावा, चीन से वर्तमान पहुंच मूल्य घरेलू उद्योग की कीमत और लागत को कम कर देता है। घरेलू उद्योग की लाभप्रदता ऐसी है कि अगर घरेलू उद्योग कुछ हद तक भी कीमत कम करता है, तो उसे वित्तीय नुकसान होने लगेगा और आयात अभी भी भारतीय उद्योग के उत्पाद से सस्ता रहेगा। यह अपने आप में शुल्क समाप्त होने की स्थिति में मूल्य क्षित के खतरे को दर्शाता है।

त. निष्कर्ष

- 176. उठाए गए तर्कों, प्रदान की गई जानकारी और इच्छुक पार्टियों द्वारा किए गए प्रस्तुतीकरण और प्राधिकरण के समक्ष उपलब्ध तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, जैसा कि उपरोक्त निष्कर्षों में दर्ज किया गया है, और सब्सिडी जारी रखने या पुनरावृत्ति की संभावना और क्षति के उपरोक्त विश्लेषण के आधार पर। घरेलू उद्योग, प्राधिकरण इस प्रकार निष्कर्ष निकालता है:
- i. विचाराधीन उत्पाद का दायरा वही है जो मूल जांच में अधिसूचित किया गया था, यानी, " नए/अप्रयुक्त वायवीय रेडियल टायर ट्यूब के साथ या बिना और/या रबर के फ्लैप (ट्यूबलेस टायर सहित), 16 से ऊपर नाममात्र रिम व्यास कोड वाले " बसों और लॉरी/ट्रकों में उपयोग किया जाता है, जिसे सीमा शुल्क उप-शीर्ष 40112010, 40131020 और 40129049 के तहत वर्गीकृत किया गया है। जबकि विचाराधीन उत्पाद के दायरे को परिभाषित करते हुए और

- मूल जांच के समय काउंटरवेलिंग शुल्क की सिफारिश करते हुए, प्राधिकरण ने वाहन के आवेदन के आधार पर विचाराधीन उत्पाद के दायरे को सीमित नहीं किया था।
- ii. विचाराधीन उत्पाद का दायरा उत्पाद के विवरण पर आधारित था, यानी, बसों और लॉरी/ट्रकों में उपयोग किए जाने वाले 16 इंच से ऊपर नाममात्र रिम व्यास कोड वाले नए/अप्रयुक्त न्यूमेटिक रेडियल टायर । ऐसी बसों और लॉरियों/ट्रकों का उपयोग सड़क पर या सड़क से बाहर किया जा सकता है।
- iii. सीमा शुल्क वर्गीकरण एक संकेत के रूप में कार्य करता है और प्रश्न में उत्पाद के चित्रण पर कोई निश्चित बाधा नहीं डालता है। विचाराधीन उत्पाद का चित्रण मूल जांच में स्थापित के अनुरूप है। यह उल्लेखनीय है कि एचएस कोड 40118000 का समावेश पीयूसी के दायरे का विस्तार नहीं करता है और निर्दिष्ट एचएस कोड के भीतर प्रश्न में उत्पाद की उपस्थिति का खुलासा करने वाले आयात डेटा के विश्लेषण के बाद ही इसे शामिल किया गया है। जैसा कि पहले बताया गया है, प्राधिकरण इसके दायरे को निर्धारित करने में उत्पाद विवरण की प्रधानता की पृष्टि करता है, जबिक सीमा शुल्क वर्गीकरण को केवल सांकेतिक मानता है। इसलिए, जब तक उत्पाद विवरण का विस्तार नहीं हो जाता, तब तक किसी विशेष एचएस कोड को शामिल करके पीयूसी के दायरे को बढ़ाने वाले दावों में पर्याप्त योग्यता नहीं होती है।
- iv. हालाँकि, यह स्पष्ट रूप से स्पष्ट किया जाता है कि प्राधिकरण ने विचाराधीन उत्पाद का दायरा नहीं बढ़ाया है और 40118000 के तहत रिपोर्ट किए गए सभी आयातों पर काउंटरवेलिंग शुल्क की सिफारिश नहीं की है। 40118000 के तहत रिपोर्ट किए गए आयात पर केवल तभी काउंटरवेलिंग शुल्क लगाया जाना चाहिए, यदि आयातित उत्पाद की परिभाषा के अंतर्गत आता है।
- v. एचएस कोड 40118000 के तहत आयातित माल को शामिल करना उत्पाद के दायरे का विस्तार नहीं है क्योंकि प्राधिकरण ने उसी उत्पाद विवरण और आकार पर विचार किया है जैसा कि मूल जांच के दौरान माना गया था।
- vi. जांच अविध के दौरान संबद्ध वस्तुओं के आयात में काफी वृद्धि हुई है, विशेष रूप से एचएस कोड 4011800 के तहत। यह देखा गया है कि दोनों भाग लेने वाले निर्यातकों, झोंगसे और शेडोंग यिनबाओ ने एचएस कोड 40118000 के तहत निर्यात किया है। हालाँकि, इन निर्यातकों ने इस वर्गीकरण के तहत किए गए निर्यातों का पूरा विवरण प्रदान नहीं किया है और यह स्थापित नहीं किया है कि ये कैसे विचाराधीन उत्पाद के निर्यात का गठन नहीं करते हैं, खासकर जब सीमा शुल्क वर्गीकरण सकारात्मक नहीं है। 40118000 के लिए घरेलू उद्योग द्वारा प्रदान की गई मूल जांच की पीओआई से संबंधित आयात डेटा उन विवरणों को नहीं दिखाता है जो अब वर्तमान जांच की पीओआई में 40118000 के आयात डेटा में बड़े पैमाने पर देखे जाते हैं।
- vii. हालाँकि, निर्यातकों ने प्रासंगिक जानकारी प्रदान किए बिना केवल विरोध किया है। यह भी नोट किया गया है कि निर्यातकों ने तीसरे देशों को किए गए विचाराधीन उत्पाद के निर्यात के संबंध में कोई जानकारी नहीं दी है। चूंकि निर्यातकों ने विचाराधीन उत्पाद का महत्वपूर्ण मात्रा में तीसरे देशों को निर्यात किया है, इसलिए इन टायरों के संबंध में जानकारी न केवल संभावना निर्धारण के लिए प्रासंगिक थी, बल्कि भारत और बाकी दुनिया को निर्यात किए गए उत्पाद का विवरण स्थापित करने के लिए भी प्रासंगिक थी। इसलिए प्राधिकरण ने इन निर्यातकों द्वारा दायर प्रश्नावली के उत्तर को स्वीकार नहीं किया है और निर्यातकों को असहयोगी माना है।
- viii. प्राधिकरण नोट करता है कि मूल जांच के समय कई चीनी उत्पादकों ने भाग लिया था। हालाँकि, इन निर्यातकों ने असहयोग को प्राथमिकता दी है और वर्तमान जांच में भी भाग नहीं लिया है। हालाँकि, दोनों एचएस कोड के लिए आयात डेटा के विश्लेषण से पता चलता है कि कुछ निर्यातकों द्वारा विशिष्ट शुल्क लगाकर निर्यात किया गया है। इसलिए प्राधिकरण का मानना है कि इन निर्यातकों के लिए मूल जांच में निर्धारित प्रतिकारी शुल्क की उसी मात्रा को जारी रखने की सिफारिश करना उचित नहीं होगा।
- ix. घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित उत्पाद चीन से आयातित उत्पाद के समान है।
- x. नियम 2(बी) के अर्थ के अंतर्गत आवेदक घरेलू उद्योग है।
- xi. आवेदन में सूर्यास्त समीक्षा की शुरुआत के उद्देश्य से प्रासंगिक सभी जानकारी शामिल थी और आवेदन में वर्तमान सूर्यास्त समीक्षा की शुरुआत को उचित ठहराने के लिए पर्याप्त सबूत थे। इसके अलावा, आवेदक ने वर्तमान जांच के उद्देश्य से प्राधिकरण द्वारा प्रासंगिक और आवश्यक समझी जाने वाली सभी जानकारी प्रदान की।
- xii. संबद्ध देश में उत्पादक उन सब्सिडी का लाभ लेना जारी रखते हैं जिन्हें मूल जांच में प्रतिसंतुलन योग्य माना गया था।

- xiii. न्यायिक अर्थव्यवस्था के सिद्धांतों की मांग है कि किसी कार्यक्रम की प्रतिसंतुलनीयता का निर्धारण तभी प्रासंगिक और उचित है जब लाभ की मात्रा के संबंध में जानकारी उपलब्ध हो और रिकॉर्ड में हो। प्राधिकरण साक्ष्य की मात्रा निर्धारित करने के लिए स्वयं साक्ष्य एकत्र नहीं कर सकता है। किसी भी मामले में, प्राधिकरण ने माना है कि चीनी उत्पादकों ने वर्तमान जांच में पूरी तरह से सहयोग नहीं किया है और काउंटरवेलिंग शुल्क की मात्रा की सिफारिश करते समय उचित रूप से इस पर विचार किया है।
- xiv. जांच की वर्तमान अवधि के दौरान घरेलू उद्योग को निरंतर क्षति का सामना नहीं करना पड़ा है, क्योंकि विभिन्न आर्थिक मापदंडों के संबंध में उसके प्रदर्शन में कोई गिरावट नहीं आई है।
- xv. वर्तमान प्रतिकारी शुल्क की समाप्ति की स्थिति में घरेलू उद्योग को चोट लगने की संभावना है, जैसा कि निम्नलिखित कारकों द्वारा स्थापित किया गया है:
 - i. चीनी आयात की पहुंच कीमत घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत, उत्पादन लागत और गैर-हानिकारक कीमत से काफी कम है। वास्तव में, सीआईएफ आयात मूल्य घरेलू उद्योग के लिए कच्चे माल की लागत से कम है। यह स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि चीन से कीमतें काफी हद तक लागत से कम और भारतीय उद्योग की भौतिक लागत के करीब रहने की संभावना है।
 - इस प्रकार, यदि घरेलू उद्योग चीनी कीमतों से मेल खाता है, तो घरेलू उद्योग व्यवहार्य नहीं रह सकता है और उसे महत्वपूर्ण वित्तीय नुकसान उठाना पड़ेगा। यदि भारतीय उद्योग चीनी सब्सिडी वाली कीमतों से मेल खाता है तो प्लांट बंद होना तय है।
 - iii. जांच अवधि के दौरान संबद्ध आयात में पूर्ण रूप से वृद्धि हुई है, जिससे शुल्क समाप्त होने के बाद सब्सिडी वाले आयात में वृद्धि की संभावना दिखाई देती है।
 - iv. भारतीय लागत से कम कीमत पर चीन से शेष विश्व को निर्यात की मात्रा देश में उत्पाद की मांग से कहीं अधिक है। इसके अलावा, चीनी उत्पादक महत्वपूर्ण अप्रयुक्त उत्पादन क्षमताओं से दबे हुए हैं। इस प्रकार, चीनी उत्पादकों के पास लंबी अवधि के लिए वर्तमान सीआईएफ आयात मूल्य के बराबर कीमतों पर भारतीय मांग की सीमा तक मात्रा में बेचने की क्षमता है।
 - v. प्रतिकारी शुल्क उपायों के अभाव में, निकट भविष्य में भारतीय मांग का महत्वपूर्ण हिस्सा ले सकता है।
 - vi. संबद्ध देश में उत्पादकों को मूल जांच में प्रतिसंतुलित सब्सिडी कार्यक्रमों का लाभ मिलता रहेगा।
 - vii. चीन से तीसरे देश का निर्यात भारतीय उद्योग के लिए गैर-हानिकारक मूल्य से काफी कम कीमत पर है। इसके अलावा, इन तीसरे देशों का लगभग संपूर्ण निर्यात घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत से काफी कम कीमत पर है।
 - viii. चीनी उत्पादकों के पास अधिशेष अप्रयुक्त उत्पादन क्षमता सकल भारतीय मांग से कहीं अधिक है। इस प्रकार, चीनी उत्पादकों के पास भारतीय मांग को पूरा करने के लिए अप्रयुक्त क्षमताएं हैं।
 - ix. मौजूदा अधिशेष क्षमताओं के बावजूद, चीनी उत्पादकों ने हाल के वर्षों में महत्वपूर्ण क्षमता वृद्धि की है।
 - x. कई देशों ने संबद्ध वस्तुओं के चीनी आयात के खिलाफ व्यापार सुधारात्मक उपाय लागू किए हैं, जिससे उनके बाजार सीमित हो गए हैं।
 - xi. रेडियलाइजेशन और बड़े प्रतिस्थापन बाजार के कारण इसकी वर्तमान और संभावित मांग को देखते हुए भारत एक आकर्षक बाजार है।
 - xvi. जांच में ऐसा कोई विचार सामने नहीं आया जो दर्शाता हो कि प्रतिकारी शुल्क को जारी रखना सार्वजनिक हित में नहीं होगा।

प. सिफारिशों

177. प्राधिकरण नोट करता है कि जांच शुरू कर दी गई थी और सभी इच्छुक पार्टियों को सूचित कर दिया गया था और उन्हें सब्सिडी, चोट, कारण लिंक, सब्सिडी के जारी रहने/पुनरावृत्ति की संभावना और चोट और अनुशंसित उपायों के प्रभाव के पहलू पर जानकारी प्रदान करने के लिए पर्याप्त अवसर दिया गया था। काउंटरवेलिंग शुल्क नियमों के तहत निर्धारित निर्णायक समीक्षा जांच के प्रावधानों के अनुसार जांच शुरू करने और संचालित करने के बाद,

- प्राधिकरण इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि विषय वस्तु विचाराधीन उत्पाद के आयात पर लगाए गए शुल्क को और आगे बढ़ाने की आवश्यकता है, प्राधिकरण काउंटरवेलिंग शुल्क के विस्तार की सिफारिश करता है।
- 178. इसके अलावा, एचएस कोड 40118000 के तहत विचाराधीन उत्पाद के आयात के संबंध में पहुंचे निष्कर्ष को ध्यान में रखते हुए, प्राधिकरण विचाराधीन उत्पाद के आयात पर काउंटरवेलिंग शुल्क के संग्रह की सिफारिश करता है, यदि 40118000 के तहत रिपोर्ट किया गया है। हालांकि यह स्पष्ट किया गया है कि उक्त शुल्क इस एचएस कोड के तहत केवल तभी एकत्र किया जाएगा यदि उत्पाद का विवरण विचाराधीन उत्पाद के दायरे में आता है।
- 179. रिकॉर्ड पर उपलब्ध जानकारी के अनुसार विचाराधीन उत्पाद का महत्वपूर्ण आयात आईटीसी एचएस कोड यानी 40118000 के तहत पाया गया है जिसमें भाग लेने वाले निर्यातकों द्वारा किए गए निर्यात भी शामिल हैं। हालाँकि, इन निर्यातकों ने इस वर्गीकरण के तहत किए गए निर्यातों का पूरा विवरण प्रदान नहीं किया है और यह स्थापित नहीं किया है कि ये कैसे विचाराधीन उत्पाद के निर्यात का गठन नहीं करते हैं। इसके अलावा, भाग लेने वाले निर्यातक संभावना मापदंडों के संबंध में जानकारी प्रदान करने में भी विफल रहे हैं।
- 180. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, प्राधिकरण सभी चीनी उत्पादकों पर समान मात्रा में काउंटरवेलिंग शुल्क की सिफारिश करता है, जैसा कि मूल जांच के समय "िकसी भी अन्य चीनी उत्पादक" के लिए अनुशंसित किया गया था। तदनुसार, प्राधिकरण इस संबंध में केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचना जारी होने की तारीख से 5 वर्ष की अविध के लिए, जैसा कि नीचे दी गई शुल्क तालिका के कॉलम 7 में दर्शाया गया है, चीन जन. गण. में उत्पन्न होने वाले या वहां से निर्यात किए गए विषय वस्तुओं के आयात पर निश्चित प्रतिकारी शुल्क के विस्तार की सिफारिश करता है।

शुल्क तालिका

क्र. सं.	शीर्ष/उपशीर्ष	वस्तुओं का विवरण	मूलता कादेश	निर्यात का देश	उत्पादक	शुल्क राशि मूल्य के % के रूप में शुल्क राशि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	40112010 और 40118000*	नए/अप्रयुक्त वायवीय रेडियल टायर ट्यूब के साथ या बिना और/या रबर के फ्लैप (ट्यूबलेस टायर सहित), जिनका नाममात्र रिम व्यास कोड 16" से ऊपर है, बसों और लॉरी/ट्रकों में उपयोग किए जाते हैं।	चीन जन. गण.	चीन जन. गण. सहित कोई भी देश	कोई भी	17.57%
2	-वही-	-वही-	चीन जन. गण. के अलावा कोई भी देश	चीन जन. गण.	कोई भी	17.57%

^{*40118000} के तहत रिपोर्ट किए गए आयात पर शुल्क तभी देय होगा जब उत्पाद का विवरण ऊपर दिए गए विवरण की पुष्टि करता है। 40118000 के तहत रिपोर्ट किए गए अन्य आयातों के संबंध में कोई प्रतिसंतुलन शुल्क नहीं लिया जाएगा।

ग. आगे की प्रक्रिया

181. प्राधिकारी की सिफारिश के विरुद्ध कोई भी अपील अधिनियम के संगत प्रावधानों के अनुसरण में सीमा शुल्क, उत्पाद और सेवा कर अपीलीय अधिकरण के समक्ष प्रस्तुत की जाएगी।

अनन्त स्वरूप, निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF TRADE REMEDIES)

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd April, 2024

FINAL FINDING

Case No. CVD-SSR- 13/2023

Subject: Sunset review investigation of countervailing duty concerning imports of "new pneumatic radial tyres for buses and lorries" originating in or exported from China PR.

F. No. 7/30/2023-DGTR.—Having regard to the Customs Tariff Act 1975 as amended from time to time (hereinafter referred as the 'Act') and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Countervailing Duty on Subsidized Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995 thereof, as amended from time to time (hereinafter referred as the 'CVD Rules' or the 'Rules').

A. BACKGROUND

- 1. An anti-subsidy investigation into imports of "new pneumatic radial tyres for buses and lorries" (hereinafter referred to as "subject goods" or "product under consideration") from China PR (hereinafter referred to as "subject country") was initiated by the Authority vide notification no. 6/8/2018-DGAD dated 27th March 2018. Following a detailed investigation, the Designated Authority concluded that the subsidy provided by the Chinese government to the producers of the subject goods were countervailable in nature and the subject goods were exported from China PR at subsidized prices causing injury to the domestic industry. The Authority recommended the imposition of definitive countervailing duties on the imports of the subject goods from the subject county vide Final Finding No. 6/8/2018-DGAD dated 25th March 2019. The definitive measures were imposed by the Ministry of Finance vide Customs notification no. 1/2019-Customs (CVD), dated 24th June 2019. Pending the conclusion of the present review, the countervailing duty on China PR was extended vide notification no. 01/2024-Customs (CVD), dated 11th March, 2024 till 23rd July, 2024.
- 2. In terms of Section 9 (6) of the Act and Rule 24 (3) of the CVD Rules, the countervailing duties imposed shall, unless revoked earlier, cease to have effect on expiry of five years from the date of such imposition, and the Authority is required to review whether the expiry of the said countervailing duty is likely to lead to continuation or recurrence of subsidisation and injury to the domestic industry. In accordance with the same, the Authority is required to review, on the basis of duly substantiated request made by or on behalf of the domestic industry as to whether there is a need for the continued imposition of the countervailing duty, and whether the expiry of the duty is likely to lead to continuation or recurrence of subsidisation and injury.
- 3. And whereas, Automotive Tyres Manufacturers Association ("ATMA") has filed an application on behalf of the domestic producers namely Apollo Tyres Limited, J.K. Tyre Industries Limited and MRF Limited (hereinafter collectively referred to as "applicants") before the Designated Authority in accordance with the Act and the Rules, requesting initiation of the sunset review investigation concerning imports of subject goods originating in or exported from the subject country.
- 4. The applicants have sought the continuation of the countervailing duty against imports of the subject goods from the subject country. The request was based on the ground that the expiry of the countervailing duty was likely to result in continuation of subsidized imports of the subject goods and consequent likelihood of recurrence of injury to the domestic industry.
- 5. And whereas, the Authority on the basis of sufficient evidence submitted by the petitioners, issued a public notice vide notification no. 7/30/2023-DGTR, dated 29th December 2023 published in the Gazette of India, Extraordinary, initiating the subject investigation in accordance with the Rules, to determine the existence, degree and effect of the alleged subsidy and to recommend the amount of anti-subsidy/countervailing duty, which, if levied, would be adequate to remove the injury to the domestic industry.
- The scope of the present review covers all aspects of the final finding notification no. 6/8/2018-DGAD dated 25th March 2019.

B. PROCEDURE

- 7. The procedure described herein below has been followed by the Authority regarding the subject sunset review.
 - i. The Authority, under the above Rules, received a written application from the applicants, as the domestic industry contending likelihood of continuation of subsidised imports and recurrence of injury to the domestic industry on imports of the product under consideration in India.

- ii. The Authority notified the embassy of China PR in India about the receipt of the review application before initiating the investigation in accordance with Rule 6(5).
- iii. The Authority in terms of Article 13 of WTO Agreement on Subsidies and Countervailing Measures (hereinafter referred to as "ASCM") provided opportunity to the Government of China PR (hereinafter referred to as "GoC") for pre-initiation consultations that were held with its representatives on 15th December, 2023. The comments of the representatives of the Government of the subject country were taken on record.
- iv. While GoC contended that there is lack of evidence or claimed that alleged policies are not countervailable within the meaning of the ASCM as they are internationally recognized and well-accepted in nature, whereby there is no financial contribution, nor do they confer benefit to specific enterprises or industries. The GoC stated that some Chinese laws and regulations cited for alleged subsidy programs have been either amended or repealed but the GoC has not substantiated their claims.
- v. The Authority issued a public notice dated 29th December 2023 published in the Gazette of India, Extraordinary, initiating the sunset review of anti-subsidy investigation concerning imports of the subject goods originating in or exported from the subject country.
- vi. The Authority sent a copy of the initiation notification dated 29th December 2023, to the Chinese embassy in India, the known producers, and exporters from China PR, known importers/users in India and other interested parties, as per the available information. The interested parties were advised to provide relevant information in the form and manner prescribed and make their submissions known in writing within the prescribed time limit.
- vii. The Authority provided a copy of the non-confidential version of the application to the known Chinese producers/exporters and to the embassy of China PR in accordance with Rule 7(3) of the Rules.
- viii. The Authority issued economic interest questionnaire (EIQ) to all interested parties and the concerned ministry. Response to EIQ was submitted only by the domestic industry.
- ix. The Authority sent a questionnaire to the GoC seeking relevant information in the form and manner prescribed regarding various schemes/programs where countervailable benefit might have been conferred onto the Chinese producers/exporters of the product under consideration. The response filed by GoC was taken on record and examined by the Authority.
- x. The Authority sent exporter's questionnaires to known producers/exporters in China PR, in accordance with Rule 7(4) of the Rules.
 - a. Shandong Yinbao Tyre Group Co. Ltd
 - b. Shandong Wando Boto Tyre Co. Ltd
 - c. Triangle Tyre Co. Ltd.
 - d. Zhongce Rubber Group Co. Ltd.
 - e. Shandong Yongfeng Tyres Co. Ltd.
 - f. Jiansu General Technology Co. Ltd. (General Science)
 - g. Guangzhou Pearl River Rubber Tyre Co. Ltd.
 - h. Giti Tyre (Anhui) Co. Ltd.
 - i. Shandong Province Sanli Tire Manufacture Co., Ltd
 - j. Shandong Haohua Tire Co., Ltd.
 - k. Prinx Chengshan Tire Company Ltd.
 - 1. Kumho Tire Co. Inc.
 - m. Kumho Tire (Tianjin) Co., Inc
 - n. Nanjing Kumho Tire Co., Ltd
 - o. Sailun Jinyu Group Co. Ltd
 - p. Double Coin Tire Group Ltd.
 - q. Tianjin Wanda Tyre Group Co., Ltd.
 - r. Taishan Shandong Tire Co., Ltd.

- s. Jianxin Tire (Fujian) Co., Ltd.
- t. Guizhou Tire
- u. Sichuan Haida Rubber Group Co. Ltd
- v. Shengtai Group Co., Ltd.
- w. Shan Dong Jin Yu Industrial Co., Ltd.
- x. Shandong Yinbao Tyre Group Co., Ltd.
- y. Shandong Xingyuan International Trading Co., Ltd.
- z. Shandong Hengfeng Rubber & Plastic Co., Ltd.
- aa. Dingying Zhong Yi Rubber Co., Ltd.
- bb. Haoyou Tyre Co., Ltd.
- cc. Doublestar
- dd. Shandong Linglong Tyres
- ee. Double Money Group (Chongqing) Tire Co. Ltd.
- ff. Xingyuan Tyre Group Co. Ltd.
- xi. In response to the above notification, the following producers/exporters have responded and submitted/filed exporters' questionnaire responses and/or legal submissions:
 - a. Zhongce Rubber Group Co. Ltd.
 - b. Zhongce Rubber (Tianjin) Co., Ltd
 - c. Shandong Yinbao Tyre Group Company Ltd.
- xii. The Authority has examined exporter questionnaire responses filed by the above participating exporters. It was found that the responses filed are incomplete and not in the form prescribed by the Authority. None of the exporters have filed response to Part-II of the Exporter Questionnaire which is pertinent for sunset reviews.
- xiii. Questionnaires were sent to the known importers/ users/ associations of the subject goods in India calling for necessary information in accordance with the Rules.
 - a. All India Motor Transport Congress
 - b. Society of Indian Automobiles Manufactures
 - c. All India Transporters Welfare Association
 - d. G. Industries
 - e. A.S. & Company
 - f. Celite Tyre Corporation
 - g. AGK Digital Private Limited
 - h. Akhil Impex Building
 - i. Alliance Traders
 - j. Amit Enterprises
 - k. Arora Enterprises
 - 1. Asis Enterprises
 - m. Bhagwatee Impex
 - n. Chadha Tyre Traders
 - o. Chhabra Sales Corporation
 - p. Dashmesh Trading Co
 - q. Deep Enterprises
 - r. Delhi Tyre Shoppe

- s. Eknoor Tyres Private Limited.
- t. Electro Link
- u. Ess Infraproject Private Limited
- v. Fine Traders
- w. Fish Aquarium Home
- x. Ganpati Overseas
- y. Genetic Sales Corporation
- z. Globus Corporation
- aa. Gupta Tyre House
- bb. H. D. International
- cc. H.S. Arora & Co. Ltd.
- dd. H.S. International
- ee. Harpreet International
- ff. Hayer Trading Co.
- gg. Hind Traders
- hh. Hind Traders
- ii. Indian Rubber Manufacturers Research Association
- jj. Indo China Impex
- kk. Indo Silicon Electronics Pvt. Ltd.
- ll. M S International
- mm. J.M. Shama Designs
 - nn. Jaipex Ltd.
 - oo. Jitender Overseas
 - pp. Juneja Agencies
 - qq. K.C. Impex
 - rr. Kabeer Components Pvt Ltd
 - ss. Kaks And Bills Pvt Ltd
 - tt. Kingston Enterprise
 - uu. Lokesh Impex
 - vv. Vrinda Overseas
- ww. Mohan Enterprises
- xx. Nand Rubber Pvt. Ltd.
- yy. National Trading Company
- zz. New Vikas Tyres
- aaa. Pahwa Distributors
- bbb. Paras Auto Parts
- ccc. Pardeep Import Export
- ddd. Pioneer Trading Corporation
- eee. Prem Trading Company
- fff. Pricon Engineering Services
- ggg. R C International

- hhh. R S Enterprises
- iii. Radhey Kishan Enterprises
- jij. Rajpal Roadlines Pvt Ltd
- kkk. Rameshwar Dass & Co.
- III. Rangi Road Carrier
- mmm. Renu Raj Trading
- nnn. Roadlion International
- ooo. Royal Traders
- ppp. Rynaa Overseas (India)
- qqq. S R Enterprises
- rrr. S. S. And Sons
- sss. S.K. International
- ttt. Saarwan Enterprises
- uuu. Sabharwal Trading Company
- vvv. Sachin Prasad Yadav
- www. National Trading Company
 - xxx. Samar Traders Pvt. Ltd.
 - yyy. Sanjog Impex
 - zzz. Sanmati Portex Pvt Ltd
- aaaa. Sat Guru Traders
- bbbb. Saveer International
- cccc. Shiv Shakti Enterprises
- dddd. Shivaik Exim
- eeee. Simran India Inc.
- ffff. Simran Traders
- gggg. Som Projects & Associates
- hhhh. Sri & Co
- iiii. Sri Kumaran Traders
- jiji. Zafco India Pvt. Ltd.
- kkkk. Sumant Bachhawat
 - IIII. Sun Traders
- mmmm. Supreem Trading Corporation
 - nnnn. Surodhya Sales
 - 0000. Trans Tyres (India) Pvt. Ltd.
 - pppp. Uniglory International
 - qqqq. Vaan Sales India Pvt. Ltd
 - rrrr. Vikas Retail Private Limited
 - ssss. Vortex Rubber Industries Pvt. Ltd.
- xiv. In response to the above notification Tyre Importers Welfare Association, claiming to be the importer's association of the subject goods, registered as an interested party. However, it did not file any legal submission or user/importer questionnaire response or economic interest questionnaire response. Aggarwal Tyres also registered as an interested party, claiming to be an importer of the subject goods. It filed a legal

- submission to exclude imports under HS code 40118000. However, it did not file any response to user/importer questionnaire or economic interest questionnaire. None of these parties appeared before the Designated Authority during the oral hearing.
- xv. A list of all the interested parties was uploaded on the DGTR's website along with the request therein to all to email the non-confidential version of their submissions to all other interested parties.
- xvi. The Authority, vide communication dated 6th February 2024, upon request from certain interested parties, extended time to file questionnaire responses/ comments, to 7th March 2024.
- xvii. Exporters, producers, and other interested parties who have not responded to the Authority nor supplied sufficient information relevant to this investigation, have been treated as non-cooperative.
- xviii. The Authority accepted the confidentiality claims, wherever warranted, after due examination and such information have been considered confidential and not disclosed.
- xix. The applicants proposed the period of investigation as 1st April 2022 to 30th June 2023 (15 months) for the purpose of the present investigation. The applicants submitted that consideration of July 2022 June 2023 as the investigation period would result in significant practical difficulties for the preparation of the costing data for the applicants domestic industry as these are multi-product companies having several plants.
- xx. The applicants companies further submitted that there would be no material difference in the merits of the case as the present case is based on continuation of subsidies and likelihood of injury which do not have any bearing on the period considered as POI. The Authority examined import volume and import price from the DGCI&S data considering the period April 2022 to June 2023 (annualised) and July 2022 to June 2023. It was seen that there was no material difference between import volume, value, and CIF price. In addition, the present investigation is concerning continuation of subsidies and likelihood of injury. The Authority has therefore, determined to accept the period of investigation proposed by the applicants which is 1st April 2022 to 30th June 2023 (15 months).
- xxi. Request was made to the Directorate General of Commercial Intelligence and Statistics (DGCI&S) to arrange transaction-wise details of imports of the subject goods for the past three years and the period of investigation (POI) and post-POI, which was received by the Authority. The Authority has relied upon DGCI&S transaction wise data for the required analysis after due examination of the transactions.
- xxii. Optimum cost of production and cost to make & sell the subject goods in India based on the information furnished by the domestic industry on the basis of Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) was worked out so as to ascertain if countervailing duty lower than the subsidy margin would be sufficient to remove injury to the domestic industry.
- xxiii. Verification of the information provided by the domestic industry to the extent deemed necessary was carried out by way of on the spot and desk study. Only such verified information, with necessary rectification, wherever applicable, has been relied upon for the purpose of this final finding.
- xxiv. The Authority held oral hearing on 19th March, 2024 to provide an opportunity to the interested parties to present the information orally in accordance with Rule 7(6). Oral hearing was held in hybrid mode. All the parties that presented their views orally were advised to file their submissions in writing by 23rd March, 2024. The interested parties were allowed to offer rejoinder to the submissions made by other interested parties latest by 27th March, 2024.
- xxv. A disclosure statement in terms of Rule 18 of CVD Rules was issued on 16th April 2024. Keeping in view the impending deadline interested parties were granted time till 20th April 2024 to provide their comments to the disclosure statement. The comments to disclosure statement received from the interested parties have been considered, to the extent found relevant and non-repetitive, in this final finding.
- xxvi. The submissions made by the interested parties during the course of this investigation to the extent found relevant have been considered by the Authority, in establishing essential facts under consideration.
- xxvii. Information provided by the interested parties on confidential basis was examined with regard to the sufficiency of the confidentiality claimed. On being satisfied, the Authority has accepted the confidentiality claims, wherever warranted, and such information has been considered as confidential and not disclosed to other interested parties. Wherever possible, parties providing information on confidential basis were directed to provide sufficient non-confidential version of the information filed on confidential basis.
- wherever an interested party has refused access to or has otherwise not provided necessary information in a timely manner during the course of the present investigation, or has significantly impeded the investigation, the Authority has considered such parties as non-cooperative and recorded the findings on the basis of the facts available.

xxix. '***' in this final findings represents information furnished by interested parties on a confidential basis, and so considered by the Authority under the Rules.

xxx. The exchange rate adopted by the Authority for the subject investigation is US \$1= INR 81.47.

C. LEVEL OF COOPERATION BY GOVERNMENT OF CHINA PR

8. The Authority notes that adequate opportunity was provided to the Government of China PR, through written communication and consultation, to provide relevant information concerning existence, operations & administration of various subsidy schemes contended by the applicants, countervailability of the same vis-à-vis the WTO ASCM and Indian Rules, and benefits availed by the Chinese producers/exporters under these schemes. The response filed by Government of China has been taken on record and examined by the Authority.

D. PRODUCT UNDER CONSIDERATION AND LIKE ARTICLE

E.1. Submissions made by other interested parties

- 9. The submissions made by other interested parties regarding the product under consideration and like article are as follows:
- i. Participating exporters have not exported the PUC.
- ii. The present investigation concerns new pneumatic radial tyres used in buses and lorries/ trucks. It does not cover tyres used in construction, mining or industrial handling vehicles and machines. Scope of the PUC cannot be expanded in a sunset review.
- iii. Imports under HS Code 40118000 should be excluded as it covers 'new pneumatic tyres used in construction, mining or industrial handling vehicles and machines.
- iv. The Authority is not empowered to investigate issues concerning misclassification of imported goods.
- v. The domestic industry should have filed mid-term review or anti-circumvention application to include imports under additional HS code.
- vi. In the case of Sheet Glass (Final Findings dated 21st February 2020), the Authority rightfully decided not to include additional HS codes in a sunset review in view of the decision of the Gujarat High Court in *Ajanta Pvt. Ltd. v. Union of India*.
- vii. In cases where mining/ industrial tyres can also be fitted onto trucks/lorries, they ought to be classified under HS code 40118000 as per General Rules for Interpretation of the First Schedule of Customs Tariff.
- viii. As per decision of the CESTAT in *M/s*. The Tyre Mark Versus Commissioner of Customs, Bangalore, 2021, tyres ought to be classified on the basis of their dominant use.
- ix. The domestic industry has not provided any evidence to show misdeclaration of goods.
- x. WCO decision is inapplicable as it holds that tyres having maximum speed of 110 km/hr are to be classified under HS code 40112010. The exporters are exporting tyres of speed limit 65 km/hr.

E.2. Submissions made by the domestic industry

- 10. The submissions made by the applicants regarding the product under consideration and like article are as follows:
- i. The present investigation being a sunset review investigation, the scope of the product under consideration remains the same as defined in the original investigation.
- ii. Upon consideration of same product description and size as was considered in the original investigation, product under consideration would be found in both HS codes 40112010 and 40118000 in recent years.
- iii. Upon consideration of the import statement of HS code 40118000 during original investigation it would be evident that the PUC were not imported from China PR under this code. It is only a recent phenomenon undertaken by Chinese exporters to avoid payment of duties.
- iv. Significant imports of subject goods have been reported under tariff classification 40118000. Such imports match the product description and size which was considered as the PUC in the original investigation. These imports have increased substantially during the injury period as no CVD is being levied on these imports.
- v. The purpose of CVD is to provide remedy to the domestic industry against imports of "a product" that has been imported in the country at subsidised price. The classification of the product under which such imports occurred is entirely immaterial.

- vi. The Authority ought to extend CVD on imports of the PUC under tariff code 40118000. Such recommendation to include additional HS code would not amount to expansion of product scope. It is merely a measure to ensure collection of duty and stop duty avoidance through misdeclaration of customs classification.
- vii. As per Rule 4(d), the duty of the Authority is to identify the product to enable determination by MOF. It is not the duty of the Authority to prescribe HS classification. The Authority is required to merely describe the PUC. Designated Authority prescribes HS codes only to intimate MOF with regard to the HS codes under which PUC data was considered for determination, and to assist the MOF to make a determination.
- viii. The Authority has added additional HS codes in a sunset review time and again. These include sunset reviews concerning "Colour Coated/Pre-painted flat products of alloy or non-alloy steel from China (2021)", "Electrical Insulators from China (2019)", "Viscose Filament Yarn from China (2018)", and "Poly Vinyl Chloride (PVC) Paste/Emulsion Resin from Korea RP, Taiwan, China PR, Malaysia, Thailand, Russia and European Union (2016)".
- ix. Gujarat High Court's decision in *Ajanta Pvt. Ltd. v. Union of India* (dated 4-11-2015) highlights the importance of including all possible HS codes to ensure collection of duty. The Honourable High Court held that the demand notice to levy anti-dumping duty from CBIC is without authority if the anti-dumping duty is levied in respect of HS codes not specified in the customs notification. Thus, this case pertains to chargeability and collection of duty. The DGTR is concerned with investigation, determination, and recommendation. The decision does not pertain to the inherent power of the Designated Authority to recommend collection of trade remedial measures through recommending additional HS codes. DGTR's practice regarding precedence of product definition over tariff classification remains the same.
- x. The scope of the PUC is determined by rim diameter of tyres. It is not based on application of vehicle. So long as a new pneumatic radial tyre having rim diameter above 16 inches can be used in a bus lorries/truck, it is included within the scope.
- xi. As per World Customs Organization's Classification decision in 67th Meeting (2021), certain tyres having similar specification to radial tyres for buses and lorries but used in vehicles for transportation of goods in construction, mining or industry applications are also to be classified under HS code 40112010.
- xii. Participating exporters are misrepresenting that they have not exported the PUC. The applicants have analysed transaction wise import data from market intelligence which shows significant imports of the PUC under HS code 40118000 by both Zhongce and Shandong Yinbao.
- xiii. The authorities across the world are taking proactive actions to counter duty avoidance. Recently in February 2023, Eurasian Economic Union concluded that Chinese exporters are circumventing anti-dumping duty on TBR tyres. To counter circumvention, the Authority broadened the scope of its anti-dumping duty to include tyres for trucks, buses and trolleybuses, dump trucks, truck trailers and semi-trailers. An anti-dumping duty was also extended to imports under additional HS code 8708.70.990.9 as it was found that TBR tyres are exported in Eurasian Economic Union as tyre and wheel assemblies.
- xiv. The domestic industry is selling the like article to the products on which domestic industry has sought inclusion. Allowing imports of these products without CVD only because these are reported under 40118000 would defeat the very purpose for which the present CVD is being proposed for extension.
- xv. The domestic industry had earlier filed anti-circumvention petition and the DGTR has not considered the same on the grounds that SSR is being undertaken and the issue can be addressed therein. Therefore, the information and evidence presented in the anti-circumvention application ought to be considered in this investigation.
- xvi. The exporters have misled the authority in contending that they have exported NPUC in the present period. The import data shows export of the PUC.
- xvii. Majority of the supply made by the exporters during the POI are actually imports of the PUC.
- xviii. It was open for the exporter to present the information and then contend that it pertains to NPUC. The exporter chose not to provide any relevant information, and merely made statements that they have supplied NPUC. This is blatant suppression of information and directly covered by the Hon'ble Supreme Court's decision in Designated Authority vs Haldor Topsoe [2000 120 ELT 11 SC] wherein the Court held that the party is obliged to first provide relevant information before assuming any evidence or fact to be final. The authority should apply adverse facts to the exporter and recommend residual duty on the exporter.
- xix. The usage of tire in the Country shows that the imported product has in fact been used for fitment in buses and lorries
- xx. Imports under HS code 40118000 during the POI of original investigation do not show imports of the product that are now being reported in this code.

D.1. Examination of the Authority

- 11. The scope of product under consideration in the original investigation was defined as follows:
 - "8(a)...... Accordingly, the product under consideration in the present investigation is "New/unused pneumatic radial tyres with or without tubes and/or flap of rubber (including tubeless tyres), having nominal rim dia code above 16" used in buses and lorries/trucks". The scope of the product under consideration includes both tube type and tubeless tyres. In tube type tyre, tyre is used along with one tube and one flap in a vehicle. One tyre, one tube and one flap are together sold as a "tyre set" and described as "TTF." The term "TTF" is prevalent in the industry, to denote a "tyre set." Tyre, tube, and flap jointly render the function of "tyre" in a vehicle. Sale of tyre, tube and flap are primarily on "TTF" or "tyre set" basis. Tubeless radial tyres, where tube and flap are not required, are also within the scope of this investigation."
 - (b) The scope of the imported product includes only radial tyres used in buses and lorries / trucks. Tyres are generally used in various kinds of vehicles such as trucks, buses, lorries, light commercial vehicles, passenger car, jeep, tractor, two-wheeler, three-wheeler, animal pulled vehicles, earthmover, industrial tyres, aircrafts etc. However, the product under consideration is only that type of tyre that is used in buses &lorries / trucks. All other types of tyres are beyond the scope of the product under consideration in the present investigation.
 - (c) Product under consideration is classified under chapter 40 of the Customs Tariff Act, 1975, Tyres are classified under customs sub-heading 40112010 whereas tubes and flaps are under 40131020 and 40129049 respectively. The customs classification is indicative only and in no way binding upon the product scope.
 - (d) New/unused pneumatic radial tyres produced by the domestic industry are like article to the new/unused pneumatic radial tyres imported from China PR. The Authority holds that there is no known difference in the subject goods produced by the domestic Industry and that exported from China PR. Subject goods produced by the petitioners and imported from China PR are comparable, collectively, and cumulatively, in terms of product characteristics, manufacturing process & technology, functions & uses, product specifications, pricing, distribution & marketing and tariff classification of the goods. The Authority holds that the product under consideration produced by the applicants domestic industry is like article to the subject product under consideration imported from subject country in accordance with the Anti-Subsidy Rules."
- 12. The present investigation being a sunset review investigation, the scope of the product under consideration remains the same as defined in the original investigation. The Authority considers that the customs classification is only indicative and is not binding on the scope of the PUC investigation. The Authority considers imports of the product under consideration, irrespective of its classification.
- 13. In the original investigation, the Authority had considered product description reported in the import transactions and ascertained whether the same pertains to the product under consideration. It is noted that the imports of the product under consideration were being made after specifying the size of the tyre.
- 14. The product under consideration is classified under Chapter 40 of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975. Tyres are classified under HS code 40112010 and tubes and flaps are classified under HS codes 40131020 and 40129049 respectively.
- 15. The Authority called upon DGCI&S transaction-wise import data to examine imports of subject goods under HS codes 40112010, 40131020, 40129049 and 40118000. It is seen that significant imports of tyres having rim diameter above 16 inches which are typically used in buses, trucks and lorries have been reported under HS code 40118000. Products of these descriptions were considered product under consideration at the time of original investigation and included in quantifying volume and value of the imports. Whereas products of these descriptions were earlier being reported under 40112010, products of these descriptions are also being reported under 40118000. The Authority considers that if some products have been imported under different classification, even though these carry the same description as the description of the product under consideration considered by the Authority, the same cannot be excluded for the purpose of the determination.
- 16. Even World Customs Organization's Classification decision in 67th Meeting (2021) clarifies that certain tyres having similar specification to TBR tyres but used for vehicles for transportation of goods in construction, mining or industry applications are also to be classified under HS code 40112010. Thus, even if TBR tyres can also be used for mining or other industrial applications, they are to be treated as TBR tyres under HS code 4011201.
- 17. As regards the decision of CESTAT in *M/s. The Tyre Mark Versus Commissioner of Customs*, Bangalore, 2021, the Authority notes that it is instructive for the purpose of classification of tyres. In the present, the primary contention is not customs classification of tyres. In the present case, the Authority has to determine if certain imports under 40118000 are covered within product scope for the purpose of levying of CVD. The Authority has examined these imports on the basis of description given in the import data and has considered these products under consideration only if these carry the description as was adopted at the time of original investigation.

- 18. As regards the decision of Gujarat High Court in the matter of *Ajanta Pvt. Ltd. vs. Union of* India, the Authority notes that the said decision is with regard to chargeability of anti-dumping duty in force, and is not applicable to the present case. It has no bearing on Authority's established practice of considering customs classification as indicative, and not binding on the scope of the PUC. The decision holds that the revenue authorities can levy anti-dumping duty only in respect of tariff codes specified in the customs notification. In fact, this decision goes on to show the criticality of including all possible HS codes to fulfil the purpose of the duty being imposed. The Authority is however required to consider all such imports which pertain to the product under consideration, irrespective of the classification under which these were reported. Further, the countervailing duty to be charged only on those products which fall within the scope of the product under consideration. If some other products are reported on such classification, the same would not be subject to countervailing duty.
- 19. The Authority is not restrained from including a HS code in a sunset review investigation, if the information on record shows that the imports of the product have been reported in that HS code. The Authority is governed by the description of the product under consideration, irrespective of the classification where these have been imported. If a product has been imported in more than one HS code, and the same has been allowed by customs authorities, the same in itself establishes possibility of classification of that product under more than one HS code. The scope of sunset review is not narrower than a mid-term review in so far as this aspect is concerned. This can be seen from past DGTR practice in cases of "Poly Vinyl Chloride (PVC) Paste/Emulsion Resin from Korea RP, Taiwan, China PR, Malaysia, Thailand, Russia and European Union (2016)", and in the matter of mid-term review relating to "Natural Mica Pearl Industries Pigments excluding cosmetic grade" from China PR (2023)".
- 20. As regards reference to final findings of the DGTR in the matter of Sheet Glass (2020), the Authority notes that during the original investigation, the Authority recommended duty under HS codes 70042011, 70042019, 70031290, 70031990, 70033090, 70042099, 70049019, 70049099, 70052110, 70053090, 70091090, 70091010, 70099100, 70119090. The Ministry of Finance imposed duty in respect of HS codes 70042011, 70042019 only. During the sunset review, the Authority did not include additional HS codes as Ministry of Finance did not impose duty on other HS codes despite the Authority's recommendations.

21.	The table below s	shows the imp	orts of the subject	t goods in the HS	Code 40112010 and 40118000:

Period	Unit	HSN 40112010	HSN 40118000	Other Codes	Total
2019-20	MT	13,436	1,264	325	15,025
2020-21	MT	1,325	2,782	93	4,200
2021-22	MT	123	7,783	274	8,179
POI (A)	MT	0	20,634	516	21,150

- 22. In view of the above, the Authority concludes that the scope of the product under consideration is same as was notified in the original investigation, i.e., "New/Unused pneumatic radial tyres with or without tubes and/or flap of rubber (including tubeless tyres), having nominal rim dia code above 16" used in buses and lorries/trucks, classified under customs sub-heading 40112010, 40131020 and 40129049." The customs classifications are indicative only and the measure shall be applicable if the imported product confirms to the description of the product under consideration. However, it is clarified that if the PUC is imported under HS code 40118000, the same shall be subjected to the measures.
- 23. There are no known differences in the subject goods produced by the domestic industry and that exported from the subject country. The present investigation is a sunset review investigation and the Authority had earlier held that the goods supplied by the domestic industry are like article to the PUC.
- 24. The Authority earlier at the time of original investigation held that the subject goods produced by the domestic industry are comparable to the goods imported from the subject country in terms of technical specifications, manufacturing process & technology, functions & uses, pricing, distribution & marketing, and tariff classification of the goods. The two are technically and commercially substitutable. None of the interested parties have contended that the goods supplied by the domestic industry is not a like article to the PUC. Therefore, for the purpose of the present investigation, the subject goods produced and supplied by the domestic industry are being treated as 'like article' to the subject goods being imported from the subject country.

E. Scope of the domestic industry and standing

E.1 Submissions made by other interested parties

25. The submissions made by other interested parties regarding domestic industry and standing are as follows:

i. The application does not contain sufficient evidence to support standing of the applicants to represent domestic industry.

E.2 Submissions made by the domestic industry

- 26. The submissions made by the applicants regarding domestic industry and standing are as follows:
 - i. The present application has been filed by ATMA on behalf of Apollo Tyres Ltd, J.K Tyre Industries Ltd., and MRF Limited. The applicants' companies are not related to any exporters of the subject goods in the subject country or any importer of the subject goods in India.
 - There are other domestic producers of the subject goods in India such as Bridgestone India Private Limited, Continental India Ltd, Michelin India Private Limited and CEAT Limited.
 - iii. The production by the applicants' companies constitutes more than the Indian production. The production of the applicants companies accordingly constitute a major proportion in the Indian production.
 - iv. The applicants' companies have not imported the product under consideration from the subject country. Nor are they related to any importer or exporter of the product under consideration.
 - v. The requirement of standing is not relevant for a sunset review investigation. In any case, the applicants' domestic industry meets the requirements of standing under Rule 6(3) of the CVD Rules.

E.3 Examination by the Authority

27. Rule 2(b) of the CVD Rules defines domestic industry as:

"domestic industry" means the domestic producers as a whole engaged in the manufacture of the like article or those whose collective output of the said article constitutes a major proportion of the total domestic production of that article, except when such producers are related to the exporters or importers of the alleged subsidised article, or like article from other countries or are themselves importers thereof, the term "domestic industry" may be interpreted as referring to the rest of the producers"

- 28. The present application has been filed by Automotive Tyre Manufacturer's Association on behalf of domestic producers of the product namely, Apollo Tyres Limited, J.K. Tyre Industries Limited and MRF Limited.
- 29. It is seen from the information on the record that the applicants account for more than 60% of the entire production in India. The applicants have not imported the subject goods from the subject country and that they are not related to any exporter of the subject goods in the subject country or importer of the subject goods in India. Accordingly, the Authority hold to determines that the applicants constitute domestic industry as defined under Rule 2(b) of the CVD Rules, and the application meets the requirements of standing under Rule 6(3).

F. Confidentiality

F.1 Submissions made by the other interested parties

- 30. Following submissions have been made by other interested parties with regard to confidentiality issues:
 - i. The application filed by the petitioners have failed to provide nonconfidential summaries of the information claimed confidential without any reasonable justification thereby violating the Rules and Trade Notices.
 - ii. The application filed by the petitioners have failed to comply with the requirements of the Trade Notice No. 10/2018 date^d 7th September, 2018.

F.2 Submissions made by the domestic industry

- 31. Following submissions have been made by the domestic industry with regard to confidentiality issues:
 - The confidentiality claimed by exporters is so excessive that one cannot even gauge from NCV which subsidy schemes have been availed.
 - ii. The responses filed by other interested parties are deficient and in violation of Trade Notice 10/2018 and Trade Notice 01/2013, thereby preventing the domestic industry from defending their rights. The exporters have claimed information in public domain confidential, showing excessive confidentiality claimed on no-basis.
 - iii. The applicants have claimed such information as confidential, confidentiality of which has been permitted under the rules and as per consistent practice of the Authority.
 - iv. The applicants have provided sufficient non confidential version of the application. No interested party has been able to point out any specific instance of information which has been claimed confidential and confidentiality of which is not justified under the rules.

F.3 Examination of the Authority

32. With regard to confidentiality of information, Rule 8 of Anti-Subsidy Rules provides as follows:

"Rule 8: Confidential information. (1) Notwithstanding anything contained in subrule (1), (2), (3) and (7) of rule 7, subrule (2) of rule 14, subrule (4) of rule 17 and subrule (3) of rule 19 copies of applications received under subrule-

- (1) of rule 6 or any other information provided to the designated authority on a confidential basis by any party in the course of investigation, shall, upon the designated authority being satisfied as to its confidentiality, be treated as such by it and no such information shall be disclosed to any other party without specific authorisation of the party providing such information.
- (2) The designated authority may require the parties providing information on confidential basis to furnish nonconfidential summary thereof in sufficient details to permit a reasonable understanding of the substance of the confidential information and if, in the opinion of a party providing such information, such information is not susceptible of summary, such party may submit to the designated authority a statement of reasons why summarization is not possible.
- (3) Notwithstanding anything contained in subrule (2), if the designated authority, is satisfied that the request for confidentiality is not warranted or the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorise its disclosure in generalised or summary form, it may disregard such information."
- 33. A list of all the interested parties was uploaded on the DGTR's website along with the request therein to all to email the non-confidential version of their submissions to all other interested parties.
- 34. Information provided by the interested parties on confidential basis was examined with regard to sufficiency of the confidentiality claim. On being satisfied, the Authority has accepted the confidentiality claims, wherever warranted and such information has been considered confidential and not disclosed to the other interested parties. Wherever possible, parties providing information on confidential basis were directed to provide sufficient non-confidential version of the information filed on confidential basis. The Authority also notes that all interested parties have claimed their business-related sensitive information as confidential.

G. Miscellaneous Submissions

G.1 Submissions made by the other interested parties

- 35. The following submissions have been made by the domestic industry with regard to other issues:
 - i. There is no need to continue countervailing duty as there are non-tariff barriers such as quality control order and import restrictions which are reducing imports.
 - ii. Truck and bus radial tyres have been subjected to trade remedial measures in India numerous times.
 - iii. Import data considered by the applicants is unreliable.
 - iv. Countervailing duty should be adjusted for anti-dumping duty which is being assessed subject to provisional assessment order passed by Delhi High Court in its Order dated 9th January 2023 in Writ Petition filed by ATMA [WP (C) 225/2023.

G.2 Submissions made by the domestic industry

- 36. The following submissions have been made by the domestic industry with regard to other issues:
 - i. The unit of measurement used in the questionnaire responses by the respondents are in numbers (PCS) which fail to comply with the standard determined i.e., weight (MT) by the Authority in the original investigation.
 - ii. Import duty restrictions and quality control order have no bearing on the case. The present case pertains to continuation of duty. On the other hand, import restrictions are imposed as per the discretion of the government and quality control orders are enforced to regulate quality of the products.
 - iii. The question of adjustment against anti-dumping duty on subject goods does not arise as Ministry of Finance has not implemented Hon'ble Delhi Court's ad-interim direction as on date.

G.3 Examination of the Authority

- 37. The Authority has considered the submissions made by the parties and determines as follows.
- 38. As regards subject goods being subjected to trade remedies numerous times, the Authority notes that there is no bar on the number of times redressal can be sought against unfair imports. The Rules require the Authority to determine whether cessation of countervailing duty is likely to lead to continuation or recurrence of subsidisation and injury to the domestic industry. The recommendation for extension of countervailing duty is made only when the requisite legal requirements are met. Further, it is seen that it is not only the Designated Authority that is

taking trade remedial action against subject imports but also numerous other countries such as USA, Europe, Eurasian Economic Union, Egypt and South Africa. In fact, it is seen that the quantum of measures invoked by other authorities is much higher than the quantum of measures imposed by the Authority.

- 39. The import policy and certification requirements constitute statutory discretion vested in the government. It has no bearing on the scope of the present sunset review which is for the purpose of examining extension of countervailing duty. The government has only restricted the imports of the subject goods by way of licensing but has not banned imports. The licenses can be obtained after meeting the terms and conditions.
- 40. With regard to adjustment of countervailing duty with anti-dumping duty, the Authority has specified how anti-dumping duty and countervailing duty should be collected. The actual duty collection of anti-dumping duty is subject to the outcome of the writ petition pending before the Honourable Delhi Court. The Authority had determined the question of adjustment of countervailing duty and anti-dumping duties in its final findings in the original investigation dated 25th March 2019, in the event that anti-dumping duty and countervailing duty is levied simultaneously:

"Having regard to the lesser duty rule followed by the Authority, the Authority recommends imposition of definitive countervailing duty equal to the lesser of margin of subsidy and margin of injury, from the date of notification to be issued in this regard by the Central Government, so as to remove the injury to the domestic industry. Since, product under consideration is already attracting anti-dumping duty from China PR, the amount of countervailing duty to be imposed is equivalent to the difference between the quantum of countervailing duty mentioned in Col No.7 below and antidumping duty payable, if any. If the countervailing duty is less than the anti-dumping duty payable, the differential amount would be in the negative and no countervailing duty shall be collected in such case."

41. With regard to unreliability of import data submitted by the petitioners, the Authority has in any event relied on DGCI&S transaction-wise data for the purpose of its determinations regarding imports.

H. Determination of Subsidy and Subsidy Margin

- 42. The application filed by the domestic industry provided adequate *prima facie* evidence of existence of countervailable subsidies in the subject country on the subject goods. Government of Peoples Republic China ("GoC") was invited for consultations, which were held on 15th December, 2023. The present investigation was initiated on the basis of *prima facie* evidence.
- 43. The producers and exporters and GoC were advised to file response to questionnaire and were given adequate opportunity to provide verifiable information/evidence on the existence, degree, and effect of alleged subsidy program for a making an appropriate determination of existence and quantum of such subsidies.
- 44. Although the Government of China PR and the participating exporters filed response to the questionnaires, they failed to provide response in the form and manner prescribed by the Authority. GoC has provided information only in respect of participating exporters whereas in a countervailing duty investigation, industry wide information is mandatory to ascertain financial contribution, benefit and specificity. The program wise responses filed by GoC and exporters are also incomplete as response to each subsidy program and all applicable evidences have not been provided. Further, vital information regarding direct/indirect ownership/control of government in tyre companies has not been disclosed even though such information is available in public domain. Therefore, wherever the response filed by GoC and exporters have been found incomplete or inadequate, the Authority is constrained to rely on facts available on record, including the information provided by the domestic industry in its petition, determinations earlier made by the Authority, determinations made by other investigating authorities and information/evidence filed by the domestic industry during the course of the investigation.
- 45. As per the petition the Chinese producers/exporters of the subject goods have received countervailable subsidies under the following programs of various levels of governments and they have been classified under six broad categories: grants, tax and VAT incentives, preferential loans and lending/financing, export financing and export credit, provision of goods at less than adequate remuneration, and equity infusion. The various programs classified under these categories are listed below:

I. Schemes previously countervailed in the Original Investigation

46. In the original investigation, the Authority had held that following schemes are countervailable:

a. Programs in the Form of Grants

- i. Program no. 1: Fixed Asset Investment Subsidies
- ii. Program no. 2: Reimbursement of Anti-dumping and/or Countervailing Legal Expenses by the Local Governments
- iii. Program no. 3: Special fund for foreign economic and trade development

- iv. Program no. 4: Export Assistance Grant
- v. Program no. 5: Subsidies for Companies Located in the Hefei Economic and Technology Development Zone
- vi. Program no. 6: Anhui Province Subsidies for Foreign-Invested Enterprises
- vii. Program no. 7: Hefei Municipal Export Promotion Policies
- viii. Program no. 8: Various subsidy programs for enterprises located in Hangzhou Economic and Technology Development Area
- ix. Program no. 9: Funds for "Outward Expansion" of Industries in Guangdong Province
- x. Program no. 10: Research and Development Assistance Grant
- xi. Program no.11: Fund for Industrial Transformation and Upgrading / Grants related to technological upgrading, renovation or transformation
- xii. Program no. 12: Special funds for energy saving technology reform / promotion of circular economy/ incentive fund for transformation of energy-saving technology
- xiii. Program no. 13: Grants for purchase of equipments
- xiv. Program no. 14: Special funds for infrastructure construction
- xv. Program no. 15: Various Government grants- Received by producers/exporters of China PR/ Ad hoc grants provided by central, provincial and municipal/regional authorities
- xvi. Program no. 16: Grant for Bringing in Foreign Intellectuals
- xvii. Program no. 17: Grants for Employment Stabilization, Graduates Training and recruitment provided by provincial/prefectural/municipal government authorities
- xviii. Program no. 18: Postdoctoral researchers funding
- xix. Program no. 19: Grants for maintenance and operation of equipments
- xx. Program no. 20: Relocation Compensation provided by provincial/prefectural/municipal government authorities
- xxi. Program no. 21: Ad-hoc grants for implementing specialized projects/pilot projects provided by provincial/prefectural/municipal government authorities
- xxii. Program no. 22: Grants/Awards for Industrial Design
- xxiii. Program no. 23: Grants/Awards for Technological Innovation
- xxiv. Program no. 24: Talent introduction fund
- xxv. Program no. 25: Research report writing expenditure refund
- xxvi. Program no. 26: Service industry development fund
- xxvii. Program no. 27: Self-owned Brand Development Registration Fee refund
- xxviii. Program no. 28: Import Equipment interest subsidy
 - xxix. Program no. 29: Export Rewards
 - xxx. Program no. 30: Patent Creation and Support Fund
- xxxi. Program no. 31: Listing Fee Grant
- xxxii. Program no. 32: Subsidies for listed companies
- xxxiii. Program no. 33: Shandong Province Key Industry Technical Reform Project Loan Financial Discount Interest Fund
- xxxiv. Program no. 34: Nanhai New District Industrial Park Land Special Fund
- xxxv. Program no. 35: Grants for financing loans and interest
- xxxvi. Program no. 36: Special funds for land in Nanhai New District Industrial Park

b. Programs in the form of Tax and Vat Incentives

- xxxvii. Program no. 37: Tax Policies for the deduction of research and development (R&D) expenses
- xxxviii. Program no. 38: Preferential tax policies/ Income Tax Reductions for companies that are recognized as high and new technology companies
- xxxix. Program no. 39: Tax credit concerning the purchase of special equipment

c. Programs in the Form of Preferential Loans and Lending

- xl. Program no. 40: Government Policy Lending
- xli. Program no. 41: Preferential Loans to State Owned Enterprises
- xlii. Program no. 42: Discounted Loans for Export-Oriented Enterprises and Export Loan Interest Subsidies
- xliii. Program no. 43: Preferential loans and interest rates to the Tyre Industry

d. Programs in the form of Export Financing and Export Credit

- xliv. Program no. 45: Export Seller's Credit
- xlv. Program no. 46: Export Buyer's Credit
- xlvi. Program no. 47: Other Export Financing from State-Owned Banks

e. Programs in the Form of Provision of Goods and Services at Less Than Adequate Remuneration (LTAR)

- xlvii. Program no. 48: Provision of Electricity for Less Than Adequate Remuneration
- xlviii. Program no. 49: Land Use Rights at LTAR in Industrial and Other Special Economic Zone
- xlix. Program no. 50: Provision of Land to State Owned Enterprises at LTAR
 - 1. Program no. 51: Land Use rights at LTAR for Foreign Invested Enterprises
 - li. Program no. 52: Land-Use Rights at LTAR in Economic Development Zones
 - lii. Program no. 53: Provision of Carbon Black for Less Than Adequate Remuneration

J. New Programs

47. The domestic industry has contended that there are more countervailable programs providing benefits, resulting in lower costs, thereby allowing Chinese producers to sell at a lower price. The list of such new programs is provided below:

a. Programs in the Form of Grants

- i. Program no. 54: National Award for Green Factory
- ii. Program no. 55: Famous Brands of China recognized by central, provincial or municipal/regional authorities
- iii. Program no. 56: Compensation for land acquisition and demolition spending funds
- iv. Program no. 57: Funds for making investments in overseas subsidiaries
- v. Program no. 58: Department of Commerce exchange rate subsidies
- vi. Program no. 59: Grants for fixed asset investment for enterprises in Hubei
- vii. Program no. 60: Special Fund for High-quality Development for enterprises located in Hubei
- viii. Program no. 61: Road Transportation Subsidy
- ix. Program no. 62: Intellectual Property Awards provided by provincial/prefectural/municipal government authorities
- x. Program no. 63: Special funds for high-tech enterprises in Yantai Economic Development Zone
- xi. Program no. 64: Electricity subsidy
- xii. Program no. 65: Enterprise social security subsidy
- xiii. Program no. 66: Transformation and upgrading of key export industries

- xiv. Program no. 67: Incentive funds/ Awards for increasing production and efficiency of key enterprises
- xv. Program no. 68: Incentive funds for Expansion of production-oriented export enterprises
- xvi. Program no. 69: Industrial enterprise disaster relief funds

b. Programs in the form of Tax and Vat Incentives

- xvii. Program no. 70: Export tax rebate/Tax Refund on Exports
- xviii. Program no. 71: Accelerated depreciation of fixed assets
- xix. Program no. 72: Tax incentives on urban land use tax for high tech enterprises
- xx. Program no. 73: Refund/Rebate/Remission of taxes and fees by central, provincial or municipal/regional governmental authorities
- xxi. Program no. 74: Import Tariff/Charges and VAT Relief for Imported Equipment
- xxii. Program no. 75: Import Tariff/Charges and VAT Relief for Imported Inputs

c. Programs in the form of Equity Infusion

- xxiii. Program no. 76: Grant of Shares in Prometeon Tyre Group S.r.l. to Aeolus Tyres by ChemChina
- xxiv. Program no. 77: Preferential Financing under One Belt One Road Initiative for Companies making Outward Investments
- xxv. Program no. 78: Debt for Equity Swaps

d. Programs in the Form of Provision of Goods and Services at Less Than Adequate Remuneration (LTAR)

- xxvi. Program no. 79: Provision of Nylon Tyre Cord Fabric for Less Than Adequate Remuneration
- xxvii. Program no. 80: Provision of Synthetic Rubber for Less Than Adequate Remuneration
- xxviii. Program no. 81: Provision of Natural Rubber for Less than Adequate Remuneration

e. Programs in the Form of Preferential Financing

- xxix. Program no. 82: Provision of Loan Guarantee/Credit Loan Guarantee/Export Credit Guarantee by GOC/ State owned Banks
- 48. Principle of judicial economy allows the Authority to refrain from undertaking detailed investigation in respect of those program wherein the Authority is not required to quantify benefits. The Authority has examined whether countervailable schemes as determined during the original investigation continue, and whether there is evidence of continued benefit being received under the said schemes. The present investigation is a sunset review investigation, and the objective of the investigation is to ascertain whether the Chinese producers continue to benefit from countervailable subsidies. However, the GoC and the exporters have filed incomplete and inadequate responses. The Authority has considered it unnecessary to quantify benefits under these schemes that were earlier investigated and found countervailable. However, the Authority has examined hereinbelow whether the subsidy programs countervailed at the time of original investigations continue to give countervailable benefits.
- 49. The domestic industry has alleged existence of a number of new schemes. These were not brought before the Authority at the time of the original investigations. The domestic industry contended that the Chinese producers have received countervailable benefits in these schemes as well. However, the domestic industry has not provided any information and evidence for quantification of benefits in these schemes. Barring two Chinese producers, none of the Chinese producers participated in the present investigation. The responding exporters have stated that they have not supplied any PUC during present POI. Even otherwise, the questionnaire response filed by the responding exporters are incomplete. Since, the domestic industry has not provided information and evidence for quantification of benefit, the present investigation is a sunset review investigation, and the domestic industry itself has not claimed increased countervailing duty margin, the Authority considers that it is not necessary to examine countervailability of these programs. Accordingly, the new schemes brought on record by the domestic industry have not been examined.

K. Examination of Subsidy Programs

K.1 Submissions made by the other interested parties

50. The following submissions have been made by the other interested parties with regard to subsidy and subsidy margins:

- i. The petitioners failed to provide sufficient evidence to show existence of the program or how the program relates to tyre producers.
- ii. The participating respondents are not located in the geographical region in respect of which subsidy program is applicable.
- iii. The petitioners fail to provide the accounting records, vouchers, or any other evidence to prove that the companies under investigation have actually received the subsidy benefits associated with the program.
- iv. Subsidy schemes are not specific.
- v. Concept of non-market economy does not exist in countervailing duty laws in India.
- vi. External benchmarks for less than adequate remuneration analysis is not consistent with Indian laws.
- vii. Chinese commercial banks and state-owned enterprises are not "public bodies." State ownership is not the sole criterion to determine if an entity is a public body.
- viii. Individual duty rates as determined in the original investigation should be recommended for participating exporters.
- ix. GoC and the participating exporters have filed complete questionnaire response as prescribed by the Authority.
- x. GoC has not provided information in respect of non-participating exporters as it does not have access to their information. It has responded to the best of its ability.

K.2 Submissions made by the domestic industry

- 51. The following submissions have been made by the domestic industry with regard to subsidy and subsidy margins:
 - i. Chinese laws and regulations, various government reports, screenshots of government websites, WTO reports, media reports and independent studies and analysis undertaken by reputed organisations such as OECD, detailed findings of other investigating agencies in their anti-subsidy investigations corroborated with annual reports of major tyre producers, all show sufficient evidence for financial contribution, benefit, and specificity.
 - ii. In the original investigation, the Authority found countervailability of programs on the basis of geographic specific subsidies availed by Giti Tyre Anhui Co. Ltd. and Guangzhou Pearl River. These exporters are not participating in the present SSR, but this does not change countervailability of subsidy schemes
 - iii. The Annual Reports of major tyre producers itself show availment of subsidies. The onus is on the participating exporters to show their accounting records or vouchers to show that they have not availed subsidies
 - iv. GOC has failed to provide adequate response to counter *de jure and de facto* specificity of the alleged subsidy programs.
 - v. China is considered as a "non-market economy" by almost all investigating authorities precisely because of rampant price distortions prevailing in all industries across the board. Price distortions in China is documented by European Commission in its Working Document "Significant Distortions in the Economy of the People's Republic of China for the Purposes of Trade Defence Investigations.
 - vi. WTO allows investigating authorities to reject domestic prices as a benchmark price to address 'price distortions' as held by WTO Panel in US Definitive Anti-Dumping and Countervailing Duties on Certain Products from China. DGTR has also considered external benchmarks in Anti-subsidy investigation concerning imports of "Fiberboards" originating in or exported from Indonesia, Malaysia, Thailand, Vietnam, and Sri Lanka (Case No. CVD 6/2019).
 - vii. Even when the state-ownership is not considered as the sole criterion to determine whether state owned banks in China are public bodies, the investigating authorities including India, USA and Europe have consistently held that Chinese banks possess, exercise and vested with governmental authority. Therefore, they are public bodies as per CVD law.
 - viii. The domestic industry is requesting for continuation of imposition of residual duty on all exporters due to their failure to cooperate in the present investigation.
 - ix. GoC has suppressed information regarding direct and indirect ownership/control of the government in tyre companies in China. Such information is available in the public domain. However, neither GoC nor participating exporters provided this information in their response.

K.3 Examination of Subsidies

A. Grants: programs claimed to be countervailed in original investigation: Program no. 1 to 36

K.4 Submissions made by the other interested parties

- 52. Following submissions were made by GoC and participating exporters regarding subsidy programs in the nature of grants:
 - i. In respect to program no. 1 to 36 and 54 to 69 the GoC has stated that participating exporters have not applied for some of the programs, the domestic industry has not provided sufficient evidence for some of the programs, some of the programs are not specific and some of the programs are not applicable to the participating exporters. Therefore, the Standard Questions Annexure and Grant Annexure are not applicable.
 - ii. As per the GoC the subsidy program alleged as program no. 2 does not exist as a subsidy scheme. Further, Program no. 13 is not specific.
 - iii. Zhongce Rubber Group has availed grants under program no. 8, 12, 17, 18, 20, 23, 24, 29, 30, 31 and 62. The document relied upon by the domestic industry to claim that Zhongce has failed to provide complete information regarding grants is share prospectus and not annual report. This document is a consolidated report which lists subsidies received by all subsidiaries of Zhongce Rubber Group. These subsidiaries are not producers of the PUC and not participating in the investigation.
 - iv. Shandong Yinbao Tyre Group Co., Ltd has availed grants under program no. 17, 23 and 62.

K.5 Submissions made by the domestic industry

- 53. Following submissions were made by the domestic industry regarding subsidy programs in the nature of grants:
 - i. In the original investigation, the Authority had countervailed subsidy programs in the nature of grants under program no. 1 to 36. Neither the participating exporters nor the GoC have submitted any evidence to show that the subsidy programs are not continuing.
 - ii. GoC is required to respond to program-wise questionnaire in respect of all exporters and not just participating exporters.
 - iii. Neither GoC nor participating exporters have provided response to Grants Annexure.
 - iv. None of the participating exporters or GoC have provided response in respect of new programs in the nature of grants (Program no. 54 to 69). The Annual Report of Zhongce Rubber in fact specifies receipt of numerous grants which Zhongce has failed to disclose in its response.

K.6 Examination of the Authority

- 54. The Authority has examined program no. 1 to 36 which domestic industry had claimed to be countervailable on the basis of Authority's final findings in the original investigation. Barring program no. 15, 35 and 36, the Authority determines that all programs from 1 to 36 were held to be countervailable by the Authority in the original investigation. Program no. 15, 35 and 36 have been removed as they are general or duplicate programs which have already been covered by other programs.
- 55. The GoC and the participating exporters have provided incomplete and inadequate response in respect of these subsidy programs. No substantive evidence has been provided to support the claim that these grants are not countervailable. Further no evidence has been provided to support the claim that benefits received under these schemes have discontinued.
- 56. In any event, the benefit for a non-recurring subsidy program related to capital assets continues for the entire average useful life of the assets which is typically taken as 10 years as per DGTR practice in countervailing duty investigations. Therefore, for non-recurring subsidy programs related to capital assets, the benefit would be deemed to continue in the present sunset review, considering that the life of the assets is not completed.
- 57. Even when there are two Chinese producers who have participated in the present investigations, these producers have claimed that they have not exported any PUC to India during the present POI. Thus, the Authority has not examined continuation of countervailable benefits for individual participating producers. The Authority has examined whether the Chinese producers as such continue to receive countervailable benefits under these programs.
- 58. In respect of program no. 1, 3, 4, 9, 11, 14, 15, 16, 19, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 32, 36, 54, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69 the GoC has merely submitted that participating exporters have not applied for these programs. The Authority notes that program no. 1, 3, 4, 9, 11, 14, 15, 16, 19, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 32, 36 are in the nature of grants. Since these are in the nature of grants, the Authority is required to consider these over the

- average useful life (AUL) of the company. It is noted that GoC has not provided any documentary evidence substantiating its claim that the respondents have not availed any grant during the AUL and the POI.
- 59. Analysis of annual report of the participating producers clearly show receipt of grants. It is noted that the company has received significant amount of grant during the present period. Thus, receipt of grant even during the current period is established even by the questionnaire response filed by the participating producers itself. In addition, the domestic industry has also filed annual reports of other tyre producers Triangle Tire Co Ltd, Shandong Linglong Tire Co. Ltd., Aeolus Tire Co Ltd., Wanda Group Co. Ltd. and Giti Tire Co. Ltd. for the calendar year 2022 as evidence of grants. These annual reports also show receipt of significant amount of grants during the current period.
- 60. The Authority notes that program no. 54, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69 are new programs identified by the petitioners. As stated before, the Authority has considered it appropriate not to examine new programs. Therefore, countervailability of these has not been examined.
- 61. The two Chinese participating producers have claimed that they have not exported any PUC to India during the present POI. Countervailability requires examination of financial contribution, benefit, and specificity. Financial contribution requires examination of legal texts that govern subsidy programs. Benefit analysis involves examination of whether the recipient is more advantageous than others in a market or if a recipient has received financial contribution which is not based on commercial considerations. Specificity requires examination of eligibility criteria of subsidy programs in order to determine if a subsidy program is enterprise specific or industry specific or geographically specific. Further, specificity analysis is not limited to legal text alone (*de jure* subsidy). The Authority is also required to examine grant of subsidy in fact (*de facto* subsidy), which involves an examination of whether a subsidy has been granted to limited number of enterprises (even though the legal text may not mention such specificity criteria) or the subsidy is predominantly used by certain enterprises or disproportionately large sum of subsidy is granted to certain enterprises. This analysis can certainly not be done on the basis of information submitted for participating exporters alone. GoC has not responded to the questionnaire in the prescribed format by avoiding to provide industry wide information in respect of all enterprises involved in production and sale of the product under consideration.
- 62. In respect of program no. 13, "Grants for Purchase of Equipment", GoC claimed that it is not specific. During the original investigation, the exporters themselves reported that they have received such grants. GoC has not submitted any evidence to show that these grants are not enterprise or industry specific. The Authority considers that the benefit under this program became available throughout the life of the equipment so bought. Availment of this benefit was admitted by the exporters in the original investigation. Therefore, the Authority continues to hold program no. 12 as countervailable.
- 63. The Authority examined the document regarding Zhongce Rubber submitted by the petitioners to claim that Zhongce Rubber has not disclosed grant programs. The document is titled as "Prospectus for Initial Public Offering of shares and listing on the main board" of Zhongce Rubber Group Co., Ltd. The document identifies numerous subsidy programs in the nature of grants which are evidently not disclosed by Zhongce in its response. In this regard, Zhongce has submitted that the share prospectus is a "consolidated report" of Zhongce Rubber Group as a whole. It is not required to disclose subsidies received by all subsidiaries. The Authority has examined that Zhongce Rubber has following wholly owned subsidiaries:
 - i. Hangzhou Chaoyang Rubber Co., Ltd.
 - ii. Zhongce Rubber (Jiande) Co., Ltd.
 - iii. Hangzhou Zhongce Qingquan Industrial Co., Ltd.
 - iv. Hangzhou Haichao Rubber Co., Ltd.
 - v. Zhongce Rubber (Anji) Co., Ltd.
 - vi. Zhongce Rubber (Tianjin) Co., Ltd.
- 64. Out of these subsidiaries, it is evident from publicly available information that Hangzhou Zhongce Qingquan Industrial Co., Ltd.¹ and Zhongce Rubber (Tianjin) Co., Ltd. produce the PUC. Out of these two only Zhongce Rubber (Tianjin) Co., Ltd. has filed response. Therefore, it is evident from the consolidated report and absence of response by Hangzhou Zhongce Qingquan Industrial Co., Ltd. that Zhongce Rubber has not disclosed all subsidy programs availed by its subsidiaries that produce the PUC.

B. Tax and VAT incentives: Program no. 37 to 39 (subsidy programs investigated in the original investigation)

i. Program no. 37

__

¹ https://www.tirereview.com/hangzhou-zhongce-sets-prudent-growth-course/

K.7 Submissions made by other interested parties

i. The GOC and participating exporters have stated that the programs in the nature of Tax and VAT incentives are not specific.

K.8 Submissions made by the domestic industry

- 65. The domestic industry made the following submissions
 - i. With regard to subsidy programs in the nature of Tax and VAT incentives the domestic industry has stated that, in the original investigation, the Authority had countervailed subsidy programs in the nature of tax incentives under program no. 37 to 39.
 - ii. Neither the participating exporters nor the GoC have submitted any evidence to show that the subsidy programs are not continuing to confer benefit.

K.9 Examination of the Authority

66. In respect of Program no. 37, "Tax Policies for the deduction of research and development (R&D) expenses", the Authority examined countervailability of this program as program no. 27 in the original investigation. The relevant extracts of the findings are provided below:

"183.The Authority notes that the program was governed under Article 30.1 of the Corporate Income Tax Law of the PRC and Article 95 of the Regulations on the Implementation of Enterprise Income Tax Law of the PRC. Further, the SAT issued Notice on Issuing the Administrative Measures for the Pre-tax Deduction of Enterprise Research and Development Expenses (for Trial Implementation) (Guo Shui Fa (2008) No. 116) to clarify R&D expense allowed to be deducted on a weighted basis.

184.The above instrument also stipulates that where the R&D expenses actually incurred by an enterprise have not been included in the current loss and profit as intangible assets, 50% of the amount of R&D expenses actually incurred during year shall be deducted from the amount of taxable income in addition to the deduction based on actual expenses. Where any intangible assets are formed, 150% of the costs of the intangible assets shall be amortized before tax payment.

185.The Authority notes that Guo Shui Fa (2008) No. 116 was replaced with Notice of the Ministry of Finance and the State Administration of Taxation on Issues concerning the Policies for the Weighted Pre-tax Deduction of Research and Development Costs (Cai Shui (2013) No. 70) dated January 1, 2013 and then further replaced with Notice of the Ministry of Finance, the State Administration of Taxation and the Ministry of Science and Technology on Improving the Policies for the Weighted Pre-tax Deduction of Research and Development Expenses (Cai Shui (2015) No. 119) dated January 1, 2016. The same is still in effect.

186. The Authority notes that this program has been earlier examined by some other investigating Authorities in the past, which establishes its existence. For example, countervailability of this program has been established by the EU authorities in Organic Coated Steel Products.

187. Zhongce Rubber Group Co, Ltd, one of the responding exporters from China PR has submitted in its questionnaire response that it availed this subsidy and has provided information with regard to the amount of subsidy during the POI.

188.Program provides for a financial contribution in the form of revenue foregone which is otherwise due and a benefit is thereby conferred. Subsidy is also specific because it is limited to enterprise which are engaged in research and developmental activities. The fact that Zhongce Rubber benefitted from the program shows that program was is fact used by the tyre producers in China PR that exported the subject product to India during the POI. Therefore, Authority holds that countervailing duty should be imposed against this program."

- 67. Zhongce Rubber Group Co, Ltd, and Shangdong Yinbai Tyre Group Co. Ltd. participating exporters from China PR have submitted in their questionnaire response that they have availed this subsidy and have provided information with regard to the amount of subsidy during the POI.
- 68. GOC in its response has claimed that the program is not countervailable, as it is not specific. GoC claimed that this program is available to all enterprises, regardless of whether they are classified as high and new technology enterprises. However, in the original investigation the Authority had determined that the program is specific, because it is limited to enterprise which are engaged in research and developmental activities. The GoC had not contested this determination. The Authority notes that the continuation of the program has not been disputed by the GoC. In fact, the GoC has admitted continuation of the program. Therefore, the Authority holds that this program continues to grant countervailable benefit.

ii. Examination of Program no. 38

- 69. In respect of Program no. 38, "Preferential tax policies/ Income Tax Reductions for companies that are recognized as high and new technology companies", the Authority examined countervailability of this program as program no. 31 in the original investigation. The relevant extracts of the findings are provided below:
 - "216.The Authority notes that this program has been earlier examined by some other investigating Authorities in the past and existence and countervailability of this program has been established. For example, (a) by the EU authorities in organic coated steel products as well as coated fine paper.
 - 217. <u>Aeolus Tyre Co, Ltd and Triangle Tyre Co, Ltd, two of the responding exporters from China PR who have submitted questionnaire response and have stated that they availed this benefit and have provided information with regard to the amount of subsidy received by them during the POI.</u>
 - 218.Program provides for financial contribution in the form of revenue foregone and benefit is thereby conferred. Program is also specific because it is limited to certain enterprises. The fact that Aeolus Tyre Co. Ltd. and Triangle Tyre Co. Ltd., benefited from the program shows that program was in fact used by the tyre producers in China PR that exported the subject product to India during the POI. Therefore, the Authority holds that countervailing duty should be imposed against this program."
- 70. Aeolus Tyre Co. Ltd. and Triangle Tyre Co. Ltd. who availed this program during the original investigation have not participated in the present sunset review. The participating exporters have not availed this program. However, as mentioned above, countervailability of a program is not determined by participating exporters alone.
- 71. GOC has claimed that the program is not specific as it is applicable to all high and new technology enterprises, and certification of high and new technology enterprise is applicable to all legal person enterprises within China without any bias as to enterprise type, industrial sector, or geographical location. However, GOC has not submitted any evidence to substantiate this claim. The Authority has also previously found this program to be countervailable in Hot Rolled Cold Rolled Steel (2017) after examining in detail the specificity of the eligibility criteria of High and New Technology Enterprises:
 - "310. Under these regulations enterprises with 'Advanced and New-Tech enterprises Certificates' and those located in specified regions or zones are eligible for reduction of the normal tax rate of 25% to the preferential rate of 15%."
- 72. The GoC has not provided any document to show that the conclusion drawn by the Authority in the previous determination no longer holds true. Further, as per the regulation quoted above, the reduction in normal tax rate is available only to enterprises with 'advanced and new-tech enterprises certificates' and to those located in specified regions. This itself establishes that the program is specific as it is not available to all enterprises. Therefore, the Authority holds that this program continues to grant countervailable benefit.

iii. Examination of Program no. 39

- 73. In respect of program no. 39, "Tax credit concerning the purchase of special equipment", the Authority examined countervailability of this program as program no. 39 in the original investigation. The relevant extracts of the findings are provided below:
 - "225.The Authority notes that the program was governed under Article 34 of the Enterprise Income Tax Law of the PRC and Article 100 of the Regulations on the Implementation of Enterprise Income Tax Law of the PRC. Further, the Ministry of Finance, the State Administration of Taxation, the National Development and Reform Commission and Other Departments issued the Catalogues of the Special Equipment for Energy and Water Conservation and Environmental Protection Eligible for Enterprise Income Tax Preferences (Cai Shui (2008) No. 115), which was replaced by 2017 Version (Cai Shui (2017) No. 71).
 - 226. The Authority notes that this program has been earlier examined by some other investigating Authorities in the past and existence and countervailability of this program has been established. For example, by the EU authorities in organic coated steel products.
 - 227. Shandong Yongfeng Tire Co. Ltd, one of the responding exporters from China PR who has submitted questionnaire response has stated that it availed this benefit and has provided information with regard to the amount of subsidy received by the company during the POI.
 - 228. The program provides for financial contribution in the form of revenue foregone and benefit is thereby conferred on the recipient. The program is also specific because it is limited to certain enterprises that purchases special equipment. The fact that Shandong Yongfeng benefited from the program shows that program was in fact used by the tyre producers in China PR that exported the subject product to India during the POI. Therefore, the Authority holds that countervailing duty should be imposed against this program."

- 74. Shandong Yongfeng who availed this program during the original investigation has not participated in the present sunset review. The participating exporters have not availed this program. However, as mentioned above, countervailability of a program is not determined by participating exporters alone.
- 75. GOC has claimed that this program is not specific, as specificity is only limited to enterprises that purchase special equipment without regard to enterprise type, industrial sector, or geographical location. However, the very fact that the program is specific to enterprises that purchase special equipment itself shows enterprise specificity as held by investigating authorities including DGTR in past cases. In the original investigation the Authority had determined that the program is specific. The Authority notes that the continuation of the program has not been disputed by the GoC. In fact, the GoC has admitted continuation of the program. Therefore, the Authority holds that this program continues to grant countervailable benefit.

C. Preferential loans and lending/financing (programs that were investigated at the time of original investigation): Program no. 40 to 47

Program no. 40: Government Policy Lending

Program no. 41: Preferential Loans to State Owned Enterprises

Program no. 42: Discounted Loans for Export-Oriented Enterprises and Export Loan Interest Subsidies

Program no. 43: Preferential loans and interest rates to the Tyre Industry

Program no. 44: Export Credit Insurance Subsidy

Program no. 45: Export Seller's Credit

Program no. 46: Export Buyer's Credit

Program no. 47: Other Export Financing from State-Owned Banks

K.10 Submissions made by other interested parties

- 76. Following submissions were made by other interested parties regarding preferential loans and lending:
 - Bank of China de-regulated interest rates as per notice of the People's Bank of China on adjusting the deposit and loan interest rates of financial institutions.
 - ii. Chinese commercial banks and state-owned enterprises are not "public bodies" as per Notice of the China Banking Regulatory Commission and Article 4 of China's Commercial Bank Law.
 - iii. State ownership is not the sole criterion to determine if an entity is a public body.
 - iv. Evidences in the petition are irrelevant and insufficient to support the allegation.
 - v. Specific subsidy does not exist in this program.
 - vi. Exporter Seller's Credit program does not constitute financial contribution.

K.11 Submissions made by the domestic industry

- 77. Following submissions were made by the domestic industry regarding preferential loans and lending:
 - i. The Authority had held these programs to be countervailable in the original investigation. No evidence has been provided that the benefit of such subsidised loans has discontinued.
 - ii. GOC and the participating exporters have filed incomplete and inadequate response. No response has been filed in respect of loans annexure to show that lending rates are at market rates.
 - iii. Article 34 of the Law on Commercial Bank law, which applies to all financial institutions operating in China, provides that 'Commercial banks shall conduct their business of lending in accordance with the needs of the national economic and social development and under the guidance of the industrial policies of the State'. Although Article 4 of the Bank Law states that 'Commercial banks shall, pursuant to law, conduct business operations without interference from any unit or individual. Commercial banks shall independently assume civil liability with their entire legal person property', US Department of Commerce and European Commission has determined that Article 4 of the Bank law is applied subject to Article 34 of the Bank law, i.e. where the State establishes a public policy the banks implement it and follow State instructions.

K.12 Examination by the Authority

78. In the original investigation, the Authority examined countervailability of the above programs in the nature of preferential loans and lending as program no. 52 to 57. The relevant extracts of the findings are provided below:

"334. During the course of investigation, the Authority noted that certain participating exporters from China PR have received benefit in the form of preferential lending from state owned banks. Authority has determined that such preferential lending has resulted in financial contribution in the form of direct transfer of funds. Authority has determined countervailing duty against such preferential lending by comparing the interest rate charged by the state-owned bank from the exporter receiving loan with the commercial benchmark interest rate prescribed for the long term and short-term borrowing by the People's Bank of China (Central Bank of China). Benefit was calculated based on the difference between these two rates. The Authority has not separately identified whether the loan granted by state owned banks were for exports or for other reasons."

- 79. GOC has contended that Chinese state-owned banks are not public bodies. It has contended that state ownership is not the sole criterion for determining if an entity is a public body.
- 80. The Authority has examined prevailing position in law regarding public bodies as per WTO jurisprudence. In United States definitive anti-dumping and countervailing duties on certain products from China, the Appellate Body established the legal standard for determination of public bodies which is consistently followed by all investigating authorities. It determined that public body within the meaning of Article 1.1(a)(1) of the SCM Agreement must be an entity that possesses, exercises or is vested with governmental authority. The Appellate Body described several types of evidence or indicators that an administering authority can consider in determining whether an entity "possesses, exercises or is vested with governmental authority." First, one can look at legal instruments. Second, one can look at the actions of the entity. Third, one can look at whether the government exercises "meaningful control" over the entity.
- 81. Investigating authorities, including USA and Europe, have consistently found that Chinese commercial banks possess, exercise, and are vested with governmental authority. By way of an example, relevant extracts from European Commission's Final Finding in respect of *Countervailing Duty imports of certain pneumatic tyres, new or retreated, of rubber, of a kind used for buses or lorries, with a load index exceeding (dated 9th November 2018)* is provided below. The detailed findings of the European Commission would show how Chinese banks exercise government functions.

"At the general level, Article 34 of the Bank law, which applies to all financial institutions operating in China, provides that 'Commercial banks shall conduct their business of lending in accordance with the needs of the national economic and social development and under the guidance of the industrial policies of the State'. Although Article 4 of the Bank Law states that 'Commercial banks shall, pursuant to law, conduct business operations without interference from any unit or individual. Commercial banks shall independently assume civil liability with their entire legal person property', the investigation showed that Article 4 of the Bank law is applied subject to Article 34 of the Bank law, i.e. where the State establishes a public policy the banks implement it and follow State instructions.

In addition, Article 15 of the General Rules on Loans provides: 'In accordance with the State's policy, relevant departments may subsidize interests on loans, with a view to promoting the growth of certain industries and economic development in some areas.'

On that basis, the Commission concluded that the GOC has created a normative framework that had to be adhered to by the managers and supervisors appointed by the GOC and accountable to the GOC. Therefore, the GOC relied on the normative framework in order to exercise control in a meaningful way over the conduct of the three cooperating state-owned banks whenever those were providing loans to the tyres industry...The Commission also sought concrete proof of the exercise of control in a meaningful way on the basis of concrete loans...The verification visits revealed that with the sole exception of certain loans in foreign currency, loans were provided to the four groups of sampled exporting producers at interest rates close to the People's Bank of China ('PBOC') benchmark interest rates, regardless of the companies' financial and credit risk situation. Hence, the loans were provided below market rates when compared to the rate corresponding to the risk profile of the four sampled exporting producers. In addition, the sampled companies had received revolving loans, which allow them to immediately replace the capital repaid on loans at the maturity date by fresh capital from new loans. In the case of two of the sampled groups of companies, payment schedules were restructured or debt was forgiven because of financial difficulties...The Commission also found that loans which should have been reported by the banks as 'not normal' loans had not always been indicated as such in the national central credit register by the three cooperating state-owned banks. The obligation to report such 'not normal loans' exists in particular when loans had been restructured, when the debtor defaulted on its payments, or when revolving loans had been issued. Such occurrences were found for all four groups of sampled exporting producers. According to the CBRC's 'Guidelines on risk-based loan classification', all of these instances should have been included in the central credit register. This lack of reporting by the financial institutions leads to a distorted picture of the company's credit situation in the central credit register, as the register does not show the real creditworthiness of the company. As a result, even if a financial institution were to apply a market-based risk assessment, it would have done so based on inaccurate information. <u>The Commission therefore concluded</u> that the GOC has exercised meaningful control over the conduct of the three cooperating state-owned banks with respect to their lending policies and assessment of risk concerning the tyres industry."

- 82. Consistent with approach followed by majority of investigating authorities, the Designated Authority has also considered Chinese banks as public bodies in all of its countervailing duty investigations where China has been a subject country.
- 83. In respect of program no. 44, "*Export Credit Insurance Subsidy*", the Authority examined countervailability of this program as program no. 58 in the original investigation. The relevant extracts are provided as follows:
 - "342. The Authority also notes that some of the participating producers have reported benefit received in the form of export credit insurance premium subsidy as grants (other than the benefit under this program) and the same has already been countervailed by the Authority."
- 84. As benefit in the form of export credit insurance premium subsidy have already been countervailed in the form of grants, this subsidy is not being examined separately to avoid duplicity.
- 85. As mentioned above, programs were already examined in the original investigation, and the Authority has no different view on the programs from the views made in the original investigation.

D. Provision of goods at less than adequate remuneration: Program no.48 to 53

- Program no. 48: Provision of Electricity for Less Than Adequate Remuneration
- Program no. 49: Land Use Rights at LTAR in Industrial and Other Special Economic Zone
- Program no. 50: Provision of Land to State Owned Enterprises at LTAR
- Program no. 51: Land Use rights at LTAR for Foreign Invested Enterprises
- Program no. 52: Land-Use Rights at LTAR in Economic Development Zones
- Program no. 53: Provision of Carbon Black for Less Than Adequate Remuneration

K.13 Submissions made by the other interested parties

- 86. Following submissions were made by other interested parties regarding above schemes relating to provision of goods at less than adequate remuneration:
 - Electricity prices in China PR are market determined as per notice on Further Deepening the Market-Oriented Reform of On-Grid Electricity Price for Coal-fired Power Generation (FGJG (2021) and notices from Provincial-Level Pricing Authorities about the Elimination of the Industrial and Commercial Electricity Sale Catalogue.
 - ii. According to the provisions on the Assignment of State-owned Construction Land Use Right through Bid Invitation Auction and Quotation, provision of land use rights in China is not specific.
 - iii. External benchmarks for LTAR schemes ought to be rejected as the concept of non-market economy in countervailing duty laws of India does not exist.
 - iv. The GOC does not interfere in or influence pricing in this market. Prices fluctuate in accordance with market dynamics.

K.14 Submissions made by the domestic industry

- 87. Following submissions were made by the domestic industry regarding above schemes relating to provision of goods at less than adequate remuneration.
- i. Program no. 48 to 53 were held to be countervailable by the Authority in the original investigation. No substantive evidence has been filed to rebut countervailability of the programs.
- ii. GOC and the participating exporters have filed incomplete and inadequate response. No response has been filed in respect of provision of goods/services annexure to show that goods received from GOC, provisional government, local government, or state-owned enterprises are at market rates.
- iii. It is for the Authority to determine the "adequacy of remuneration" and not for the exporter to pre-judge and assume that all goods and services provided to the company are at par with market prices.
- iv. The electricity market in China is characterised by an important participation of SOEs in the various stages of the supply chain. There is a significant difference between the normal power tariff and actual tariff paid by the said producers and the difference amounts to subsidy provided by the State. The program provides financial support in the form of provision of electricity at subsidized rates, to enterprises, classified as encouraged industries.

- v. As per Land administration Law of PRC, 2004 land is provided to certain industries at concessional rates. High and new technologically advanced enterprise and certain other categories of industries also receive exemption from administrative charges and provision of land use rights for less than adequate remuneration.
- vi. CCP exerts significant control over economic activities in China. GOC exercises meaningful control over State owned enterprises and uses them to effectuate its goals of upholding the socialist market economy, allocating resources, and maintaining the predominant role of the state sector.
- vii. State owned enterprises in China accounts for approximately 26.44 % of the total output of carbon black in China.
- viii. State-owned enterprises supply carbon black to tyre exporters in China. The price of input supplied is typically much below the benchmark rates i.e. prices prevailing in market economies.
- ix. The fact that input suppliers are ostensibly privately or foreign-owned companies is not dispositive for determining whether such suppliers are "authorities" because of possible GOC or CCP involvement in these companies.
- x. GoC must establish that input suppliers are independent from government control.
- xi. SOEs represents 31.43 % of the domestic output of synthetic rubber in China.
- xii. Chinese Government continues to hold significant interference in the operations (as is evident from the treatment of non-market economy). For the purpose of less than adequate remuneration, any in-country benchmark would not be an appropriate benchmark, as it would not reflect the actual value of the underlying goods or services. Out-of-country benchmarks must be considered.
- xiii. Natural rubber is the single largest element of cost. Chinese producers are getting natural rubber at lower prices either from within China, or from Chinese invested plantations outside China. Trade of natural rubber is limited to few firms in China under "designated trading" as indicated in Annex 2B of the Accession Protocol. Natural rubber prices within China are not reliable.
- xiv. As per US Department of Commerce countervailing duty findings for Truck and Bus Tires from China, nylon tyre cord fabric is predominantly produced by GOC controlled Nylon tyre cord producers. State-owned producers accounted for a large percentage of the synthetic rubber and butadiene produced in the country.

K.15 Examination of the Authority

- 88. In respect of Program no. 48, regarding "Provision of Electricity for Less Than Adequate Remuneration", the Authority examined its countervailability as program no. 63 of the original investigation. The relevant extracts of the findings are provided below:
 - "364. However, the Authority notes that Government of China is providing electricity to certain enterprises at less than adequate remuneration. Provision of electricity at less than adequate remuneration amounts to financial contribution in the form of provision of services. Authority observes that electricity at less than market rates amount to conferring of benefit. This subsidy program is also specific because it is limited to certain type of enterprises in China PR. Therefore, the Authority notes that the provision of electricity by the GOC is a countervailable subsidy program."
- 89. It is seen that none of the participating exporters or GOC have provided a response to provision of goods/services annexure. Therefore, the Authority continues to hold this program countervailable on the basis of its findings in the original investigation.
- 90. In respect of Program no. 49 to 52 regarding provision of land/land use rights at less than adequate remuneration, the Authority examined countervailability of this program as program no. 65 to 67. The relevant extracts of the findings are provided below:
 - "371. However, Authority notes that Government of China is providing land use rights to certain enterprises at less than adequate remuneration. Provision of land use rights at less than adequate remuneration amounts to financial contribution in the form of provision of services. Authority observes that land use rights provided at less than market rates amount to conferring of benefit. This subsidy program is also specific because it is limited to certain type of enterprises in China PR. Therefore, the Authority notes that the provision of land use rights by the GOC is a countervailable subsidy program."
- 91. It is seen that none of the participating exporters or GOC have provided a response to provision of goods/services annexure. Therefore, the Authority continues to hold this program countervailable on the basis of its findings in the original investigation.
- 92. In respect of Program no. 53 regarding provision of Carbon Black for Less Than Adequate Remuneration, the Authority examined countervailability of this program as program no. 68. The Authority held that the program was countervailed.

L. Methodology for Injury Determination and Examination of Injury and Causal Link

L.1 Submissions made by the other interested parties

- 93. Following submissions were made by other interested parties regarding injury:
 - i. Petitioners have exaggerated the increase in volume of imports from the subject country and have deliberately invented injury. In fact, there is no increase in the injury and there is no factual or legal basis for the petitioners to claim injury due to subsidized products.
 - ii. Inter-company competition between the domestic producers is impacting profitability of the industry.
 - iii. Petitioners have abusively withheld and manipulated information related to the allegations of injury.
 - iv. There is improvement in all economic parameters. No injury can be attributed to imports from China.
 - v. Overall performance of the applicants companies has improved in the post-POI period.

L.2 Submissions made by the Domestic Industry

- 94. The domestic industry made following submissions regarding injury.
 - i. The domestic industry is not claiming volume injury. In any event, likelihood of injury is of significance in a sunset review.
 - ii. The exporters' have referred to the overall profitability of the applicants companies, whereas the scope of investigation is limited to the PUC defined by the Authority. There is no reason why the Authority must consider overall profitability when the applicants have provided detailed costing and financial data for the PUC, which has been duly verified by the Authority.
 - iii. The profitability of the domestic industry in respect of the PUC has only improved in the recent period due to the imposition of duty. The return on investment remains low. Any deterioration would lead to significant injury.
 - iv. Imports are significantly undercutting price and the cost of the domestic industry.

L.3 Examination by the Authority

- 95. The submissions made by the domestic industry and the other interested parties with regard to the injury and causal link related issues have been examined. The injury analysis made by the Authority hereunder *ipso facto* addresses the various submissions made by the interested parties.
- 96. Rule 13 of the Rules read with Annexure-I thereto provides that an injury determination shall involve examination of factors that may indicate injury to the domestic industry, taking into account all relevant facts, including the "volume of subsidised imports and the effect of the subsidised imports on prices in the domestic market for like products and the consequent impact of these imports on the domestic producers of such products."
- 97. Rule 24 of the Rules provides that the provisions of Rules 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 18, 19, 20, 21, and 22 shall apply mutatis mutandis in case of a review. In case the performance of the Domestic industry shows that it has not suffered injury during the current injury period, the Authority shall determine whether cessation of the present duty is likely to lead to recurrence of injury to the domestic industry.
- 98. The Authority has examined the various injury parameters on account of imports from the subject country before proceeding to examine the likelihood aspects of subsidy and injury. It has been examined as to whether there is an increase in imports, in absolute terms or in relation to production or consumption. In considering the effect of the subsidised imports on prices, it is considered necessary to examine whether there has been a significant price undercutting by the subsidised imports as compared with the price of the like article in India, or whether the effect of such imports is otherwise to depress prices to a significant degree or prevent price increases, which otherwise would have occurred, to a significant degree. For the examination of the impact of the subsidised imports on the domestic industry in India, indices having a bearing on the state of the industry such as production, capacity utilization, sales volume, stock, profitability, net sales realization, the magnitude, and margin of subsidy, etc. have been considered in accordance with Annexure-I of the Rules. The Authority has taken note of various submissions of the domestic industry and other interested parties and has analysed the same considering the facts available on record and applicable laws. The injury analysis made by the Authority hereunder *ipso facto* addresses the various submissions made by the parties.

a. Assessment of Demand

99. The demand or apparent consumption has been determined as the sum of domestic sales of the Indian producers and the imports from all sources.

Particulars	Unit	2019-20	2020-21	2021-22	POI (A)
DI Sales	MT	***	***	***	***
Trend	Index	100	109	128	155
Other Producers Sales	MT	***	***	***	***
Trend	Index	100	93	159	216
Subject imports	MT	15,025	4,200	8,179	16,920
Other imports	MT	12,232	6,767	6,093	4,666
Total demand	MT	***	***	***	***
Trend	Index	100	101	132	166

100. It is seen that the demand for the subject goods has increased throughout the injury period.

b. Import Volumes

101. With regard to the volume of the subsidized imports, the Designated Authority is required to consider whether there has been a significant increase in the subsidized imports either in absolute terms or relative to production or consumption in India.

Particulars	Unit	2019-20	2020-21	2021-22	POI (A)
Subject imports	MT	15,025	4,200	8,179	16,920
Other imports	MT	12,232	6,767	6,093	4,666
Total Imports	MT	27,257	10,966	14,272	21,587
Subject country imports	s in relation to		1		
Indian Production	%	4%	1%	2%	3%
Demand	%	3%	1%	1%	2%
Total Imports	%	55%	38%	57%	78%

102. It is seen that:

- Subject imports declined in 2020-21 after imposition of countervailing duty and anti-dumping. Thereafter, imports increased substantially as imports began to be classified under other tariff codes, particularly HS Code 40118000.
- b. Imports from the subject country hold predominant share in relation to total imports in India.
- c. The subject country imports in relation to Indian production and demand has remained below 4% owing to countervailing duty being in force.

c. Price Effect

103. With regard to the effect of the subsidised imports on prices, it is required to be analysed whether there has been a significant price undercutting by the alleged imports as compared to the price of the like products in India, or whether the effect of such imports is otherwise to depress prices or prevent price increases, which otherwise would have occurred in the normal course. The impact on the prices of the domestic industry on account of the imports from the subject country has been examined with reference to price undercutting, price suppression and price depression, if any. For the purpose of this analysis, the cost of production, non-injurious price (NIP) and net sales realization (NSR) of the domestic industry have been compared with the landed price of imports of the subject goods from the subject country.

d. Price Undercutting

104. For the purpose of price undercutting analysis, the selling price of the domestic industry has been compared with the landed price from the subject country. The landed value has been calculated after adding the appropriate customs duty, and other duties applicable to the imports of the product under consideration from the subject country. Accordingly, the undercutting effects of the subsidised imports from the subject country is as follows:

Particulars	Unit	2019-20	2020-21	2021-22	POI
Net Sales Realisation	Rs/MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	102	108	119
Landed Price without CVD	Rs/MT	1,43,707	1,58,301	1,53,866	1,67,731
Trend	Indexed	100	110	107	117
Price Undercutting	Rs/MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	84	109	124
Price Undercutting	%	***	***	***	***
Range	%	40-50%	30-40%	40-50%	45-55%

105. It is seen that the price undercutting is positive and significant throughout the injury period.

e. Price Suppression and Depression

106. In order to determine whether the subject imports are depressing or suppressing the domestic prices and whether the effect of such imports is to suppress prices to a significant degree or prevent price increases which otherwise would have occurred in normal course, the changes in the costs and prices over the injury period is examined. The table below shows factual position:

Particulars	Unit	2019-20	2020-21	2021-22	POI
Cost of Sales	₹/MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	96	112	119
Selling Price	₹/MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	102	108	119
Landed Price without CVD	₹/MT	1,43,707	1,58,301	1,53,866	1,67,731
Trend	Indexed	100	110	107	117

107. It is seen that imports are not causing suppression/depression at present because of duties imposed. In the event of expiry of duty, the imports are likely to suppress / depress the prices of the domestic industry significantly, given that landed price of imports is below cost of sales. It is seen that the landed price of subject imports is below the cost on account of raw materials for the domestic industry.

M. Economic parameters pertaining to the domestic industry

i. Capacity, production, capacity utilization and sales

108. The capacity, production, sales, and capacity utilization of the domestic industry over the injury period is given in the table below:

Particulars	Unit	2019-20	2020-21	2021-22	POI (A)
Installed Capacity	MT	***	***	***	***
Production	MT	***	***	***	***
Capacity Utilization	%	68%	69%	78%	83%
Domestic Sales	MT	***	***	***	***
Export Sales	MT	***	***	***	***
Trend	index	100	96	142	131

- 109. It is seen that
 - i. The installed capacity and production of the domestic industry have increased over the injury period.
 - ii. The capacity utilization of the domestic industry has increased.
 - iii. The domestic sales have increased throughout the injury period.
 - iv. The export sales declined in 2020-21 due to Covid outbreak and increased thereafter.

ii. Market share

110. Market share of the domestic industry, other Indian producers, imports from the subject country, and other countries are shown in the table below:

Particulars	Unit	2019-20	2020-21	2021-22	POI (A)
Domestic industry	%	69.3%	74.6%	67.4%	64.6%
Trend	Index	100	108	97	93
Other Indian producers	%	25.3%	23.2%	30.4%	34.8%
Trend	Index	100	92	120	138
Subject imports	%	3.00%	0.80%	1.20%	2.00%
Other imports	%	2.50%	1.30%	0.90%	0.50%

111. It is seen that the market share of the subject imports declined in 2020 with the imposition of countervailing duty along with anti-dumping. Thereafter, the market share of the subject imports increased as imports began to be classified under other tariff codes, particularly HS Code 40118000. The level of imports from other countries remains substantially low. The share of the domestic industry has declined since 2021, while the share of other Indian producers has increased. The domestic industry contended that about 2/3rd of their sales is in OEM and imports are present in aftermarket only. Thus, the domestic industry contended that while the overall share of imports appears only in the region of 2%, it is almost three times in the demand in aftermarket.

iii. Profitability, Cash Profits, and Return on Capital Employed

112. Profits, cash profits, PBIT, and return on investment of the domestic industry over the injury period is given in the table below:

Particulars	Unit	2019-20	2020-21	2021-22	POI
Profit/ (loss)	₹/MT	***	***	***	***
Trend	Index	100	173	58	120
Cash Profit	₹/MT	***	***	***	***
Trend	Index	100	145	76	105
Profit before Interest & Tax	₹/MT	***	***	***	***
Trend	Index	100	165	67	119
Return on capital employed	%	***	***	***	***
Trend	Index	100	137	64	114

113. It is seen that:

- i. The profitability of the domestic industry has improved over the injury period, barring decline in FY 2020-21 due to Covid. Similarly, cash profit and ROCE has also improved.
- ii. However, the long-term profitability of the domestic industry is threatened given that the landed price of imports is below cost of sales, and even below domestic industry's costs on account of raw materials. If the duty is removed, the volume of imports is likely to increase substantially impacting long-term profitability of the domestic industry.

iv. Inventories

114. Inventory position with the domestic industry over the injury period and the POI is given in the table below:

Particulars	Unit	2019-20	2020-21	2021-22	POI
Opening	MT	***	***	***	***
Closing	MT	***	***	***	***
Average Inventory	MT	***	***	***	***
Trend	Index	100	88	75	75

115. It is seen that the average inventory with the domestic industry has declined throughout the injury period.

v. Employment, Wages and Productivity

116. Employment, wages, and productivity of the domestic industry over the injury period is given in the table below:

Particulars	Unit	2019-20	2020-21	2021-22	POI
No of employees	Nos.	***	***	***	***
Trend	Index	100	114	123	120
Salary & Wages	₹ Lacs	***	***	***	***
Trend	Index	100	106	127	181
Productivity per day	MT/Days	***	***	***	***
Trend	Index	100	105	129	187

117. It is seen that the number of employees has remained stable. Salaries and wages paid have increased. Productivity increased over the injury period. The domestic industry has not claimed injury on this account.

vi. Growth

118. Growth of the domestic industry is as follows:

Particulars	Unit	2019-20	2020-21	2021-22	POI (A)
Production	%	-	5%	23%	16%
Demand	%	-	1%	31%	26%
Market Share of DI	%	-	8%	-10%	-4%
Domestic sales	%	-	9%	18%	21%
Capacity Utilisation	%	-	4	8	10
PBIT Domestic	%	-	73%	-66%	106%
Cash Profit	%	-	45%	-48%	39%
Return on capital employed	%	-	37%	-53%	77%

119. It is seen that the volume parameters of the domestic industry have shown consistent growth over the injury period owing to countervailing duty imposed in June 2019. The growth in price parameters was positive in 2020-21, and negative in 2021-22 and once again positive in the present POI.

vii. Ability to Raise Capital Investment

120. It is seen that the production capacity of the domestic industry has increased over the injury period. Tyre production is highly capital intensive. In the last three years, tyre industry in India has invested close to Rs. 4,800 crores in new capacity creation and debottlenecking for existing capacities. The return on capital employed, following the trend of profits, increased till 2020-21 but declined thereafter and recovered during the POI.

viii. Conclusion on Injury

121. The examination of the imports of the subject goods and their impact on the performance of the domestic industry shows that the volume of subsidised imports from China PR increased. Even though the volume is limited, it is significant considering that majority of these have been imported under 40118000. Landed price of imports is very significantly below the price and cost of the domestic industry, thus showing likelihood significant price and cost undercutting in the event of cessation of countervailing duty. The domestic industry has not suffered any suppressing/depressing effect on its prices. Production, capacity utilisation and domestic sales of the domestic industry have increased over the injury period. The performance of the domestic industry in terms of profits, cash profits and return on capital employee has also improved over injury period. The Authority concludes that the domestic industry has not suffered continued injury. However, performance of the domestic industry is fragile vis-à-vis competition with subsidised imports from China PR, as the landed value of imports is below selling price and cost of production of the domestic industry.

N. MAGNITUDE OF INJURY MARGIN

- 122. The Authority has determined the NIP for the domestic industry by adopting the information/data relating to the cost of production provided by the domestic industry for the period of investigation. The NIP has been considered for comparing the landed price from the subject country for calculating injury margin. For determining the non-injurious price, the best utilisation of the raw materials of the domestic industry over the injury period has been considered. The same treatment has been carried out with the utilities. The best utilisation of production capacity over the injury period has been considered. It is ensured that no extraordinary or nonrecurring expenses were charged to the cost of production. A reasonable return (pre-tax @ 22%) on average capital employed (i.e., average net fixed assets plus average working capital) for the PUC was allowed as pre-tax profit to arrive at the non-injurious price. The NIP so determined has been considered for calculating injury margin.
- 123. Since participating exporters have claimed that they have not exported the subject goods to India during the POI, the landed price for all the exporters has been determined on the basis of DGCI&S data.
- 124.Based on the landed price and NIP determined as above, the injury margin for producers/exporters from China PR has been calculated by the Authority and the same is provided in the table below.

Producers	All producers
Non-Injurious Price (₹/MT)	***
Landed Value (₹/MT)	1,67,731
Injury Margin	***
Injury Margin (%)	***%
Injury Margin (Range %)	40-50

O. CAUSAL LINK

125. As per the Rules, the Authority, inter alia, is required to examine any known factors other than subsidised imports which are injuring or are likely to cause injury to the domestic industry, so that the injury caused by these other factors may not be attributed to the subsidised imports. While the present investigation is a sunset review investigation and causal link has already been examined in original investigation, the Authority examined whether other known listed factors have caused or are likely to cause injury to the domestic industry. It was examined whether other factors listed under the Rules could have contributed or are likely to contribute to the injury suffered by the domestic industry.

a) Volume and Value of Imports from Third Countries

126. It is seen that the volume of non-subject imports is quite low. Further, the domestic industry has not claimed continued injury in the present case.

b) Contraction in demand or changes in the pattern of consumption

127. The demand for the PUC has increased consistently over the injury period. Therefore, the domestic industry has not suffered injury due to possible contraction in demand.

c) Trade restrictive practices of and competition between the foreign and domestic producers

128. The Authority notes that there is no trade restrictive practice.

d) Developments in Technology

129. The Authority notes that technology for production of the product has not undergone any change. Further, the responding producer has also not stated that there is any development in technology.

e) Export Performance

130. The Authority has relied on segregated data for domestic and export operations, to the extent the same could be.

f) Performance of other products

131. The Authority has considered the data relating to the performance of the subject goods only.

g) Parameters establishing causal link

132. The following parameters establishes causal link between Chinese imports and likelihood of injury to the domestic industry in the event of cessation of duty.

Comparison of Raw Material Cost of the domestic industry with CIF Import Price of PUC from China during POI

Particulars	Unit	POI
Total cost of raw material consumed	₹/MT	***
Conversion costs	₹/MT	**
Other Cost	₹/MT	**
Fixed Cost and Return	₹/MT	**
CIF Import Price	₹/MT	1,46,888

- a. The landed price of imports from China PR is below selling price, cost of production, and non-injurious price of the domestic industry. The CIF import price from China PR is below the raw materials costs for the domestic industry. The price undercutting in the present investigation period is significant. Therefore, in the event of cessation of countervailing duty, the domestic industry is likely to suffer price undercutting. The extent of price undercutting shall result in decline in selling price of the domestic industry and consequently adverse effects on profits, cash profits and return on investment earned by the domestic industry.
- b. Given the large volume of unutilised production capacities in China PR, further capacity expansion undertaken by Chinese producers and the price at which Chinese producers have exported the product in third country, coupled with positive price undercutting, imports of the product are likely to increase rapidly in the event of cessation of countervailing duty and the domestic industry is likely to loose sales in the market. The increase in imports in a short duration in the event of cession of countervailing duty is likely to result in significant decline in sales, production, capacity utilization, and market share of the domestic industry.

P. <u>LIKELIHOOD OF CONTINUATION OR RECURRENCE OF INJURY</u>

133. In a review investigation the Authority is required to determine whether the subsidisation has continued and whether it is likely to be continued. In addition, the Authority determines whether injury to the domestic industry is likely to continue or recur due to subsidised imports if the duty is allowed to cease.

P.1 Submissions made by the other interested parties

- 134. Following submissions were made by other interested parties regarding likelihood:
 - i. The exporters are not required to file Part II of the questionnaire as it pertains to anti-dumping duty investigations.
 - ii. The product has been placed in the restricted category and the imports have reduced drastically.
 - iii. Capacity of Chinese producers and third country exports are irrelevant as China is exporting to India in insignificant quantities.
 - iv. The domestic industry is not vulnerable to injury as its profitability has increased.

P.2 Submissions made by the domestic industry

- 135. Following submissions were made by the domestic industry regarding likelihood:
- i. The exporters have failed to file Part II of the questionnaire response regarding likelihood. Therefore, the Authority ought to conclude likelihood on the basis of information on the record filed by the petitioners.
- ii. The domestic industry is vulnerable to injury due to low return on investment and substantial increase in imports during the POI.
- iii. Continuation of subsidies shows that the domestic industry would be adversely impacted upon cessation of duty.
- iv. Third country exports by China are at injurious and price attractive volumes.
- v. Numerous countries like USA, Europe, South Africa, Eurasian Economic Union have enforced trade remedial measures against unfair exports of subject goods from China. This has restricted China's market for exports.
- vi. The export markets for China are further limited as the Chinese producers have acquired or set up manufacturing facilities in different countries around the world.
- vii. The producers have undertaken significant capacity additions over the injury period.

viii. India is an attractive market for producers considering huge potential for radialisation and replacement market.

P.3 Examination of the Authority

- 136. As the participating exporters have failed to provide information regarding likelihood parameters, the Authority has determined likelihood on the basis of facts available in the petition, final findings in the original anti-subsidy investigation dated 25th March 2019 and final findings in the recently concluded anti-dumping sunset review investigation dated 16th September 2022.
- 137. Following parameters show likelihood of continuation of subsidization and consequent injury to the domestic industry in the event of cessation of countervailing duty.
 - i. Significant Increase in Imports
- 138. A significant increase in imports during POI, indicates likelihood of substantially increased imports in the event of cessation of duty.
 - ii. Continuation of Subsides
- 139. The data on record clearly shows that there are significant subsidies being provided to the Chinese producers for the production of the subject goods. The likelihood of continuation of subsidies is indisputable as evident from the annual reports of the exporters. That being the case, the injury is likely to recur in the absence of duties.
 - iii. Third Country Injurious and Price Attractive Exports
- 140. Table below shows volume of exports from China PR to various third countries and comparison of the same with selling price and NIP of domestic industry.

Particulars	Volume MT
	(Annualized)
Total exports to third countries	41,30,674
Exports at injurious price	39,79,906
Share of exports at injurious price	96%
Exports at Price Attractive Volumes	39,48,479
Share of exports at Price Attractive Volumes	96%
Share of injurious exports to demand in India	466%
Share of price attractive exports to demand in India	463%
Demand in India	8,53,683

Source: Trademap

- 141. It is seen that the volume of exports to third countries at price below the NIP and selling price in India, is far more than gross Indian demand.
 - iv. Measures on Chinese exports to Third Countries
- 142. The domestic industry has submitted that there are several trade remedial measures in place on the subject imports from China PR.
- 143. It would be seen that the exporters in China are exporting significant volumes at dumped/subsidised prices in third countries. Europe and USA authorities have countervailed subsidised tyre exports from China. In addition, USA, Europe, Egypt, Eurasian Economic Union and South Africa currently have in force anti-dumping duty against the subject goods from China. Brazil, Turkey, and Columbia had also previously imposed duties. Eurasian Economic Union has even found circumvention of duties previously imposed. These measures in other jurisdictions establish unfair nature of exports from the subject country.

Country	Investigation	Product	Duty	Imposition
Brazil	Anti-dumping	Tires of radial construction (20", 22" and 22.5" diameter)	\$1.12 - \$2.59 per kg	Jun-09
	Anti-dumping	used for buses and trucks.		Apr-15
Turkey	Anti-dumping	New pneumatic tires, of rubber.	60% of CIF value	Jun-11

Colombia	Anti-dumping	Radial tires under heading 4011.20.10.00.	Benchmark of \$5.37 per kg	Jun-13
Egypt	Anti-dumping	Tires for buses and lorries.	3.8% - 60% of CIF value	Feb-14
Eurasian Anti-dumping Economic Union		New truck tires	14.79% - 35.35%	Nov-15
EU	Anti-dumping	Tyres for buses or lorries (new and retreaded)	€0.37 - €38.98 per item	Nov-18
	Anti-subsidy	Tyres for buses or lorries (new and retreaded)	€3.75 - €57.28 per item	Nov-18
USA	Anti-dumping	New pneumatic tires, of rubber, with a truck or bus size designation.	9% - 22.57%	Feb-19
	Anti-subsidy	New pneumatic tires, of rubber, with a truck or bus size designation.	38.61% - 52.04%	Feb-19
Egypt Anti-dumping Tyres for b		Tyres for buses and lorries	9.8% to 36.9%	Mar-21
Eurasian Anti-circumvention Economic Of ADD Union		Circumvention of duties on truck tyres. ADD extended to imports under HS code 8708.70.990.9	14.79% - 35.35%	Oct-22
Africa for		Pneumatic tyres of rubber for passenger, truck and bus tyres	7.18% to 43.6%	Jul-23
United Anti-subsidy and Kingdom anti-dumping Transition reviews		Pneumatic tyres, new or retreaded, of rubber, of a kind used for buses or lorries, with a load index exceeding 121.	Reviews initiated to examine if EU measures should be extended to UK	May-23

- 144. It can be seen that the quantum of duty imposed in other jurisdictions is significantly higher than the rate of duty imposed in India (9%-17.5%).
 - v. Chinese manufacturing in third countries reducing volumes that can be sold by Chinese producers in these markets and resultant likelihood of increase in imports in India
- 145. The expansion of Chinese manufacturing of the subject goods by setting up plants in third countries have reduced the market for subject goods for the exporters in third countries. In the event of cessation of the existing countervailing duty, particularly in absence of countervailing duty, India would be a target of trade diversion of subject goods by Chinese producers.
 - vi. Significant capacity additions by the Chinese producers
- 146. In the final findings, dated 16th September 2022, the Authority has noted that exporters in subject country have:
 - a. capacities far higher than the Indian demand.
 - b. significant unutilized capacities which are likely to be utilized to export to India in the event of cessation of existing duties.
- 147. Further information provided by the domestic industry with regard to subject country shows significant capacity additions and expansions undertaken by the manufacturers in the subject country.

S. NO.	Producer	Period	Capacity additions	
1	Shandong Linglong Tyre	Feb 2018	Production commenced in Gaungxi plant. ²	
		Nov 2019	Production commenced in Hubei plant. The plant has a capacity of 2.4 million TBR tyres p.a. ³	
		Apr 2020	Construction of new plant is in progress in Changchun. The plant has a capacity of 120 million radial tyres p. a. ⁴	
2	Doublestar Tire	Nov 2019	Production commenced in Doublestar DongFeng plant. ⁵	
3	Guangxi New Guilun Rubber	2019	New plant set up with a capacity of 1.5 million TBR tyres p.a. ⁶	
4	Aeolus Haoyou	2017	Acquired a factory in Taiyuan ⁷	
5	Jilin Linglong	2019	New plant commissioned for TBR production at the Hubei Linglong Tire Co., Ltd. factory in Jingmen, China ⁸	
6	Prinx Chengshan (Shandong) Tire	2020	Approval from the Board for capacity expansion of 3.85 million tyres p.a. The project was expected to be operational by Q4 of 2021.9	
7	Jilin Linglong	2021	TBR Tyre production started at the Jilin Linglong plant in Changchun, China. The plant can produce 1.2 million TBR tyres annually. ¹⁰	
8	Zhongce Rubber	2022	ZC Rubber's subsidiary in Xindeng Town, Fuyang District, Hangzhou City is planning to add 2.5 million tyres to its production capacity. ¹¹	
9	Hankook Tyre	2023	Hankook expands Chongqing factory's TBR tyre capacity to increase annual production capacity from 900,000 to 1.036 million) within 16 months ¹²	

vii. Potential demand in the Indian market

148. The domestic industry has submitted that radialisation (shift from traditional bias tyres to radial tyres) is a major factor for growth in the Indian market. It was submitted that 52% trucks and buses in India run on radial tyres as of FY 2020. Whereas China achieved 90% radialisation in the same market segment as early as 2012. In addition, India is a major market for replacement market segment.

 $capacity/\#: ``: text=Specifically \% 2C the tyre \ manufacturer \ plans \ Hankook \ expands \ Chongqing \ factory's \ TBR \ tyre \ capacity - Tyrepress$

² https://www.tyrepress.com/2019/05/guangxi-linglong-tire-starts-earthmover-tyre-production/

³ https://www.tyrepress.com/2019/12/linglong-hubei-tbr-tyre-plant-officially-opens/

⁴ https://www.tirebusiness.com/news/linglong-starts-tire-production-new-factory

⁵ https://www.tirebusiness.com/manufacturers/doublestar-trials-new-tire-factory-shiyan-building-recycling-plant

⁶ http://en.skytire.cn/3/article 294.html

⁷ https://www.aeolustyre.biz/aeolus-history.html

⁸ https://www.tyrepress.com/2019/12/linglong-hubei-tbr-tyre-plant-officially-opens/

⁹ https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2021/0831/2021083100318.pdf

¹⁰ https://www.tyrepress.com/2021/12/china-jilin-linglong-begins-truck-tyre-production/

¹¹ https://www.tyrepress.com/2022/08/zc-rubber-plans-to-add-a-2-5-million-tyres-production-capacity/

¹² https://www.tyrepress.com/2023/08/hankook-expands-chongqing-factorys-tbr-tyre-capacity/#~ text=Specifically%2C the tyre manufacturer plans Hankook expands Chongqing fact

viii. Conclusion on Likelihood

149. With the imposition of countervailing duty, the economic parameters of the domestic industry have improved. However, substantial increase in imports during POI under 40118000 establishes likelihood of increase in imports if the present duty is allowed to cease. The likelihood of injury is established by continuation of subsidies to the Chinese producers, very significant exports from China to rest of the world at a price below selling price, cost of production and non-injurious price for the domestic industry. Significant capacity additions in China, existence of unutilised capacities over and above current significant exports to third countries at a price below the price in India further shows likelihood of substantial increase in imports in India in the event of cessation of countervailing duty. Existence of trade remedial measures by a number of countries globally further establishes the likelihood of injury to the Indian industry.

Q. Indian Industry's Interest and other issues

O.1 Submissions made by the other interested parties

- 150. The following submissions have been made by other interested parties with regard to the Indian industry's interest:
 - i. Continuation of duty would be contrary to public interest.
 - ii. The existing duty has served its purpose and requires termination.

Q.2 Submissions made by the domestic industry

- 151. The following submissions have been made by domestic industry with regard to the Indian industry's interest:
 - i. Absence of participation from user/importer industry show they are not adversely impacted.
 - ii. Impact of prevailing duty is merely 0.21% per MT KM basis.
 - iii. Countervailing duty does not preclude imports. It only ensures imports at fair prices.
 - iv. The subject imports are entirely unnecessary as there exists no demand supply gap in the country. The domestic industry has more than sufficient capacities to cater to the entire demand in the country.
 - v. There is healthy inter-se competition among multiple domestic producers. This ensures consistent supply at reasonable prices for consumers.
 - vi. The Indian industry sources its raw materials primarily from the domestic market. Significant investments have been made in the domestic market in raw materials such as natural rubber, PBR, SBR, carbon black on the back of tyre industry.
 - vii. The tyre industry provides direct & indirect employment to about 20 Lakh persons. The employment generation is expected to increase by at least 37 lakhs by 2032.
 - viii. Indian tyre industry is one of the consistent and leading exporters, supplying tyres to more than 100 markets worldwide. The domestic industry can focus on the export market only when it is ensured of fair competition in the domestic market. The applicants companies itself contributed INR 5,777.83 crores in foreign exchange earnings in FY 2022-23.
 - ix. The domestic industry has adopted environment-friendly methods of production. It also spends heavily on CSR activities which the exporters would not do
 - x. In the last three years, tyre industry in India has invested close to Rs. 4,800 crores in new capacity creation and debottlenecking for existing capacities for TBR segment. Continuation of duty is essential to ensure continued investment.

Q.3 Examination of the Authority

- 152. The Authority recognizes that the imposition of countervailing duties might affect the price levels of the product in India. However, fair competition in the Indian market will not be reduced by the imposition of countervailing duty. On the contrary, imposition of anti-subsidy measures removed the unfair advantages gained by subsidization, prevent the deterioration of the domestic industry and help maintain availability of wider choice to the consumers of the subject goods. The purpose of countervailing duty, in general, is to eliminate injury caused to the domestic industry by the unfair trade practice of subsidy so as to re-establish a situation of open and fair competition in the Indian market, which is in the general interest of the country. Imposition of countervailing duty, therefore, would not affect the availability of the product to the consumers. It would not restrict imports from the subject country in any way.
- 153. The Authority issued gazette notification inviting views from all interested parties, including importers, consumers, and other interested parties. The Authority also prescribed a questionnaire for the importers and

- consumers to provide relevant information with regard to present investigations, including possible effect of countervailing duty on their operations.
- 154.Even though the Authority has prescribed formats for the users to quantify the impact of countervailing duty and elaborate how the extension of countervailing duty shall adversely impact them, it is noted that none of the interested parties have provided relevant information. It is thus, noted that the interested parties have not established any impact of extending the countervailing duty on the user industry with verifiable information.
- 155. The Authority notes that the response to the economic interest questionnaire, was furnished only by the domestic industry. None of the consumers or traders of the subject goods have participated in the present investigations, nor furnished a response to the economic interest questionnaire. Furthermore, it is noted that no party has presented any evidence to show significant adverse effect of the duties in force. This lack of evidence and silence of the consumers and importers underscores the Authority's position and reinforces the necessity of countervailing duty measures to ensure fair trade practices.
- 156.It is seen that the demand of the PUC in India has increased by 66% since 2019. The Automobile industry has thrived in India and has not indicated any evidence of adverse impact of present duties.
- 157. The domestic industry has highlighted that the consumers are not adversely impacted by the duties because of the low impact of the duties. The impact on the consumer has been calculated on per MT per KM basis. Taking the average life of a tyre as 120,000 kms and carrying capacity of a truck as 15 MT, the impact of the prevailing duty comes to a mere 0.21% as can be seen from the table below. This is assuming that the tyre prices were increased by the Indian industry by the quantum of countervailing duty imposed. The changes in profitability of the domestic industry however does not show that the domestic industry had increased the prices by the quantum of countervailing duty. In fact, considering the changes in the costs and prices, it is seen that it can be construed that the domestic industry increased its prices by about 1.5% over and above what was necessary to address increase in costs. Thus, even if it is assumed that the domestic industry increased its prices by 1.5% due to countervailing duty, it is seen that the impact on the eventual product was only 0.0322%.

Particulars	Unit	Amount
Tyre Weight	Kgs	60
No of Tyres per Vehicle	Nos	14
Tyre Weight per Vehicle	Kgs	840
CIF Price	Rs/Kg	180
CVD	%	9.12%
CVD	Rs/Kg	16.42
CVD per Vehicle	INR	13,789
Tyre Life	Kms	1,20,000
CVD per KM	INR/KM	0.11
Capacity of Truck	MT	15
CVD	Per MT KM	0.01
Freight Rate	Per MT KM	3.6
Impact Analysis	%	0.21%
Increase in price by the domestic industry	%	1.5%
Possible impact due to CVD	%	0.0322%

- 158. Even if it is considered that the extension of countervailing duty might affect the price levels of the subject goods, the impact of the duty on the consumer shall be negligible. Further, fair competition in the Indian market will not be reduced by countervailing duty, particularly if the levy of the countervailing duty is restricted to an amount necessary to redress the injury to the domestic industry. The objective of imposition of countervailing duty is to remove the unfair advantage gained by provision of subsidy to exporters in the subject country; to prevent the injury to the domestic industry and help maintain availability of wider choice to the consumers of the subject goods.
- 159. The Authority further determines that the continuation of countervailing duty will not lead to scarcity of the subject goods in India. It is noted that countervailing duty does not restrict imports, but ensures that imports are available at fair prices. The domestic industry is holding unutilised production capacities exceeding the current

- volume of imports. The domestic industry has significant exports of the product. The continuation of duty would not affect the availability of the product in the market. In any case, the combined capacities of the Indian industry are more than the demand in India, thereby ensuring that there remains sufficient supply in the country.
- 160. Continuation of countervailing duty will not lead to any unfair trade practices as there are a number of producers of the PUC in India that are inter-se competing in the market.
- 161. It is seen that the domestic industry has grown during the tenure of the countervailing duty. While the capacities of the domestic industry were low during the original investigation, the capacities have increased in India. The Indian tyre industry has invested close to Rs. 4,800 crores in new capacity creation and debottlenecking for existing capacities in the TBR segment.
- 162. It is seen that due to the addition in capacities in India, India is now *Atma Nirbhar* (self-sufficient) for the production of the PUC. While the Indian tyre industry is catering to almost the entire demand in India, tyre industry has also been one of the consistent exporters, supplying tyres to numerous markets worldwide.
- 163. The domestic industry has also highlighted that the upstream industry has made investment in the production of raw materials in India on the back of tyre industry and an increase in demand for tyres. The domestic industry has also highlighted various import substitution initiatives undertaken and joint development programs that are actively supported by the domestic industry to ensure growth of the upstream industry in India. The Indian industry has also invested in a *** crore project in collaboration with the National Bank for Agriculture and Rural Development (NABARD) to increase rubber production in the northeast regions. This is a big step in making India self-sufficient in rubber production.
- 164. The Authority further notes that the recommendation for imposition of duty is made only when the requisite legal requirements are met. From the information on record, it is also noted that the impact of countervailing duty is negligible to the consumers of the product under consideration, and the Authority is of the view that the imposition of countervailing duty will be in public interest.

R. Post Disclosure Analysis

165. The Authority has examined all post-disclosure comments made by the interested parties in these final findings to the extent deemed relevant. Any submission which was merely a reproduction of the previous submission and which had been adequately examined by the Authority have not been repeated for the sake of brevity.

R.1 Submissions made by the other interested parties

- 166. The other interested parties have made following submissions:
 - i. Tyres having rim diameter above 16 inches cannot be the determinative criterion for deciding the PUC. Such tyres are also imported not just in HS code 40118000 but also under other HS codes 40117000 (tyres used on used on agricultural or forestry vehicles and machines) and 40119000 (new pneumatic tyres of rubber not covered under any under sub-heading of 4011).
- ii. It is nowhere stated in the final findings of the original investigation that tyres above 16 inches were considered as the PUC irrespective of their use in buses and lorries/trucks.
- iii. At the time of the original investigation, tyres imported under HS code 40118000 were of more than 16 inches only and were still considered as NPUC.
- iv. The Authority has not disclosed precisely all the 'import descriptions' under HS code 40118000 that are considered as the PUC.
- v. Inclusion of HS code 40118000 in the duty table will create a situation where genuine imports of mining tyres under HS code 40118000 will also be subject to countervailing duty.
- vi. In the event the Authority decides to include HS Code 40118000 in the duty table, the Authority should clearly mention that tyres of a kind used on construction, mining or industrial handling vehicles and machines imported under HS Code 40118000 are outside the scope of the PUC.
- vii. Respondents cannot be considered as 'non cooperative' and cannot be denied individual rate of duty only because some information may be considered as missing. In the case of GM Balls SSR (Apr 2023), the Authority recommended continuation of the same individual duty for the exporter even when it was found that the response filed by the exporter was incomplete.
- viii. Continuation of countervailing duty, if any, should not be more than 2 years, given low volume of imports and improvement in economic performance of the domestic industry. Reliance is placed on past DGTR findings.
- ix. Subsidy margins have not been provided in the disclosure statement.
- x. DGTR is giving undue protection to the domestic industry by applying 22% ROCE.

R.2 Submissions made by the domestic industry

- 167. The domestic industry has submitted the following:
- i. The Authority has rightfully determined to include the PUC imports under HS code 40118000 within the scope of the PUC and levy of countervailing duty on the basis of product description and tyre specifications considered during the original investigation.
- ii. During the original investigation, the PUC mine remedial effect of duties.
- iii. Only producers in China are exporting the PUC under HS code 40118000. No other country exported the PUC under HS code 40118000, showing clear intent of duty avoidance by producers in China.
- iv. The Authority has rightfully determined that customs classification is indicative only and not dispositive of the scope of the PUC. So long as a truck and bus tyre having rim diameter above 16 inches is imported under both HS code 40112010 and 40118000, it would be included in the scope of the PUC and levy of countervailing duty.
- v. In the original investigation, the Authority had determined scope of the PUC not on the basis of the application of vehicle but on the basis of product description. i.e., "New/Unused pneumatic radial tyres having nominal rim dia code above 16" used in buses and lorries/trucks". Such buses and lorries/trucks may find application on the road or off the road. Application of the vehicle was not binding on the scope. Only application of tyre was binding which is for fitment on buses and lorries/trucks.
- vi. Participating exporters failed to fully cooperate in the investigation. The exporters have not only failed to provide response in the prescribed format, they have also misrepresented and misled the Authority in contending that they have only exported NPUC. Import statement on record would show that the products exported are nothing but the same products that are at present subject to countervailing duty and very similar to the goods that were exported at the time of original investigation. It is for the Authority to determine if the products exported are the PUC or NPUC and not for the exporters to decide for themselves. In addition, the producers have failed to provide response to Part II of the questionnaire which is vital for analysing likelihood parameters.
- vii. Consistent with past practice of the Authority, in cases of non-cooperation by exporters in a sunset review, the Authority ought to apply adverse facts to the exporters and recommend residual duty as was determined in the original investigation. Reliance was placed on:
 - ➤ Sunset Review investigation concerning imports of "Carbon Black used in Rubber Applications" originating in or exported from China PR and Russia, dated 22nd December 2020.
 - ➤ Sunset Review investigation concerning imports of "Phthalic Anhydride" originating in or exported from Russia, dated 5th January 2021.
 - ➤ Sunset Review of anti-dumping duty imposed on imports of "Amoxycillin/ Amoxycillin Trihydrate", originating in or exported from China PR, dated 15th February 2022.

R.3 Examination of the Authority

- 168. The analysis of the Authority is as follows:
 - i. As regards the contention that subsidy margin has not been provided in the disclosure statement, it is clarified that the present case is a sunset review and the objective of the investigation is to ascertain whether the Chinese producers continue to benefit from countervailable subsidies as ascertained in the original investigation. The Authority has examined whether countervailable schemes as determined during the original investigation continue, and whether there is evidence of continued benefit being received under the said schemes. The domestic industry alleged new schemes, but has not provided information for quantification.
 - ii. The interested parties have preferred non-cooperation. The Government of China has not only filed skeleton response, but also limited the same to only the participating exporters, that too without providing all the relevant information and evidence. The Chinese producers have not claimed that the quantum of benefit has substantially declined, nor have established how the countervailing duty margin should be re-calculated. Therefore, the Authority has limited its determination to an examination whether the Chinese producers continue to benefit with countervailable subsidy programs.
 - iii. As regards the contention that the continuation of duty should not be for more than two years. In this regard the interested parties have not provided sufficient justification for limiting the duration of measures to two years. The Authority considers that the normal duration of countervailing duty is five years and the Authority determines whether the countervailing duty should be extended further. Under normal circumstances, the Authority recommends extension of duration by five years.

- iv. Further, the Authority considers that since extension of measures is on the grounds of likelihood of continued subsidisation and likelihood of injury to the domestic industry in the event of cessation of countervailing duty, there is no justification for limiting duration of extension to a shorter period. In fact, the domestic industry has shown the volume of subsidised and injurious exports from China to various countries globally which is significantly higher than the Indian consumption.
- v. Further, the extent of unutilised capacities with the Chinese producers is quite significant, having regard to gross domestic demand. In the past, even in cases involving low volume of imports, and improvement in economic performance of the domestic industry, the Authority has recommended continuation of duty for full five years. This includes recent determinations made in "Grinding Media Balls from China and Thailand", "Aluminium Alloy Road Wheels" and "Flat Base Steel Wheels".
- vi. In the present case, the volume of imports is higher than those products. The Authority also notes that the domestic industry has capacity sufficient to cater to the demand for the product in the country, has undertaken capacity expansions and is exporting significant volumes. Therefore, the Authority finds it appropriate to recommend continuation of the measure for further 5 years.
- vii. The Authority notes that while contending that products of the same description could have been imported under 40117000 and 40119000 code also, the exporters have provided no evidence to substantiate the same. Further, even when exporters have information available with regard to their own exports to India, and the Government of China is participating in the present investigation, the exporters have not provided any information on the goods exported under 40117000, 40118000 and 40119000.
- viii. The Authority therefore holds that not only the claim made is wholly unsubstantiated, but also the exporters have preferred not to provide information available with regard to exports. As held by the Hon'ble Supreme Court in the matter of Gopal Krishnaji Ketkar v. Mahomed Haji Latif & Ors. (1968 3 SCR 862).
- ix. The Authority also notes that even Government of China has been participating in the present investigation and therefore has all relevant facts with regard to the claims made by the Chinese producers and as reported in China customs. However, Government of China has preferred not to provide the relevant information with regard to goods exported by Chinese producers.
- x. It is pertinent to note that within the current investigation, the purview of the PUC remains consistent with that delineated in the original investigation, i.e. "New/Unused pneumatic radial tyres having nominal rim dia code above 16' used in buses and lorries/trucks." It is noteworthy that these buses and lorries/trucks may be utilized for both on-road and off-road purposes. However, it is imperative to underscore that the examination framework does not extend to encompassing the broader applications of buses or lorries/trucks. Consequently, the focus of the present investigation is confined solely to the tyres as outlined in the original investigation that is designed for installation in buses or lorries/trucks.
- xi. The Authority had determined in the original investigation the scope of the PUC not on the basis of the application of buses and lorries/trucks but on the basis of product description. i.e., "New/Unused pneumatic radial tyres having nominal rim dia code above 16" used in buses and lorries/trucks". Such buses and lorries/trucks may find application on the road or off the road. Application of the buses and lorries/trucks was not binding on the scope. Only application of tyre was binding which is for fitment on buses and lorries/trucks.
- xii. As regards the contention that at the time of original investigation, tyres imported under HS code 40118000 were of more than 16 inches only and were still considered as NPUC, the Authority has examined imports under 40118000 at the time of the original investigation and finds that these were not carrying the same description as is now being found in the imports being reported under 40118000. In the present POI, there are large number of transactions with description similar to the description used at the time of original investigation while reporting imports under 40118000. This further establishes that the products of the similar description are now being reported under 40118000 which were earlier being reported under 40112010.
- xiii. As regards the contention that inclusion of HS code 40118000 in the duty table will create a situation where genuine imports of mining tyres under HS code 40118000 will also be subject to countervailing duty. The Authority has adequately addressed this concern of the interested parties by appropriately clarifying the scope of the product under consideration in the duty table. Further, the scope is being appropriately clarified along with the duty table in order to ensure that imports of the product which do not confirm to the description of the product under consideration of the present case are not subjected to duty.
- xiv. The Authority further notes that the balance of convenience in this regard is clearly in favour of inclusion of this HS code under duty table. If customs authorities demand duty on a product that should not be subjected to countervailing duty, the party can seek appropriate remedy. However, imports of the product under consideration under 40118000 are defeating the very purpose for which the present measure was recommended.

- xv. With regard to the argument suggesting that should the Authority opt to incorporate HS Code 40118000 into the duty table, it must expressly stipulate that tyres of a nature employed in construction, mining, or industrial handling vehicles and machinery imported under HS Code 40118000 fall beyond the ambit of the Product under Consideration (PUC), the Authority acknowledges that the delineation of the product's scope is confined to the tyres as specifically defined in the original investigation. Tyres other than those explicitly outlined within the parameters of the original investigation are deemed to be outside the scope of the Product under Consideration.
- xvi. As regards the fact that the Authority had extended the same quantum of duty in the matter of grinding media ball after holding exporter as non-cooperative and therefore Authority should recommend existing duty for the participating exporter, the Authority considers that reference to that case is misplaced. The Authority notes that in the matter of grinding media ball, the exporter was treated non-cooperative only on one account, i.e., failure to provide information with regard to export to third countries. However, in the instant case, the exporters have not only preferred not to provide information with regard to export to third countries, but also, the exporters have preferred not to provide complete information with regard to exports made under 40118000.
- xvii. The exporters have now contended having supplied goods under 40117000 and 40119000 as well. It is however noted that sufficient information was not provided by the exporters at the time of filing questionnaire response. Thus, the exporters have preferred not to provide relevant information with regard to exports to India. This information was far more important, relevant and necessary in the present case in view of the fact that the present case is the case of continued imports as opposed to grinding media balls case, which was the case of no imports during the POI.
- xviii. As regards the contention that ROCE of 22% should not be considered for determination of injury margin, the Authority considers that no justification has been given why the Authority should disregard its own long-standing practice to consider a return of 22% for determining the NIP. Principles of equity demand that the same is applied to all situations. The Authority cannot pick and choose circumstances in which it can digress from its established practice.

S. Need for continuation of CVD

169. The Authority notes the following with respect to need for the continuation of countervailing duties through the present sunset review investigation:

a) Benefit to various stakeholders

i. Domestic Producers

- 170. The installed capacity of the producers has grown from 6,17,916 MT to 7,60,902 MT. The production has increased from 4,21,435 MT in 2019-20 to 6,30,880 MT in the POI. The Indian industry has become *atma nirbhar* (self-reliance). It has combined capacity which is more than sufficient to cater to the entire Indian demand. Indian Tyre Industry is also one of the consistent and leading exporters, supplying tyres to more than 100 markets worldwide. The domestic industry can focus on the export market only when it is ensured of fair competition in the domestic market.
- 171. The applicant companies itself contributes Rs. 5,777.83 crores in foreign exchange earnings. Despite slowdown in the overall economy, the employment in the tyre industry has increased by 20% since 2019 and the salary and wages have increased by 81%. The domestic producers have invested significant amounts. In the last three years, tyre industry in India has invested close to Rs. *** crores in new capacity creation and debottlenecking for existing capacities. Further, domestic producers undertake several CSR initiatives which exporters are unlikely to do for India.

ii. Upstream Producers

172. The Indian industry sources its raw materials primarily from the domestic market. 70% of the natural rubber produced in India is consumed by Indian tyre manufacturers. Significant investments have been made in the domestic market in raw materials such as natural rubber, synthetic rubber (PBR, SBR, butyl rubber), carbon black on the back of tyre industry. The domestic industry has undertaken several initiatives towards import substitution of raw materials. It has initiated several joint development programs with domestic suppliers of raw materials such as natural rubber, sulphur, resource-formaldehyde resin, accelerators, antioxidants, butyl rubber, halo butyl rubber, microcrystalline wax, super tackifier resin, etc. The Indian industry and the National Bank for Agriculture and Rural Development (NABARD) have invested in a *** crore project to increase rubber production in the northeast regions. This collaboration directly in line with the 'Make in India' scheme, is a big step in making India self-sufficient in rubber production

iii. Consumers of the product

173. The Authority notes that existence of domestic industry assures consumers of competitive pricing. Presence of multiple domestic producers of the product in the country provides consumers the possibility of an alternate source of supply. The production facilities of the Indian tyre industry are spread throughout the northern, western and southern parts of the country, and are therefore capable of sufficiently meeting the supply requirements of downstream users located in any part of the country. Procuring from the Indian industry ensures fair prices, un-interrupted supply, proficient after sales services and allow users to reduce inventory holdings. Domestic suppliers are subjected to various statutory and regulatory requirements in the country, which further protects the bonafide interests of the consumers.

b) Looming Threat of Price and Volume Injury from Exports from China

- 174. China has significant excessive capacity which far exceeds the Indian demand. Europe and USA authorities have countervailed subsidised tyre exports from China. In addition, USA, Europe, Egypt, Eurasian Economic Union and South Africa currently have in force anti-dumping duty against the subject goods from China. Significant third country exports from China are priced below the NIP and selling price in India. Landed price of imports from China is below the variable costs of the PUC. Should the Indian industry sell the product matching the Chinese prices, it shall not recover even variable costs.
- 175. Therefore, if the duty is not continued, the imports from China are likely to intensify and cause significant volume injury. Further, the current landed value from China undercuts price and cost of the domestic industry. The profitability of the domestic industry is such that should the domestic industry reduce the price even to some extent, it would start suffering financial losses and the imports shall still remain cheaper than the Indian industry product. This in itself shows threat of price injury in the event duty is ceased.

T. Conclusions

- 176. Having regard to the contentions raised, information provided and submissions made by the interested parties and facts available before the Authority, as recorded in the above findings, and on the basis of above analysis of the likelihood of continuation or recurrence of subsidisation and injury to the domestic industry, the Authority concludes as follows:
- i. The scope of the product under consideration is same as was notified in the original investigation, i.e., "New/Unused pneumatic radial tyres with or without tubes and/or flap of rubber (including tubeless tyres), having nominal rim dia code above 16" used in buses and lorries/trucks, classified under customs subheading 40112010, 40131020 and 40129049." While defining the scope of the product under consideration and recommending countervailing duty at the time of the original investigation, the Authority had not restricted the scope of the product under consideration based on the application of the buses and lorries/trucks.
- ii. The scope of the product under consideration was based on description of the product, i.e., *New/Unused pneumatic radial tyres having nominal rim dia code above 16*" used in buses and lorries/trucks. Such busses and lorries/trucks may find application on the road or off the road.
- iii. The customs classification serves as an indication and does not impose a definitive constraint on the delineation of the product in question. The delineation of the product under consideration remains consistent with that established in the original investigation. It is noteworthy that the incorporation of HS Code 40118000 does not extend the ambit of the PUC and has been included solely subsequent to an analysis of import data revealing the presence of the product in question within the specified HS Code. As previously articulated, the Authority affirms the primacy of the product description in determining its scope, while regarding customs classification as merely indicative. Hence, until such time that the product description undergoes expansion, assertions implying an enlargement of the PUC's scope by the inclusion of any particular HS Code lack substantive merit.
- iv. It is however expressly clarified that the Authority has not extended scope of the product under consideration and has not recommended countervailing duties on all imports reported under 40118000. Imports reported under 40118000 should be subjected to countervailing duties only if the imported product falls within the definition of the product under consideration of the present case.
- v. Inclusion of goods imported under HS code 40118000 does not amount to extension of the product scope as the Authority has considered the same product description and size as was considered during the original investigation.
- vi. Import of the subject goods has increased substantially during the POI, particularly under HS code 4011800. It is seen that both the participating exporters, Zhongce and Shandong Yinbao have exported under HS code 40118000. However, these exporters have not provided complete details of exports made under this

- classification and have not established how these do not constitute exports of the product under consideration, particularly when customs classification is not dispositive. Import data relating to the POI of the original investigation provided by the domestic industry for 40118000 does not show those descriptions as are now largely seen in the import data of 40118000 in the POI of the present investigations.
- vii. The exporters have however merely contended without providing relevant information. It is also noted that the exporters have provided no information with regard to the exports of the product under consideration made to third countries. Since the exporters have exported significant volume of the product under consideration to third countries, information with regard to these tyres was relevant not only for likelihood determination, but also for establishing the description of the product exported to India and to rest of the world. The Authority has therefore not accepted questionnaire response filed by these exporters and have treated the exporters as non-cooperative.
- viii. The Authority notes that a number of Chinese producers had participated at the time of original investigation. These exporters have however preferred non-cooperation and have not even participated in the present investigation. Analysis of import data for both the HS codes however shows exports having been made by some of the exporters attracting specific duty. The Authority therefore considers that it would not be appropriate to recommend the continuation of the same quantum of countervailing duty as was determined in the original investigation for these exporters.
- ix. The product produced by the domestic industry is like article to the product imported from China.
- x. The applicants constitute domestic industry within the meaning of Rule 2(b).
- xi. The application contained all the information relevant for the purpose of initiation of the sunset review and the application contained sufficient evidence to justify initiation of the present sunset review. Further, the applicants provided all information considered relevant and necessary by the Authority for the purpose of the present investigation.
- xii. Producers in the subject country continue to avail benefits of subsidies that were held to be countervailable in the original investigation.
- xiii. Principles of judicial economy demand that a determination of countervailability of a program is relevant and appropriate only if information with regard to quantification of benefit is available and is on record. The Authority cannot on its own collect evidence for quantification of evidence. In any case, the Authority has considered that the Chinese producers have not fully cooperated in the present investigation and has appropriately considered the same while recommending the quantum of countervailing duty.
- xiv. The domestic industry has not suffered continued injury during the present period of investigation in as much as it has not suffered deterioration in its performance with regard to various economic parameters.
- xv. There is a likelihood of injury to the domestic industry in the event of cessation of present countervailing duty, as established by the following factors:
 - i. The landed price of Chinese imports is materially below selling price, cost of production and non-injurious price of the domestic industry. In fact, the CIF import price is below the costs on account of raw materials for the domestic industry. This clearly demonstrates that the price from China is likely to remain materially below costs and close to material costs of the Indian industry.
 - ii. Thus, if the domestic industry were to match the Chinese prices, the domestic industry cannot remain viable and shall suffer significant financial losses. Plant closures are imminent in case the Indian industry was to match the Chinese subsidised prices.
 - iii. The subject imports have increased in absolute terms during the POI, showing likelihood of increase in subsidised imports once the duty ceases.
 - iv. The volume of exports from China to the rest of the world at prices below the Indian costs is much higher than the demand for the product in the country. Further, Chinese producers are saddled with significant unutilised production capacities. Thus, Chinese producers have the capability to sell volumes to the extent of Indian demand at prices comparable to the present CIF import price for a long period.
 - v. The evidence on record clearly demonstrates that the Chinese industry can take over significant part of Indian demand in nearly foreseeable future, in the absence of countervailing duty measures.
 - vi. The producers in the subject country continue to avail benefits of subsidy programs countervailed in the original investigation.
 - vii. Third country exports from China are at a price materially below non injurious price for the Indian industry. Further, almost entirety of these third country exports is at a price materially below the selling price of the domestic industry.
 - viii. The surplus unutilised production capacities with the Chinese producers far exceeds the gross Indian demand. Thus, the Chinese producers hold unutilised capacities to take over Indian demand.

- ix. Despite existing surplus capacities, the Chinese producers have undertaken further significant capacity additions in recent years.
- x. A number of countries have invoked trade remedial measures against Chinese imports of subject goods, thereby limiting their markets.
- xi. India is a lucrative market given its present and potential demand due to radialisation and large replacement market.
- xvi. The investigation had not brought to light any considerations demonstrating that such continuation of countervailing duty would not be in the public interest.

U. Recommendations

- 177. The Authority notes that the investigation was initiated and notified to all the interested parties and adequate opportunity was given to them to provide information on the aspect of subsidies, injury, causal link, likelihood of continuation/recurrence of subsidisation and injury and impact of recommended measures. Having initiated and conducted the investigation in terms of provisions of sunset review investigation as laid down under the countervailing Duty Rules, the Authority has reached a conclusion that the duty imposed on subject goods is required to be extended further, the Authority recommends extension of countervailing duties on imports of the product under consideration.
- 178. Further, having regard to the conclusion reached with regard to imports of the product under consideration under HS code 40118000, the Authority recommends collection of Countervailing duties on imports of the product under consideration, if reported under 40118000. It is however clarified that the said duty would be collected under this HS code only if the description of the product falls within the scope of the product under consideration.
- 179. As per information available on record significant imports of the product under consideration have been found under ITC HS code i.e., 40118000 which also includes exports made by participating exporters. However, these exporters have not provided complete details of exports made under this classification and have not established how these do not constitute exports of the product under consideration. Further, the participating exporters have also failed to provide information regarding likelihood parameters.
- 180. In view of the above, the Authority recommend same quantum of Countervailing duties on all Chinese producers, as were recommended for "any other Chinese producer" at the time of original investigation. Accordingly, the Authority recommends extension of definitive countervailing duties on the import of the subject goods originating in or exported from China PR as indicated in Col 7 of the duty table below, for a period of 5 years from the date of notification to be issued in this regard by the Central Government.

Duty Table

SN	Heading/ Subheading	Description of goods	Country of origin	Country of export	Producer	Duty amount as % of CIF value
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	40112010 and 40118000*	New/Unused pneumatic radial tyres with or without tubes and/or flap of rubber (including tubeless tyres), having nominal rim dia code above 16" used in buses and lorries/trucks	China PR	Any country including China PR	Any	17.57%
2	- do -	- do -	Any country other than China PR	China PR	Any	17.57%

^{*}The duty shall be payable on imports reported under 40118000 only if the description of the product confirms to the description given above. No countervailing duty shall be charged in the respect of other imports reported under 40118000.

V. Further Procedure

181.An appeal against the recommendation of the Authority shall lie before the Customs Excise and Service Tax Appellate Tribunal in accordance with the relevant provisions of the Act.

ANANT SWARUP, Designated Authority